लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड २, १९६२/१८८४ (शक)

[३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumig 18.10.73

Preservation Unit. 14-5-92 Fumigated On 3.12.83 Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड २ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खंड २, अंक ११ से २०—३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० वैशाख, १८८४ (शक) पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ६६९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६९, २७०, २७२, २८३, २७३ से २८१, २८४ से २८६ और २८८ से २९० ६६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७१, २८२, २८७ और २९१ से २९८ ६९४—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५० से ३२६ और ३२८ से ३६२ ६९८—७४८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ७४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ७४८—५१

१. आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . ७४९—५१

२. पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिसमें भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है ७५१

३. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना ७५१

समितियों के लिये निर्वाचन . ७५१–५२

१. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . ७५१

२. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ७५२

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक—पुरस्थापित ७५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७५३

दैनिक संक्षेपिका . ७९०—९६

अंक १२—मंगलवार, १ मई, १९६२/११ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ७९७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९९, ३०१, ३०२, ३०४ से ३०६, ३०८, ३११ से ३१५ और ३१७ से ३१९ . . ७९७—८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३०७, ३०९, ३१०, ३१६, ३२० से ३३६ . . . . ८२२--३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४१२, ४१४ से ४२२, ४२४ से ४३५, ४३७ से ४४८, ४५० और ४५१ ८३३--७३

प्रक्रिया के बारे में ८७३-७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ८७४--७८

१. बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण . . ८७४--७५

२. लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोपड़ियों को आग लगना ८७५--७८

३. सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्व पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार . ८७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८७९-८०

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि ८८०

बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य ८८०--८१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८८१--९१६

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन ९१६

दैनिक संक्षेपिका ९१७--२३

अंक १३--बुधवार, २ मई, १९६२/वैशाख १२, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४४, ३४६, से ३४९, ३७०, ३५१ और ३५३ ९२५--५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५०, ३५२, ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३७९ ९५०--६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ५२३ . . ९६३--९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ९९६--९८

१. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्रचना की आवश्यकता ९९६-९७

२. गुजरात में कपास का अधिग्रहण . . ९९७-९८

३. पूर्वी पाकिस्तान में ढाका तथा राजशाही में दंगे ९९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९९८--१०००

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन . . १०००

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . १००१--११

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १०११--५७

दैनिक संक्षेपिका १०५८--६७

अंक १४—गुरुवार, ३ मई, १९६२/१३ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण— . .

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १०६७

तारांकित प्रश्न संख्या ३८०, ३८२ से ३८६, ३९३ से ३९६ और ३९८ १०६७—९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८१, ३९० से ३९२, ३९७ और ३९९ से ४१५ १०९४—११०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ६०२, ६०५ से ६२१ और ६२३ से ६३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

१. स्माल स्केल वुलन मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन और स्क्रीन प्रिन्टर्स द्वारा अपने समवाय बन्द कर देने की धमकी . ११५१–५२

२. हुगली के पायलेटों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी ११५२—५४

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५५–५६

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. पशु कल्याण बोर्ड . ११५६

२. भारतीय लाख उप-कर समिति . . . ११५६–५७

३. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का प्रशासी निकाय ११५७

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(१) भारत को चीन को कथित अलटीमेटम ; तथा . ११६३–६४

(२) १५० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान में चले जाना ११६४—६६

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—

दैनिक संक्षेपिका १२०६–१२१४

अंक १५—शुक्रवार, ४ मई, १९६२/१४ बैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १२१५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४१९, ४२१ से ४२५ और ४२८ से ४३३ । १२१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १२३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२०, ४२६, ४२७ और ४३४ से ४५० . . . १२३८--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८, ६३६, ६४२ से ७१३ और ७१५ से ७२१ . . . १२४७--८१

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . १२८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२८२

राष्ट्रपति का संदेश . . . १२८२

सभा का कार्य १२८३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . १२८३--१३१७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--

पुरःस्थापित और पारित १३१८-१६

जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के बारे में संकल्प . . . १३१६--३८

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प . . . १३३८

दैनिक संक्षेपिका . . . १३४४-५०

अंक १६--सोमवार, ७ मई, १६६२/१७ वैशाख १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . . १३५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६१, ४६३, ४६४, ४६६ और ४६७ . . . १३५१--७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६२, ४६५ और ४६८ से ४६६ . . . १३७६--८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७५२, और ७५४ से ७७२ . . . १३८६--१४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर और चीन के सिंक्यांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय . . . १४१०-११

सभा पटल पर रखे गये पत्र--

समितियों में निर्वाचन--

१. राजघाट समाधि समिति और . . . १४१२

२. कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . . १४१३

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . . . १४१३--३८

दैनिक संक्षेपिका १४३६--१३

अंक १७, मंगलवार, ८ मई १९६२ / १८ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०४ और ५०६ से ५१४ . . . १४४५—६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . १४६९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ और ५१५ से ५४६ . . . १४७१—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ से ८६०, ८६२ से ८७८, ८८०, ८८१, ८८३, ८८४, ८८६ से ९१० और ९१२ से ९२३ . . . १४८६—२५५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा लैंड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का गिरना . १५५३-५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र— १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १५७६-७७

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में . . . . १५८८—९६

दैनिक संक्षेपिका—

अंक १८, बुधवार, ९ मई १९६२ / १९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५५६ और ५५८ . १५९७—१६१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . १६१९-२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ और ५५९ से ६०९ . . १६२०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से १०२६ . . . १६४३—८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई १६८७

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में १६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १६८८—९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६९०—१७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . १७१५—२३

अंक १९, गुरुवार, १० मई, १९६२ / २० वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१५, ६१७ से ६२०, ६२३, ६२६ से ६२८, ६३८ और ६२९ से ६३२ . . . १७२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१६, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६३३ से ६३७ और ६३९ से ६४५ . १७५०—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०६९ और १०७१ से १०७७ . १७५७—८०

हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में . . . . १७८०—८२

सूचना प्राप्त करने के बारे में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

चीनी वाणिज्य दूतावास कलिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना . १७८२—८३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में छपाई के कागज की कमी १७८३—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १७२४—१८२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १७२९—३२

अंक २०, शुक्रवार ११ मई, १९६२ / २१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६४९, ६५१ से ६५५ और ६५७ से ६६३ . १८३३—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १८५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५०, ६५६ और ६६४ से ६९१ . . १८५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ से १०८२ और १०८४ से ११८६ १८७०—१९२३

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

माल गाड़ी और ट्रक की टक्कर १९२३—२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. फिजो के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक और दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान १९२८

GMGIPND—LS III—811 AI LSD—12-7-62—150

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, ११ मई, १९६२
२१ वैशाख, १८८४ (शाक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री भानु प्रकाश सिंह (राजगढ़)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इंजन बनाने का दूसरा कारखाना

+

†*६४६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजन बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) क्या इस कारखाने के लिये कोई स्थान चुना गया है और यदि हां, तो कौन सा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) डीजल इंजन बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** चित्तरंजन स्थित कारखाने ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है इस बात को देखते हुए क्या उस कारखाने का और विकास किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां । चित्तरंजन में बिजली के इंजन बनाने की हमारी योजना है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** वाराणसी में जो कारखाना स्थापित किया जाने वाला है उसके उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** शुरू में प्रति वर्ष १५० इंजन बनाये जायेंगे । हमें उम्मीद है कि बाद में २५० तक इंजन बनाये जा सकेंगे ।

†**श्री मोहसिन :** क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि मैसूर राज्य के हुबली रेलवे वर्कशाप मे इंजन अधिक सस्ते बन सकते हैं क्योंकि वहां ज्यादा मजूरी नहीं देनी पड़ती ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वहां वाराणसी से कम लागत पर इंजन नहीं बन सकते ।

†**श्री शाहनवाज खां :** हमारा हुबली वर्कशाप में इंजन बनाने का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस कारखाने में कितने प्रकार के इंजन बनाये जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां :** वहां उच्च शक्ति वाले डीज़ल इंजन बनेंगे जो ज्यादातर माल ढोने के काम आते हैं ।

†**श्री हनुमन्तैया :** इस बात को देखते हुए कि ये २५० इंजन भी हमारी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम हैं सरकार इस कारखाने का विस्तार क्यों नहीं करती ताकि हमारी सभी आवश्यकतायें पूरी हो जायें ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमें कहीं न कहीं प्रारम्भ तो करना ही होगा । उस का विस्तार करने की आवश्यकता हुई तो हम विस्तार करेंगे ।

डा० गोविन्द दास : जो नई फैक्ट्री बनने वाली है, उसको न बना कर क्या यह बात ज्यादा मुनासिब नहीं होगी कि जो फैक्ट्रियां अभी हैं और जहां इस प्रकार की मशीनें तैयार हो सकती हैं, जैसे चित्तरंजन का कारखाना या जबलपुर के कुछ कारखाने, उन्हीं को बढ़ा कर यह काम कराया जाए क्योंकि नई फैक्ट्री को बनाने में और ज्यादा खर्चा होता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो बहस में पड़ गये हैं । पूछा यह गया है कि दूसरी फैक्ट्री क्या खोलने की कोई प्रोपोज़ल है । उन्होंने कहा कि वाराणसी में आ रही है ।

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि वाराणसी में एक लोकोमोटिव कम्पोनेंट्स वर्क्स, लोकोमोटिव इंजिन के पुर्जे बनाने का कारखाना मौजूद है और उसी को इस काम के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको कुछ थोड़ा और बढ़ाया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो कारखाना वाराणसी में बनने जा रहा है उसमें लगभग कितने आदमी और भरती होंगे ?

श्री शाहनवाज खां : वह तो काम के ऊपर मुनहसर है । जैसे जैसे काम बढ़ेगा आदमी बढ़ाते जायेंगे। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इस प्राजेक्ट के ऊपर लगभग १२.७ करोड़ रुपया खर्च होने का अन्दाज़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता था कि वहां कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा?

अध्यक्ष महोदय : जैसे जैसे काम चलेगा, तो पता चलेगा ।

श्री शाहनवाज खां : दो ढाई हजार की उम्मीद तो है ही ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** वाराणसी में यह कारखाना स्थापित करने से पूर्व क्या सरकार ने निश्चय किया है कि प्रति वर्ष कितना उत्पादन होगा और अभी कितना उत्पादन हो रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री शाहनवाज खां :** अभी कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** कारखाने का प्रस्तावित उत्पादन कितना है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जैसा कि मैं बता चुका हूं प्रति वर्ष १५० इंजन बनेंगे और बाद में २५० इंजन बनने लगेंगे ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया : प्रत्येक यूनिट के लिये मानदण्ड निर्धारित है । मंत्री महोदय आसानी से बता सकते हैं कि कितने दक्ष, अदक्ष तथा पर्यवेक्षक कर्मचारी आवश्यक हैं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं जानकारी प्राप्त किये बिना बता नहीं सकता ।

गैर-सरकारी संचालकों द्वारा विमान सेवाओं का संचालन

†*६४७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमान सेवायें शुरू करने के लिये गैर-सरकारी संचालकों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं

(ख) उनमें से कितने संचालकों को ऐसी सेवायें चलाने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) किन किन मार्गों के लिये अनुमति दे दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) १९६१–६२ में १४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

(ख) और (ग) वर्तमान विनियमों के अधीन विशिष्ट मार्गों पर नियमित विमान सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती । जिनके पास अनुसूचित परमिट हैं उन्हें ऐसे दो स्थानों के बीच विमान सेवा चलाने की अनुमति दी जाती है जहां दोनों कारपोरेशनों की सेवाएं नहीं हैं बशर्ते कि वे परमिट में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करते हों ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** आवेदन पत्र स्वीकार हो इसके लिये कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहियें ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इसकी कई शर्तें हैं । एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन दो स्थानों के बीच आई० ए० सी० या अन्य कारपोरेशन की सेवा की व्यवस्था हो वहां आवेदक सेवा आरम्भ नहीं कर सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्रीनारायण दास : क्या इन आवेदनों पर कोई समिति विचार करती है जिसकी सिफारिश पर लाइसेंस दिये जाते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** उन पर विभाग विचार करता है।

†**श्री बसुमतारी :** क्या यह सच है कि सलकमार द्वारा किया गया आवेदन पत्र एक अर्से से सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** उसे बहुत पहले अस्वीकार कर दिया गया है।

†**श्री प्र० च० बरुआ :** क्या सरकार को ज्ञात है कि गैर-सरकारी संचालकों ऐसे कई मार्गों पर सेवा चलाते हैं जहां आई० ए० सी० की सेवा विद्यमान है और गैर-सरकारी संचालकों का किराया, माल-भाड़ा आदि कारपोरेशन से कम होने के कारण यात्री गैर-सरकारी संचालकों की सेवाओं से आते-जाते हैं और इस प्रकार आई० ए० सी० को हानि होती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जहां आई० ए० सी० की सेवा है वहां गैर-सरकारी संचालकों द्वारा कोई सीधी सेवा नहीं चलाई जाती। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ एसे स्थान हैं जो नियत हवाई अड्डों के पास ही हैं ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या सरकार की नीति यह है कि जिन मार्गों पर सेवा चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है वहां गैर-सरकारी संचालकों को सेवा चलाने के लिये सुविधा प्रदान की जाय या कि सरकार का इरादा इन मार्गों पर सेवा चलाने का नहीं है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** १९५४ में राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद गैर-सरकारी संचालकों को सेवायें चलाने देने के पीछे यही उद्देश्य था। पहली बात तो यह है कि इंडियन एयरलाइन्स के पास सभी आवश्यक मार्गों पर और खास कर पूर्वी भाग में सेवा चलाने के लिये पर्याप्त विमान न थे। पूर्वी भाग में जहां आई० ए० सी० की सेवा नहीं है वहां गैर-सरकारी संचालक सेवा चला रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस देश में गैर-सरकारी संचालक कब काम करना बन्द कर देंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इसकी कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इन गैर-सरकारी संचालकों के विमान तथा उनमें यात्रियों की सुख सुविधा का स्तर आई० ए० सी० जैसा रहे इसे सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है क्योंकि ये संचालक वक्त-बेवक्त सेवा चलाते हैं और यात्रियों को आई० ए० सी० जितनी सुख-सुविधा नहीं देते ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है हमारे पास अत्यन्त दक्ष और योग्य विमान जांच विभाग है जो नियमानुसार आवश्यक मरम्मत आदि की जांच करता है। जहां तक यात्रियों की सुख-सुविधा का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये अनुसूचित .....

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह नियमित नहीं है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** पिछली बार जब विधेयक लाया गया तो माननीय सदस्य ने इस बात का विरोध किया था। यदि उन्हें अनुसूचित सेवायें चलाने दी जावें तो संभव है कि यात्रियों को अधिक सुख-सुविधा दी जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि अधिनियम में हाल में किये गये संशोधन के परिणाम-स्वरूप अननुसूचित सेवाओं को जो लाइसेंस दिये गये थे उन में से कुछ को नियमित अनुसूचित संचालक बनाया जाने वाला है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या सरकार को ज्ञात है कि इन गैर-सरकारी संचालकों पर नेफा क्षेत्र में खाद्यान्न गिराने का आरोप लगाया गया है और यदि हां, तो सरकार ने इन बातों की जांच के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** नेफा में हाल में खाद्यान्न गिराने के बारे में मुझे कोई शिकायतें नहीं मिली हैं । गैर-सरकारी संचालकों के विरुद्ध वे आरोप लगाये गये थे जिनका निर्देश काटजू समिति को किया गया था और माननीय सदस्य को उन आरोपों की पूरी जानकारी है ।

दिल्ली में जल संभरण

+

†*६४८. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्डन नदी से दिल्ली में पीने के पानी की कमी को दूर करने की जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार के इंजीनियरों ने प्रस्तुत की थी उसे कार्यान्वित करने में क्या रुकावटें हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस योजना की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना के स्वीकृत होने की संभावना है और यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो पानी की कमी को दूर करने के लिये कौन सी वैकल्पिक योजना है और यह कब तक सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों ने अभी तक कोई विस्तृत योजना प्रस्तुत नहीं की है । यह उनके परीक्षणाधीन है । इस योजना को शीघ्र भेजने के लिये निगम ने उन्हें स्मरण करा दिया है ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में पानी की कमी दूर करने के लिये कोई आन्तरिक कार्यवाही की गई है ?

†**डा० सुशीला नैयर :** ओखला में स्थित जलाशय से दक्षिण दिल्ली के बहुत से भागों को पानी दिया जा रहा है । वहां का जल बहुत अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि उस जलाशय के ऊपर जमना में कुछ गन्दे पानी के नाले मिलते हैं और उनसे पानी गन्दा होता है । इस कारण पानी गन्दा होने के इस स्थान से ऊपर हिन्डन नदी से १५ क्यूजेक्स लेने का विचार है और उसे सीधा जलाशय में ले जाया जायेगा । उत्तर प्रदेश के इंजीनियर इससे सहमत हो गये हैं परन्तु कुछ गहरे नलकूप

†मूल अंग्रेजी में

बनाये जायें और उन्हें पानी दिया जाय। उन्होंने यह योजना बनाई है। अन्य किसी योजना पर विचार नहीं हो रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : एक वर्ष पहले योजना प्रैस में प्रकाशित हुई थी और कहा गया था कि वह उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों के विचाराधीन है । देर होने के क्या कारण हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य का कथन सर्वथा ठीक है। निगम के इंजीनियरों और उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों की पिछली बैठक मार्च, १९६१ में हुई थी। मैं नहीं जानती कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें जल्दी करने के लिये स्मरण कराया गया है। आशा है कि हमें बहुत शीघ्र उन का उत्तर प्राप्त होगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख है ? क्या वह पूरा सहयोग दे रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : जी, उत्तर प्रदेश वालों ने कहा है कि ३८·७ लाख रुपया जो खर्च होगा ट्यूब वैल्स सिंक करने में वह दिल्ली कारपोरेशन खर्च करे और दिल्ली कारपोरेशन ने वह खर्च करना स्वीकार भी कर लिया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि दिल्ली में गन्दे पानी के सम्भरण की शिकायतें पहिले से ही हैं ? इस समस्या की भयंकरता का ध्यान रख कर क्या माननीय मन्त्री का विचार दिल्ली में स्वच्छ जल के सम्भरण का कोई अन्तरिम प्रबन्ध करने का है ?

†**डा० सुशीला नायर** : प्रबन्ध पूर्णतया सन्तोषजनक है । जल की कीटाणुशास्त्र की दृष्टि से और रासायनिक दैनिक परीक्षा होती हैं और उन्होंने गन्दा पानी अलग करने के लिये एक साइफन लगाया है । यह सन्तोषजनक सिद्ध हुआ है । कुछ दिन जबकि पानी ठीक नहीं था, पानी कुछ घण्टों के लिए बन्द कर दिया गया था । परन्तु ऐसा पिछले तीन, चार वर्ष में तीन या चार बार ही हुआ है ।

बम्बई-न्यूयार्क जेट सेवा

†*६४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इण्डिया इण्टरनेशनल द्वारा लन्दन के रास्ते बम्बई और न्यूयार्क के बीच दैनिक जेट सेवा शुरू करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : एयर इण्डिया इन्टरनेशनल ने मई, १९६२ से भारत और अमेरीका के बीच लन्दन के रास्ते से दैनिक जेट सेवा आरम्भ कर दी है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या आर्थिक व वित्तीय सम्भावनाओं पर विचार कर लिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वित्तीय सम्भावनाओं पर विचार किया गया था और वे सन्तोषजनक पाई गईं । हां, सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जबकि यातायात कम हो जाता है उतार चढ़ाव हो । उदाहरणार्थ, वर्ष १९६१ में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात बहुत कम हो गया था । परन्तु आशा है कि वित्तीय दृष्टिकोण से यह लाभप्रद होगा ।

श्री विभूति मिश्र: अभी तक हवाई यात्रा के व्यापार में सरकार को घाटा होता रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई अगला कदम उठाने से पूर्व क्या वह पहले घाटे को पूरा करने का प्रयत्न करेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री मुहीउद्दीन : जो कदम आगे बढ़ाया गया है, वह फ़ायदे की ग़र्ज़ से ही बढ़ाया गया है।

दक्षिण रेलवे द्वारा दावों का भुगतान न किया जाना

†*६५१. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा अधिकृत वर्ष के अन्त में भुगतान के लिये प्राप्त दावों के निबटारे में विलम्ब होता है क्योंकि उनका पंजीयन आम तौर पर १ अप्रैल के बाद किया जाता है ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में ऐसे कोई एक हजार दावे अनिर्णीत पड़े हुए हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार विलम्ब के फलस्वरूप जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नम्बियार :** क्या पिछले कई वर्षों में या पिछले वर्ष या उससे पहिले, दावों के भुगतान की राशि बढ़ रही थी या कम हो रही थी ?

†**श्री स० वें० रामस्वामी :** इसमें विभिन्नता हो सकती है क्योंकि कुछ मामले जो अगले वर्ष के लिये, लिये गये थे, उनका भुगतान आने वाले वर्ष में किया गया हो और भुगतान कुछ अधिक हुआ हो उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री नम्बियार :** क्या मद्रास और दक्षिण भारत के व्यापारियों ने शिकायत की थी कि बाद में उनके दावे दर्ज किये गये थे ताकि वे अगले वर्ष में शामिल हो सकें, अर्थात् १ अप्रैल के बाद ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** नहीं, श्रीमान् । दावे रोज दर्ज किये गये हैं, जैसे जैसे वे आये हैं।

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद

†*६५२. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर गया है कि कृष्णा-गोदावरी विवाद के हल हेतु केन्द्र को सभी सम्बन्धित राज्यों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही हो तो वह क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) गुलाटी आयोग की रिपोर्ट आने और उस पर विचार किये जाने के बाद ऐसा सम्मेलन बुलाने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या अन्य सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के मत लिये गये हैं कि क्या वे गुलाटी आयोग की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने से पहिले इस कान्फ्रेंस का बुलाया जाना पसन्द करेंगे ?

†**श्री अलगेशन :** अब ऐसी कान्फ्रस बुलाने का प्रश्न ही नहीं है। यह आयोग ही एक ऐसे निश्चय के फलस्वरूप बनाया गया था जो सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय के कहने पर बुलाई गई एक अन्तर्राज्यीय कान्फ्रेंस में किया गया है। इस आयोग के रिपोर्ट देने पर, ऐसी कान्फ्रेंस बुलाई जायेगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि ये राज्य गुलाटी आयोग की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने से पहिले ही ऐसी कान्फ्रेंस का बुलाया जाना पसन्द करते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** नहीं, श्रीमान् मुझे विभिन्न मुख्य मन्त्रियों की ऐसी किसी इच्छा का पता नहीं है ?

†**श्री तिरुमल राव :** प्रश्न के भाग (क) में 'सम्बन्धित राज्यों' शब्दों का प्रयोग हुआ है। भारत सरकार के अनुसार सम्बन्धित राज्य कौन हैं जिनके बारे में गुलाटी आयोग से कहा गया है ?

†**श्री अलगेशन :** मूल करार वर्ष १९५१ में हुआ था। तब मद्रास, मैसूर तत्कालीन हैदराबाद रियासत, बम्बई, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सम्बन्धित राज्य में थे। वास्तव में, सम्बन्धित राज्यों मे से एक राज्य उड़ीसा, करार में उस करार में शामिल न था।

†**श्री तिरुमल राव :** माननीय मन्त्री ने वर्ष १९५१ के मूल करार का उल्लेख किया है जबकि मद्रास एक मिला जुला राज्य था। वर्ष १९५३ में आन्ध्र राज्य अलग हो गया। इसका उल्लख आपके पत्र व्यवहार में भी नहीं है। आपका उत्तर है कि यह मद्रास राज्य हैं। वास्तव में.......

†**श्री अलगेशन :** इसका बहुत उल्लेख है।

†**श्री तिरुमल राव :** आन्ध्र राज्य बहुत ही सम्बन्धित है।

†**श्री अलगेशन :** इसका काफी उल्लेख था।

†**श्रीमती सरोजनी महिषी :** गुलाटी आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा ?

†**श्री अलगेशन :** आशा है कि वे जुलाई के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देंगे ?

†**श्री बासप्पा :** क्या यह सच नहीं है कि मैसूर सरकार ने १९५१ के करार का सम्मान नहीं किया है ?

†**श्री अलगेशन :** हां, यह सच है कि मैसूर सरकार ने, जो कान्फ्रेंस में एक सदस्य थी, बाद में उस करार पर हस्ताक्षर नहीं किये ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** देर करने की सरकार की बाह्य प्रवृत्ति और ऐसे विवादों के बारे में निश्चित कार्यवाही करने में उन्हें हिचकिचाहट होने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप वे विवाद यदि बवाल नहीं होते, तो अनुचित रूप अवश्य ले लेते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** माननीय सदस्य के प्रश्न में अनेक अनुमान हैं जिनमें मैं भागीदार नहीं हो सकता। जब कभी विभिन्न राज्य के हितों का मामला होता है, तो स्वाभाविक है कि हमें कुछ सावधानीपूण कार्यवाही करनी पड़ती है और यही इस मामले में किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री वेंकटा सुब्बया : माननीय मंत्री के कथन से प्रतीत होता है कि मद्रास राज्य भी संबंधित राज्यों में से एक है। क्या पुराने मद्रास राज्य के मद्रास, और आन्ध्र प्रदेश में विभाजन होने पर भी केन्द्रीय सरकार मद्रास राज्य को इसका एक सदस्य मानती है ?

†श्री अलगेशन : यह नहीं समझा जा रहा है, परन्तु मद्रास सरकार ने गुलाटी आयोग से कुछ आभ्यावेदन किये हैं और गुलाटी आयोग का मुख्य उद्देश्य ही यह है। उन्हें कहा गया है कि वे दोनों कृष्णा और गोदावरी नदियों में जल की उपलब्धि निर्धारित करें ताकि इनमें उपलब्ध जल यथा-सम्भव लाभदायिक अनुपात से बाटा जा सके।

चीनी के मूल्य

+

†*६५३. { श्री दा० ना० तिवारी :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कई भागों जैसे कानपुर, कलकत्ता इत्यादि में बाजार में चीनी के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ; और

(ख) जब देश में चीनी बहुतायत से उपलब्ध है तो उसके मूल्य इतने क्यों बढ़े हैं ?

†खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हां, श्रीमान्। बाजार में चीनी के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) इसका अधिकतर कारण यह है कि इस वर्ष मार्च-अप्रैल में नई चीनी दी गई है। अच्छी किस्म की होने के कारण विक्रेता अधिक मूल्य मांगते हैं।

†श्री दा० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि अधिकतर संभरण कर्ताओं को कोटा देने के बाद ही हुई है जबकि मिलों ने कुछ आपत्ति की थी और बाद में कुछ अधिक धन लेकर कोटा दिया ?

†श्री अ० म० थामस : यह सच नहीं है। विनियन्त्रीकरण लागू किये जाने पर भी समझा गया था कि मूल्यों को उचित स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जायेगा। यह उद्योग बहुत ही विनियमित है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित है। मजूरी निश्चित है। राज्य सरकारों को गन्ना उप-कर दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार को उत्पादन-शुल्क मिलता है। अतः माल स्टाक से निकालने पर केन्द्रीय सरकार को देखना पड़ता है--क्योंकि मूल्यों को नियमित करने की वही व्यवस्था है जो अब केन्द्रीय सरकार के हाथ में है--कि ये भुगतान भी किये जाने और मूल्य उचित स्तर पर रहे ताकि चीनी उद्योग, गन्ना-उत्पादकों साधारणतया जनता को लाभ हो।

†श्री दा० ना० तिवारी : क्या कारण है कि स्टाक से नियमित चीनी निकलने और नियंत्रित संभरण होने पर भी मूल्य बढ़ते हैं।

†श्री अ० म० थामस : अप्रैल के मध्य से मूल्य बढ़ने लगे हैं। मार्च तक, मूल्य निश्चित मूल्य से भी कम थे जोकि विनियंत्रण करने से पहिले थे। इसका मुख्य कारण यह है है कि निश्चिय ही चालू फसल के उत्पादन में से दी गई चीनी के लिये अधिक पसन्द है क्योंकि वह उत्तम प्रकार की है।

†मूल अंग्रेजी में

नियन्त्रण के समय कारखाने किस्म पर विशेष ध्यान नहीं देते थे और कुछ कारखानों की चीनी कुछ पीली और सीली हुई होती थी। अतः विनियन्त्रण के तुरन्त बाद के मूल्य उसके पहिले के मूल्यों से भी कम थे।

†**श्री अ० सि० सहगल** : क्या पिछले तीन वर्षों में चीनी के मूल्यों में हुये उतार चढ़ाव के आंकड़े सरकार ने रखे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : हां, मेरे पास यहां वे हैं। मेरे पास विनियन्त्रण करने से पहिले के प्रचलित मूल्यों के आंकड़े और मुख्य प्रश्न में विशेष रूप से उल्लिखित कानपुर तथा कलकत्ता में अप्रैल में प्रचलित मूल्यों के आंकड़े मेरे पास हैं। विनियन्त्रण से पहिले कानपुर में मूल्य ४०.०४ रु० था। अब प्रचलित थोक-मूल्य ४०.५९ रु० है ताकि केवल ०.५५ रु० की वृद्धि हुई है। कलकत्ता में १५ सितम्बर, १९६१ को यह मूल्य ४१.८५ रु० था और अब ४२.५० रु० है। अधिक मूल्य का कारण मैं पहिले ही बता चुका हूं। चीनी की किस्म का अच्छा होना ही इसका कारण है।

श्री शिव नारायण : हमारी कांस्टिट्युएंसी में दो शुगर मिल हैं। उनकी चीनी बन्द पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इजाजत देगी कि वे अपनी चीनी को बेच सकें ?

अध्यक्ष महोदय : अपनी कांस्टीट्युयेंसी की बात इन से अलाहदा मिल कर कर लीजिये। वहज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री शिव नारायण : चीनी उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। श्री त्यागी।

†**श्री त्यागी** : क्या कुछ चीनी मिलों को इस सुझाव पर कि चीनी का अधिक मूल्य बनाये रखने के लिये चीनी स्टाक से उदारतापूर्ण न दी जायें, सरकार चीनी उदारतापूर्वक नहीं दे रही हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसे अभ्यावेदन आये थे। परन्तु सरकार मूल्य स्तर का निरन्तर ध्यान रख रही है। हम देखते हैं कि मूल्य कुछ बढ़ गये हैं। अतः पिछले महीने सामान्य मात्रा की अनुमति देने के बाद, हमने कुछ दिन बाद ५०,००० टन की और अनुमति दे दी। हम और भी बड़ी मात्रा की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं और वह शायद सामान्य मात्रा से अधिक होगी।

†**श्री त्यागी** : बिना किसी प्रतिबन्ध के चीनी देने में सरकार को क्या हिचकिचाहट है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जो चीनी दी जाती है, वह भी पूर्णतया नहीं ली जाती। यदि अचानक ही चीनी की अधिक मात्रा देने की अनमति दे दी जाये और मूल्य अधिक गिर जायें, तो मिल गन्ना उत्पादकों को भी भुगतान न कर सकेंगे। अतः इस व्यवस्था का बहुत ही सावधानी तथा होशियारी से प्रयोग करना पड़ता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि कानपुर में हाल में चीनी का फुटकर मूल्य १५–२० नयेपैसे बढ़ गया है ? यदि हां, तो थोक मूल्यों के अतिरिक्त फुटकर मूल्यों को भी नियंत्रित करने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : फुटकर मूल्य के उचित मूल्य से अधिक बढ़ने का मुझ पता नहीं है। निश्चय ही फुटकर मूल्य थोक मूल्य के अनुकूल होना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये भत्ता

†*६५४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २४ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बैरकपुर नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और किराया भत्ता किन विशेष कारणों से दिया गया था ;

(ख) इस बात को देखते हुये कि समीपस्थ नगरपालिका क्षेत्रों और छावनी बोर्डों में वही स्थिति विद्यमान है, इन सुविधाओं से उन्हे क्यों वंचित रखा जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि बैरकपुर में रहने वाले कर्मचारियों को कई महीने तक ये सुविधायें मिलती रहीं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) कुछ वर्ष पहिले ईशापुर प्रतिरक्षा मंत्रालय के संस्थान के नांन-गजटेड कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर भत्ता दिया गया था। २०० रु० तक प्रति मास पाने वालों को दी जाने वाली रियायत ईशापुर में काम करने वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गई और बाद में यह बैरकपुर नगर पालिका में दी गई, ईशापुर जिसका एक भाग है ।

(ख) प्रतिकरात्मक भत्ता बस्ती की जनसंख्या या ऐसी बस्ती की समीपता के आधार पर दी जाती है जो जनसंख्या के आधार पर प्रतिकरात्मक भत्ता का स्थान घोषित किया गया। ईशापुर का विशेष मामला है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर यह प्रतिकरात्मक भत्ता का पात्र नहीं है ।

(ग) हां ।

(घ) हां ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखकर कि बड़ा नगर से कल्याणी तक सारा क्षेत्र निर्वाह तथा मकान के किराये के मामले में कलकत्ता नगर जैसा ही है और इस बात का भी ध्यान रखकर उत्तर बैरकपुर नगरपालिका भौतिक रूप में कलकत्ता के पास नहीं है, सारी अन्य छोटी नगरपालिकाओं को, जो कलकत्ता के चारों ओर एक क्षेत्र बनाती हैं, उससे वंचित क्यों रखा जाये जो बैरकपुर नगरपालिका को दिया गया है ?

†**श्री भगवती** : कलकत्ता के पास औद्योगिक पट्टी का विशेष मामला है। परन्तु कुछ कठिनाइयां हैं । निर्वाह व्यय का मापदंड इस औद्योगिक पट्टी के सारे क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता । फिर, केन्द्रीय सरकार के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर यह सिद्धांत लागू करने के प्रश्न पर भी विचार करना ह । अतः कुछ कठिनाइयां हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय उपमंत्री ने जिस मामले को अच्छा बताया है क्या सरकार उस पर विचार करेगी और क्या उस की जांच की जायेगी क्योंकि दस या बारह नगरपालिकाओं में से तीन नगरपालिकाओं में पहिले से ही नगर प्रतिकरात्मक भत्ता मिल रहा है ?

†**श्री भगवती** : यह कार्यवाही करने का सुझाव है । सारी स्थिति की पुनः जांच करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री प्रिय गुप्त : नगर प्रतिकरात्मक तथा मकान किराया भत्ता देने का क्या सिद्धान्त है ? क्या यह सच है कि किसी नगर को क, ख या ग श्रेणी का घोषित किया जाये, या कोई और सिद्धान्त है जैसे क्षेत्र विशेष निर्वाह-व्यय का अधिक होना ।

†अध्यक्ष महोदय : सिद्धान्त यही था ।

†श्री प्रिय गुप्त : नहीं, श्रीमान् । माननीय उपमंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि बाजार में प्रचलित मूल्यों की भी जांच करनी है, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये भत्ते देने का सिद्धान्त वहां की जनसंख्या नहीं है जिस के आधार पर कोई नगर क, ख या ग श्रेणी का घोषित किया जाता है । मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†श्री भगवती : हां, श्रीमान् । कुछ स्थान जनसंख्या के आधार पर क, ख और ग श्रेणी के घोषित किये गये हैं, क श्रेणी २० लाख से ऊपर, ख श्रेणी ५ लाख से ऊपर और ग श्रेणी १ लाख से ऊपर ? पूर्वानुमान है कि जहां कहीं जनसंख्या बहुत गहन है, वहां निर्वाह-व्यय अधिक है क्योंकि मकान किराया और कुछ आकस्मिक व्यय बहुत अधिक हो सकते हैं ।

†श्री प्रिय गुप्त : मेरी बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया । सिद्धान्त क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री बनर्जी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि श्यामनगर, काकीनाडा और काचरापाड़ा जैसे क्षेत्रों के प्रतिरक्षा कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों ने भी नगर भत्ता न दिये जाने के विरुद्ध कड़ा आन्दोलन आरम्भ कर दिया है और, यदि हां, तो क्या यह सच है कि वित्तीय अधिकारी इस मामले पर विचार कर रहे हैं और क्या माननीय उपमंत्री को इस का ज्ञान है ?

†श्री भगवती : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या अन्य नगरपालिकाओं ने भी मांग की है और क्या सरकार उस पर विचार करेगी या नहीं ।

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जहां तक इस बात-विशेष का सम्बन्ध है, कि ये अन्य प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने मांग की है या नहीं, अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । परन्तु जहां तक उत्तर बरकपुर और ईशापुर का प्रश्न है, वह एक विशेष मामला था और उस का निश्चय तदर्थ आधार पर किया गया था । यह अन्य पास के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता । वह तो सर्वथा तदर्थ आधार पर किया गया था ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कलकत्ता में टेलीफोन बिल

†*६५५. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में टेलीफोन रखने वाले लोग टेलीफोन के बिलों में गलतियों के बारे में हर महीने सैंकड़ों शिकायत भेज रहे हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो शिकायतों की संख्या इतनी क्यों बढ़ गई है ; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी है कि गलत बिल मशीनों की खराबी के कारण बनते हैं या कर्मचारियों की असावधानी के कारण ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) शिकायतों में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

(ग) सब शिकायतों की जांच की जाती है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि कलकत्ता में टेलीफोन दफ्तर में गलत बिलों के बारे में प्रति मास लगभग २५० शिकायतें औसत रूप में आ रही हैं और यदि ऐसी बात है तो क्या इस की जांच की जा रही है और यह पाया जाता है कि इसका मुख्य कारण यह है कि मीटर खराब है और औजार तथा तारें खराब हैं और यदि हां, तो उन को ठीक करने के लिये क्या कार्रवाई की जाएगी ?

†**श्री भगवती** : मैं यह बताने के लिये कि शिकायतें कम हो गई हैं कुछ आंकड़े बताऊंगा । १९५९-६० में शिकायतें ४,१६५, १९६०-६१ में २,९८८, १९६१-६२ में २,७८४ थीं । टेलीफोनों की संख्या १९५९ में ७२००० थी तथा १९६२ में बढ़ कर ९२००० हो गई । अतः टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि की तुलना में शिकायतों की संख्या निश्चय ही कम हुई है, इस से पता चलता है कि स्थिति में सुधार हुआ है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मा० मंत्री का ध्यान कलकत्ता के जनरल मैनेजर के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि बिल बनाने का काम मशीनों के द्वारा किया जाय तो शिकायतों के कारण कम हो सकते हैं ? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री भगवती** : यह सही है कि कुछ मामलों में काम करने वाले लोगों से कुछ गलत बिल बन जाते हों । पहला यह कि इस का आंख पर बड़ा बोझ पड़ता है और मीटर ठीक से पढ़ने में कुछ त्रुटि रह जाती होगी । अब हर दो घंटे बाद मीटर पढ़ने और उस को लिखने के कर्मचारी को बदलने का तरीका अपनाया गया है ; और इस से क्लर्की वाली गलती घटाने में पर्याप्त सहायता मिली है । इस का दूसरा हल भी हो सकता है और वह है बिल बनाने के लिये प्रतिमास मीटरों के फोटो उतार लेना । यह बहुत महंगा पड़ेगा और इस पर विदेशी मुद्रा भी खर्च होगी । अतः वैसा करना बहुत सरल नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : गलत बिल बनाने के लिये मशीनी और मानवी तत्व दोनों जिम्मेवार रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मा० मंत्री बता सकते हैं कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ? बड़ी व्यापक शिकायत यह है कि लगातार अधिक राशि का बिल बनाया जाता है और अपीलों के बावजूद इस को ठीक नहीं किया जाता ?

†**श्री भगवती** : शिकायतें हमेशा अधिक लिखे जाने के बारे में नहीं होतीं, बल्कि बिल देर से भेजने के बारे में भी होती है । शिकायतों की उचित जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई भी की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूगोस्लाविया से खरीदे गये जहाज

*६५७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यूगोस्लाविया से १९६१-६२ में जहाज़ खरीदे थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किस किस्म के जहाज़ खरीदे गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९६१-६२ में भारत सरकार द्वारा यूगोस्लाविया से कोई भी जहाज़ नहीं खरीदा गया ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या आगे खरीदने का सरकार ने कुछ आर्डर दिया है ?

श्री राज बहादुर : सरकार का तो इस के खरीदने से कोई सम्बन्ध नहीं होगा, लेकिन सरकार द्वारा संचालित जो शिपिंग कम्पनी है तथा दूसरी कम्पनियां हैं प्राइवेट सैक्टर में वे खरीदती हैं। उन्होंने एक एक जहाज खरीदा है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इन कम्पनियों को सरकार ने किस मात्रा में एक्सचेंज दिया है ?

श्री राज बहादुर : जो एक जहाज खरीदा गया है वह नान कनवरटिबिल रूपी ऐलोकेशन के तहत खरीदा गया है और इसलिये विदेशी मुद्रा का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जो जहाज खरीदा गया है वह जहाज जापान और वैस्ट जरमनी के जहाजों से कम कीमत का है या ज्यादा कीमत का है, उन की कीमतों में क्या फर्क है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को अनुभव होगा कि विभिन्न जो शिपयार्ड हैं उन के अपने अलग अलग खर्चे होते हैं और कीमतें भी अलग अलग होती हैं, और फिर जहाज से एस्पेसिफिकेशन पर कीमतों का आधार होता है । इसलिये निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह जहाज सस्ता है या वह जहाज सस्ता है । लेकिन हम इतना करते हैं कि रग एंड कम्पनी जो हमारे माने हुए इवेल्यूएटर हैं उन से इवेल्यूएशन करा लेते हैं और उस के बाद मंजूरी देते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पिछले एक वर्ष में ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी तथा वैस्टर्न शिपिंग कम्पनी ने किन किन देशों से अपना टन भार बढ़ाया है ?

†**श्री राज बहादुर** : अब केवल नौवहन निगम है, निस्सन्देह, इस से पहले ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी तथा वैस्टर्न शिपिंग कम्पनियां थीं । वे कभी कभी जर्मन शिप यार्ड में जाती थीं, और हमारे अपने शिपयार्ड पर भी निर्भर करती थीं । वास्तव में, इस समय, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के ९ आर्डरों का पालन भारत का नौवहन निगम कर रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने अपने १९६०—६१ के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि यूगोस्लाविया ने तटीय व्यापार के लिये कुछ जहाजों की पेशकश की है और इसको हमें स्वीकार करना चाहिये । क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि यह पेशकश ४०० लाख डालर ऋण का एक अंश है, जिस में से १०० लाख डालर, अनुमानतः ४.७ करोड़ रुपये यूगोस्लाविया से जहाज खरीदने के लिये रखे गये हैं। आया हम उनको तटीय व्यापार के लिये चलायेंगे या विदेश व्यापार के लिये इस बात का फैसला विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र की विविध कम्पनियों के सामने आने वाली स्थितिकी आकस्मिकताओं के द्वारा किया जाएगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि ये प्राइवेट कम्पनियां जो विदेशों से जहाज खरीदती हैं क्या ये खरीदने से पहले सरकार से भी परामर्श कर लेती हैं या अपने से खरीद लेती हैं और सरकार से कोई परामर्श नहीं करतीं ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं, सरकार से मंजूरी की जरूरत होती है इसलिए कि, जैसा बताया गया कि अगर क्रेडिट का एलोकेशन करना है तो उसके लिए जरूरत होती है, स्पेसिफिकेशन के लिए जरूरत होती है। बिना सरकार की जानकारी के यह सौदा नहीं होता।

अमरीका सरकार से वस्तु-विनिमय

+

†*६५८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री बालकृष्णन् ।
श्री व० क० रामस्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का अमरीका सरकार से चीनी के बदले रुई की गांठें प्राप्त करने का करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक पक्ष चीनी तथा रुई किस मूल्य पर खरीदे और बेचेगा ; और

(घ) यह वस्तु विनिमय कब से शुरू हो जायेगा ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) अमरीका ने रुई की खरीद के मुकाबले में १९६२ के पूर्वार्ध में ५०००० शार्ट टन चीनी की आयात करना स्वीकार कर लिया है।

(ग) चीनी/रूई सामान्य व्यापार साधनों के द्वारा बाजार भाव पर खरीदी/बेची जाएगी।

(घ) चीनी को ३० जून १९६२ तक अमरीका पहुंचना है, और रूई का ३१ दिसम्बर १९६२ तक आयात किया जाना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन सामान्य व्यापार साधनों में राजकीय व्यापार निगम भी शामिल है या वे केवल गैर-सरकारी साधन हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : राजकीय व्यापार निगम बिल्कुल भी चित्र में नहीं आता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : चीनी के बदले हमें कितनी रूई मिलेगी ? इस देश की कमी क्या उस से पूरी हो जाएगी ?

†श्री अ० म० थामस : हमें लंबे रेशे वाली रुई की ४०००० गांठें मिलेंगी । वह हमारी जरूरत को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या देश में रूई की कमी को पूरा करने के लिये कोई अन्य उपाय किये गये हैं ?

†श्री अ० म० थामस : इस प्रश्न का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से अधिक संबंध है । कमी लगभग १७ लाख गांठों की है तथा मैं समझता हूं ६.५ लाख गांठों का आयात करने की व्यवस्था की गई है ।

†श्री वेंकटा सुब्बैय्या : क्या अमरीका से हमारे द्वारा आयात की जाने वाली रूई की कीमत अन्य देशों से खरीदी गई रूई की कीमत की तुलना में अच्छी है ?

†श्री अ० म० थामस : अवश्य ही यह मुकाबला करेगी । हम अन्यथा दूसरे देशों से आयात कर सकते हैं । हम केवल ४४००० गांठें खरीदने के लिये बंधे हुए हैं ।

केरल में राष्ट्रीय राजपथ

+

†*६५६. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ योजना में कौन-कौन परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं;

(ख) इस कार्य के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है और उस में से कितनी राशि प्रयोग हुई है ;

(ग) वर्ष १९६१—६२ के अन्त तक अर्थात् तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इन परियोजनाओं में से कितनी कार्यान्वित की गई और उनमें से कितनी परियोजनायें अभी अपूर्ण पड़ी हैं ; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केरल में राष्ट्रीय राजपथों के मामले में कुल मिला कर कितने प्रतिशत सफलता मिली ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]

(ख) (१) आवंटित राशि . १०४.९५ लाख रुपये

(२) आयुक्त राशि . . . ८३.५२ लाख रुपये

(ग) (१) २४ काम किये जा चुके हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) ३८ काम चल रहे हैं ।

(घ) ८० प्रतिशत् ।

†श्री अ० क० गोपालन : विवरण में बताया है कि कुछ काम पहली योजना से दूसरी योजना में लाये गये थे । वे सड़क सुधार या उसको चौड़ा करन आदि के थे । ऐसे कितने काम हैं जो दस वर्षों पश्चात् भी पूरे नहीं किये गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): जहां तक कार्यों की पूर्णता का संबंध है, इसमें राज्य पी० डब्ल्यू० डी० के अभिकरण पर निर्भर रहना पड़ता है । कुल ८२ कार्यक्रम हैं जिन में पहले योजना से आगे लाये हुए २४ काम शामिल हैं । हम उन कामों की प्रगति उन पर खर्च की गई राशि से आंकते हैं और वह लगभग ८० प्रतिशत् खर्च हो चुकी है ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या कोई जांच की गई है कि राज्य की पी० डब्ल्यू० डी० क्यों इन कामों को अर्थात् सड़कों के सुधार आदि का काम इतने समय के अन्दर पूरा नहीं कर सकी ?

†श्री राज बहादुर : क्योंकि काम बकाया पड़ा है, जो बहुतेरे वर्षों से लंबित पड़ा है, और नई सड़कें बनानी हैं। राष्ट्रीय राजपथों सुधार का करना है, पुल और पुलियां आदि बनानी हैं। राज्य पी० डब्ल्यू० डी० को सीमित संसाधनों और सीमित संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों आदि के अन्दर रह कर जहां तक उत्तम संभव हो, इस योग को पूरा करना है ।

†श्री म० कुहन : विवरण में मैं देखता हूं कि काम के पांच पदों के बारे में मंजूरी नहीं दी गई है । इस विलंब का क्या कारण है ?

†श्री भगवती : इन कामों के प्राक्कलन अभी राज्य पी० डब्ल्यू० डी० से प्राप्त नहीं हुए ।

श्री इम्बीचिबावा ने मलयालम में एक प्रश्न पूछा ।

†श्री नम्बियार : मैं इस का अनुवाद करूंगा । सूची में उल्लिखित संख्या ५२ से ५७ तक मदों की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†श्री भगवती : केवल इन्हीं मदों के लिये मंजरी नहीं दी गई बल्कि अन्य मद भी हैं । लगभग २० परियोजनाओं के प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†श्री अ० क० गोपालन : जिन राशियों की मंजूरी दी गई है वह राशि खर्च क्यों नहीं की गई ?

†श्री राज बहादुर : मैंने बताया है कि उनको अपने राज्य कार्यक्रमों को भी पूरा करना है । फिर उनको राष्ट्रीय राजपथों के कार्यक्रमों को पूरा करना होगा । जब तक इन परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिये हमारी अपनी कार्यान्वित अभिकरण नहीं होगा हम इस के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे ।

भिलाई इस्पात कारखाने से माल ले जाने के लिये माल-डिब्बे

†*६६०. श्री भागवत झा आजाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भिलाई इस्पात कारखाना में एकत्रित निर्मित माल को अन्य स्थानों पर ले जाने के लिये अपेक्षित संख्या में माल डिब्बे दे सकी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे को माल ले जाने में कहां तक सफलता मिली है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी १९६२ से मार्च १९६२ तक भलाई इस्पात कारखाने में से तैयार माल इस प्रकार निकला है :

जनवरी १९६२	. . . .	७९८९४ टन
फरवरी १९६२	. . . .	९४७१० टन
मार्च १९६२	. . . .	१०१,२४० टन

मार्च में जितना अधिक माल निकला वह अप्रैल में भी कायम रखा गया और उस महीने के पहले तीन हफ्तों में स्टाक लगभग २५,००० टन तक कम हो गया ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में माननीय मंत्री ने इतने आंकड़े बताये हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाये । भिलाई परियोजना में माल डिब्बों की संख्या के संबंध में कितनी मांग की थी और मांग को पूर्णतया पूरी करने के लिये कितने वैगन दिये गये थे, जैसा कि माननीय मंत्री ने भी बताया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जितनी मांग पूरी कर दी गई है । वास्तव में उन को जितने वैगन दिये गये थे वे उस का पूर्णतया उपयोग नहीं कर सके । उन्होंने इस वर्ष के पहले तीन महीने में २,२२२ वैगन लौटा दिये हैं । भिलाई इस्पात कारखाने में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां हैं । उपयोग न होने के अतिरिक्त ऐक्सचेंज यार्ड और भरने के स्थानों पर बहुत देर वैगन खड़े रहते हैं ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : क्या ये वैगन इस कारण लौटाये गये हैं कि इतने महीने पहले मांगे गये वैगन उनको नहीं दिये गये थे और अचानक सब वैगन दे दिये गये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यदि स्टाक वहां होता और वैगन दिये गये थे तो, सरल तरीका होता कि उनको भर दिया जाता ।

†**श्रीमती सावित्री निगम**: फैक्टरी ने इन २,००० के करीब वैगनों को लौटाने के क्या कारण बताये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : निस्सन्देह वे उनको भर नहीं सके ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : फैक्टरी ने क्या कारण बताया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उन्होंने हमें कारण नहीं बताये कि वे उनको क्यों भर नहीं सके ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार ने पता किया है कि जनवरी और फरवरी में भिलाई इस्पात संयंत्र को वैगन देने में कमी क्यों की और यदि हां, तो क्या कारण पता चले हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सभा को पता है कि कुछ आकस्मिकता कार्रवाई थी और उसके लिये कई किस्मों के वैगन भेजने पड़े थे ?

†**श्री मे० क० कुमारन** : मा० मन्त्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि दोनों मन्त्रालयों के बीच पहले की तरह समन्वय की कमी है । क्या सरकार दोनों मन्त्रालयों में समुचित समन्वय लाने के लिये कोई कार्रवाई कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): मैं सभा को और मा०सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि उनमें पूर्व पूर्णरूपेण समन्वय है हमेशा समन्वय रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र को जो कठिनाई थी उसका कारण यह था कि उन्होंने कुछ चीजें बनाई थीं, वे साधारण वैगनों में नहीं लादी जा सकती थीं, इस लिये वे हर एक वैगन का इस कठिनाई के कारण उपयोग नहीं कर सके। उनको बड़ी संख्या में बी० एफ० आर ०की जरूरत थी। दिसम्बर के महीने में आकस्मिकता कार्रवाई के कारण, उनको ये बी० ऐफ० आर० पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकीं। जैसा मेरे साथी बता चुके हैं, इनका सम्भरण धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है और जमा माल बहुत कम हो गया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : बिना कारण बताये २,००० वैगन लौटा दिये गये हैं। क्या रेलवे इसके लिये हर्जाना लेने का विचार करती है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : नहीं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्यों नहीं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : सामान्य नियमों के अनुसार, रोके रखने आदि के लिये हर्जाना लिया जाता है। विशेष हर्जाने का कोई सवाल नहीं उठता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि वैगनों की कमी थी। बहुत से परस्पर विरोधी वक्तव्य हैं। मा० मन्त्री हमें बेवकूफ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मा० सदस्य द्वारा प्रयुक्त शब्द 'बेवकूफ बनाना' उचित शब्द नहीं है जिसका संसद् में प्रयोग नहीं किया जाता।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे इतनी गम्भीरता से नहीं किया जाना चाहिये। 'बेवकूफ' बनाना शब्द का कभी २ संसद् में प्रयोग हो जाता है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मा० मन्त्री ने कहा है कि सही किस्म के वैगनें नहीं दी गई थीं और इसी कारण वे भरी नहीं जा सकीं। संयंत्र को गलत किस्म की वैगनें भेजने के लिये कौन जिम्मेवार था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं मा० सदस्या दी गई सूचना को समझ नहीं पाईं ? कुछ वैगनें जो इस्पात संयंत्र में गईं और जिनमें लोहा अयस्क, कोयला आदि भरा था, उनको कई किस्म की चीजें आदि कच्चा लोहा आदि भरने के काम में भी लाई जा सकता है। भारी चीजें भी होती हैं जैसे पटरियां जिनको नहीं लादा जा सकता। जब तक बी० एफ० आर० न दी जाए। अतः यह कहना गलत है कि गलत किस्म की वैगनें भेजी गई थीं। कुछ माल इस्पात संयंत्र को दिया गया था और खाली होने वाली वैगनों में माल भरा जा सकता है, किन्तु उनमें भारी माल नहीं भरा जा सकता। उसके लिये तो बी० एफ० आर० कहलाने वाली दूसरी किस्म की वैगनें देनी पड़ती हैं।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई

†*६६१. **श्री महेश्वर नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में और उसके आस पास के इलाके में कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है और आजकल कुल कितनी बिजली उपलब्ध है ; और

(ख) बढ़ती हुई बिजली की मांग पूरी तरह दूरी करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुल आंकित विद्युत् आवश्यकता १२२·२ मैगाटन ।

कुल उपलब्ध क्षमता ९५.० मैगाटन ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राजधानी में विद्युत् सम्भरण सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिये दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम द्वारा निम्न उपाय किये जा रहे हैं :--

(१) सितम्बर/अक्तूबर १९६३ तक, ३० मैगावाट भाप बनाने का भी सैट स्थान करने का काम (निर्माण हो रहा है) ।

(२) १९६४ के प्रारम्भ तक १५ मैगावाट का एक सैट लगाना ।

(३) जुलाई, १९६२ में भाखड़ा नंगल से २० मैगावाट के अतिरिक्त सम्भरण की व्यवस्था करना ।

(४) १९६५--६६ के अन्त तक ५० मैगावाट के दो सैट लगाना ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को पता है कि राजधानी में की कुछ नई बस्तियों में अभी बिजली नहीं गई और इनका आवंटन भी सम्भव नहीं हो सका है । यदि ऐसी बात है तो उन क्षेत्रों को बिजली से सम्भरण को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर ही है ।

†**श्री अलगेशन** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में विविध कार्रवाइयां बताई गई हैं जिनको करने का विचार है । जब वे चलाये जायेंगे तो अधिक बिजली सन्तोषजनक ढंग से देना सम्भव होगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह भी सही है कि शहर के प्रत्येक भाग में बिजली का सम्भरण रोक दिया जाता है ?

†**श्री अलगेशन** : कभी कभी इसे रोकना आवश्यक हो जाता है किन्तु जैसा कि मैंने कहा, विवर-रण में उन कार्यवाइयों के व्यौरे दिये गये हैं और जब तक इन स्रोतों स बिजली प्राप्त कर सकेंगे तो पूरी मांग को पूरा करना सम्भव होगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : पिछले तीन महीनों में कितनी बार विद्युत् सम्भरण में रुकावट पड़ी है ?

†**श्री अलगेशन** : दुर्भाग्य से, कई बार बिजली बन्द हुई है और बार बार तथा दुर्भाग्यवश इस बिजली के बन्द होने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । यह समिति इस समय इस मामले पर विचार कर रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितनी बार बिजली बंद हुई थी क्या इसका पता है ?

†**श्री अलगेशन** : इस पर बाद में एक प्रश्न आ रहा है । मुझे ठीक से पता नहीं कि कितनी बार बिजली का सम्भरण बन्द हुआ था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से पता चलता है कि विविध भांप पैदा करने वाले सैटों की स्थापना १९६३ या १९६४ में पूरी हो जायेंगी विवरण की मद संख्या (३) यह है :

---

†मूल अंग्रेज़ी में

"जुलाई १९६२ में भाखड़ा नंगल लाइन से २० किलोवाट बिजली का अतिरिक्त सम्भरण लेने की व्यवस्था करना।" क्या यह काम जुलाई १९६२ तक पूरा हो जाएगा ?

†श्री अलगेशन : भाखड़ा नंगल लाइन से २० किलोवाट बिजली लेने का विचार है ?

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह जुलाई या कम से कम १९६२ में पूरा हो जाएगा ?

†श्री अलगेशन : वह बिजली भाखड़ा नंगल लाइन से ली जा सकेगी।

†श्री प्रिय गुप्त : बिजली की यह रूकावट या फेल होना इसे जो कुछ भी कहा जाए, क्या यह अधिक भारकि ेकी ट्रिपिंग के कारण या किसी अन्य मशीनी त्रुटि के कारण ?

†श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि यह बिजली बन्द होने का कारण ट्रांसमिशन लाइनों का ट्रिपिंग है।

†श्री प्रिय गुप्त : क्या अधिक भार के कारण ?

†श्री अलगेशन : यह ट्रिपिंग के कारण है।

इम्फाल जल संभरण के लिये पाइप

†*६६२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल जल संभरण के लिये पाइपों का निर्माण इम्फाल में आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने पाइप बनाय जायेंगे और उन पर कितना व्यय होगा ;

(ग) अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) नलों का निमाण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू)** : (क) जी, हां।

(ख) ७,५२० पाइप बनायें जायेंगे जिस पर अनुमानतः ४०·७ लाख रुपये खर्च होंगे

(ग) अब तक १९ पाइप बनाये जा चुके हैं।

(घ) लगभग २ वर्ष।

†**श्री रिशांग किशिंग** : इस बात को देखते हुए कि इम्फाल जल संभरण योजना पहली पंच-वर्षीय योजना से दूसरी तथा दूसरी से तीसरी योजना में शामिल की गई थी और इस जल संभरण योजना के लिये पाइपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सरकार ने दस वर्ष बीत जाने पर पाइपों का निर्माण करना क्यों उचित समझा ?

†**श्री द० स० राजू** : दरअसल दस वर्ष तो नहीं हुए, १९६० में हिमालयन टाइल्स एण्ड बार्बलज (प्राईवेट) लिमिटेड नामक एक गैर-सरकारी कम्पनी को आर्डर दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब कि परियोजना प्रथम पंच-वर्षीय योजना में चालू की गई थी तो नलों का निर्माण इतने वर्षों के बाद क्यों आरम्भ किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : श्रीमन्, दुर्भाग्य की बात है कि यह योजना पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई। पहले ो कुछ व्यवसायियों को आर्डर दिये गये थे। उन्हों ने आर्डर के अनुसार काम नहीं किया। योजना में परिवर्तन करना पड़ा और बाद में पाइपों का निर्माण भारत में ही करने का निश्चय किया गया। उस फर्म को विशिष्ट प्रकार की लोहे की चादरों प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। अब इस्पात मंत्रालय की सहायता से उन चाद ों के संभरण की व्यवस्था कर ली गई है और नलों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है। आशा है कि अब योजना के कार्य में और कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार को ज्ञात है कि मनीपुर प्रशासन ने इस जल संभरण ोजना के लिये ७ से ले कर १८ इंच तक के व्यास केकई प्रकार के पाइप खररीदे थे, यदि हां तों सरकार ने उन नलों का क्या किया और पाइपों के निर्माग का प्रश्न इतनी देर से किस प्रकार उत्पन्न हुआ है ?

†**डा० सुशीला नायर** : एक बार आर्डर दिया गया था और कुछ पाइपों का संभरण भी हुआ था किन्तु व ठीक नहीं थे इसलिये नई योजना बनाई गई और पाइपों का निर्माण भारत में ही करने का निर्णय किया गया।

†**श्री रिशांग किशिंग** : यहां जो पाइप बनाये जा रहे हैं वे बाहर से आयात किये गये पाइपों के मूल्य और किस्म की तुलना मे किस प्रकार बैठते हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु अब जो प्रस्तावित योजना है वह मूल्य और किस्म इन दोनों पहलुओं से अधिक अच्छी है।

दिल्ली में 'अन्तर्देशीय पत्रों' की कमी

†*९९३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के आरम्भ में दिल्ली में 'अन्तर्देशीय पत्रों' की बहुत कमी हो गई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)** : जी, हां। मुझे यह बताने में खेद होता है कि दिल्ली में कुछ समय के लिये अन्तर्देशीय पत्रों की कमी अनुभव की गई थी।

†**श्री विश्वनाथ राय** : राजधानी में अन्तर्देशीय पत्रों की कमी क्यों हुई थी ?

†**श्री भगवती** : कागज का संभरण अपर्याप्त होने के फलस्वरूप अन्तर्देशीय पत्रों का उत्पादन घट गया था। इस के और भी कारण थे जैसे यातायात में विलम्ब आदि। मुख्य कारण था कागज का अपर्याप्त संभरण।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ {
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पांडे :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयेरलाइन्स कारपोरेशन के स्काईमास्टर विमान में ३ मई, १९६२ की अपराह्न में आग लग गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बहुत से व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं ; और

(ग) क्या वे सभी व्यक्ति जीवित हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). केवल ४ व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई, जिन में से ३ व्यक्ति खतरे से बाहर हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या अब आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सकता है ?

†**श्री महीउद्दीन** : जांच जारी है । हमें प्रतिवेदन अभी ाप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जो चार व्यक्ति आहत हुए उन की अब क्या हालत है ?

†**श्री महीउद्दीन** : मैं बता चुका हूं कि उन में से तीन अब खतरे से बाहर हैं । मेरा ख्याल है कि उन की हालत में अब काफी सुधार हुआ है । मुझे आशा है कि चौथा व्यक्ति भी बच जा`गा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या स की जांच के लिये कोई समिति गठित की गई है ?

†**श्री महीउद्दीन** : आई० ए० सी० ने एक जांच समिति गठित की है । असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा स सम्बन्ध में अलग से जांच की जा रही है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि विमान को बहुत क्षति पहुंची है और उस की मरम्मत नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ?

†**श्री महीउद्दीन** : प्रारम्भिक तिवेदन से पता चलता है कि विमान को काफी क्षति पहुंची है ।

†**श्री प० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि यह आग सिगरेट के न बुझाये गये टोटे के कारण लगी थी ?

†**श्री महीउद्दीन** : मुझे प्रतिवेदन अन्तिम प्राप्त नहीं हुआ है । प्रारम्भिक तिवेदन में किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं है ।

†**श्री सरजू पांडे** : कितने रुपये का ुकसान हुआ इस एक्सीडेंट में ?

†**श्री महीउद्दीन** : यह ो मैं बता चुका हूं कि विमान को काफी क्षति पहुंची है । कितने प` का नुकसान हुआ है यह बताना मेरे लिये संभव नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : माननीय मंत्री ने बताया कि आई० ए० एस० ारा जांच की जा रही है । ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में आई० ए० सी० द्वारा जांच करने की कोई नियमित णाली है या कि स प्रकार की जांच असैनिक उड्डयन विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा की जा ी है ?

†**श्री महीउद्दीन** : मैं बता चुका कि असैनिक उड्डयन के महा-निदेशक अलग से जांच कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ज० ब० सिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि अभी गुरुप्राती जांच हुई है : क्या यह कह सकते हैं कि ित्तफाक से मैशीन फेल कर गयी या काम करने वालों के नेग्लीजेंस से हवाई जहाज गिर पड़ा और तबाह हो गया ?

श्री मही उद्दीन : माननीय सदस्य दरियाफ्त कर रहे हैं कि वजह क्या है । मैं ने अर्ज़ कर दिया इस के मुताल्लिक मैं कतई तौर पर उस वक्त तक जवाब नहीं दे सकता जब तक कि रिपोर्ट न आ जाये ।

श्री रघुनाथ सिंह : आप वहज तो नहीं बता सकते लेकिन यह ो कह सकते हैं कि इंजिन में आग लगी थी या पेट्रोल टैंक में आग लगी थी ?

श्री मुहीउद्दीन : यह आग एयरक्राफ्ट के नोचे जमीन पर आग लगी थी और उस से एयर-क्राफ्ट को धक्का पहुंचा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मक्का के विकास के लिये केन्द्र

†*६५०. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में मक्का के विकास के लिये चार बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिये कौन-कौन से राज्य चुने गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) देश में उन्नत बीज के उत्पादन, वितरण और विपणन की योजना में अन्य बातों के साथ साथ बीजउत्पादन के चार केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है। इन मे से तीन केन्द्र अस्थायी रूप से काम करने लगे हैं। चौथा केन्द्र बाद में स्थापित किया जायेगा ।

(ख) अब तक स्थापित ३ केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, पंजाब औ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं । इन केन्द्रों के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय बोज निगम के निर्माण के उपरान्त किया जायेगा । चौथा केन्द्र कहां स्थापित किया जायेगा इसका निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

अधिक मात्रा में भेजी जाने वाली वस्तुओं पर लिया जाने वाला भाड़ा

†*६५६. **श्री दाजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले और अनाज जैसी अधिक मात्रा में भेजी जाने वाली वस्तुओं पर लिया जाने वाला माल भाड़ा परिवहन व्यय से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वैगन माल के पीछे अनुमानतः कितनी हानि होती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]

†मूल अंग्रेजी में।

यात्री अभिकर्ता सम्मेलन

†*६६४. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री गोपाल दत्त :
बख्शी अब्दुल रशीद :
श्री विद्याचरण शुक्ल : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के पहल करने पर श्रीनगर में हाल में एक यात्रा अभिकर्ता सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन ने क्या मुख्य सिफारिशें कीं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) श्रीनगर में हाल में हुए यात्रा अभिकर्ता सम्मेलन का आयोजन केन्द्रीय सरकार के पहल करने पर नहीं हुआ था।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते।

नरेला दिल्ली में बिजली की दरें

*६६५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नरेला में बिजली की दरें अभी कम नहीं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) बिजली की दरें उसके उत्पादन और पूर्ति पर निर्भर हैं।

एयर इंडिया इंटरनेशनल का इंजीनियर नैरोबी में बन्दी

† ६६६. **श्री डी० चं० शर्मा :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोबी में एयर इंडिया इन्टरनेशनल के एक इंजीनियर को ६ मास की कैद हुई क्योंकि उसके पास सोने की ४५ छड़ें पाई गईं ; और

(ख) घटना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) इस घटना की पूरी और सही जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलों में भीड़ भाड़

+

†*६६७. {श्री मानवेन्द्र शाह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में भीड़ भाड़ के कोई आंकड़े रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रत्येक रेलगाड़ी में स्थानों की संख्यानुसार टिकट देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या रेलवे उपभोक्ता संस्था ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान

†*६६८. {श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान ने इलाहाबाद कृषि संस्था को अनुदान देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान कितनी धन-राशि का है ; और

(ग) फोर्ड प्रतिष्ठान ने यदि किन्हीं अन्य भारतीय संस्थाओं को अनुदान देने का वचन दिया है, तो उनके नाम क्या हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी, हां। फोर्ड प्रतिष्ठान ने हाल में इस संस्था को अनुदान देने की घोषणा की है।

(ख) ७,५०,००० डालर।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

†*६६९. श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कितने विदेशी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : पता चला है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के निर्देशक बोर्ड में चार निदेशक हैं जिसमें से एक विदेशी है।

राज्यों में बिजली

†*६७०. **श्री क० ल० राव : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र और केरल में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध है ;

(ख) दूसरी योजना के अन्त में यह कितनी थी ;

(ग) आंध्र प्रदेश के बिजली उत्पादन के मामले में पिछड़े होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत सरकार प्रादेशिक असंतुलन को कैसे ठीक करने का विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) १९६०-६१ में उपभोक्ताओं को उपलब्ध प्रति व्यक्ति बिजली के आंकड़े नीच दिए जाते हैं :—

	किलोवाट
आंध्र प्रदेश	१९.१५
उड़ीसा	४३.३०
मद्रास	५१.६६
मैसूर	४२.५८
महाराष्ट्र	७२.७६
केरल	२९.२४

१९६१-६२ के लिए आंकड़े अभी तक इकट्ठे नहीं किए गए किन्तु इस अवधि में देश भर में अधिष्ठापित क्षमता में ५७९ मेगा वाट की वृद्धि हुई है।

(ग) आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी इस कारण है कि वहां बिजली की मांग असाधारण रूप से बढ़ गई है और आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के फलस्वरूप दूसरी योजना में सम्मिलित कुछ विद्युत योजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं।

(घ) तीसरी योजनावधि में कार्यान्वय के लिए विभिन्न राज्यों की योजनाओं में कोई विद्युत योजनाएं शामिल की गई हैं और इन योजनाओं के पूरे हो जाने पर प्रादेशिक

†मूल अंग्रेज़ी में

असंतुलन किसी हद तक दूर हो जाएगा । अन्तराज्य या प्रादेशिक "ग्रिड" बन जाने पर, जिनके जरिए अतिरिक्त बिजली अभावग्रस्त क्षेत्रों में दी जा सकेगी, यह असन्तुलन और भी कम होने को संभावना है। इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं ।

मृतकों के शरीर में निकाली गयी आंख की पुतली आदि का दूसरे मनष्यों के शरीर से लगाया जाना

†*६७१. **श्रीमती विमला देवी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनुष्यों की आंख की पुतली, रक्त की नसों, आदि के मृत्यु के शीघ्र पश्चात् शरीरों में से निकाले जाने को प्रोत्साहन देने के लिए कोई उपाय किए हैं ;

(ख) क्या देश में ऐसा कोई कानून है जिसके द्वारा मृत शरीरों से विशेषकर अस्पतालों में मरने वाले लोगों के शरीरों से इन्हें निकाल कर सुरक्षित रखने का उपबंध होता है; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें दूसरे शरीर में लगा देने से कतिपय रोगों अर्थात् अन्धापन आदि के इलाज में जो बहुमूल्य योगदान मिलता है, सरकार इन को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिश पर राज्य सरकारों और प्रशासनों को आंख की पुतली को मृत्यु के शीघ्र पश्चात् शरीरों में से निकालने को प्रोत्साहन देने हेतु वैधानिक और शिक्षाप्रद कार्यवाही करने की सलाह दी है । शरीर के किसी अन्य भाग को इस प्रकार निकालने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

(ख) अब तक महाराष्ट्र, मद्रास, उड़ीसा और बिहार की राज्य सरकारों ने आंखों की पुतली निकालने के बारे में उचित विधान बनाया है।

(ग) राज्य सरकारों और प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे स्वास्थ्य प्रदर्शनी, पोस्टर, फोटोग्राफ तथा उपयुक्त साहित्य का वितरण कर आंख की पुतली निकालने के उपायों को लोकप्रिय बनाएं। सरकार ने इस विषय पर "आई बैंक" नामक पैम्फलेट का वितरण किया है। आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से आंखकी पुतली निकालने तथा आई बैंक के बारे में "नेत्रदान" वार्ता प्रसारित की गई है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्मज डिवीजन के जरिए इस विषय पर "गिफ्ट आफ साइट" नामक फिल्म भारत के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए हाल में दी गई है।

नेफा में अफीम के आदि लोग

†*६७२. **श्री डा० एरिंग :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में अफीम के आदी पर्मिट धारी लोगों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन आदी लोगों के इलाज के लिये कुछ डिस्पेंसरियां खोलने वाली है ; और

(ग) सरकार अफीम की आदत को छुड़ाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और तथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तालचेर में तापीय बिजली घर

†*६७३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर में एक तापीय बिजलीघर (थर्मल स्टेशन) बनाने के लिये तमाम प्रारंभिक जांच कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) काम कब आरम्भ होने वाला है ; और

(ग) क्या इन काम के तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) यह काम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त होने की संभावना है ।

मैसूर में बिजली की कमी

†*६७४. { **श्री रा० गि० दुबे** :
श्री स० ब० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में बिजली की बड़ी कमी अनुभव हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की सहायता देने का विचार करती है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) मैसूर राज्य में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये राज्य की तीसरी योजना में कई विद्युत् निर्माण योजनायें शामिल की गई हैं।

राजस्थान के रेगिस्तान का रोका जाना

६७५. **श्री युद्धवीर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान का रेगिस्तान पंजाब व दिल्ली की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण पंजाब के तीन जिले--महेन्द्रगढ़, हिसार व फीरोजपुर—इसके अन्तर्गत आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रसार को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) ऐसा विश्वास का कारण अवश्य है कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहा है, लेकिन यह बढ़ोतरी कितनी हुई है इसका विश्वासनीय उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आमतौर पर निम्न कदम उठाये गये :—वन ोपण, शैल्टर,-वैल्ट प्लान्टिंग्स, रेतीले टीलों के स्थायीकरण, भूमि संरक्षण और घास भूमियों के विकास इत्यादि। इन उपायों को कार्यक्षेत्र स्तर पर अपनाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है, जिनके लिए राज्य विकास योजनाओं में उपबन्ध कर दिया गया है

पहली, दूसरी और तीस ी पंचवर्षीय योजनाओं में सम्बन्धित राज्य सरका ो की कार्यविधियों के सम्बन्ध में सभा की पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकार	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
उत्तर प्रदेश	उत्तर-प्रदेश-राजस्थान सीमा पर वनरोपण	उत्तर-प्रदेश-राजस्थान सीमा पर वनरोपण	उत्तर-प्रदेश-राजस्थान सीमा पर वनरोपण
	केन्द्रीय सहायता स्वीकृत	**योजना उपबन्ध**	**योजना उपबन्ध**
	११.६० लाख रुपये	४० लाख रुपये	८.४४७ लाख रुपये
पंजाब .	"पैप्सू" में रेगिस्तान नियंत्रण	(क) गुड़गांव, हिसार और फिरोज़पुर ज़िलों में रेगिस्तान नियंत्रण तथा भूमि सुधार	रेगिस्तान क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य
	केन्द्रीय सहायता स्वीकृत	**योजना उपबन्ध**	**योजना उपबन्ध**
	३,९४,८३० रुपये	१०.०० लाख रुपये	११.२९ लाख रुपये
		(ख) रेगिस्तान का स्थायीकरण योजना उपबन्ध	
		१५.८० लाख रुपये	

सांभर नमक के लिये माल डिब्बे

*६७६. **श्री बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांभर झील में वैगनों की कठिनाई के कारण वहां से नमक का लदान करने में बाधा पैदा हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड को तार भेज कर आवश्यक संख्या में वैगन उपलब्ध करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) इस वर्ष के पहले चार महीनों में सांभर झील से प्रतिदिन औसतन ३४.५ माल-डिब्बों में नमक भेजा गया है। काण्डला बन्दरगाह से उसी दिशा में अनाज और पेट्रोलियम उपज जैसे ज़रूरी माल को भेजने के लिए कभी-कभी दूसरे यातायात को, जिनमें कोयला भी शामिल है, नियमित करना अनिवार्य हो जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सांभर झील में यथा-संभव अधिक से अधिक माल-डिब्बे देने की व्यवस्था की जा रही है।

चिट्ठियां छांटने की मशीन

†*६७७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिट्ठी छांटने वाली नमूने की मशीन का जो, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर में बनाई गई है, परीक्षण किया गया है;

(ख) क्या यह सफल सिद्ध हुई है; और

(ग) यदि हां तो इस के वाणिज्यिक उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) अब तक नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हैजे जैसी महामारी

†*६७८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रों को चेतावनी दी है कि दक्षिण चीन सागर के देशों की हैजे जैसी महामारी के विश्वव्यापी हो जाने का खतरा है और संभवतया यह फिलिपाइन्स और पाकिस्तान के बीच के देशों के उष्ण कटिबन्धीय हैजा क्षेत्र (ट्रापिकल कालेरा बेल्ट) में फैल जाये; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है जिससे इस रोग को फैलने से रोका जा सके ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाल्टा से कलकत्ता तक पानी का मुख्य पाइप डालना

†*६७९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाल्टा से कलकत्ता नगर तक पानी का मुख्य पाइप डालने का काम अनिश्चित काल तक के लिये रुक गया है, क्योंकि इसके रास्ते में कई रेलवे लेवल क्रासिंग हैं;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या कलकत्ता निगम ने इसके बारे में रेलवे मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) जी, नहीं । पाल्टा से ताला तक कलकत्ता कारपोरेशन के ७२" व्यास के जो मुख्य पाइप हैं वे रेलवे साइडिंग को आठ स्थानों पर काटते हैं । इनमें से ५ क्रासिंग पर काम पूरा हो चुका है और शेष काम के जल्दी ही पूरे हो जाने की आशा है ।

(ख) जी, नहीं । कलकत्ता कारपोरेशन और पूर्व रेलवे के परियोजना इंजीनियरों की समन्वय बैठकें और चर्चायें समय-समय पर हुई हैं किन्तु इस कारण पाइप लाइन का काम स्थगित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

देसी नौकाओं को दुर्घटनाओं से बचाने के लिये कार्यवाही

†*६८०. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के समुद्र तट पर चलने वाली एसी नौकाओं को, जब वे समुद्र में तूफान अथवा अन्य दुर्घटनाओं के कारण कठिनाई में होती हैं, बचाने अथवा संरक्षण देने के लिये तटीय क्षेत्रों में क्या कार्यवाही की गई है तथा किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८**]

दिल्ली के गांवों में परिवार नियोजन केन्द्र

*६८१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के गांवों में कोई परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें काम हो रहा है; और

(ग) इन केन्द्रों पर कितना धन व्यय किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली ग्राम-क्षेत्र में आठ परिवार नियोजन केंद्र (चार प्रमुख केन्द्र और चार उप-केन्द्र) खोले हैं। ये केन्द्र इस समय कार्य कर रहे हैं और इन-इन स्थानों में स्थित हैं :—

१. नरेला २. महरौली ३. कंगावाला ४. अलिपुर	प्रमुख-केन्द्र
५. बादली ६. तुगलकाबाद ७. मदनपुर खादर ८. शाबा-बाद	उप-केन्द्र

उपर्युक्त केन्द्रों पर प्रति वर्ष अनुमानित खर्च ५०,००० रुपये है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत नजफगढ़ के इर्द-गिर्द स्थित ९ ग्रामों—नामतः मितराव, दिनपुर, पपरावत, नंगली र.केरावती, कंक ेली, खेड़ा, नवादा, रोशनपुर और रेवला खानपुर में पुरुष और महिला स्टॉकिस्ट गर्भ ेधकों का वितरण करते हैं।

दामोदर घाटी निगम विद्युत संभरण

†*६८२. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
डा० रानेन सेन :
श्री प्रभात कार : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २१ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा संभरित बिजली की लागत इतनी अधिक है कि राज्य सहायता देने पर भी पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने पर उद्योग को दी जाने वाली बिजली की दरें समस्त भारत में अधिकतम है ;

(ख) कितनी राज्य-सहायता दी जाती है ;

(ग) क्या कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम जो बिजली का सबसे बड़ा संभरणकर्त्ता है, द्वारा हाल में ही की गई बिजली की दरों में वृद्धि केन्द्रीय सरकार के नोटिस में लाई गई है ;

(घ) क्या कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को दामोदर घाटी निगम से बिजली सबसे सस्ती दरों पर मिलती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को दामोदर घाटी निगम द्वारा लगभग ३.७ नये पैसे प्रति यूनिट की विशेष दर से बिजली दी जाती है। कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम के नियत क्षेत्र में लघु उद्योगों की संभरित बिजली की दर ७.५ नये पैसे प्रति यूनिट से लेकर १०.५ नये पैसे प्रति यूनिट है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड को दामोदर घाटी निगम से लगभग ६ नये पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होती है। बोर्ड लघु उद्योगों को १९ नये पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देता है। किन्तु बोर्ड ६ नये पैसे कम करके १३ नये पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का संभरण कर रहा है। बिजली के संभरण की कुल दर भारत में उच्चतम नहीं है। वह अन्य राज्यों में लघु उद्योगों को संभरित बिजली की दर की तुलना में ज्यादा नहीं है।

विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों के अनुसार उचित लाभ अर्जन हेतु कलकत्ता विद्युत् संभरण ने राज्य सरकार व राज्य विद्युत् बोर्ड को दो महीने की सूचना देकर २९ अप्रैल, १९६२ से बिजली के संभरण की दरें बढ़ाने की घोषणा की है। केन्द्रीय सरकार को ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अधिनियम के अन्तर्गत दरें बढ़ाई जा सकती हैं। यदि यह पाया गया कि नयी दरों के फलस्वरूप अधिनियम में किये गये उपबन्ध से ज्यादा लाभ होगा तो राज्य सरकार इन दरों की जांच के लिये विद्युत् (संभरण) अधिनियम के अन्तर्गत एक दर-निर्धारण समिति के गठन के प्रश्न पर अवश्य विचार करेगी।

'पैकेज प्लान'

†*६८३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहन कृषि विकास के लिए 'पैकेज प्लान' पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ;

(ख) योजना के अन्तर्गत किन स्थानों पर काम शुरू किया गया है ;

(ग) क्या काम के परिणामों का कोई निर्धारण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

अस्पतालों के 'कैजुएल्टी' तथा 'एमरजेंसी' विभागों में सुधार

†*६८४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बड़े नगरों के बड़े अस्पतालों में 'कैजुएलटी' विभाग के कार्यवहन का अध्ययन करने के लिये तथा 'कैजुएल्टी' और 'एमरजेंसी' विभागों में सुधार कार्यों की सिफारिश करने के लिये और इन विभागों में दक्षता लाने के लिये एक बोर्ड स्थापित करने का वचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का व्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी, हां । इस प्रकार की एक समिति के गठन का निश्चय किया गया है । समिति के निर्देश-पद इस प्रकार होंगे :—

(१) आहत व्यक्तियों की चिकित्सा के संगठन का सिंहावलोकन करना ;

(२) देश के बड़े शहरों के अस्पतालों में कैजुएल्टी चिकित्सा सेवाओं का मूल्यांकन करना; और

(३) भारत सरकार के विचारार्थ सिफारिशें प्रस्तुत करना ।

गेहूं समझौता

†*६८५. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
　　　　{ **श्री श्रीनारायण दास :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत नये गेहूं समझौते में शामिल होने का इरादा रखता है तथा क्या वह १५ मई, १९६२ तक वाशिंगटन में समझौते पर हस्ताक्षर करेगा ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जी, हां ।

केन्द्रीय गोदाम

†*६८६. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
　　　　{ **श्री फ० गो० सेन :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के अन्त तक केन्द्रीय भांडागार निगम के अन्तर्गत कितने केन्द्रीय गोदामों का निर्माण करने का विचार है ;

(ख) राज्य-वार यह किन स्थानों पर स्थापित होंगे तथा इनमें से प्रत्येक की भांडार क्षमता क्या होगी ;

(ग) क्या इनका उपयोग केवल खाद्यान्नों का भांडार करने के लिये किया जायेगा अथवा कच्चे पटसन, दाना लाख, आदि का अतिरिक्त भांडार (बफर स्टाक) बनाने के लिये भी ; और

(घ) क्या उन खाद्यान्न उत्पादकों को परिवहन सुविधायें दी जाती हैं जो अपने उत्पादन को देश के केन्द्रीय गोदामों में रखना चाहते हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). ३१-३-१९६२ तक निगम ने १२ केन्द्रीय गोदाम बनाये या अर्जित किये जिनकी कुल क्षमता ३५,७०० टन है । १९६२ में केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा ८ केन्द्रों में भाण्डागारों का निर्माण पूरा कर लिये जाने तथा दस और केन्द्रों में निर्माण आरम्भ किये जाने की आशा है । इन गोदामों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरणों में दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]

(ग) ये भाण्डागार खाद्यान्न तथा बीज, जूट (किन्तु लाख नहीं) के भाण्डार के लिये काम में लाये जायेंगे ।

(घ) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चित्तरंजन इंजन कारखाने में इस्पात ढलाईघर

†*६८७. श्री सुबोध हंसदा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन इंजन कारखाने में इस्पात ढलाईघर स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस कारखाने में इस्पात की ढलाई कब से आरम्भ होगी ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ढलाईघर १९६३ के अन्त तक उत्पादन आरंभ कर देगा और १९६६ तक पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगेगा ।

आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त माल डिब्बों का आवंटन

†*६८८. श्री अ० क० गोपालन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश चावल मिल मालिक सन्था ने रेलवे अधिकारियों से प्रार्थना की है कि १ मई से आरम्भ होने वाले चालू मौसम में चावल तथा आमों के लदान के लिये माल-डिब्बों का आवंटन बढ़ा दिया जाये ; और

(ख) क्या सरकार ने कोई अतिरिक्त आवंटन किया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । केवल चावल के यातायात के लिये ।

(ख) चावल और आम के व्यापार की यातायात की आवश्यकता की पूर्ति के लिये यथाशक्य अधिक माल डिब्बे दिये जाते हैं ।

सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त जल्दी नष्ट होने वाले सामान के यातायात के लिये, जिसमें आम शामिल हैं, मद्रास और दिल्ली के बीच १ अप्रैल, १९६२ से एक पार्सल एक्सप्रेस चलाई गई है

खाद्य तथा कृषि संगठन की खाद्य का रक्षित भंडार बनाने की योजना

†*६८९. श्री श्रीनारायण दास : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमी वाले देशों की आपात-कालीन आवश्यकता पूरी करने के लिये खाद्य का रक्षित भण्डार बनाने और स्कूल जाने से पूर्व और स्कूल जाने की अवस्था में बच्चों के लिये भोजन की व्यवस्था करने के कार्यक्रमों में सहायता करने तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता के रूप में खाद्य का प्रयोग करने की अग्रिम परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आरम्भ की गई योजना में भारत सरकार ने शामिल होना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत इसमें किस प्रकार शामिल होगा ; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) चूंकि योजना अभी बनाई जा रही है इसलिये उसमें शामिल होने के लिये भारत सरकार को अब तक आमन्त्रित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तपेदिक के रोगियों का घर पर इलाज

†*६६०. श्री महेश्वर नायक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक के रोगियों के लिये मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ 'घर पर इलाज' की योजना का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) अब तक किन क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है ; और

(ग) अन्य किन क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१ और २२]

दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना

†*६६१. { श्री वी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस वर्ष २५ अप्रैल, १९६२ को सबसे पहले बिजली की सप्लाई में सबसे बड़ी रुकावट आई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस परिस्थिति में हुआ था ;

(ग) इसका प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा था और सप्लाई में रुकावट कितनी देर रही थी ;

(घ) स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या कोई दीर्घकालीन उपाय करने का विचार है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आलगेशन) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) २५ अप्रैल, १९६२ को एक आंधी आने के बाद नंगल और दिल्ली के बीच ट्रान्समिशन लाइन टूट गई जिसके फलस्वरूप दिल्ली को बिजली का सम्भरण न हो सका। प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार हैं :—नजफ़गढ़ रोड, पटेल नगर, करोल बाग, सिविल लाइन्स के कुछ भाग, दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्र का कुछ हिस्सा। दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम

†मूल अंग्रेजी में

ने अपने बिजली-घर से इन क्षेत्रों की अत्यावश्यक सेवाओं को बिजली का सम्भरण जारी रखा। कोई डेढ़ घण्टे बाद बिजली का सामान्य सम्भरण जारी कर दिया गया था।

(ङ) राजधानी में बिजली के सम्भरण को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(१) सितम्बर-अक्तूबर, १९६३ तक एक ३०,००० किलोवाट स्टीम जनरेटिंग सेट (जिसकी स्थापना की जा रही है) की स्थापना ;

(२) १९६४ के प्रारम्भ तक एक १५,००० किलोवाट के सेट की स्थापना ;

(३) भाखड़ा-नंगल से १९६२ में २०,००० किलोवाट बिजली का सम्भरण ; और

(४) १९६५—६६ के अन्त तक दो ५०,००० किलोवाट के सेट की स्थापना।

जवारपुरा स्टेशन

†१०७८. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के बीकानेर सेक्शन में देपालसर और मोलिसर के बीच जवारपुरा स्टेशन, जिसकी इमारत तैयार हो चुकी है, किस तारीख और महीने में खोल दिया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : अनुमान है कि यह स्टेशन जून १९६२ में चालू हो जायेगा।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६

†१०७९. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर पुल बनाने के काम की क्या स्थिति है ;

(ख) असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) काम शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर तीन बड़े बड़े पुल बनाने के सम्बन्ध में, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर किये गये थे, वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(१) **डेहार नदी पर पुल** : इस काम के लिए ५.०२ लाख रुपये का अनुमान फरवरी, १९५९ में मंजूर किया गया था। नवम्बर, १९६१ में दो टेण्डर प्राप्त हुए थे और मध्य प्रदेश सरकार उनकी छानबीन कर रही है। ज्यों ही टेण्डर के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय हो जायेगा और वह मंजूर कर दिया जायेगा, त्यों ही काम शुरू हो जायेगा ?

(२) **सोनार नदी पर पुल** : मई, १९६० में ३.५३ लाख का अनुमान मंजूर किया गया था। नवम्बर, १९६१ में एक टेण्डर, उसमें कुछ फेर बदल करने पर, मंजूर किया गया था और सम्भवतः शीघ्र ही अब उसके बारे में अन्तिम निश्चय किया जायेगा। उसके बाद तुरन्त ही काम शुरू किया जायेगा।

(३) **नर्मदा नदी पर ब्राह्मणघाट पुल** : अगस्त, १९५७ में ९.५१ लाख रुपये का अनुमान मंजूर किया गया था। काफी समय तक कोई टेण्डर नहीं आया और बाद में जो तीन टेण्डर आये वे ऊंची लागत के कारण अस्वीकार कर देने पड़े। उसके बाद, यह काम

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिए मेसर्स गेमन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ११.२५ लाख रुपये का प्रस्ताव जनवरी, १९६० में मंजूर किया गया था। उस फ़र्म के साथ कुछ तकनीकी ब्यौरों के सम्बन्ध में निबटारा करने के बाद काम वास्तव में मार्च, १९६१ में शुरू किया गया और अब सन्तोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि यह पुल मार्च, १९६३ तक बन कर तैयार हो जाये।

इस राष्ट्रीय राजपथ पर और भी सात बड़े पुल बनाने का विचार है जिनके लिए राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में ९.०० लाख रुपये की रकम शामिल की गयी है। इन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सविस्तृत नक्शे और अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।

(ख) निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं :—

(१) टेण्डर मांगने पर जबाब न मिलना; और

(२) ठेकेदारों के साथ ठेके की शर्तों और कई तकनीकी ब्यौरों के सम्बन्ध में बातचीत करने और फैसला करने में लगने वाला समय।

ठेकों के बारे में जल्दी फैसला करने और समय से काम पूरा करने के लिये कार्यवाही पहले से ही की जा रही है और वह इस प्रकार है :—

(१) सामान्य रूप से टेण्डर मंगाये जाने पर जब कोई उत्तर न मिले तब सुप्रसिद्ध फर्मों से उनके प्रस्ताव मंगाना।

(२) सीधे बातचीत और व्यक्तिगत चर्चाओं के जरिये शीघ्र निर्णय करने में मदद करना।

(३) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्राप्त करने में ठेकेदार की मदद करना भविष्य में जब कभी आवश्यक हो तब इसी तरह की और दूसरी उपयुक्त कार्यवाहियां भी की जायेंगी।

थेक्कावकुत्तूर, कोजीकोड में 'हाल्ट' स्टेशन

†१०८०. **श्री कोया** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोड (केरल राज्य) जिले में निरूर और तिरूनावया के बीच थेक्कावकुत्तूर में गाड़ी के न ठहरने के कारण जनता को और खास कर पान के व्यापारियों को जो कठिनाई होती है उस सम्बन्ध में सरकार को उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) उस प्रस्ताव की जांच पड़ताल की गयी थी लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया।

फलौदी से कोलायत तक रेल मार्ग

१०८१. **श्री तन सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर जिले में फलौदी से कोलायत अथवा भाप तक रेल माग बनाने की कोई योजना थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये वहां सर्वेक्षण भी किया जा चुका था ;

(ग) क्या सरकार वहां अब ऐसा कोई मार्ग और बनाने का विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक इस रेल मार्ग का निर्माण हो जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिये रेलवे ने जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें यह प्रस्ताव शामिल नहीं है ।

नेफा में पंचायतें

†१०८३. श्री डा० एरिंग : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में मौजूदा पंचायतों (Kebags.) का सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या पंचायतों के सदस्यों को और अधिक अधिकार देने के विषय पर सरकार विचार करने वाली है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख). " Kebags. " परम्परागत आदिमजाति परिषदें हैं । अभी तक नेफ़ा में कोई विधिसम्मत पंचायतें स्थापित नहीं की गयी हैं ।

भोनगीर से नागार्जुन सागर तक रेलवे लाइन

†१०८४. श्री लक्ष्मी दास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नलगोन्डा जिले में भोनगीर से नागार्जुनसागर तक एक रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी लाइनें बनाने के कार्यक्रम में शामिल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्नाव स्टेशन पर जलपान-गृह

१०८५. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि उन्नाव रेलवे स्टेशन पर जलपान गृह का प्रबन्ध नहीं है जब कि २६ सवारी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और वह जिले का प्रधान नगर है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने स्टेशनों पर जलपान-गृह खोलने के लिये कोई शर्तें निर्धारित कर रखी हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में उन्नाव स्टेशन पर जलपान-गृह खोलने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) एक बयान साथ नत्थी है ।

उन्नाव रेलवे स्टेशन पर भोजनालय

स्टेशनों की आवश्यकता के अनुसार उन पर भोजनालयों की व्यवस्था की जाती है ।

उन्नाव स्टेशन कानपुर और लखनऊ के बीच स्थित है । उन्नाव कानपुर से १८ किलोमीटर और लखनऊ से ५४ किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर में शाकाहारी और सामिष भोजनालय और लखनऊ में रेस्तरां के साथ-साथ शाकाहारी और सामिष भोजनालय की व्यवस्था है । इन से यात्रियों की भोजन-सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं ।

उन्नाव स्टेशन पर स्टाल और गाड़ियों में चाय, जलपान आदि की बिक्री के लिए १६ आदमी हैं । इस बात को और उन्नाव स्टेशन पर ठहरने वाली गाड़ियों के समय को देखते हुए यहां भोजनालय की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

†१०८६. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम से केरल में पीलपांव का रोग कम हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितना ; और

(घ) केरल में नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन अभी फिलहाल कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का अंदाज लगाने के लिए एक अनुमान समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति ने जुलाई, १९६१ में अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट की प्रतियां लोकसभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग) केरल में डब्ल्यू० बानक्रोफ्टी और बी० मलायी रोग प्रचलित हैं । पहले रोग को रोकना यह कार्यक्रम का एक उद्देश्य है । दूसरे रोग का नियंत्रण अग्रिम प्रयोगात्मक परियोजना

†मूल अंग्रेजी में

की तौर पर शीघ्र ही आरंभ किया जाने वाला है । इस कार्यक्रम का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मालूम किया जा सकता ।

(घ) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन फिलहाल केरल में ७ नियंत्रण एकक काम कर रहे हैं । इन के अन्तर्गत करीब २० लाख जनसंख्या है । जो स्थान और क्षेत्र इन के अन्तर्गत आते हैं वे इस प्रकार हैं :—

एकक (यूनिट) का नाम	अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र
एलेप्पी . . .	अम्बालापुजा
क्विलोन . . .	क्विलोन
तिरूर . . .	तिरूर, पोन्नाणी
कोजीकोड . . .	कोजीकोड
कन्ननूर . . .	कन्ननूर बेलिपटम्, तेल्लीचेरी, कासरगोड
त्रिवेन्द्रम . . .	त्रिवेन्द्रम
एरनाकुलम् . . .	एरनाकुलम्, पैट्टनचेरी ।

पिछले पांच वर्षों में विभिन्न यूनिटों में भिन्न भिन्न अवधियों के लिए डैथीसकारबायजीन के साथ 'मास केरापी' का एक दौर और मच्छर नियंत्रण उपाय साथ किये जा रहे हैं ।

कृष्णा नदी के पानी को मद्रास शहर की ओर ले जाना

†१०८७. **श्री सत्यनारायण :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य ने कृष्णा नदी के पानी को मद्रास शहर की ओर मोड़ने की कोई खास योजदा पेश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य के कुछ भागों के लाभ के लिए कृष्णा और गोदावरी के पानी के उपयोग की एक योजना दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के सामने पेश की थी । क्षेत्रीय परिषद् ने २४-९-१९६१ को अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि जब तक कि कृष्णा-गोदावरी आयोग की रिपोर्ट ने मिल जाये तब तक इस मामले पर विचार स्थगित रखा जाये ।

(ख) संक्षेप में,मद्रास सरकार की योजना यह है कि मद्रास शहर के लिये कृष्णा या गोदावरी का १५०० करोड़ घन फुट पानी और चिंगलपुट तथा दक्षिणी अर्काट जिलों में सिंचाई के लिये और १९९०० घन फुट पानी प्राप्त किया जाये । यह योजना कृष्णा नदी के पानी को श्री शैलम् या नागार्जुनसागर से मोड़ने की योजना है । फिर भी यदि कृष्णा का पानी पर्याप्त नहीं मालूम हुआ तो गोदावरी के पानी को कृष्णा के पानी में मिलाने का सुझाव दिया गया है ।

दिवा दसगांव रेलवे का सर्वेक्षण

†१०८८. **श्री दिघे :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवा-दसगांव रेलवे का सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस के विस्तृत निष्कर्ष क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) और (ख). जी, हां । दिवा से दसगांव तक एक रेलवे लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण १४५३-५४ में किये गये थे ।

(ग) इन रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि पूंजी लागत से पर्याप्त लाभ नहीं होगा और दूसरी योजना में धन उपलब्ध न होने के कारण, काम आगे जारी नहीं रखा गया । फिर भी, अविकसित कोकण प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायता देने, औद्योगिक विकास के कारण बम्बई के आसपास भीड़ कम करने के लिये और आप्ता तक, जहां कार्बनिक रसायनिक मध्यवर्ती संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, रेल सुविधाएं देने के उद्देश्य से, दिवा से आप्ता तक, बरास्ता पनवेल, और पनवेल से उरन तक एक शाखा लाइन के साथ साथ एक रेलवे लाइन मंजूर चुकी जा की है और काम चल रहा है ।

उड़ीसा में रेलवे लेबल क्रासिंग पर पुलों का निर्माण

†१०८९. **श्री उलाका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित रेलवे लेवल क्रासिंग्ज़ अर्थात् (१) कटक (उड़ीसा) और (२) रायगढ़ (उड़ीसा) पर ऊपरी पुल या नीचे पुल बनाने के लिये जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार की और ऐसे पुल बनाने की कोई योजना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). वर्तमान लेवल क्रासिंग्ज़ के स्थान पर ऊपरी और नीचे के पुल बनाने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा पेश की जाती हैं । रेलवे ऐसे निर्माण-कार्य तभी शुरू करती है जब राज्य सरकारें सिफारिश करती हैं और उन निर्माण कार्य की लागत में सड़क प्राधिकार का अंश पूरा करने के लिये वे अपने अपने बजट में धन की व्यवस्था करती है। कटक स्टेशन यार्ड के दक्षिणी सिरे पर २५५।२ मील पर नीचे का पुल बनाने की योजना, जो राज्य सरकार ने प्रस्तुत की है, अन्तिम रूप से मंजूर कर ली गई है । निर्माण-कार्य की योजनायें अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी हैं और रेलवे के अंश का अनुमान भी मंजूर किया जा चुका है । ज्यों ही उड़ीसा सरकार अपने हिस्से की स्वीकृति की सूचना दे देगी त्यों ही यह काम शुरू कर दिया जायेगा ।

राज्य सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए रायगढ़ में उपरी पुल बनाने की योजना की सिफारिश की है । ज्यों ही राज्य सरकार इस बारे में अपना अंतिम निश्चय सूचित कर देगी कि वह किस वर्ष में लागत के अपने हिस्से की रकम दे सकेगी, ज्यों ही उस योजना का काम शुरू कर दिया जायगा ।

उड़ीसा में डाकखानों की इमारतें

†१०९०. **श्री उलाका** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे कितने उप डाकखाने और शाखा डाकखाने हैं जिन्हें अभी तक विभाग की ओर से इमारतें नहीं दी गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन इमारतों का निर्माण कब होगा ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये संभवतः कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उड़ीसा में उन विभागीय उप-डाकखानों और शाखा डाकखानों की संख्या, जिनके पास विभागीय इमारतें नहीं हैं, क्रमशः २०८ और ३ है ।

(ख) कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह विभागीय इमारतें बनाने की आवश्यकता, भूमि और निधियों की उपलब्धि और केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की निर्माण-कार्यों को कार्यान्वित करने की क्षमता पर निर्भर है ।

(ग) उड़ीसा में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उप-डाकखानों की इमारतों पर लगभग ६,३०,००० रुपये खर्च किये जायेंगे ।

उड़ीसा में रेलवे लाइनें

†१०९१. श्री उलाका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधियों में अब तक उड़ीसा में कितने मील नयी रेलवे लाइनें बनायी गयी हैं;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में कौन-कौन सी नयी रेलवे लाइनें चालू करने का विचार है;

(ग) क्या परादीप पत्तन को सुकिन्दा-दैवारी खानों के साथ जोड़ने के लिए एक नयी रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) लगभग ६६ मील ।

(ख) सम्बलपुर—टिटिलागढ़ (करीब ११३ मील)

बिमलगढ़—किरिबुरी (करीब २६ मील)

बोन्डामुन्डा—पूर्णापाणि (करीब १७ मील)

बैलदिक्का—कोट्टापासा (२७० मील जिसमें से लगभग ९८ मील उड़ीसा में पड़ता है ।)

(ग) और (घ). तीसरी पंचवर्षीय योजना के रेलवे कार्यक्रम में सुकिन्दा/दैतारि खनन क्षेत्रों से खड़गपुर—कटक मेन लाइन पर एक जंक्शन पाइंट तक एक रेलवे लाइन शामिल करने की योजना पर अभी विचार हो रहा है । खड़गपुर मेन लाइन से परादीप पत्तन तक की रेलवे लाइन तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे कार्यक्रम में शामिल नहीं है । अभी तक इस योजना के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल भी नहीं की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम में नदी परियोजना का सर्वेक्षण

†१०६२. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) विद्युत् परियोजना, और (२) बहु-प्रयोजनीय नदी घाटी परियोजना के लिए असम राज्य में किन नदियों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) सर्वेक्षणों का क्या परिणाम रहा;

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में कार्यान्विति के लिए इन परियोजनाओं में किन को शामिल किया गया है; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जानकारी निम्न है :—

(१) जमुना नदी—केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने विस्तृत जांच पड़ताल पूरी कर ली है और रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है ।

(२) कापिल्ली नदी—विस्तृत जांच पड़ताल पूरी हो गई है और डिजाइन, परियोजना की रिपोर्ट और प्राक्कलन लगभग निश्चित होने वाले हैं ।

(३) बारक नदी—विस्तृत जांच पड़ताल हो रही है और आशा है कि मार्च, १९६३ तक पूरी हो जायेगी ।

बड़पानी, किल्लिंग, दियंग, दीहूंग, ममफक, तिरप, कुल्सी और सुवनसिरी नदियों पर जलाशय की परियोजनाओं के लिए प्रारम्भिक जांच पड़ताल भी की गई है । तिरप और सुवनसिरी परियोजनाओं को छोड़कर ये परियोजनायें लुभावनी नहीं पाई गई और आगे का काम रोक दिया गया । तिरप और सुवनसिरी परियोजनाओं के परिणामों पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग यह पता लगाने के लिए विचार कर रहा है कि क्या इन योजनाओं की और विस्तृत जांच पड़ताल करना उचित होगा ।

(ग) कार्यान्विति के लिए निम्न परियोजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं :—

सिंचाई	विद्युत्
१. जमुना	१. भूमियम एच० ई० १ और २ अवस्था में
२. सुकला	* (तीसरी योजना में कापिल्ली एच० ई० योजना की जांच पड़ताल के लिए पृथक उपबंध है)
३. पत्रादिशा	
४. कापिल्ली	
४. बारक	

†मूल अंग्रेजी में

(घ) परियोजनाओं की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं :—

(१) जमुना सिंचाई योजना :

जमुना सिंचाई परियोजना की संगत विशेषतायें निम्न हैं :—

(१) हैडवर्कस का स्थान	अक्षांश २६°—३'–३०" देशान्तर ९३°—११'–३०"
(२) हैडवर्क्स तक जलागम क्षेत्र	७२२ वर्ग इंच
(३) बान्ध की किस्म	रेतीली नींव पर बान्ध
(४) बान्ध की लम्बाई	११६०'
(५) अधिकाधिक गहरी सतह पर अधिकतम ऊंचाई	१०'
(६) मुख्य नहर और नालियों की लम्बाई	६५ मील
(७) छोटी नालियों की लम्बाई	४५ मील
(८) सिंचाई का कुल क्षेत्र	८३, ६०० एकड़
(९) कृषि योग्य भूमि	६६, ८८० एकड़
(१०) सिंचाई योग्य क्षेत्र	६३, ५०० एकड़
(११) खरीफ फसल में सींचा जाने वाला क्षेत्र	६६, ७०० एकड़
(१२) रबी फ़सल में सींचा जाने वाला क्षेत्र	१०, ८०० एकड़
(१३) सदा सींचा जाने वाला क्षेत्र	३, १८० एकड़
(१४) प्रति वर्ष सींचा जाने वाला कुल क्षेत्र	८०, ६८० एकड़
कृषि योग्य क्षेत्र का प्रति एकड़ व्यय	२८९ रु०
सींचे गये क्षेत्र का प्रति एकड़ व्यय	२३९ रु०

सिंचाई के कारण प्रत्याशित अधिक उत्पादन :—

बाढ़ अन्न	२३३०९ टन
पटसन	२३०९ टन
फल, आदि तथा गन्ना	४०७०६ टन
रबी फसल	४४३७ टन
सिंचाई के कारण अधिक वार्षिक पैदावार का कुल मूल्य	१९४.७१ लाख रु०
सुधार कर	१०० रु० प्रति एकड़
प्रतियोगिता के बाद दसवें वर्ष में पूंजीगत व्यय पर प्रतिशत आय	४.०१
परियोजना की प्राक्कलित लागत	१९२.३० लाख रु० ।

(२) सुकला सिंचाई परियोजना :

परियोजना में नाम्रोकोटा में सुरला नदी पर बांध बनाने का उपबन्ध है। बायें किनारे पर ५०० क्यूजेक्स पानी लेने वाली एक नहर बनाई जायेगी जिससे प्रति वर्ष ५५'५९६ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उसकी प्राक्कलित लागत ६७.०० लाख रु० है।

(३) पत्रदिसा सिंचाई परियोजना :

इसमें पत्रदिसा नदी के पार एक मिट्टी का बन्ध बनाने का उपबन्ध है। इसमें यह भी उपबन्ध है कि जुमना की एक छोटी बारहमासी सहायक बनाई जाय जिससे ६,५५० एकड़ भूमि की सिंचाई प्रति वर्ष हो। यह सिंचाई आदिम जाति क्षेत्र में १०० क्यूजेक्स की क्षमता की नहर से होगी और इस पर प्राक्कलित व्यय २०.२ लाख ० होगा।

(४) असम में कोपिली परियोजना :

कोपिली परियोजना की अस्थायी संगत विशेषतायें निम्न हैं। अन्तिम आंकड़े परियोजना की रिपोर्ट और उपरोक्त प्राक्कलन पूरे होने पर विदित होंगे।

कोपिली जल विद्युत् परियोजना का स्थान गरम पानी से सात मील दक्षिण में है। १७०' ऊंचा और ५३१०' लम्बा मिट्टी का बांध कोपिली नदी पर उसके खड़कार से मिलने से कुछ नीचे बनेगा। बान्ध मिट्टी का होगा जो ६ मील लम्बा होगा। इससे एक जलाशय बनेगा जिसकी कुल क्षमता १०.१३ लाख एकड़ फीट होगी जिससे नदी का बहाव नियमित किया जायेगा। जमा किया हुआ पानी कुल १५३०' की ऊंचाई पर तो बिजली घर में बिजली बनाने के लिये प्रयोग किया जायेगा।

पहिला बिजली घर उमरांग धारा पर होगा। इस बिजलीघर में पानी ५००० फीट लम्बे पेनस्टाक से आयेगा। बिजली घर ४८०' के औसत हैड के अन्तर्गत चलेगा और ६० प्रतिशत लोड फैक्टर पर १०६,००० क्लोवाट बिजली बनायेगा। इस बिजलीघर का बचा पानी उमरांग में छोड़ दिया जायेगा। उमरांग नदी के पार ९०' ऊंचा बान्ध के निर्माण से बने जलाशय को नियंत्रित करके किया जायेगा। उमरांग जलाशय से जल निकास प्रणाली जिसमें १०,६००' खुली नालियां ८५००' सुरंगें और ४५००' पेनस्टाक हैं, जल को दूसरे बिजलीघर में ले जाती हैं जो कापिली नदी के किनारों पर है। यह बिजलीघर ११००' के हैड के अन्तर्गत चलेगा और ६० प्रतिशत लोड फैक्टर पर २६०,००० क्लोवाट बिजली बना सकेगा। पहिले बिजलीघर में ३६,०००, ३६,००० क्लोवाट के ४ बिजली बनाने के यन्त्र आरम्भ में लगाये जायेंगे और दूसरे में ७०, ७० एम डबल्यु के ४ बिजली बनाने के यंत्र होंगे।

परियोजना के कार्यों के डिजाइन बन रहे हैं ताकि बिजलीघर का संचलन लगभग ४० प्रतिशत लोड फैक्टर पर हो सके और तदनुसार बाद में प्रत्येक बिजलीघर में एक और यंत्र लगाने की व्यवस्था की गई है।

(५) असम में वारक बांध :

परियोजना की जांच पड़ताल के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने ६,४०,५५० रु० का प्राक्कलन स्वीकार किया था। अधिकतर सम्मिलित सर्वेक्षण-कार्य पूरे हो गये हैं। जांच पड़ताल का बाकी पड़ी एक बड़ी मद छेद करने की है जो छिद्रण यंत्र के आने पर आरम्भ होगा। इसके लिये संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक क्रमादेश दे चुके हैं। आशा है कि परियोजना की सारी जांच पड़ताल मार्च, १९६३ तक पूरी हो जायेगी।

(६) उमियम परियोजना :

उमियम (बड़ा पानी) एच० ई० योजना की संगत विशेषतायें निम्न हैं :—

अवस्था—१

अवस्था १ में उमियम नदी के पानी का उपयोग करने के लिये २१० फीट ऊंचा कंक्रीट का बांध, २ मिट्टी के बांध और जल निष्कासन प्रणाली का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए ६,८२० फीट लम्बी और ८.५ फीट चौड़ी एक सुरंग, एक 'सर्ज शैफ्ट' और दो १५०४ फीट लम्बे, ६'५ फीट चौड़े पेन-स्टाक का निर्माण किया जायेगा। नौ-नौ मेगावाट के चार यूनिट वाला एक बिजलीघर बनाया जायेगा। इसके साथ ही १३२ किलोवाट की ७३.५ सर्किट मील और ३३ किलोवाट की ६७ सर्किट मील लम्बी ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का निर्माण किया जायेगा जिस पर लगभग ७६७.९२ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

अवस्था—१ के कार्य हो रहे हैं।

अवस्था—२

योजना की द्वितीय अवस्था तीन मुख्य अवस्थाओं में बंटी है। पहिली अवस्था में मौड़ बान्ध, आधी मील लम्बी एक सुरंग, और साढ़े सात-सात मेगावाट के दो जेनरेटिंग यूनिटों वाला एक बिजलीघर बनाया जायेगा। दूसरी अवस्था में चिनाई वाला बान्ध, इन्टेक स्ट्रक्चर, साढ़े बारह-बारह मेगावाट के दो जेनरेटिंग यूनिटों वाला एक बिजलीघर बनाया जायेगा। तीसरी अवस्था में एक चिनाई वाला बान्ध, इन्टेक स्ट्रक्चर, सुरंग और साढ़े बारह-बारह मेगावाट के तीन जेनरेटिंग यूनिटों वाला एक बिजलीघर बनाया जायेगा। इस अवस्था में १३२ किलोवाट की ५१४ मील लम्बी लाइनें और आवश्यक सब-स्टेशन आदि बनेंगे। इस अवस्था के निर्माण पर कुल १४५४.११ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

योजना की रिपोर्ट अभी परियोजना अधिकारियों से नहीं मिली है।

असम में विद्युत् परियोजनायें

†१०९३. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राज्य में अब तक स्थापित और चालू तापीय तथा जल विद्युत् परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) असम राज्य में विद्युत् का औसत प्रति व्यक्ति उपभोग और भारत में औसत प्रति व्यक्ति उपभोग कितना होता है ; और

(ग) असम राज्य में कौन कौन जल तथा तापीय विद्युत् परियोजनायें लागू हो रही हैं, उनकी क्रमानुसार अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनके चालू होने की क्रमानुसार आशातीत समय क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा डाक व तार सर्किल

†१०६४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट, रूरकेला और झाडसुगरा क्षेत्रों को उड़ीसा डाक व तार सर्किल के क्षेत्राधिकार में लेने के बारे में कोई अन्तिम निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) नहीं।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

पटसन अनुसन्धान केन्द्र, जाजंग

†१०६५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाजंग (केनाभपाड़ा), उड़ीसा में पटसन अनुसन्धान केन्द्र उड़ीसा सरकार को दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थित ऐसे सभी केन्द्रों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को देने का निश्चय कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). राज्य विशेष की पटसन सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने पटसन अनुसन्धान उप-केन्द्र बनाये थे बाद में महसूस किया गया कि इन उप-केन्द्रों में किये गये कार्य को राज्य सरकारें उत्तम ढंग से चला सकेंगी। अतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की अनुमति से निश्चय किया गया कि उप-केन्द्र राज्य सरकारों को १-४-१९६२ से दे दिये जायें। तीसरी योजना काल में इन उप-केन्द्रों के लिये नियत की गई राशि सम्बन्धित राज्य सरकारों को दे दी जायेगी। भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति टेक्निकल सहायता देती रहेगी।

स्वास्थ्य बीमा योजना

†१०६६. **श्री लहरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा कराने की सुविधा दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह सुविधा पेंशनरों को नहीं दी गई है ;

(ग) जो लोग सरकारी सेवा से निवृत हो गये हैं उनके और जो अभी सेवा में हैं उनके साथ यह भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है ; और

(घ) क्या राज्यों और केन्द्र के राजस्व से पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां। दिल्ली/नई दिल्ली में काम करने तथा रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा दी जाती है।

(ख) हां।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को डाक्टरी सेवा और चिकित्सा की रियायत दी जाती हैं क्योंकि उन्हें चिकित्सा की सुविधा देना उनकी सेवा की एक शर्त है। विद्यमान नियमों के अनुसार सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी इस सुविधा के अधिकारी नहीं हैं और न उन्हें सामान्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की अपेक्षा किसी विशेष चिकित्सा का अधिकार है।

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। राज्य के राजस्व से पेंशन पाने वालों पर यह योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है।

रायल सोसायटी आफ हैल्थ कांग्रेस

†१०९७. { **श्री श्री नारायणी दास** :
श्री रघनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रिटेन में हाल मे आयोजित हुई रायल सोसायटी आफ हेल्थ कांग्रेस में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भाग किस रूप मे लिया ; और

(ग) उस में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और क्या महत्वपूर्ण निश्चय किये गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां।

(ख) लन्दन में भारत के उच्च आयुक्त के चिकित्सा सलाहकार रायल सोसायटी आफ हैल्थ कांग्रेस में भारत के प्रेक्षक नियुक्त किये गये थे। ये कांग्रेस ९ से १३ अप्रैल, १९६२ तक स्कारबरो में हुई थी।

(ग) निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई :

१. रेडियेशन।

२. विश्व स्वास्थ्य, उष्णकटिबन्धीय स्वास्थ्य व स्वच्छता (हाइजिन) सहित,

३. स्वास्थ्य शिक्षा।

४. भोजन तथा पौष्टिक आहार।

५. परिवार का स्वास्थ्य और कल्याण।

६. मानसिक स्वास्थ्य।

७. व्यवसाय में स्वास्थ्य।

८. निरोधक औषधियां।

९. सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग, आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में

चर्चा के विषयों पर कोई निश्चय नहीं किया गया, परन्तु आवश्यकतानुसार कुछ सिफारिशें की गई थीं। ये सिफारिशें जल्द ही रायल सोसायटी आफ हेल्थ की रिपोर्ट में प्रकाशित होंगी। कान्फ्रेंस में स्वीकृति सिफारिशो पर कार्यवाही संबंधित मंत्रालय, स्थानीय निकाय और नगरपालिका प्राधिकार, आदि, आवश्यकता हुई तो, करेंगे ।

चेतन्यशून्य करने वाली औषधियों की प्रतिक्रिया

†१०९८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि ब्रिटेन में देखा गया है कि काले रंग वाले व्यक्तियों पर कभी कभी चेतनाशून्य करने वाली औषधियों का बहुत बुरा प्रभाव होता है जिसके फलस्वरूप हृदय की गति रुक जाती है और मृत्यु हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चेतनाशून्य करने वाली औषधियों के प्रभाव की जांच करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) अनेक अनुभवों से यह पता लगा है कि चेतनाशून्यता का प्रभाव व्यक्तियो पर रंग के कारण विभिन्न नहीं होता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गुजरात के बन्दरगाहों से लाया और ले जाया गया सामान

†१०९९. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में समुद्र तटीय गुजरात राज्य के छोटे तथा दरमियाने दरजे के बन्दरगाहों से कितना माल लाया व ले जाया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :**

१९६०–६१ .	२३,४५,८५६ टन ।
१९६१–६२ .	२४,२८,८१५ टन ।

भारत-इन्डोनेशिया विमान सेवा

†११००. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६१ में भरत सरकार और इण्डोनेशिया के वैज्ञानिक प्राधिकारियों में गरूदा इण्डोनेशियन एयरवेज़ द्वारा भारत को विमान सेवा चालू करने की संभावना पर अनौपचारिक वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या हुआ ; और

(ग) क्या इंडोनेशियाई मंत्री एयर वाइश मार्शल इस्कन्दर ने, जो हाल में भारत आये थे, कोई बात चीत की थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जहां तक भारत सरकार को विदित है, गरूदा इण्डोनेशियान एयरवेज़ ने अभी तक भारत को विमान सेवा आरम्भ करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) आकस्मिक रूप में संक्षिप्त ढंग से मामले का उल्लेख किया गया था। इसके बारे में कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई।]

वाराणसी में होटल की सुविधा

†११०१. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी में उपलब्ध होटल की सुविधायें विदेशी पर्यटकों के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक होटल बनाने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

तटीय नौवहन

†११०२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा का चावल व्यापार भारत के तटीय नौवहन के हाथ से निकल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दक्षिण रेलवे में गेटमेन

†११०३. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में प्रत्येक गेट पर नियुक्त तीन गेटमैन की जगह अब दो गैटमैन रहेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गेटमैन की संख्या घटाने के कारण उनके काम के घंटे बढ़ गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जीं, हां। केवल १-१-६२ से ३१-३-६२ तक ४८ घेटों पर।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न के भाग (क) जिन ४८ गेटमैन का निर्देश है उन्हें पहले काम के घंटे विनियमन के अन्तर्गत "लगातार" वर्गीकृत किया गया था और उनके लिये आठ घंटे की पाली निर्धारित की गयी थी। । इस बीच उन्हें काम और काम न होने के काल की समीक्षा के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है और अब उनके लिये १२ घंटे की पाली निर्धारित कर दी गयी है।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई आयुर्वेद संबन्धी तालिका की सिफारिशें

†*११०४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में में एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई आयुर्वेद सम्बन्धी तालिका (पेनल) की मुख्य मुख्य सिफारिशें और उन में से प्रत्येक पर की गई कार्यवाही दी गई हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : आयुर्वेद सम्बन्धी तालिका की प्रमुख सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही इस प्रकार हैं :—

तालिका की सिफारिशें	की गई कार्यवाही
१ आयुर्वेदिक शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा की एक केन्द्रीय परिषद् की स्थापना करना।	१. यह विषय विचाराधीन है।
२. समस्त राज्यों में भारतीय चिकित्सा के लिये पृथक् निदेशालय, परिनियत परिषदों एवं प्रमण्डलों की स्थापना करना।	२. इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है।
३. स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के लिए एक अलग केन्द्रीय भेषज-नियन्त्रण संस्था की स्थापना करना।	३. ४ और ५, ये विचाराधीन हैं।
४. आयुर्वेद और यूनानी भेषज-संहिता का संकलन करना।	
५. आयुर्वेद और यूनानी फार्मेसियों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल का कार्य-स्तर स्थिर करने के निमित्त मार्ग प्रशस्त करने के लिये भैषजिकीय अन्वेषण एककों, जो बेहतर हो कि कालेजों में वनस्पति-विज्ञान विभाग से सम्बद्ध हों, की स्थापना करना।	

†मूल अंग्रेजी में

१	२
६. प्रत्येक राज्य में कम से कम एक औषधीय जड़ी-बूटियों के उद्यान तथा एक केन्द्रीय उद्यान, जो किसी उपयुक्त स्थान पर स्थित हो जहां स्थानीय पौधे उगाये जा सके, की स्थापना करना ; और	६. केन्द्रीय सरकार ने पूना के पास जमीन का एक प्लाट केन्द्रीय औषध उद्यान के लिये खरीद लिया है। सिफारिश के अन्य भाग पर आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है।
७. औषधीय भेषजों, जो आम प्रयोग में आती हैं और जो अनुभव से आम रोगों में लाभदायक पाई गई हों, का सर्वेक्षण करना।	७. यह विषय विचाराधीन है।

गजरौला से नजीबाबाद तक प्रतीक्षालय

११०५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गजरौला से नजीबाबाद जाने वाली ब्रांच लाइन पर कितने स्टेशनों पर प्रतीक्षालय नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस ब्रांच लाइन पर कुछ ऐसे भी स्टेशन हैं जहां तारघर भी नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही इन कमियों को दूर करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आठ स्टेशन।

(ख) जी हां। इस शाखा लाइन पर कई फ्लैग स्टेशन हैं जहां तार उपकरण नहीं लगाये गये हैं क्योंकि इन स्टेशनों पर लाइन-क्लियर नहीं दिया जाता।

(ग) फ्लैग स्टेशनों पर तार-घर खोलने का विचार नहीं है क्योंकि इन स्टेशनों पर गाड़ी आने-जाने के लिये लाइन क्लियर की जरूरत नहीं होती।

चिकनयकनहल्ली में रेलवे आडिट एजेंसी

†११०६. **श्री बासप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-पूना सेक्शन पर चिकनयकनहल्ली में एक रेलवे आउट एजेंसी खोलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो वहां आउट एजेंसी खोलने में क्या कठिनाई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। फरवरी, १९६२ में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) दक्षिण रेलवे इस प्रस्ताव की जांच कर रही है।

†मूल अंग्रेजी में

उन्नत बीज निगम

†११०७. **श्री बासप्पा** : क्या क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक उन्नत बीज निगम की स्थापना करने वाली हैं ;

(ख) इस निगम का उद्देश्य क्या है; और

(ग) वह कब अस्तित्व में आयेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :(क) जी, हां।

(ख) इस निगम का उद्देश्य प्रसंकट मका और जवार के बीज का उत्पादन वितरण और विपणन होगा। निगम बाद में अन्य खाद्यान्नों तथा तिलहन के बीजों का उत्पादन भी करेगा।

(ग) निगम के शीघ्र ही अस्तित्व में आने की सम्भावना है।

सहकारिता सम्बन्धी विधियों का समेकन

†११०८ **श्री बासप्पा** : क्या सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारिता सम्बन्धी सभी विधियों का समेकन करने वाली है; और

(ख) क्या सरकार ने सहकारिता के कार्यों के लिये विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर दिये हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, नहीं। सहकारिता का विषय राज्य सूची में है और इसलिये उसके बारे में विधान बनाने का दायित्व राज्य सरकारों पर है।

(ख) भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों से स्नातक व स्नातकोतर पाठ्यक्रम में सहकारिता को अध्ययन के एक विषय के रूप में रखने की सम्भावना पर विचार करने के लिये कहा है फिलहाल कुछ विश्वविद्यालयों में सहकारिता को बी० काम० की परीक्षा के लिये एक ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया है। यह विषय बी० ए० और बी० एस० सी० (कृषि) पाठ्यक्रमों के अर्थशास्त्र और कृषि अर्थशास्त्र के पर्चे का एक भाग है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र और बड़ौदा विश्वविद्यालयों ने सहकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम शुरू किया है। विश्वविद्यालयों से सहकारिता उपभोक्ता स्टोर शुरू करने के लिये भी कहा गया है ताकि छात्रों का सहकारिता का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें इसके अतिरिक्त सरकार ने विश्वविद्यालयों में सहकारिता कार्यों के लिये कोई पाठ्यक्रम शुरू नहीं किये हैं।

शहरों में गन्दगी

११०६. **श्री बालमीकी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों में बड़े-बड़े गन्दे नालों से पैदा होने वाली गन्दगी को दूर करने के लिये राज्य सरकारों, (राज्य-वार) द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) केन्द्र ने विगत पांच वर्षों में अप्रैल, १९६२ तक इस प्रयोजन के लिये ऋण और सहायता के रूप में कितनी राशि दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा चलाये गये राष्ट्रीय जल-सम्भरण और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारें अधोभूमि-प्रणाली योजनायें, जो स्वतः गन्दगी को दूर कर देंगी, चालू करने के लिए प्रोत्साहित की जा रही हैं। केवल गन्दगी को दूर करने के लिये सहायता देने का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसका मल-प्रवाह पद्धति से कोई सम्बन्ध न हो क्योंकि ऐसी स्थिति में मल-वहन जन-स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या बनी रहेगी। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जल-सम्भरण और सफाई कार्यक्रम (शहरी) के अन्तर्गत स्वीकृत जल-सम्भरण और मल-वहन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ऋण दिया जाता है और मल-वहन योजनाओं के लिये कोई पृथक् वित्तीय व्यवस्था नहीं की जाती। विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय जल-सम्भरण और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संघ-क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को कुल ऋण इस प्रकार दिया गया :—

वर्ष	दिया गया ऋण रुपये लाखों में
१९५७–५८ . . .	९६७.०५
१९५८–५९ . .	८९९.००
१९५९–६० . .	११२६.३९
१९६०–६१ . .	१००५.४४
१९६१–६२	१०२९.५३
योग . . .	५०२७.४१

पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस

१११०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५१ अप और ५२ डाउन पठानकोट-सियालदह एक्सप्रेस मुरादाबाद और लकसर के मध्य सब स्टेशनों पर पसेंजर गाड़ी हो कर रुकती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्रियों से इस बीच में किराया एक्सप्रेस गाड़ी की तरह लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार साधारण किराया लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह कहना सही नहीं है कि ५१ अप/५२ डाउन सियालदह-पठानकोट एक्सप्रैस गाड़ियां मुरादाबाद और लक्सर के बीच के सभी स्टेशनों पर रुकती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि ये एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, इसलिये इनके लिये सवारी गाड़ी का किराया नहीं लिया जा सकता।

चावल का उत्पादन

†११११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मान्टपेलर में चावल की नयी किस्म की खोज की जानकारी है जिसके बीज पर "गेमा किरण" डालने से चावल की फ्रान्सीसी किस्म का उत्पादन दुगना हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). इस खोज की जानकारी अब तक तो किसी वैज्ञानिक पत्र आदि में प्रकाशित नहीं हुई है किन्तु इसका कुछ ब्यौरा देने वाला एक समाचार ६ अप्रैल, १९६२ के 'स्टेटस्मैन' में छपा है। इस समाचार की एक प्रति सलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

रायसिंह नगर और करनपुर स्टेशनों पर उपलब्ध पीने का पानी

†१११२. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर रेलवे के रायसिंह नगर और करनपुर स्टेशनों पर यात्रियों को उपलब्ध किये जाने वाले पीने का पानी अत्यन्त दूषित होता है; और

(ख) क्या सरकार ने इन स्टेशनों पर पानी साफ करने के संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सरकार को ज्ञात है कि इन स्टेशनों पर दिया जाने वाला पानी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता।

(ख) जी, हां। हनुमानगढ़-सूरतगढ़ केनाल लूप सेक्शन के स्टेशनों पर पानी साफ करने के संयंत्र लगाने के लिये कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अनुसार यह व्यवस्था की जा रही है।

परिवार नियोजन

†१११३. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को गर्भ-निरोध उपकरण मुफ्त बांटे जाते हैं ;

(ख) सरकार ने जब से परिवार नियोजन आन्दोलन आरंभ किया है तब से कितने लोगों ने गर्भ-निरोध के उपकरणों का उपयोग किया यह पता लगाने के लिये कोई आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं ;

(ग) क्या गर्भ-निरोधक उपकरणों के प्रयोग से जन्म संख्या कम हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका प्रतिशत कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गर्भ-निरोधक उपकरण मुफ्त दिये जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में जिन लोग की मासिक आय ३०० रुपये तक है उन्हें ये उपकरण निःशुल्क दिये जाते हैं। जिन लोगों की मासिक आय ३०० से ५०० रु० तक है उन्हें आधे दामों पर तथा जिनकी मासिक आय ५०० रुपये से अधिक है उन्हें लागत मूल्य पर दिये जाते हैं।

(ख) गर्भ-निरोधक उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु १९५६ और १९६१ में इन उपकरणों की बिक्री के आंकड़ों से, जो नीचे दिये गये हैं, पता चलता है कि गर्भ-निरोधक उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है :—

वर्ष	डायफ्राम	जेलियां	कान्डम	फोम टैबलेट
	(आंकड़े दस लाख में हैं)			
१९५६	०.०२५	०.०७२	०.०६२	०.२४६
१९६१	०.२३८	०.६५६	६.७४८	२०.०००

(ग) और (घ). गर्भ-निरोधक उपकरणों के प्रयोग से जन्म संख्या में हुई कमी का मूल्यांकन कुछ समय के बाद ही किया जा सकता है।

भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे

१११४. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन ठेकेदारों ने भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे के भवनों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया, था, उन्हें कितना भुगतान करना बाकी है ;

(ख) अब तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस रेलवे के विलय के बाद से भुगतान के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ; और

(घ) इस विषय में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोई नहीं।

(ख) (ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश को उर्वरकों का संभरण

†१११५. श्री यलमंदा रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७ के बाद से अब तक आन्ध्र प्रदेश को प्रतिवर्ष उर्वरकों की कितनी आवश्यकता रही ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश को प्रतिवर्ष कितना उर्वरक मंज़ूर किया गया ; और

(ग) प्रति वर्ष कितना उर्वरक दिया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० क० पाटिल) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]

फरक्का बांध का सामान ले जाना

†१११६. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के सामान को फरक्का पहुंचाने में बिलम्ब हुआ है

(ख) परियोजना को फरक्का भेजे जाने वाले सामान को बुक करने की अनुमति देने में बिलम्ब क्यों हुआ; और

(ग) अब तक कितने टन सामान बुक किया गया तथा पहुंचाया गया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). फरक्का स्टेशन को माल बुक नहीं किया जा सकता और वहां सामान को लादने-उतारने के लिये माल-गोदाम, साइडिंग आदि सुविधायें भी नहीं हैं।

मई, १९६१ में पूर्व रेलवे और परियोजना के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें साइडिंग की व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई थी। परियोजना अधिकारियों से कहा गया कि वे रेलवे के विचारार्थ एक औपचारिक आवेदन भेज दें। अक्तूबर, १९६१ में ही परियोजना के अधिकारियों ने माल को लादने-उतारने के लिये हाइ-लेबल स्लिप लाइन को, जो केवल रेलवे के काम के लिये है, काम में लाने की अनुमति पूर्व रेलवे से मांगी। उनकी प्रार्थना पर पूर्व रेलवे ने विचार किया और एक विशेष मामले के तौर पर उन्हें फरवरी, १९६२ में अनुमति दे दी गई।

(ग) फरक्का स्थित परियोजना अधिकारियों को ९-५-६२ तक ६६ माल-डिब्बे दिये जा चुके हैं।

इम्फाल तमेंगलोंग सड़क

†१११७. श्री रिशांग किशिंग : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल-तमेंगलोंग सड़क लगभग एक वर्ष पूर्व यातायात के लिये खोल दी गई थी ;

(ख) यह सड़क कितनी बन चुकी है ;

(ग) इस सड़क के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(घ) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) सड़क ७४ मील लम्बी है जिसमें से कांगपोकपी से पहले ४९ मील तक मोटर चल सकती है तथा शेष रास्ते पर जीप चल सकती है। अग्रेतर प्रगति जारी है।

(ग) तीसरी योजनावधि के लिये ६१ लाख रुपये का आवंटन मनीपुर प्रशासन के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) पहली योजना —२६.१२ लाख रुपये
दूसरी योजना —३४.७८ लाख रुपये
१९६१–६२ —११.३१ लाख रुपये

योग ७२.२१ लाख रुपय

नागार्जुनसागर परियोजना

†१११८. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना की दायीं नहर के दूसरे बोगदे के निर्माण को मजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). नागार्जुनसागर राइट बैंक के नाले के दूसरी बोगदा सितम्बर, १९६० में मजूर की गई परियोजना में शामिल है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंगरयाकोन्डा स्टेशन पर गाड़ी का रुकना

†१११९. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि सिंगरयाकोन्डा से नेलोर जिले के तीन तालुकों को जाया जा सकता है क्या दिल्ली-मदरास जनता को सिंगरयाकोन्डा में रोकने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शहनवाज खां)** : (क) से (ग) . १–४–५९ से पूर्व नवम्बर १७ मंत्रालय १८ अप मदरास-दिल्ली जनता एक्स्प्रेस सिंगरयाकोन्डा में रुका करती थी । चूंकि अक्तूबर-दिसम्बर १९५८ में इस स्टेशन से इन गाड़ियों से लम्बा सफर करने वाले मुसाफिरों की औसत संख्या नगण्य थी इसलिये १–४–५९ से इन गाड़ियों का रुकना बन्द कर दिया गया । इन गड़ियों के वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

वंसधरा परियोजना

†११२०. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वंसधरा परियोजना के लिये स्थान चुन लिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वंसधरा परियोजना केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

खन्डसारी और गुड़ का उत्पादन

†११२१. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ के मौसम में खन्डसारी और गुड़ का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) इन वस्तुओं के भाव १९५९–६० और १९६०–६१ के भाव की तुलना में किस प्रकार बैठते हैं ?

खाद्य-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १९६१–६२ का मौसम अभी चल रहा है इसलिये इस मौसम के खण्डसारी और गुड़ के उत्पादन के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

(ख) हापुड़ मण्डी में १५ अप्रैल, को समाप्त होने वाले सप्ताह में १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ के मौसम में खण्डसारी और गुड़ के भाव इस प्रकार थे :—

मौसम	प्रति मन औसत भाव	
	खण्डसारी	गुड़
१९५९–६०	३३.६३	१९.००
१९६०–६१	३३.७५	२६.००
१९६१–६२ . .	३३.००	१७.७५

गेहूं का मूल्य

†११२२. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गेहूं का जो प्रति मन मूल्य निर्धारित किया उसके प्रति बाजार की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ख) क्या उससे गेहूं की बोगी को बढ़ावा मिलेगा और गेहूं की खेती का रकबा बढ़ेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) भारत सरकार ने मार्च, १९६२ में गेहूं का जो १३ रुपये प्रति मन न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की जो घोषणा की थी उसके प्रति बाज़ार की प्रतिक्रिया इतनी जल्दी ज्ञात नहीं हो सकती। न्यूनतम मूल्य की घोषणा के बाद बाज़ार में गहूं के भावों में कोई अनुचित घटबढ़ नहीं हुई।

(ख) गहूं की अगली फसल के लिये गेहूं सितम्बर,-अक्तूबर, १९६२ में बोया जायेगा। गेहूं का न्यूनतम मूल्य किसानों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक दिलाने के लिये किया गया है ताकि उसे उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन मिल सके।

त्रिपुरा में अनारपुर सब-डिवीजन

†११२३. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि त्रिपुरा में अनारपुर सब-डिवीजन का समस्त क्षेत्र केवल आदिम जाति के लोगों के लिये रक्षित था;

(ख) यदि हां, तो सरकार सब-डिवीजन के विशाल वन प्रदेश के रक्षित वन किस प्रकार बना रही है ; और

(ग) जिन आदिम जाति के झूमियों को झूम खेती करने के लिये जंगल काटने से रोक दिया गया था उनको वैकल्पिक पेशा देने की व्यवस्था करने के लिये क्या शीघ्र और प्रभावोत्पादक कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां। केवल उस भाग को छोड़ कर जिसको उन-आदिम जाति के लोगों को दे दिया गया है।

(क) भूमि के कटाव और बाढ़ को रोकने के लिय घना वन प्रदेश होना आवश्यक है। हमरपुर में रक्षित वन कुल भूमि का केवल २८ प्रतिशत है जो उचित समझा गया है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का ६० प्रतिशत रक्षित वन बनाने की राष्ट्रीय नीति है।

(ग) २३७० झूमियों को भूमि दे दी गई है और बैल, खेती के औजार बीज आदि खरीदने के लिय आर्थिक सहायता भी दी गई। पांच झूमिया उपनगर भी बसा दिए गए हैं।

त्रिपुरा में राज्य परिवहन

†११२४. **श्री दशरथ देव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में राज्य परिवहन लागू करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस योजना के कब लागू हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन का विचार सड़क परिवहन निगम बनाने का है जो प्रदेश के चुनींदा क्षेत्रों में यात्री तथा माल सेवा की व्यवस्था करेगा : ३० बस और ३० ट्रक खरीदने

†मूल अंग्रेजी में

का, सुगठित वर्कशाप बनाने तथा सभी बस स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं का छाया दार स्थान बनाने का, माल रखने का भांडार बनाने का विचार है। प्रशासन से प्राप्त योजना विचाराधीन है ।

(ग) क्योंकि प्रस्तावित निगम भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के बाद गाड़ियों का अर्जन करेगा सेवा चलाने के लिये आवश्यक कर्मचारी भरती करेगा। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि योजना कब चालू होगी ।

त्रिपुरा में गांव पंचायतें

†११२५. **श्री दशरथ देव : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की गांव पंचायतों के लिए कुल कितने मंत्री नियुक्त किए गए ;

(ख) इन में अनुसूचित आदिम जाति तथा लड़कों तथा लड़कियों का क्या अनुपात है;

(ग) क्या यह अनुपात त्रिपुरा की अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति की संख्या के अनुसार इसमें परिवर्तन कर दिया जायेगा ?

†**सामुदायिक विकास पंचायती राज तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) ७६

(ख) अनुसूचित जाति . . ४ प्रतिशत
अनुसूचित आदिम जाति . . १६ प्रतिशत

(ग) और (घ). भरती नियमों जिन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पदों के रक्षण की व्यवस्था है के अनुसार भरती होती है । भरती की जा रही है और उन्हें उम्मीदवारों में से रक्षित कोटा लेने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जोधपुर डिवीजन में रेलवे का विस्तार

†११२६. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में रेलवे के विस्तार के लिये कसौटी क्या है ;

(ख) १९५७ से लेकर जोधपुर डिवीज़न में रेलवे का कितना विस्तार हुआ है ; और

(ग) बलियार को सोजात से मिलाने और सोजात रोड को सोजात शहर से मिलाने वाली रेलवे लाइन क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) देश के विभिन्न भागों में रेलवे के विस्तार के बारे में, विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, पत्तन की सुविधाओं का विस्तार, खनिज तथा प्राकृतिक संसाधनों को निकालना और उनका उपभोग, सामरिक दृष्टिकोण और अन्य सैन्य संचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख), रेलवे लाइनों के निर्माण, संबंधी सूचना राज्य वार, डिवीज़नवार या जिलावार एकत्रित नहीं की जाती, बल्कि रेलवे वार की जाती है। मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह प्रस्ताव तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर नई लाइनों के निर्माण संबंधी रेलवे कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

कोटा स्टेशन पर नाले का निर्माण

११२७. **श्री बैरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा स्टेशन पर श्री रामचन्द्र जी के मंदिर के सामने वाला नाला क्यों नहीं बनाया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि इस नाले को नहीं बनाने से जनता की अमूल्य सम्पति की हानि हो रही है और सम्पूर्ण स्टेशन पर गन्दगी रहती है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक नाला वहां पहले से है।

(ख) रेल-सम्पत्ति की हानि के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। नाला स्टेशन के बहुत नजदीक नहीं है, इसलिए स्टेशन की सीमा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

आयुर्वेदिक कालिज

†११२८. **श्री अ० त्रि० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कितने सरकारी आयुर्वेदिक कालेजों को ऐलोपैथिक कालेजों में बदला गया है,

(ख) पिछले पांच वर्षों में कितने सरकारी आयुर्वेदिक कालेज बन्द किये गये ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में कितने आयुर्वेदिक कालेज आरंभ किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में टेलीफोन

†११२९. श्री रिशांग किशिंग : क्या प्रतिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर में सरकारी तथा जनता के कितने टलीफोन हैं ;

(ख) टेलीफोनों की कमी की तुलना में वर्तमान स्थिति कैसी है ; और

(ग) हालत को सुधारने के लिये जो योजना है उसका ब्योरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इम्फाल टलीफोन एक्सचेंज (मनीपुर में एक मात्र एक्सचेंज) से इस समय चलने वाले टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है :

सरकारी टलीफोन	११०
जनता के टलीफोन	९८
कुल . .	२०८

(ख) लंबित मांग इस प्रकार है :—

सरकारी . .	६२
जनता के . .	७४
कुल . .	१३६

(ग) ३० लाइनों तक इम्फाल एक्सचेंज के विस्तार की योजना मंजूर की जा चुकी है । इसके लिये अपेक्षित स्टोर प्राप्त किये जा रहे हैं।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस एक्सचेंज को ५०० लाइनों तक बढ़ाने का विचार है ।

डाक घर

†११३०. श्री रिशांग किशिंग : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर, नेफा और नागालैंड में इस समय कितने डाकघर और शाखा डाकघर हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों में किन स्थानों पर टेलीग्राफ की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में इन क्षेत्रों में डाक व तार की सेवाओं का विस्तार करने के कार्यक्रम क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]

भूमिहीन कृषि श्रमिक

†११३१. श्री मे० क० कुमारन : क्या क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत के विविध राज्यों में ५० लाख एकड़ भूमि पर भूमिहीन कृषक श्रमिकों के दस लाख परिवारों को बसाने की योजना अन्तिम रूप से बना ली है ;

(ख) क्या भारत सरकार को इस योजना के बारे में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†खाद्य तथा तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित कृषि श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि तीसरी योजना अवधि के अन्दर, भूमिहीन कृषक मजदूरों के ७ लाख परिवारों को विविध राज्यों में उपलब्ध ५०० लाख एकड़ कृषि भूमि पर बसाया जाए। क्योंकि राज्यों की तृतीय वर्षीय योजनाओं की योजना वांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी, राज्यों को योजनाओं की योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली बसाने की योजनाओं को चलाने के लिये केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना इस तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई है और इस उद्देश्य के लिये ७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ डाक व तार के महानिदेशक की मुलाकात

†११३२. { (श्री दाजी :
(श्री स० मो० बनर्जी :
(श्री ह० प० चटर्जी :
(श्रीमती बिमला देवी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार महानिदेशक ने डाक व तार कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो १६६१ में कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). कार्मिक संघ के महामंत्री तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ हाल की एक अनौपचारिक बैठक में यह **फैसला** किया गया था कि लंबित विषयों की चर्चा के लिये महानिदेशक के साथ एक बैठक की जाएगी। संघों को विचार किये जाने वाले विषयों की सूची भेजने के लिये एक पत्र भेजा जा चुका है। यह बैठक सावधिक बैठकों में पहली बैठक होगी।

अगरतला और त्रिपुरा के लिये नगरपालिका अधिनियम

†११३३. **श्री बीरेन दत्त : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला, त्रिपुरा के लिय नये पारित नगरपालिका अधिनियम को लागू करने के लिये नियम बनाये जा चुके हैं; और

(ख) नगरपालिका का निर्वाचन कब होने की अपेक्षा की जाती है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) आयुक्तों के निर्वाचन के बारे में नियम बनाये जा चुके हैं। अन्य नियम बनाने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) २५ अप्रैल, १९६३ तक नगरपालिका के चुनाव होने की संभावना है।

कठुआ में टेलीफोन एक्सचेंज

†११३४. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री गोपाल दत्त :
बख्शी अब्दुल रशीद : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर में कठुआ में एक टेलीफोन ऐक्सचेंज खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). २ मई, १९६२ को कठुआ टेलीफोन ऐक्सचेंज खोला जा चुका है।

थीन बांध

†११३५. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री गोपाल दत्त :
बख्शी अब्दुल रशीद : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा कश्मीर में **बासोली** के समीप रावी नदी पर 'थीन बांध' बनाने के बारे मे अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है?

†**सिंचाई औ विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीकानेर डिवीजन में नये स्टेशन खोलना

११३६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में १९६२-६३ में कितने और नये स्टेशन खोले जायेंगे ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १९६२-६३ में उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में पांच स्टेशन (तीन ट्रेन-हाल्ट), एक फ्लैग स्टेशन और एक क्रासिंग स्टेशन) खोले जाने की आशा है ।

गंगानगर क्षेत्र में चीनी का कारखाना

११३७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के प्रसिद्ध कृषि प्रधान गंगानगर क्षेत्र मे चीनी का कारखाना लगाने की जो योजना थी उसके स्थगित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय किसानों ने यह कारखाना सहकारिता के आधार पर चलाने का निश्चय किया था ;

(ग) क्या गंगानगर में कारखाना स्थापित करने के लिये स्थानीय काश्तकारों से हिस्सा पूंजी भी जमा कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह पूंजी कितनी है और उसको किस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). गंगानगर में सहकारिता के आधार पर चीनी का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र नवम्बर, १९६० में प्राप्त हुआ था। परन्तु चीनी उद्योग में लाइसेंसिंग क्षमता को रोकने के निर्णय के कारण इस आवेदन पत्र का विचार भी दूसरे लम्बमान आवेदनों के साथ अभी रोक दिया गया है ।

(ग) और (घ) लगभग ३.२१ लाख रुपये की हिस्सा पूंजी काश्तकार सदस्यों से, इस उद्देश्य के लिऐ जमा कर ली गई थी ।

गंगानगर क्षेत्र में कृषि फार्म

**११३८. { श्री प० ला० बारूपाल :
श्री कर्णी सिंह जी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार जिला गंगानगर में एक और कृषि फार्म बना रही है । यदि हां, तो यह फार्म किस स्थान पर बनाया जायेगा और कितने एकड़ भूमि इस क्षेत्र में होगी; और

(ख) वहां के स्थानीय किसानों की भूमि जो फार्म के अन्तर्गत जायेगी उसके मुआवजे में उनको कहां भूमि दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां। सूरतगढ़ फार्म की तरह का एक दूसरा यान्त्रिक फार्म राजस्थान के गंगानगर जिले में जेटसार नामक स्थान पर स्थापित करने का विचार है। इस नये फार्म का क्षेत्र ३०,८५४ एकड़ है।

(ख) मुआवजे की भूमियां अभी निश्चित नहीं की गई हैं। प्रभावित किसानों को पास ही राजस्थान नहर के क्षेत्र में भूमि अलाट करने का विचार है।

दिल्ली में सहकारी फार्म

११३९. श्री नवल प्रभाकर : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने सहकारी फार्म चल रहे हैं ; और

(ख) किन-किन स्थानों पर ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) सात ।

(ख) इन समितियों के नाम व स्थान नीचे दिए गए हैं :—

(१) उमराव हुमम्बी सहकारी खेती समीति, अलीपुर ब्लाक ।

(२) पल्ला संयुक्त सहकारी समिति, गांव पल्ला, अलीपुर ब्लाक ।

(३) किराड़ी सुलेमान नगार सहकारी संयुक्त खेती समिति, गांव किराड़ी सुलेमान नगर (नांगलोई ब्लाक) ।

(४) मिंटगुमरी सहकारी संयुक्त खेती समिति, गांव पंजाव खोरे (नांगलोई ब्लाक) ।

(५) हस्तशाल सहकारी संयुक्त खेती समिति लि०, गांव हस्तशाल (नजफगढ़ ब्लाक) ।

(६) नई झंगोला सहकारी संयुक्त खेती समिति, गांव झंगोला (अलीपुर ब्लाक)

(७) जैतपुर सहकारी खेती समिति लि०, गांव जैतपुर (महरौली ब्लाक) ।

दिल्ली में नाली व्यवस्था

११४०. श्री नवल प्रभाकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की लिंक रोड में पानी की निकासी के लिये नालियां नहीं छोड़ी गई हैं जिसके कारण निकटवर्ती बस्तियों में बरसात में पानी भर जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस के निराकरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) और (ख) निगम क्षेत्र मे दो लिंक रोड हैं, एक पंचकुइयां रोड से करौलबाग जाने वाली और दूसरी लोदी रोड को रिंग रोड से मिलाने वाली। इन दो लिंक रोडों पर नालियों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड डालना

†११४१. **श्री धर्मलिंगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड डालने का कोई प्रस्थापना है,

(ख) यदि हां, तो काम कब आरंभ किये जाने की संभावना है ;

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि वहां प्लेटफार्म पर एक शैड डालना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण यात्रा केन्द्र हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . इस समय यह बताना संभव नहीं होगा क्योंकि यह धन और इस्पात की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ?

(घ) प्लेटफार्म के ऊपर शैड एक वांछनीय सुविधा है, जिसकी व्यवस्था उपलब्ध धन राशि के अन्दर एक कार्य क्रमित आधार पर की जा रही है।

रेल दुर्घटना के लिये उतरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

†११४२. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में रेलवे मे जो अधिक दुर्घटनायें हुईं, उनकी सरकारी जांच के उपरान्त यह सिद्ध हुआ कि रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से ही अधिकांश दुर्घटनायें हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेल दुर्घटनाओं की जांच से पता चला है कि बहुत-सी दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलती से हुई।

(ख) दोषी कर्मचारियों पर अनुशासन की समुचित कार्रवाई की जाती है। उन्हें नौकरी से हटाये जाने से लेकर निन्दित करने तक का दण्ड दिया जाता है। दण्ड निर्धारित करते समय अन्य प्रासंगिक बातों के साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और किस प्रकार की थीं। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारी की सेवा का रेकार्ड कैसा है और उसने कितने साल नौकरी की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में अस्पतालों में पुस्तकालय

†११४३. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि केरल ग्रन्थासाला संगम ने किसी समय केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन किया था कि अस्पताल में प्रविष्ट रोगियों के लाभार्थ अस्पताल में पुस्तकालय स्थापित करने की एक योजना के लिये अनुदान दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों की बर्खास्तगी

†**११४४. श्री नंबियार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय रेलवे सेविवर्ग संहिता की धारा १४९, अर्थात् कि करार के अधीन बिना कोई कारण बताये किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकता है, का प्रवर्तन अभी भी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस नियम के अधीन वर्ष १९६१-६२ में कितने कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है ; और

(ग) इस उपबन्ध को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) रेलवे कर्मचारियों को भारतीय रेलवे सेविवर्ग संहिता के नियम १४९ के अधीन नौकरी से नहीं हटाया जाता किन्तु उन की सेवायें इस नियम के अधीन संविधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए समाप्त की जाती हैं । नियम अभी भी लागू है ।

(ख) किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया । परन्तु इस नियम के अधीन ६८ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

नये मेडिकल कालेज

†**११४५. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये डाक्टरी कालेजों की आवश्यकता और स्थान निर्धारित करने की कोई निश्चित कसौटी है ।

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में डाक्टरी के स्नातकों का उत्पादन उन राज्यों की निम्नतम आवश्यकताओं से बहुत कम होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या निकट भविष्य में जोधपुर में एक नया डाक्टरी कालेज स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) राज्यों में नई डाक्टरी कालेजों की आवश्यकता तथा स्थान निर्धारित करने को कुछ कसौटियां हैं। वे मोटे रूप में ये हैं :—

(१) राज्य में से वित्त होने वाली जनसंख्या—विद्यार्थी संख्या अनुपात और डाक्टर संख्या अनुपात। स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा योजना समिति ने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक ३०००/३५०० जनसंख्या के लिये संभवत: एक डाक्टर रखने का उद्देश्य बनाना एक संभव लक्ष्य रहेगा।

(२) नए डाक्टरी कालेज आरंभ करने के लिये उपलब्ध विद्यमान सुविधाएं, अर्थात् इमारतें, सामान आदि।

(३) आरंभ किये जाने वाले कालेज के साथ जोड़े जाने वाले अस्पताल/अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं।

(४) राज्य के अन्दर कालेज को चलाने के लिये अपेक्षित अन्य कर्मचारियों तथा पढ़ाने वाले डाक्टरों की उपलब्धि ;

(५) धन की उपलब्धि; और

(६) जहां कहीं संभव और आवश्यकता हो, पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). भारत सरकार के पास जोधपुर में डाक्टरी कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से कोई प्रस्थापना अभी तक नहीं आई है। चूंकि चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा राज्य विषय है, प्रस्ताव भेजना राज्य सरकार का काम है।

मैसूर में रेलवे लाइनें

†११४६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में कोई नई रेलवे लाइनें बनाई गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सी नई रेलवे लाइनें आरंभ करने का विचार है,

(घ) क्या तीसरी योजना में बंगलौरपूना लाइनों को ब्राड गेज में बदला जायेगा; और

(ङ) तुंगभद्रा आयाकट क्षेत्र से एक रेलवे लाइन निकालने के लिये संभाव्य योजनाएं क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे विकास की योजना, किसी राज्य या प्रदेश वार धारणाओं पर नहीं की किन्तु विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं की आवश्यकताओं तथा विविध क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों द्वारा देश में विभिन्न भागों में पैदा होने वाली सम्भावित रेल परिवहन की मांगों को ध्यान में रखते हुए, नहीं की जाती। नई लाइनें चुनते समय, संसाधनों, वित्तीय एवं सामान दोनों, की समूची स्थिति भी महत्वपूर्ण पहलू होता है। चूंकि उपलब्ध साधन बहुत सीमित हैं, पहली और दूसरी योजनाओं में मैसूर राज्य में नई लाइन बनाना संभव नहीं होगा।

(ग) मैसूर राज्य में पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाली निम्न नई लाइनें तीसरी पंचवर्षीय योजना के रेलवे कार्य क्रम में शामिल हैं :—

(१) मंगलौर—हासन

(२) बंगलौर—सलेम

(घ) पूना बंगलौर लाइन के पूना-मिराज सैक्शन को ब्राडगेज में बदलने का मामला विचाराधीन है।

(ङ) ऐसी कोई लाइन तीसरी योजना के अन्दर नई लाइन बनाने के रेलवे कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

स्मारक टिकट

†११४७. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कर्नाटक में १२वीं सदी के अस्पृश्यता तथा मानवता के प्रथम सुधारक श्री बसेश्वर के शताब्दि टिकट डाक विभाग द्वारा जारी किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां।

(ख) भारत के समाज सुधारकों के विशिष्ट प्रकार के टिकट जारी किये जाने के सिलसिले में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाने वाला है। ये टिकट जारी करने में कुछ समय लगेगा जैसा कि लोक सभा में ३० अप्रैल १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर में पहले बताया जा चुका है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में इंजनों का खराब हो जाना

†११४८. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ अप्रैल, १९६२ को दक्षिण-पूर्व रेलवे में ६ रेलगाड़ियों के इंजन खराब हो गये थे ;

(ख) क्या यह खराब किस्म के कोयले के कारण हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कई रेलों में अभी हाल इंजनों की खराबी इस कारण वढ़ गयी है कि उन में गिरे हुए स्तर का कोयला काम में लाया जाता है ; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या राय है ?

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १८ अप्रैल, १९६२ को ५ रेल गाड़ियों के इंजन बेकार हो गये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) केवल उत्तर पूर्व और दक्षिण रेलवे में, गिरे हुए स्तर के कोयले के इस्तेमाल के कारण इंजनों की खराबी में कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई है ।

(घ) इंजनों की खराबी में वृद्धि मुख्यतः इस कारण हुई कि रेलवे के पास घटिया किस्म का कोयले का स्टाक था और सामान्यतया निम्न श्रेणी की सेवाओं में इस्तेमाल किया जाने वाला घटिया दर्जे का कोयला सवारी गाड़ियों और सीधे जाने वाली मालगाड़ियों में इस्तेमाल करना पड़ा जिसका नतीजा बुरा हुआ । रेलवे के पास कोयले का स्टाक साधारणतया अक्तूबर से मार्च तक की अवधि में कम हो जाता है जब कि दूसरे यातायात के लिए और अधिक माल डिब्बे दिये जाते हैं । इस साल गोआ के संकट के कारण और देश में असाधारण शीत लहर के कारण स्थिति और बिगड़ गई जिससे कोयले की सप्लाई बहुत कम हो गई थी ।

अब इस बीच रेलवे ने काफी स्टाक इकट्ठा कर लिया है और रेलवे को दिये जाने वाले कोयले की किस्म सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सेना लेखा विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारियों को दिया गया लाभ

†११४९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना लेखा विभाग के छंटनी किये गये उन कर्मचारियों को जिन्हें रेलवे में समान पदों पर रख लिया गया था, वेतन का वही लाभ दिया गया था जो अन्य मंत्रालयों में दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उनकी मूल वरिष्ठता भी दी गयी थी जैसा कि अन्य मंत्रालयों में दी गयी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता उन आदेशों के अनुसार निर्धारित नहीं की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि सेना लेखा विभाग के छंटनी किये गये उन कर्मचारियों की, जो रेलवे में समान श्रेणियों में काम कर रहे हैं, वरिष्ठता निर्धारित करने में उपर्युक्त आदेशों को कार्यान्वित करने में किन कारणों से देर हुई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । फिर भी यदि वे ७० प्रतिशत युद्ध रक्षित स्थानों पर भरती किये गये हों तो उनकी पिछली नौकरी वरिष्ठता के लिए गिनी जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मौसम समाचार

११५०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के ऋतु विज्ञान विभाग की ओर से जनता के लाभ के लिये जो दैनिक मौसम बुलेटिन प्रकाशित किये जाते हैं उनमें से पिछले तीन महीनों में कितने बुलेटिन अंग्रेजी में तथा कितने भारतीय भाषाओं में जारी किये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश बुलेटिन अंग्रेजी में ही जारी किये जाते हैं ;

(ग) साधारण जनता के लाभ के लिये क्या इन बुलटिनों को नियमित रूप से भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने की कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक उसे कार्य रूप में परिणत किया जायेगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऋतु विज्ञान विभाग की ओर से किसानों के लाभ के लिये पहले मौसम रेखा चित्रों का एलबम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाता था ; और

(ङ) कब से उसके पुनः प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जनवरी, फरवरी और मार्च, १९६२ के दौरान में ८,५२९ रोजाना के मौसम बुलेटिन और २,५५३ खास मौसम बुलेटिन (तारों के जरिए) सिर्फ अंग्रेजी में जारी किए गए।

(ख) और (ग) डिपार्टमेंट बुलेटिनों को अंग्रेजी में जारी करता है लेकिन आल इंडिया रेडियो स्टेशन इनका मुख्तलिफ प्रदेशों की जुबानों में तर्जुमा करके ब्रोडकास्ट करते हैं। हिंदुस्तानी जुबान के अखबार इन बुलेटिनों को मुख्तलिफ़ खित्तों की जुबानों में भी शाया करते हैं। डिपार्टमेंट को इन बुलेटिनों को हिंदुस्तानी जुबानों में जारी करने की कोई मजीद तजवीज नहीं है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। इन एलबमों को खास तौर पर अग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूटशन वगैरह छान बीन के काम में लाते हैं और ये रास्ते किसानों के इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती हैं।

पानी का दूषित हो जाना

†११५१. डा० क० ल० राव : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी को दूषित हो जाने से बचाने के लिए कोई सरकारी विनियमन निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई विधान प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) उड़ीसा सरकार ने "दी उड़ीसा रिवर पौल्यूशन प्रिवेनशन ऐक्ट, १९५३" बनाया है जिसके अधीन कारखानों के द्वारा नदियों में गन्दगी आदि बहाने के बारे में विनियमन बनाये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का संख्या ६३) के उपबन्धों के अधीन एक "ऐफ्लूएन्ट बोर्ड" कायम किया है। दूसरे राज्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

में पब्लिक हैल्थ ऐक्ट, फैक्टरीज़ ऐक्ट, १६४८, म्यूनिसिपल ऐक्ट, आदि के उपबधों के प्रयोग से या जलदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करके यह उद्देश्य पूरा किया जाता है।

भारत सरकार ने भारत में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के मार्गदर्शन के लिए विदेशों में लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रथाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने तथा एक प्रारूप पुस्तिका तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। यह समिति गन्दगी इकट्ठी करने तथा उसके निबटारे की समस्याओं और नदियों तथा समुद्रतट का पानी गन्दा हो जाने से सम्बधित समस्याओं की छानबीन करेगी और साथ ही गन्दगी को संतोषपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये और नदी तथा समुद्रतट के दूषण पर प्रभावोत्पादक नियंत्रण के लिए साधारण प्रमापों और विशिष्टि का सुझाव देगी।

(ख) अभी फिलहाल केंद्रीय सरकार कारखानों आदि द्वारा नदियों में गन्दगी बहाये जाने के विनियमन के लिए कोई विधान प्रस्तुत करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सुपारी

†११५२. **श्री विघे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१–६२ में देश में सुपारी का कितना उत्पादन हुआ और कितने एकड़ जमीन में सुपारी की खेती हुई ;

(ख) उसी अवधि में कितनी सुपारी विदेशों को भेजी गयी ; और

(ग) सुपारी का उत्पादन बढ़ाने की क्या संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १६६१–६२ में सुपारी के उत्पादन और उसकी खेती के क्षेत्रफल से सम्बन्धित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १–४–१६६१ से ३१–१–१६६२ तक की अवधि में ६४.१ मेट्रिक टन (सिर्फ ३१–१–१६६२ तक ही आंकड़े उपलब्ध हैं)

(ग) १६६०–६१ में सुपारी का उत्पादन ६३,००० टन से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १,००,००० टन तक बढ़ाने की योजना है।

अस्पतालों में इस्तेमाल किये जाने वाले मिकस्चर

†११५३. **श्रीमती विमला देवी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में यह प्रथा है कि उन्हें दैनिक कार्य के रूप में अनेक स्टाक मिक्सचर सप्लाई किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आधुनिक दवाइयों में इन मिक्सचरों का स्थान बहुत ही सीमित है ;

(ग) क्या इन स्टाक मिक्सचरों की ऐसी नियमित सप्लाई से जनता का धन व्यर्थ नष्ट होता है जिसका उपयोग अन्य अधिक आधुनिक और पेटेन्ट दवाइयों के लिए किया जा सकता है ; और

(घ) क्या सरकार विशेषज्ञों की सलाह से इस तरीके को बदलने के सवाल पर विचार करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) कई सामान्य बीमारियों के लिए प्रमाण-सिद्ध प्रभावोत्पादकता के सूत्र के अनुसार तैयार किये गये स्टॉक मिक्सचर रखने की पुरानी प्रथा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं। उनका चिकित्सा विषयक महत्व बहुत अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली डिवीजन में बिना टिकट यात्रा

†**११५४. श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६२ की पहली तिमाही में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा कितने बार जांच पड़ताल की गयी; और

(ख) कितने लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और उनसे कितना जुर्माना वसूल हुआ ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २३।

(ख) इन जांच पड़तालों में ७६८ व्यक्ति बिना टिकट या गलत टिकट के साथ सफर करते हुए पकड़े गये और उनसे ८,३०४ रुपये ७० नये पैसे जुर्माने के तौर पर वसूल किये गये।

फिरोजपुर डिवीजन में बिना टिकट यात्रा

†**११५५. श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६२ की पहली तिमाही में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा कितने बार जांच पड़ताल की गयी; और

(ख) कितने लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और उनसे कितना जुर्माना वसूल हुआ ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १६।

(ख) इन जांच पड़तालों में ४१६ व्यक्ति बिना टिकट या गलत टिकट के साथ सफर करते हुए पकड़े गये और उनसे ३,४८१ रुपये ०७ नये पैसे जुर्माने के तौर पर वसूल किये गये।

इंडियन सोसाईटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकानामिक्स, बम्बई

†**११५६. श्री पु० र० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रिकल्चरल इकानामिक्स, बम्बई, को कोई अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो १६५१ से हर साल कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) क्या सरकार ने इस संस्था के कार्य का मूल्यांकन किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रिकल्चरल इकानामिक्स, बम्बई, को सिर्फ १६५३-५४

†मूल अंग्रेजी में

से ही अनुदान दिया गया था जो इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५३—५४ .	२०,०००
१९५४—५५ . . .	२०,०००
१९५५—५६ से १९६१—६२ तक . . .	५०,००० प्रति वर्ष

१९६२—६३ के बजट में भी ५०,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) इस संस्था में देश के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जो इसके कामकाज की जांच-पड़ताल करते हैं और इस संस्था की कार्यपालिका समिति में इस मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हैं। अनुसन्धान कार्यक्रम समिति नियमित रूप से इस संस्था के काम की समीक्षा करती है।

स्कूटर रिक्शाओं के लिये टैक्सी वाले मीटर

†**११५७. श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूटर रिक्शाओं पर टैक्सी वाले मीटर लगवाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रगति की है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मेसर्स सुजान सिंह और मीटर ट्रेडर्स, बम्बई, नामक दो फर्मों ने ऑटो-रिक्शाओं के लिए किराये के मीटर सप्लाई करना मंजूर किया है। राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली ने उनसे कहा है कि (१) वे नमूने के मीटरों की जांच विक्टोरिया जुबिलि टेक्निकल इंस्टिट्यूट, बम्बई, से करवा लें और (२) वे इस बात का प्रमाण दें कि जापान से ३,५०० मीटर आयात करने के लिए उनके पास लाइसेंस हैं। जब इन फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये मीटरों के बारे में उपर्युक्त इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट मिल जायगी और वह फ़र्में आवश्यक प्रलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तब वह प्राधिकार इस मामले पर और आगे विचार करेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में पलिया कलान से हसनपुर कटौली तक रेलवे लाइन

†**११५८. श्री बा० वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जिला खेरी में तहसील निघासन में पलिया कलान से हसनपुर कटौली या और किसी जगह तक एक नयी पूर्वोत्तर रेलवे लाइन बनाने की योजना थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उस स्थान का कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित की जायगी?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बेलघोरिया (पूर्व रेलवे) में महिलाओं के लिये प्रतीक्षा स्थान (वेटिंग शैड)

†**११५९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में बेलघोरिया में योजाना उपनगरों में आने जाने वाले यात्रियों की संख्या दूसरे क्रम में सब से अधिक है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बेलधोरिया में महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) के साथ साथ कोई तीक्षा स्थान (वेटिंग शैड) न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब दी जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) बेलधोरिया में वेटिंग शैड और महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय पहले से मौजूद है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनाज की बरबादी

†११६०. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हर साल जानवर (चूहे, चिड़ियां, बन्दर आदि) कितना अनाज बरबाद करते हैं;

(ख) पिछले पांच साल में कितना अनाज बरबाद हुआ; और

(ग) इस बरबादी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) चूहों और लोमड़ियों का नियंत्रण करने के लिए राज्य बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ पैमाने पर नियंत्रण आन्दोलन संगठित किये गये हैं या नियमित रूप से संगठित किये जा रहे हैं। कुछ राज्यों में बन्दर पकड़ने वाले व्यक्तियों को नकद नाम के आधार पर बन्दरों के नियंत्रण की योजनाओं को प्रयोगात्मक रूप में कार्यान्वित किया गया था लेकिन वह योजनाएं सफल नहीं हुईं और इसलिए रद्द कर दी गयीं। कई क्षेत्रों में, जंगली और आवारा पशु भी अनाज की फसलों आदि की बरबादी के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार ने एक योजना मंजूर की है जिसके अधीन ऐसे पशुओं को प्रशिक्षित कर्मचारी पकड़ लेते हैं और व पशु पशु-पालकों और गोसदनों को बेच दिये जाते हैं। बन्दरों और जंगली तथा आवारा पशुओं को नष्ट करने में धार्मिक भावना अक्सर एक कठिनाई सिद्ध हुई है। चिड़ियों के सम्बन्ध में उन्हें भगाने के आधुनिक तरीकों का उपयोग कर फसलों का नुकसान रोकने की कोशिश की जा रही है।

सिंचाई के अधीन खेती की जमीन का क्षेत्रफल

†११६१. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी फिलहाल खेती की कितने प्रतिशत जमीन में सिंचाई की जाती है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी जमीन में सिंचाई की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९६१–६२ में सिंचाई के अधीन वास्तविक क्षेत्रफल कुल कृषि योग्य जमीन के क्षेत्रफल का १४.७ प्रतिशत था।

(ख) अनुमान है कि तीसरी योजना के दौरान, बड़ी और मंझली सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त १२८ लाख एकड़ (कुल) जमीन में और छोटी सिंचाई योजनाओं से और १२८ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिट्टी का सर्वेक्षण

†११६२. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में मिट्टी का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण करेगी; और

(घ) सर्वेक्षण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार द्वारा अखिल भारत मिट्टी और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण योजना के अधीन और राज्य सरकारों द्वारा भी मिट्टी का सर्वेक्षण किया गया है । भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत वर्ष १६५६—६२ के दौरान १७६ लाख एकड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया जिसमें से लगभग ३० लाख एकड़ मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्र में है और लगभग १४६ लाख एकड़ अन्य क्षेत्र में, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

नदी घाटी जलागम क्षेत्र	(लाख एकड़)
१. भाखड़ा-नंगल	४.०१
२. चम्बल	४.६६
३. मचकुण्ड	५.७२
४. हीराकुण्ड	१५.६२
कुल	३०.०४

अन्य क्षेत्र	(लाख एकड़)
१. आन्ध्र प्रदेश	३३.६१
२. केरल	६.८१
३. महाराष्ट्र	३०.४६
४. मैसूर	२५.६०
५. मध्य प्रदेश	१.८३
६. मद्रास	१५.८३
७. उड़ीसा	७.५६
८. पंजाब	२.२७
६. राजस्थान	३.३८
१०. उत्तर प्रदेश	०.५५
११. पश्चिम बंगाल	४.७२
१. अन्दमान	६.०२
२. दिल्ली	२.३२
३. उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफ़ा)	०.४६
४. त्रिपुरा	४.२०
कुल	१४८.६८

†मूल अंग्रेजी में

अब तक प्राप्त योजनाओं के अनुसार राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत लगभग २५ लाख एकड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण दिया गया जिसका व्यौरा निम्न प्रकार है :

राज्य का नाम	(लाख एकड़)
१. बिहार	०.७६
२. महाराष्ट्र	८.०९
३. मैसूर	१.२६
४. उड़ीसा	२.५२
५. उत्तर प्रदेश	०.०७
६. दामोदर घाटी निगम	१२.६५
कुल	२५.३५

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खाद्यान्नों का आयात

†११६३. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल कितने खाद्यान्न का आयात किया गया ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : क्रमशः लगभग ११५ और १८३ लाख मीटरिक टन ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर पुल

†११६४. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे पर औंड़िहार जंक्शन से बनारस को जाने वाली गाड़ियों के लिये रेलवे लाइन पर केवल एक पुल बनाया गया है; और

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर औंड़िहार जंक्शन पर गोरखपुर और छपरा की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिये साथ ही रेलवे लाइन पर पुल बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नेफा में क्षय-रोग

†११६५. **श्री डा० एरिंग** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेषतः नेफा (उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण) में क्षय रोग बढ़ रहा है और परिणामस्वरूप अधिकांश रोगियों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता;

(ख) इसको सर्किल और ग्राम्य स्तर पर रोकने के लिये सरकार क्या क्रियाकारी उपाय करेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय उत्पादित रोगाणु-नाशक औषधियां इतनी ही महंगी हैं जितनी कि विदेशी औषधियां ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं। जहां तक हम जानते हैं ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है जिससे यह समझें कि देश में, नेफ़ा समेत, क्षय रोग बढ़ रहा है। अब तक किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग १.५ से २ प्रतिशत तक की दर चल रही है। सभी क्षय रोगियों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर क्षय रोगी पलंग पर्याप्त संख्या में नहीं हैं।

(ख) एक व्यापक 'राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम' बनाया गया है और इसको केन्द्रीय सरकार के व्यय पर राज्यों/संघीय प्रशासनों में लागू किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम में सामहिक रूप से बी० सी० जी० के टीके लगाना, घर पर चिकित्सा के विस्तार पर जोर देते हुए क्षय रोग रुजालय और प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना और घनी बस्ती वाले घरों में रहने वाले छूत के रोगियों के लिये अधिक संख्या में पृथक् विस्तर रखना।

क्षय रोग नाशक स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई० एन० एच० और पी० ए० एस० औषधियां भारत में बनाई जा रही हैं। भारत में बनाई गयी स्ट्रेप्टोमाइसिन का मूल्य ब्रिटेन की अपेक्षा लगभग ३० प्रतिशत कम है। अन्य दो औषधियों के मूल्य कुछ अधिक हैं।

कोरटी के समीप कृष्णा नदी पर पुल

†११६६. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली-शोलापुर राज्य राजपथ पर कोरटी के समीप कृष्णा नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर मैसूर सरकार और भारत सरकार के बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). प्रस्तावित पुल की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य में अन्तर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व की राज्य-सड़कों के विकास के लिये सहाय-अनुदान के लिये मैसूर सरकार द्वारा दिये गये प्रस्तावों में शामिल किया गया है। प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजपथ

†११६७. { श्री रा० गि दुबे :
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होस्पत के रास्ते शोलापुर-चित्रदुर्ग राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण के लिये कितना धन रखा गया है ; और

(ख) अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल मे लगभग ७५ लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

(ख) अभी विकास-कार्य शुरू नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीतीमनी रेलवे स्टेशन के पुल का स्थानान्तरण

†११६८. { **श्री ए० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित अपर कृष्णा घाटी परियोजना को देखते हुए हुबली-शोलापुर लाइन पर सीतीमनी रेलवे स्टेशन पर वर्तमान रेलवे पुल को वहां से हटाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो नये पुल की क्या लागत होगी और कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) कृष्णा नदी पर वर्तमान रेलवे पुल के नीचे की ओर मैसूर सरकार द्वारा एक बांध के प्रस्तावित निर्माण से बांध द्वारा बनाये गये जलाशय में सीतीमनी स्टेशन के समीप पुल समेत रेलवे लाइन का एक भाग जलमग्न हो जायेगा और इससे लगभग १३ मील लम्बी रेलवे लाइन को दूसरी ओर बनाने और कृष्णा नदी पर नया पुल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह मामला अभी योजना आयोग और सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय के परामर्श से परीक्षणाधीन है।

(ख) इस समय नये पुल आदि की लागत के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

हुबली से शोलापुर तक मीटरगेज लाइन को बदलना

†११६९. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागलकोट में सीमेन्ट कारखाने के विस्तार, ऊंची किस्म के मैंगनीज-अयस्क के परिवहन और व्यापार तथा वाणिज्य में सामान्य वृद्धि को देखते हुए हुबली से शोलापुर तक मीटर-गेज लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैसूर राज्य में भू-भौतिकीय जांच-पड़ताल

†११७०. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बीजापुर के अकाल पीड़ित जिलों के कुछ क्षेत्रों की, भूमिगत जल को निकालने की सम्भावनाओं का पता लगाने के ख्याल से भू-भौतिकीय जांच पड़ताल की गयी है ;

(ख) क्या मैसूर राज्य के इन्दीताल बीजापुर जिले में माननकलगी के समीप एक अन्वेषणात्मक नल-कूप बनाने के आदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) जी हां। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष १९५५-५६ में बीजापुर जिले में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया। बड़ी मात्रा में भूमिगत पानी के मिलने की सम्भावना कम बताई गयी।

(ख) तथापि, इन्दीताल बीजापुर जिले में मानकलगी के समीप एक स्थान छिद्रण की सिफारिश की गयी क्योंकि इससे भूमिगत पानी मिलने की कुछ सम्भावना है।

(ग) इस सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आलनावर-डांडेली सेक्शन का सुधार

†११७१. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री स० ब० पाटिल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डांडली में उद्योगों के विकास के कारण बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए आलनावर-डांडली सेक्शन को अपने हाथ में लेने और उसका सुधार करने का कोई प्रस्ताव है?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी): इस लाइन को, जो इस समय मैसूर सरकार की है और इस पर रेलवे मन्त्रालय द्वारा काम किया जाता है, अपने हाथ में लेने का फैसला किया जा चुका है। जैसे ही भारत सरकार को इसका स्वामित्व मिल जायेगा, जिसके लिये राज्य सरकार, जिनको जुलाई, १९६१ में लिखा गया था, से सहमति अभी प्रतीक्षित है, सेक्शन पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे।

गोहाटी को बिजली का संभरण

†११७२. श्री लीलाधर कटकी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उमत्रु नदी परियोजना में सूखा के कारण जल के बहाव में कमी के कारण गोहाटी नगर को बिजली के सम्भरण पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है; और

(ख) अस्थायी और स्थायी तौर पर क्या उपाय किये गये हैं?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) इस बारे में आसाम राज्य बिजली बोर्ड/आसाम सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी है।

कोटा रेलवे क्वार्टरों में स्थित मिशनरी स्कूल

११७३. श्री बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा (राजस्थान) के रेलवे यार्ड में कुछ रेलवे क्वार्टर ऐसे हैं, जिनमें ईसाई मिशनरी स्कूल चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये स्कूल वहां कब से चलाये जा रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या इनको खाली करा कर रेलवे कर्मचारियों को ये क्वार्टर देने की कोई व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) कोटा के सोफिया मिशन स्कूल को दो यूनिट क्वार्टर पट्टे पर दिये गये हैं।

(ख) १९६० से।

(ग) चूंकि क्वार्टर कब्रिस्तान के पास एकान्त जगह में बने हुए हैं, इसलिये कर्मचारी उनमें रहने में हिचकते हैं।

आसाम में डाक तथा तार सेवाओं में भर्ती

†११७४. { **श्री स्वैल** :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग (आसाम) के निदेशक ने स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचित किया है कि आसाम में डाक तथा तार सेवाओं में भर्ती के लिये निम्नलिखित विषयों में परीक्षा ली जावेगी : (१) अंग्रेजी; (२) गणित; (३) भूगोल; और (४) प्रादेशिक भाषा (असमी);

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिसूचना से सरकार के इस निदेश का उल्लंघन नहीं होता कि भर्ती के लिये प्रादेशिक भाषा में परीक्षा लेना आवश्यक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी, नहीं। इस समय क्लेरिकल श्रेणी में भर्ती के लिये अभ्यार्थियों की परीक्षा भर्ती से पूर्व निम्न विषयों में ली जायेगी ;

(१) अंग्रेजी; (२) गणित; और (३) सामान्य ज्ञान (भूगोल और प्रतिदिन के विज्ञान समेत)। भर्ती की प्राथमिक अवस्था पर किसी भी भारतीय भाषा में परीक्षा नहीं ली जाती परन्तु सफल उम्मीदवारों की जो भर्ती-क्षेत्र की भाषा नहीं जानते उस भाषा में भर्ती के बाद परीक्षा ली जायेगी। सामान्य ज्ञान के पत्र के विस्तार के प्रश्न और इस बात पर की भाषा में परीक्षा कब ली जानी चाहिये, अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंचायती राज

†११७५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ के आरम्भ में मसूरी में की गयी पंचायती राज में सरकारी प्रशासन सम्बन्धी गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले और क्या सिफारिशें की गयीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):** (क) से (ग) गोष्ठी में पंचायती राज में सरकारी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। कई मामलों पर राय एकमत थीं। नीति निर्धारित करते समय इसमें की गयी चर्चा और उठाये गये प्रश्नों पर निस्सन्देह विचार किया जायेगा। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें गोष्ठी के दौरान उठायी गयी प्रमुख बातों का सार दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]** ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारी

†११७६. **श्रीमती जियाबेन शाह:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीयकरण के बाद विलिंगडन अस्पताल में नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों की पहले की सेवा को उनको निवृत्ति-वेतन लाभ देने के लिये नहीं माना जा रहा है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारी एक स्थानीय निधि के अधीन नियोजित किये गये थे, जिस पर सरकार का प्रशासन नहीं था, सरकार ने फैसला किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन कर्मचारियों की सेवा को सरकारी सेवा नहीं माना जा सकता।

चेचक के टीके लगाना

†११७७. **श्री जेधे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेचक के टीके लगाने की बृहत् योजना का क्या कार्यकरण है ; और

(ख) अब तक यह योजना किन राज्यों और क्षेत्रों में लागू की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) चेचक उन्मूलन के लिये बृहत् परियोजनायें प्रत्येक राज्य के एक जिले/क्षेत्र में और संघ-राज्य-क्षेत्र दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये आवश्यक प्राथमिक उपायों के भाग के रूप में लागू की गयी। जिन जिलों/क्षेत्रों में ये परियोजनायें लागू की गयीं, वे निम्न प्रकार हैं।

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	जिला/क्षेत्र
१. आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
२. आसाम	कामरूप
३. बिहार	रांची

†मूल अंग्रेजी में

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	जिला क्षेत्र
४. गुजरात	मेहसाना
५. जम्मू तथा काश्मीर	श्रीनगर और अनन्तनाग
६. केरल	कोझिकोड
७. मध्य प्रदेश	दुर्ग
८. मद्रास	चिंगलपट
९. महाराष्ट्र	चांदा
१०. मैसूर	बीजापुर
११. उड़ीसा	बोलनगीर
१२. पंजाब	गुड़गांव
१३. राजस्थान	जयपुर
१४. उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर
१५. पश्चिम बंगाल	बीरभूम
१६. दिल्ली	संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली
१७. हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर जिले की घुमरवीन तहसील

२. दिल्ली संघ-राज्य को छोड़ कर, जहां लगभग २६ लाख व्यक्तियों की समूची जन संख्या को टीका लगाने का प्रस्ताव हैं, ये परियोजनायें, जिन पर सारा धन केन्द्रीय सरकार खर्च कर रही है, मार्च, १९६१ में पूरी हो गयीं। दिल्ली में सामूहिक टीका कार्यक्रम वर्ष १९६२-६३ में पूरा हो जायेगा। चेचक बृहत् परियोजना समिति के प्रतिवेदन, जिसमें इन परियोजनाओं के कार्य का ब्यौरा दिया गया है, की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

क्षय रोग का सर्वेक्षण

†११७८. **श्री जेधे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग के बारे में सांख्यकीय सर्वेक्षण अब तक हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अब तक का उसका क्या ब्योरा है;

(घ) किस राज्य में बी०सी०जी० के टीके लगाये जा रहे हैं और (राज्य-वार) जिन व्यक्तियों को टीका लगाया गया है, उनकी क्या संख्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ राज्य अब भी यह टीका लगाने का आन्दोलन चलाने पर विचार कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो राज्यों के क्या नाम हैं और उसके क्या कारण हैं?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सर्वेक्षण की प्रमुख उपपत्तियां निम्न प्रकार हैं :

१. विभिन्न ज़ोनों में नगरों, कस्बों और गांवों में प्रति १००० व्यक्तियों में 'सक्रिय' और 'संभावित सक्रिय' के लिये चालू दर १३ से २५ तक है ।

२. इन क्षेत्रों में जीवाणुविज्ञान रूप से सक्रिय मामलों की दर प्रति १००० व्यक्तियों में २ से ८ तक है ।

३. नगरों, कस्बों और गांवों में चालू दर लगभग समान है ।

४. विशेषतः ३५ वर्ष से अधिक के आयु-वर्ग में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह रोग कम है ।

५. सामान्यतः चालू दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

६. नगरों में पक्के मकानों में रहने वालों की अपेक्षा कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों में अधिक दर से वहां पर स्वच्छता व सफाई की संभावना का पता चलता है ।

७. 'सक्रिय' और 'संभावित सक्रिय' मामलों में से अधिकांश में बीमारी बढ़ी हुई है ।

८. 'सक्रिय' और 'संभावित सक्रिय' मामलों में से ४ से ३३ प्रतिशत तक निश्चित रूप से खोखलापन[1] पाया गया । यह प्रतिशतता नगरों में सामान्यतः कम है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]

(ङ) जी नहीं । सब राज्य भाग ले रहे हैं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कैंसर, हैज़ा और प्लेग से मृत्यु

†११७६. श्री जेध : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में ३१ मार्च, १९६२ तक भारत में (राज्य-वार) कैंसर, हैज़ा और प्लेग से कितनी मृत्यु हुई ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): कैंसर की घटनाओं के बारे में ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

वर्ष १९६१-६२ में (३१ मार्च, १९६२ तक) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में रिकार्ड की गयी हैजा और प्लेग से मृत्यु की संख्या संलग्न अनुबन्ध में दी गयी हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]

मानसिक रोग

†११८०. श्री जेध : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में भारत में (राज्य-वार) कितने पागल व्यक्ति हैं ;

(ख) इस संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cavitation.

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). क्योंकि देश में मानसिक रोग के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

क्षय रोग और कैंसर के अस्पताल

†११८१. **श्री जेधे** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में (राज्य-वार और रोगियों की क्षमता सहित) कैंसर और क्षय रोग के कितने पूर्णांग अस्पताल खोले गये; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान (राज्य-वार) ऐसे कितने अस्पताल खोले जायेंगे और उन की रोगियों की क्षमता (बिस्तरों की व्यवस्था) क्या होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

मध्य प्रदेश से मक्का का क्रय

†११८२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार ने एक अविलम्बनीय पत्र भेजा है कि राज्य के बाहर के मांडी (स्टार्च) बनाने वालों को मध्य प्रदेश के मक्का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से मक्का खरीदने की अनुमति देने के सम्बन्ध में पुनः विचार करें;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कारण राज्य में मक्का के अत्यधिक मूल्य बढ़ जाने के बारे में विशिष्टतया लिखा है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को क्या परामर्श दिया है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर तथा पश्चिम नीमाड़ ज़िलों में मांडी (स्टार्च) के कारखानों द्वारा बड़े पैमाने पर मक्का की खरीद के परिणामस्वरूप मक्का के मूल्य बढ़ रहे हैं और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इन ज़िलों से मक्का के निर्यात और खरीद पर प्रतिबन्ध लगादे।

(ग) और (घ). स्टार्च फैक्टरियों में बहुत कम भंडार होने के कारण और इन कारखानों के बन्द हो जाने की संभावनाओं के कारण भारत सरकार ने कारखानों को अनुमति दे दी है कि मई १९६२ तक आन्तरिक बाजार से २०,००० टन देसी मक्का खरीद ले परन्तु इस शर्त पर कि इसकी खरीद का क्रम ऐसा हो कि मूल्य बहुत अधिक न बढ़ जाये। मध्य प्रदेश सरकार का पत्र मिल जाने के बाद स्टार्च फैक्टरियों से कहा गया है कि अपनी खरीदारी केवल एक क्षेत्र में ही न करें अपितु देश के मक्का उत्पादक सभी क्षेत्रों से खरीदें। मध्य प्रदेश सरकार को स्थिति बता दी गई है।

स्मारक टिकट

†११८३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्कलमणि पंडित गोयन बन्धु दास की स्मृति में जून के महीने में नये टिकट

†मूल अंग्रेजी में

जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). जी नहीं।

नासिक रोड और कल्याण स्टेशनों के बीच रेलवे क्रासिंग

†**११८४. श्री मा० ल० जाधव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-आगरा रोड पर नासिक रोड रेलवे स्टेशन से कल्याण रेलवे स्टेशन के बीच मध्य रेलवे पर कितने रेलवे क्रासिंग हैं;

(ख) क्या इन रेलवे क्रासिंगों पर ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इनके कब तक बन जाने की आशा है; और

(घ) क्या सरकार जानती है कि ऊपरी पुल न होने के कारण इन रेलवे क्रासिंगों पर भारी यातायात रुक जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) :** (क) तीन

(ख) और (ग). वर्तमान रेलवे क्रासिंगों के स्थान पर ऊपरी/भूमिगत पुल बनाने का काम राज्य सरकार द्वारा करना होता है। रेलवे इन कामों को तब करती है जब राज्य सरकारें नियमों के अनुसार ऐसा करने की सिफारिश करती हैं और लागत का अपना भाग देने की व्यवस्था करती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में नासिक रोड स्टेशन तथा कल्याण स्टेशन के बीच लैवल क्रासिंग के स्थान पर ऊपरी/भूमिगत पुल बनाने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(घ) इन लैवल क्रासिंगों पर सड़क यातायात में अत्यधिक विलम्ब के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बिरमित्रापुर सैक्शन पर रेलवे पुलों में दरारें

†**११८५. श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिरमित्रापुर-मनोहरपुर सैक्शन पर नये बने हुए कितने ही पुलों में दरारें आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण पूरा होने के बाद अधिकारियों को इसका कब पता लगा;

(ग) क्या इस सैक्शन पर सभी प्रकार की गाड़ियों का चलाना खतरनाक घोषित कर दिया गया है; और

(घ) इस पर यातायात नियमित करने के लिए कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). जी नहीं। बिरमित्रापुर-मनोहरपुर सैक्शन पर नये बने हुए किसी भी पुल में दरारें नहीं आई हैं। रुरकेला तथा मनोहरपुर के बीच दोहरी लाइन पर बिना गढ़े हुए पत्थर के टुकड़ों से पुल बनाया था जिसकी

†मूल अंग्रेजी में

मजबूती पूरे स्तर की नहीं थी इसलिए वहां पर प्रति घंटा ३० मील की रफ्तार का प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। रफ्तार प्रतिबन्ध हटाने के लिए इन पुलों को मजबूत करने का प्रस्ताव बना लिया गया है परन्तु इनको पूरा करने में समय लगेगा क्योंकि इस लाइन पर बहुत यातायात होता है और काम को पूरा करने के लिए समय निकालना बड़ा कठिन है। इस लाइन को गाड़ियां चलाने के लिए खतरनाक कभी भी घोषित नहीं किया गया।

रेलवे में पदोन्नति

†११८६. **श्री नम्बियार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग द्वारा बड़ी संख्या में तदर्थ पदोन्नतियों के आदेश दिये जा रहे थे और दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन पदों अथवा पदोन्नतियों की स्वीकृति को रेलवे बोर्ड की पूर्वानुमति मिलती है; और

(ग) इस प्रकार की पदोन्नतियों को समाप्त करने के लिए तथा सामान्य प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। ऐसा सम्बन्धित सामान्य प्रबन्धक कर सकता है।

(ग) चुनाव के आधार पर बनाई गई तालिका बनाने तक आपातकालीन सेवा में तदर्थ प्रबन्ध किये जाते हैं। ऐसे मामले न्यूनतम रखने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री स० मो० बनर्जी और श्री राम सेवक यादव ने रेल-ट्रक टक्कर के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर श्री बागड़ी ने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने की सूचना दी है। श्री बागड़ी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री बागड़ी (हिसार) : महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९७ के अन्तर्गत मैं ११ मई को अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेलवे **मंत्री** का ध्यान दिलाने और मंत्री महोदय से उस पर एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करने की सूचना **देना** चाहता हूं :

> दिनांक १०-५-६२ को हरिश्पुर रेलवे क्रासिंग के समीप दन्डल रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर माल गाड़ी और मोटर ट्रक भिड़ने के फलस्वरूप चार आदमी उसी जगह मर गये और दो सख्त घायल हुए जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गयी। इस घटना से जनता में गहरी चिन्ता व अविश्वास है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बयान दें इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : उससे पहले नहीं ।

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : अंडाल के पास रेल के फाटक पर टक्कर हुई ।

श्री बागड़ी : मैंने हिन्दी में काल एटेंशन किया । अगर उसका जवाब हिन्दी में नहीं होगा तो मैं नहीं समझूंगा । और अगर मैं नहीं समझूंगा तो मेरे बैठने से क्या लाभ ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह नहीं समझेंगे तो मैं उनको समझाने का यत्न करूंगा ।

श्री रामसेवक यादव : माननीय सदस्य ने हिन्दी में अपना कालिंग एटेंशन नोटिस दिया और मंत्री महोदय श्री शाहनवाज़ खां उत्तर प्रदेश से आते हैं और वह अच्छी हिन्दुस्तानी जानते हैं । कुछ समय पहले एक माननीय सदस्य ने जब तमिल में सवाल किया था तो उसको दूसरे माननीय सदस्य ने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था । मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं । मंत्री महोदय हिन्दी में जवाब दें और जो हिन्दी नहीं जानते उन के लिए उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाये तो अच्छा होगा ।

†**श्री शाहनवाज खां:** श्री बनर्जी के स्थगन प्रस्ताव की सूचना अंग्रेजी में थी । मैंने उत्तर अंग्रेजी में तैयार किया हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो उसे पढ़ा जाये ।

श्री राम सेवक यादव : माननीय मन्त्री हिन्दी में उत्तर दें और उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया जाये ।

†**श्री शाहनवाज खां** : अंग्रेजी में पढ़ने के बाद, मैं इसको अनुवाद हिन्दी में कर दूंगा ।

६–५–६२ को पूर्व रेलवे में अंडाल स्टैशन के निकट समपार के फाटक पर माल डिब्बों और एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई ।

पन्दवेश्वर से अंडाल जाने वाली डाउन पन्दवेश्वर कोल पायलट (जिसमें ७६ माल डिब्बे और २ इंजन लगे थे) जो ग्राण्ड ट्रंक रोड पर अंडाल के निकट के समपार के फाटक पर रुकी हुई थी फाटक के सिगनल के झुक जाने पर लगभग २०.०० बजे चल पड़ी । कोयला गाड़ी का अगला हिस्सा जिसमें ४६ भरे हुए तथा २ खाली माल डिब्बे थे और आगे दो इंजन लगे थे, समपार के फाटक को पार कर गया । २८ भरे हुए माल डिब्बे और एक ब्रेक का डिब्बा पीछे रह गये । फाटक पर नियुक्त लीवरमैन ने जिसे यह मालूम नहीं था कि मुख्य गाड़ी आधी ही निकली है, सड़क यातायात के लिये फाटक खोल दिया । इसके तुरन्त बाद ही कोयला गाड़ी का पिछला भाग, जिसमें २८ माल डिब्बे और १ ब्रेक का डिब्बा था, अंडाल की तरफ लुढ़क गया । यह देख कर लीवरमैन ने फाटक को पुन: बन्द करने का प्रयत्न किया । जब वह पूर्व की ओर फाटक बन्द कर रहा था तो एक खाली ट्रक फाटक से टकराया और लाइन पर आ गया जिसके परिणामस्वरूप ट्रक और लुढ़कते हुए माल डिब्बे लगभग २०.०३ बजे टकरा गये । ट्रक टूट फूट गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रक में ६ व्यक्तियों में से ४ घटना स्थल पर ही मर गये। दो घायलों में से एक व्यक्ति बाद में मर गया और दूसरे को इलाज के लिये आसनसोल के जनरल अस्पताल में भेज दिया गया है। स्थानीय रेल अधिकारी दुर्घटना के बाद स्थल पर बचाव के लिये पहुंच गये थे कलकत्ता स्थित रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त दुर्घटना के कारण की जांच कर रहे हैं।

एक टक्कर रेलगाड़ी और ट्रक में ६–५–६२ को हुई जबकि पंडावेश्वर कोल पायलेट पंडावेश्वर से अंदल ७६ वैगन्स ले जा रहा था और जिसको कि दो इंजन आगे लगे हुए थे। लेकिन क्रौसिंग गेट का जो सिगनल है उसके ऊपर गाड़ी खड़ी हुई और जब सिगनल डाउन हुआ तो वह गाड़ी वहां से चली। करीबन शाम के ८ बजे जो अगला हिस्सा था जिसमें ४६ वैगन्स थे वह हिस्सा और दो इंजन आगे निकल गये और २८ वैगन्स और ब्रेकवान वहीं पीछे रह गये। जो गीकरमेन लेविल क्रौसिंग गेट के ऊपर ड्यूटी पर था उसने समझा कि पूरी गाड़ी निकल चुकी है और उसने दर्वाजा खोल दिया। इस अर्से में जो २८ वैगन्स वहां पीछे रह गये थे वह अंदल की तरफ चलना शुरू हो गये। गीकरमैन ने देखा कि वह वैगन्स आ रहे हैं, दौड़ कर उसने गेट को बन्द करने की कोशिश की लेकिन वह एक ही तरफ का गेट बन्द कर पाया था कि एक खाली ट्रक आ गया और उनके बीच में टक्कर हो गई। ४ आदमी ६ में से जो उस ट्रक में सवार थे वहीं पर मारे गये बाकी दो अस्पताल में गये। उनमें से एक बाद में मर गया। दूसरे को आसनसोल जनरल अस्पताल में भेज दिया गया। मुकामी रेलवे के अफसरान आसनसोल डिवीजन में जो थे फौरन मौके पर पहुंच गये। एडीशनल कमिश्नर आफ रेलवज़ सेफ्टी कलकत्ता, मौके के ऊपर पहुंच गये हैं और वह उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय . श्री बागड़ी एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से तीन बातों जानना चाहूंगा। पहली चीज तो यह कि जो गेट खुला हुआ रहा तो यह रेलवे की गलती थी और उसकी बिना पर जो ऐक्सीडेंट हुआ और आदमी मारे गये तो क्या रेलवेज ने उन मरने वाले परिवारों को कुछ मुआविजा देने की बाबत निश्चय किया है ? मुआविजा देने के बारे में सोचा जा रहा है या नहीं ?

दूसरी बात यह है कि जितना नुकसाम रेलवेज का हुआ है उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है।

आगे के लिये जो ऐसी खतरनाक जगहें हैं उनके ऊपर या नीचे पुल बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैंने अर्ज किया है ऐडीशनल कमिश्नर आफ रेलवेज सेफटी इस दुर्घटना की पड़ताल कर रहे हैं। जब उनकी रिपोर्ट मिल जायगी तो फिर उन तमाम सवालात का जो कि उन्होंने किये हैं कि जो लोग मारे गये हैं उनकी फैमिलीज को कोई मुआविजा मिलेगा या नहीं, या दुर्घटना की जिम्मेदारी किस की है, यह तमाम चीजें जो हैं,उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद, उनके ऊपर गौर किया जायगा...........

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, खुद रेलवेज के आदमी ....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न पूछा अब वह उसका उत्तर तो सुन लें।

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खां: रेलवे क्रौसिंग के ऊपर ओवर ब्रिज या अण्डर ब्रिज बनाने के बारे में रेलवे मिनिस्ट्री की जो पालिसी है उसको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। हमने खुला ऐलान किया हुआ है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा देने को तैयार हो रेलवे मिनिस्ट्री लेबिल क्रौसिंग गेट और ओवरब्रिजेज बनाने के लिए हर वक्त तैयार है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) **:** मन्त्री महोदय ने अभी भी कहा और जब रेल मन्त्रालय पर बहस हो रही थी तब भी यही जवाब दिया था कि राज्य सरकारों से अगर पैसा मिल जाय तो यह बना दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो मन्त्री महोदय या रेल मन्त्रालय की ओर से राज्य सरकारों से सहायता लेने और उन पर पुल बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है या की गई है?

श्री शाहनवाज खां : हमने सब राज्य सरकारों को लिखा है कि जहां जहां वह लेबिल क्रौसिंग गेट्स के ऊपर ओवरब्रिजेज बनवाना चाहते हैं वह हम को लिखें और बशर्ते कि वह अपना हिस्सादेने को तैयार हों हम इस चीज की मंजूरी दे देंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) **:** मैं यह जानना चाहता हुं कि इस दुर्घटना में न्यायिक जांच की जायेगी और क्या वह न्यायपालिका अधिकारी के दारा होगी ?

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, और आप नहीं कर सकते।

श्री रामसेवक यादव : मेरा भी नाम है और मैंने भी ऐडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सवाल करने की इजाज़त दी है।

श्री रामसेवक यादव : वह तो कौलिंग एटेंशन मोशन पर था। यह तो ऐडजोर्नमेंट मोशन है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त संचार मन्त्रालय के पदाधिकारी हैं और उनकी जांच बिल्कुल स्वतन्त्र होगी। न्यायिक जांच नहीं होगी।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनायें रोज घटती हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि धनबाद में हुई और ५ तारीख को रेलगाड़ी के अन्दर चोरी हुई और हत्याएं होती रहती हैं और आज की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिये केवल मन्त्री महोदयसे कोलिंग एटेंशन, शौर्ट नोटिस क्वैश्चन या साधारण क्वैश्चन के जरिए जवाब लेना और उनका यह कह देना कि जांच होगी, इससे श्रीमन्, काम नहीं चलेगा। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इस पर बहस न हो और मन्त्रालय को इस पर कंडैम न किया जाय ताकि इस तरह की घटनाएं न हों, काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहस चलाई जाय ....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। पहली चीज तो मुझे यह कहनी है कि जो यह हिन्दी और अंग्रेजी के सवाल पर हर वक्त जोर दिया जाता है वह मुनासिब नहीं है कोशिश यह नहीं की जाती कि काम किसी तरह से बढ़े मगर जिद इस बात की की जाती है कि जवाब या सवाल हिन्दी में हो या इसमें हो। मने देखा कि अभी जब अंग्रेजी में जवाब दिया जा रहा था तो श्री बागड़ी बहुत ध्यान से कान में ईयरफोन लगाये सुन रहे थे और मैं उससे यही नतीजा निकाल सकता हूं कि वह उसको समझ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अभी परसों या चौथ जो अर्जी दी थी वह अंग्रेजी में लिख कर दी थी और उससे भी यही नतीजा निकलता है कि माननीय सदस्य अंग्रेजी समझते हैं लेकिन वह इसकी कोशिश नहीं करना चाहते

†मूल अंग्रेजी में

कि जो बात कही जा रही है उसको समझें चाहे वह अंग्रेजी में हो या हिन्दी में क्योंकि हर एक मेम्बर को यह हक हासिल है कि चाहे तो हिन्दी म बात करे या अंग्रेजी में करे। अब दूसरा कोई मान नीय सदस्य उसको नहीं समझता है तो उनको जल्दी से जल्दी समझने का यत्न करना चाहिए। उसे सीखना चाहिए और समझनेकी कोशिश करनी चाहिये ताकि वह मतलब समझ जाये। अब अगर किसी मान-नीय सदस्य को अभी समझ में नहीं आता है तो वर्क की प्रोग्रेस के लिये जो उनके नजदीक मेम्बर बैठे हों उनसे समझने की कोशिश करें। मगर यहां ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि इसमें नहीं दूसरी भाषा में जवाब दिया जाये। अब इस बेकार की जिदबाजी में कितना समय बर्बाद होता है। एक, एक मिनट का पार्लियामेंट का जो समय है उस पर हम कितना कौम का रुपया खर्च करते हैं इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ....

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आवश्यक है और........

अध्यक्ष महोदय : अब आप मुझे अपनी बात पूरी करने की इजाजत देंगे या नहीं।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मुझे जाति जवाब देना है ......

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। यह तो मुझे समझ में आ सकता है कि अगर मेम्बर खड़ा हो और स्पीकर बीच में खड़ा हो जायें तो वह बैठ जाये मगर यह मेरी समझ में नहीं आया कि स्पीकर कुछ कह रहा है और बीच में मेम्बर खड़ा हो जाय और यह कहे कि पहले मैं खत्म करूंगा। अब यह तो आप जरा ध्यान रक्खें। आखिर कुछ तो रूल्स होने चाहियें जिनके कि मुताबिक हम अपना यहां काम चलायें।

अब दूसरा सवाल यह आया कि उन्होंने ऐडजोर्नमेंट मोशन के दो नोटिस दिये हैं। इनके सिवाय कौलिंग नोटिस भी हमारे सामने था, जो भी वाकयात गवर्नमेंट के पास मौजद थे इस वक्त वह मारे सामने आ गये। इनक्वायरी इसके बारे में होनी है। सवाल अब यह पैदा होता है कि क्या अभी इस पर डिस्क्शन करने से कोई नये वाकयात इस वक्त सामने आ सकते हैं और क्या डिस्कशन से इस वक्त कोई फायदा होगा? जबकि इसमें अभी हमें यह पता नहीं है कि फेल्योर कहां है? यह चीज इनक्वायरी के नतीजे से पता चलेगी। आज न तो मेम्बर साहब के पास कोई वाकयात हैं और न ही गवर्नमेंट के पास हैं जिससे कि मैं आज इस बारे में बहस की इजाजत दूं और हाउस का कीमत विक्त सर्फ किया जाये। चूंकि और कोई वाकयात इस वक्त सामने नहीं हैं इस वास्ते मैं अपनी मंजूरी एडजोर्नमेंट मोशन्स पर नहीं देता। कौलिंग एटेंशन नोटिस को जो था उस पर हमने जो इनफार्मेशन गवर्नमेंट के पास मौजूद थी, वह ले ली है। मुझे खेद है कि मैं इन स्थगन प्रस्तावों को मंजूर नहीं कर सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं चाहती हूं कि इस दुर्घटना की, जो कि दूसरी गम्भीर घटना है, न्यायक जांच हो, ताकि यह मालूम हो सके कि दोष कहां है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जांच के समाप्त होने के बाद, यदि अग्रेतर चर्चा की आवश्यकता हुई, तो इस पर अवश्य विचार किया जायेगा। यदि दुर्घटनाएं अधिक हुईं, तो सदस्यों को बहस का मौका दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री फ़िजो के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक और दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान

†श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह एक वक्तव्य दे :—

> "श्री फिजो का पूर्वी पाकिस्तान में कथित आगमन और विद्रोही नागाओं के एक और दल का पाकिस्तान की ओर प्रस्थान ।"

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : फिजो के बारे में कोई निश्चित जानकारी देना, मेरे लिये बहुत कठिन है । हमारी सूचना यह है कि श्री फिजो ने ९ मई को लन्दन से जनेवा जाना था, किन्तु वह उस दिन नहीं गये, न ही निश्चित समय पर गये थे । उन्होंने वहां अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास के लोगों ने और अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के विधिवेत्ताओं से भेंट करनी थी किन्तु मालूम हुआ है कि वह ९ की शाम को जनीवा में था । और कल तक वहीं थे ।

अन्य नागाओं के पाकिस्तान जाने के बारे में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है । जो नागा वहां पहले पहुंच चुके हैं उनके लिये आप्रावासी सरकार बनाने की बहुत कम आशा है । वास्तव में पाकिस्तान के एक पत्र में एक लेख था कि वहां नागाओं की उपस्थिति उनके लिये चिन्ताजनक है और उन्हें वापस भारत भेज देना चाहिये । मेरे विचार में यह भी सम्भव नहीं है कि अन्य नागा वहां जा सकेंगे ।

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या फिजो ने नागालैण्ड की सलाहकार परिषद् के कार्यपालिका अधिकारी को एक पत्र लिखा है कि वह नागा विद्रोहियों को क्षमा दें और उन्हें नागालैण्ड की अस्थाई सरकार में प्रतिनिधित्व दें ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†श्री अ० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने इसके लिये कोई पग उठाये हैं कि वह भारत में प्रवेश न करे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि फिजो भारत में आया, तो साधारणतया उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा । किन्तु यदि वह कहीं और चला गया, तो हम कह नहीं सकते ।

गोआ में बम विस्फोट

†श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

> "गोआ में वास्कोडागामा पर नगर निगम की इमारत के हाल में कथित बम विस्फोट"

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सच है कि गोआ में एक स्थान पर बम विस्फोट हुआ था । हम टेलीफोन के द्वारा अग्रेतर जानकारी मंगवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु हम अभी तक सफल नहीं

†श्री नाथपाई (राजापुर) : क्या सरकार मालूम करेगी कि एक गिरोह पुर्तगालियों की ओर से तोड़ फोड़ की कार्यवाही कर रहा है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कह सकता कि गिरोह है या नहीं। किन्तु वही व्यक्ति दोबारा भी बम फेंक सकता है। स्पष्ट है कि वह व्यक्ति वर्तमान प्रशासन के विरुद्ध होगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह बम विशेष रूप से इसलिये रखा गया था क्योंकि गोआ से सैनिक गवर्नर ने वहां समारोह में आना था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि मैंने कहा है हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। समाचार के छोटे छोटे टुकड़े देने से कोई लाभ नहीं होगा।

कलकत्ता में पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञों का अराजनयिक व्यवहार

†श्री हरिविष्णु कामत : (होशंगाबाद) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं :—

'पश्चिम बंगाल द्वारा कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी राजनयविज्ञों के विरुद्ध लगाये गये अराजनयिक एवं आपत्तिजनक कार्यवाही करने के आरोप'

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जब मालदा में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुईं तो पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त ने पश्चिम बंगाल सरकार से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस शर्त पर मान लिया कि उसके कुछ अधिकारी उनके साथ जायें। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया और ५ अप्रैल से ७ अप्रैल तक वहाँ रहे। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनुभव किया है और हमें लिखा है कि उनका व्यवहार राजनयिक प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं था। भारत सरकार ने भी भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग का ध्यान आचरण की ओर दिलाया तथा उन्होंने भी उस आचरण को राजनयिक स्तर से विमुख अनुभव किया। वास्तव में, पाकिस्तानी अधिकारियों के दौरे के तुरन्त बाद मालदा जिले में उत्पात फिर शुरू हो गया।

इसलिए माननीय सदस्य को मेरा उत्तर यह है कि पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त के दौरे से खिंचाव कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त के व्यक्ति कलकत्ता के गोदी क्षेत्र में भी अपनी कार्यवाही कर रहे हैं और क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है कि उन पदाधिकारियों को अमान्य व्यक्ति घोषित किया जाये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे गोदी की कार्यवाही के बारे में मालूम नहीं है। मैं ने स्वयं कुछ नहीं सुना और इस कार्यवाही के लिए किसी को अमान्य घोषित करने का सुझाव नहीं किया गया। अन्य कार्यवाहियों के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक पदाधिकारी को ऐसा घोषित करने का सुझाव दिया था, किन्तु हमारा फिलहाल ऐसा करने का इरादा नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या पाकिस्तानी उच्चायुक्त की कार्यवाही और चीन का पाकिस्तान के साथ समझौता करने से यह शक नहीं होता कि दोनों के बीच भारत के विरुद्ध साजबाज़ करने के लिए गठजोड़ हो रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह अपनी अपनी राय का मामला है। हमें क्या शक है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, किन्तु यह सच है कि चीन और भारत की सरकारों के बीच और पाकिस्तान और भारत के बीच खिचाव है।

चीनी व्यापार अभिकरण से एक भारतीय पुलिस सिपाही पर गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** श्री हेम बरुआ ने जो मामला कल उठाया था कालिम्पोंग में गोली चलने के बारे में, मैं इसके बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। अब मालूम हुआ कि पहले कोई अग्नेयास्त्र प्रयोग नहीं किये गये थे किन्तु एयरगन प्रयोग की गई थी। ऐसा मालूम होता है कि कालिम्पोंग स्थित चीनी व्यापार अभिकरण के सदस्य अपने अहाते में पुलिस के मुख्य कार्यालय की दिशा में एयर राइफलें चलाया करते थे जिसका उद्देश्य संभवतः उनको डराना रहा हो--भूतकाल एयरगनों के छर्रे किसी व्यक्ति को नहीं लगे और हवा में जाकर नीचे गिर पड़े। परन्तु २२ मार्च को जब वैसा किया गया तो एक छर्रा एक पुलिस के सिपाही की जांघ में लगा और उरुको हलका सा घाव आया। ३० मार्च, १६६२ को कालिम्पोंग के उपविभागीय अधिकारी ने इस घटना के सम्बन्ध में चीनी व्यापार अभिकर्ता को विरोध पत्र भेजा। २ मई को चीनी व्यापार अभिकर्ता ने अपने उत्तर में उस आरोप को निराधार बता कर बात खत्म कर दी। हमने काम्पिोंग के उस अधिकारी से कहा है कि वह चीनी व्यापार अभिकर्ता को यह सूचित करे कि उसका उत्तर संतोषजनक नहीं है और यदि भविष्य में उसके अहाते से गोली चलाई गई, तो वह उसके लिए व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार होगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमान्, अविलम्बनीय महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाओं के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछ जाने से बहुत समय लग जाता है। मेरे विचार में इनकी संख्या निश्चित कर देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार १६६२ और विनियोग लेख, १६६०-६१

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, १६६२ **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ६७/६२]**

(२) विनियोग लेख, डाक तथा तार १६६०—६१ **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ६८/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार बोर्ड का गठन और नारियल जटा बोर्ड के प्रमाणित लेखे

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) व्यापार बोर्ड के गठन के बारे में वक्तव्य **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १०१/६२]**

(२) नारियल जटा उद्योग अधिनियम १९५३ की धारा १७ के उप-धारा (४) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड एरनाकुलम के वर्ष १९५९-६० के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १०२/६२]**

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियम

†**वित्त उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : आयकर अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत मैं निम्न नियमों की एक एक प्रति पटल पर रखती हूं :

(१) दिनांक २० मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९५५ में जो कि दिनांक ५ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३७० द्वारा शुद्ध की गई है, प्रकाशित आयकर (प्रमाणीकरण प्रक्रिया) नियम, १९६२ **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ९९/६२]**

(२) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना एस० ओ० ९६९ में जो कि दिनांक ७ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या १३०१ द्वारा शुद्ध की गई है, प्रकाशित आयकर नियम, १९६२ । **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १००/६२]**

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (सामान्य) १९५९-६०

†**वित्त मंत्र (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय मसाले और काजू समिति

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) (भारतीय अनुसन्धान परिषद्) के दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के संकल्प संख्या एफ०-२७-१२/६०क ३ की कंडिका ४(१३) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, भारतीय केन्द्रीय मसाले और काजू समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) (भारतीय अनुसंधान परिषद) के दिनांक ७ सितम्बर, १६६१ के संकल्प संख्या एफ० २७–१२/६०-क ३ की कंडिका ४(१३) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, भारतीय केंद्रीय मसाले और काजू समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मांगें

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की मांग संख्या ६, ७ और ११३ पर चर्चा करेंगे। इन पर ४८ कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। और जो कटौती प्रस्ताव अब माननीय सदस्य देना चाहे १५ मिनट में दे दें। उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

वर्ष १६६२–६३ के लिये सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदान की निम्न लिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२४,११,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	२,८२,३२,०००
११३	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,५६,६२,०००

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में सामुदायिक विकास योजना और कोआपरेटिव की ग्रान्ट्स के ऊपर बहस करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामुदायिक विकास योजनायें और कोआपरेटिव हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक चीजें हैं। परन्तु जितनी आशा हम इस विभाग से रखते थे वह कार्य रूप में परिणत होती हमें दिखाई नहीं देती। हमारे सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है उस में बहुत चमकती हुई तस्वीर कोआपरेटिव की, पंचायत राज की और दूसरे विभागों की पेश की गई है। अगर रिपोर्ट को आप देखें तो उसमे लिखा हुआ है, मैं सब से प्रथम कोआपरेटिव को लेता हूं, रिपोर्ट के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है :

"कि ३० जून, १६६० तक की जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है उससे यही पता चलता है कि सहकारिता आन्दोलन की काफी प्रगति हुई है। १६५६–६० में सहकारी संस्थाओं की संख्या २.८४ लाख से बढ़ कर ३.१४ लाख हो गयी है।" यह मालूम होता है कि हमारे देश में कोआपरेटिव विभाग ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। मगर जब हम सही मानों में गांवों में जा कर देखते हैं इन सोसायटियों को, तो बहुत ही निराशा होती है। ऐसा

---

†मुल अंग्रेजी में

मालूम होता है, रिपोर्ट से, कि प्रगति बहुत ज्यादा हुई, लेकिन सच बात तो यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोआपरेटिव के कानून हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कानून हैं, आंध्र में कुछ कानून हैं और मद्रास में कुछ कानन हैं। अलग अलग कानून होने की वजह से, अलग अलग सूबों में, उसमें कोई एक रूपता नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे यहां कोआपरेटिव सोसायटियां तो हैं, लेकिन, मैं उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं, आमतौर से उन कोआपरेटिव सोसायटियों पर उन्हीं लोगों का प्रभाव है जो समाज में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। पुराने जमीदारों का सब से अधिक प्रभाव कोआपरेटिव सोसायटियों में मिलेगा और वे लोग कोआपरेटिव सोसायटियों का अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। जो कर्ज देने वाली कोआपरेटिव सोसायटियां हैं गरीब लोग उन से फायदा नहीं उठा सकते। उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव सोसायटियों के इस तरह के कानून हैं कि कर्जा देने वाली जितनी सोसायटियां हैं, अगर उन का एक भी मेम्बर कर्जा अदा नहीं करता है तो सोसायटी को डिबाल्टर करार दे दिया जाता है। फर्ज कीजिये एक सोसायटी में ३० मेम्बर हैं और उन में ५ मेम्बर टाइम पर अपना कर्जा अदा नहीं कर पाये तो बाकी २५ आदमी भी सफर करेंगे जब कि कसूर सिर्फ ५ आदमियों का है। कभी कभी तो इन कर्जों को अदा करने के लिये लोगों को प्राइवेट महाजनों की शरण लेनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि मजदूर और किसान दोहरे कर्जदार बन जाते हैं। एक तो कोआपरेटिव सोसायटियों सेकर्जा लेते हैं दूसरे उस को टाइम पर अदा करने के लिये वह प्राइवेट महाजनों के पास जा कर कर्जा लेते हैं और इस पर उन को दो तरह से सूद अदा करना पड़ता है।

इसी तरह से हमारे समाज की हर एक समस्या है। वहां पर प्रभावशाली लोग रहते हैं और वे कोआपरेटिव सोसायटियों पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं तथा दूसरों को कर्ज नहीं लेने देते। मैं कम से कम उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि एक एक गांवमें दस दस और ग्यारह ग्यारह कोआपरेटिव सोसायटियां बन गईं। उन में बहुत ज्यादा झगड़े भी होते हैं नतीजा यह होता है कि गरीब लोग उन से कर्जे हासिल नहीं कर सकते। दूसरे उन को जिस सूद पर रुपया दिया जाता है वह काफी महंगा है। जहां तक मुझे जानकारी है बैंक कोआपरेटिव सोसायटियों को ३ या ३½ प्रतिशत सूद पर कर्जा देता है मगर वही कोआपरेटिव सोसायटियां जब अपने शेअरर्स को पैसा देती हैं तो वह ९½ प्रतिशत तक सूद वसूल करती हैं। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा सूद का भार गरीब लोगों पर पड़ता है।

यही नहीं हम यह भी देखते हैं कि इन कोआपरेटिव सोसायटियों में गबन करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। आमतौर से देखा जाता है कि सुपरवाइजर्स और दूसरे आफिसर्स गरीब लोगों के नाम पर रुपया ले लेते हैं और इस तरह से हजारों आदमियों को बड़ी तकलीफ होती रहती है। कोआपरेटिव के जरिये किसानों को बीज मिलता है, जो खाद मिलती है, जिन को कोआप-रेटिव सोसायटियों के जरिये ही देने की व्यवस्था की गई है, उन में अधिक से अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नतीजे के तौर पर लोगों में कोआपरेटिव के प्रति एक नफ़रत की भावना पैदा हो गई है। आज स्थिति यह है। मैं जानता हूं कि समाजवादी अर्थ व्यवस्था के लिये जरूरी है कि हम कोआपरेटिव्ज से गुजरें। मगर जिस तरह की कोआपरेटिव्ज हमारे यहां हैं, मैं देखता हूं कि उस से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उल्ट कोआपरेटिव्ज से लोगों को नफ़रत होती जा रही है।

दूसरी सब से बड़ी खराबी कोआपरेटिव्ज की यह है कि कोआपरेटिव सोसायटियों के चुनाव आम तौर से उन के डाइरेक्टोरेट में होते हैं जहां कि इन कमेटियों के चुनावों में हाथ उठा कर मत दिये जाते हैं। वहां सीक्रेट बैलट से चुनाव नहीं होता। नतीजा यह होता है कि कोआपरेटिव सोसायटियों पर उन लोगों का प्रभाव चलता है। वही लोग उन के ऊपर अधिकार जमा लेते हैं जो समाज में प्रभावशाली होते हैं। नतीज के तौर पर वह गरीब लोग, जिन के लये सोसायटियां

बनाई जाती हैं, सोसायटियों से बाहर होते हैं। दूसरे कर्ज देने के नियम भी ऐसे हैं जिन में उन लोगों को कर्जे नहीं मिलते जिन के पास जायदाद नहीं है। ग्रामतौर से कोग्रापरेटिव का मंशा यह होना चाहिये कि उन लोगों को कर्जा मिले। उन को न सिर्फ कर्जा मिलना चाहिये, उन को बीज मिलना चाहिये, उन को खाद मिलना चाहिये, जिन के पास जायदाद नहीं है। मगर देखने में यह ग्राता है कि जिन के पास जायदाद नहीं है उन को कर्जा नहीं मिलता ग्रौर कभी कभी तो जायदाद की मालियत बनवाने में जो कोग्रापरेटिव के शेग्ररर्स हैं उन्हें ग्रौर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैं कोग्रापरेटिव का डाइरेक्टर भी हूं। मेरे साथ खुद ही ग्रजीब बात हुई कि रुपया लिया जाये, ग्रदा भी कर दिया जाये, फिर भी कोग्रापरेटिव डिपार्टमेंट बिगड़ा ही दिखाई देता है। इस किस्म की सैकड़ों मिसाल मैं दे सकता हूं। कोग्रापरेटिव डिपार्टमेंट की वजह से पूरे हिन्दुस्तान में एक ग्रजीब गड़बड़ी फैली हुई है। जो एक बार सोसयटी का मेम्बर हो जाता है वह उससे दो बरस तक ग्रलग नहीं हो सकता। ग्रगर सोसाइटी खराब काम करती है तो मेम्बर को इस बात का ग्रधिकार होना चाहिए कि वह सोसाइटी से ग्रलग हो जाये। लेकिन वैधानिक तौर पर वह उससे ग्रलग नहीं हो सकता। ग्रौर न उसका जो शेयर होता है उस कोग्रापरेटिव सोसाइटी में वह वापस किया जाता है। नतीजा यह होता है कि जो लोग एक बार कोग्रापरेटिव सोसाइटी में फंस जाते हैं वे फंसते चले जाते हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं सकते, तो इस तरह भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग कोग्रापरेटिव सोसाइटियों के जरिये परेशान किये जाते हैं।

इसमें कोग्रापरेटिव फार्मिंग का जिक्र करते हुए कहा गया है : "कि २० जून, १९६१ को २.४७५ कृषि सहकारी संस्थायें थीं" ग्रौर खास तौर से राज्यों के लिए बताया गया है कि केरल में ९१, मध्यप्रदेश में १७५, पंजाब में ६४३, राजस्थान में २१९ ग्रौर उत्तर प्रदेश में ३६८ कोग्रापरेटिव सोसाइटियां हैं जिनमें से काम कर रही हैं, केरल में २१, मध्यप्रदेश में ७०, पंजाब में १८२, राजस्थान में १३५, उत्तर प्रदेश में २७६।

उत्तर प्रदेश की सारी सोसाइटियों की तो मेरी जानकारी नहीं है लेकिन कोग्रापरेटिव फार्म्स की मेरी जानकारी है। नियम यह है कि जब लोग ग्रपने खेत वालंटेरीली कोग्रापरेटिव को देते हैं तो कोग्रापरेटिव फार्म बनता है। मुझे ऐसे एक फार्म का नाम मालूम है, मंत्री जी चाहेंगे तो मैं बतला सकता हूं। वह गाजीपुर जिले में है जिसमें कई सालों से घाटा दिखाया जाता था। हर साल जब हिसाब होता था तो मालूम होता था कि मेम्बरों को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनको कुछ घर से ग्रौर देना पड़ता था। कभी कहा जाता है कि बैलों के खिलाने में इतना रुपया चला गया, कभी कहा जाता है कि खाद में इतना रुपया चला गया। ग्रगर पानी बरस गया तो गल्ले को कोई उठाने वाला नहीं होता ग्रौर उसमें सारा गल्ला चला जाता है। जब हिसाब हुग्रा तो मालूम हुग्रा कि एक दाना भी नहीं बचा है ग्रौर जो मेम्बर बने हुए हैं उनको घर से रुपया ग्रौर देना पड़ा। नतीजा यह हुग्रा कि वह फार्म टूट गया।

हमारे पास तो ग्रपने ग्रांकड़े इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं है। सरकार के ग्रांकड़ों से मालूम होता है कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है कोग्रापरेटिव खेती में। लेकिन लोगों का तजुरबा कुछ ग्रौर है। मुझे दो तीन फार्मों का खुद तजुर्बा है। इन फार्मों में कभी फायदा नहीं हुग्रा। हमेशा घाटा होता रहा ग्रौर यह ऐसे लोगों के हाथों में हैं जो खेतों का तमाम मुनाफा ग्रपने जेबों में डाल लेते हैं ग्रौर जो गैर जानकार मेम्बर हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इनमें भी यही नियम है कि जो इनका एक बार सदस्य बन जाता है वह दो तीन साल तक ग्रगल नहीं हो सकता। जो ग्रांकड़े सरकार के हैं उनसे कोग्रापरेटिव खेती की एक ग्रच्छी तस्वीर दिखायी देती है लेकिन सही मानों में जमीन पर क्या

गुजरता है इसका शायद मिनिस्टर साहब कों कोई पता नहीं है । मैंने जहां तक देखा है इससे कोई लाभ नहीं है ।

कोआपरेटिव शुगर फ़ैक्टरीज की बात कही गयी है । हमारे देश में सन् १९५५-५६ में कुल तीन कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज थीं जिनका प्रोडक्शन .०२ लाख टन था जो कि कुल शुगर प्रौडक्शन का ०.११ पर सेन्ट होता था । ये बढ़ती चली गयीं और सन् १९६०-६१ में इनकी कुल संख्या ३० हो गयी और इनका टोटल प्रोडक्शन ४.४२ लाख टन था जोकि देश के कुल शुगर प्रोडक्शन का १४.७ होता था । कहा गया है कि इन फ़ैक्टरियों की संख्या आगे ३३ कर दी जायेगी । मेरा विचार है कि इनसे फायदा नहीं हो रहा है ।

अभी हाल में मैंने मुजफ्फरपुर की बुढ़ाना कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को देखा । वह घाटे मैं चल रही है । सारी जगह किसान अपना गन्ना एक रुपये सात आने से लेकर एक रुपये १२ आने तक में मिलों को देता है, लेकिन कोआपरेटिव फैक्टरी एक रुपया मन गन्ना लेती है पर फिर भी कोई मुनाफा नहीं होता । इसको अनुदान भी दिये गये मगर यह नहीं चल सकी और नतीजा यह हो रहा है कि फैक्टरी बन्द होने जा रही है । मैं नहीं समझता कि इसमें कहां तक सत्य है कि कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज तरक्की कर रही हैं । बहरहाल आंकड़े यही बताते हैं कि हमारे यहां कोआपरेटिव में बड़ी तरक्की हुई है ।

मैं आपके जरिये सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कोआपरेटिव के नाम पर एक भ्रष्टाचार फैला हुआ है । इन की जांच करायी जाये तो सही स्थिति का पता चले । बहुतों की कोई जांच नहीं हुई है । मैं तो चाहूंगा कि एक कमेटी बनायी जाये जो सारे देश की कोआपरेटिव सोसाइटियों के कार्यों की जांच करे ताकि पता चले । मैं यह भी चाहूंगा कि संसथ् कोई ऐसा कानून बनाये कि सारे देश में जो कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं वे एक तरह काम करें और उनमें यूनीफारमिटी आवे । अभी कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है । इस तरह कोपरेशन का काम सफल नहीं हो सकता ।

इसलिए मेरे दो सुझाव हैं । एक ऐसी कमेटी बनायी जाये जो तमाम देश की कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिए यूनीफार्म कानून की सिफारिश करे और कुछ सुझाव रखे जो कि तमाम राज्य सरकारों को मान्य हों । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि लोगों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की शिक्षा दी जाये । अभी लोगों का विचार है कि समाज व्यक्ति के लिए है । समाज की उन्नति की तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं है अपनी ही तरफ है । इसलिए जब तक लोगों को यह शिक्षा नहीं दी जायेगी कि समाज व्यक्ति से ऊपर है और उसके लिए हमको मरना और जीना है तब तक देश में कोआपरेटिव मूवमेंट सफल नहीं हो सकता । ऐसा नहीं होगा तब तक यही होगा कि आपकी रिपोर्टें आयेंगी और हमको उन्नति की तस्वीरें दिखाई जायेंगी लेकिन असल में कुछ नहीं होगा ।

अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं पंचायत राज की तरफ । आज कल पंचायत राज का बड़ा ढोल पीटा जाता है और हम उसकी बात करते हैं । हम इसे शासन का विकेन्द्रीकरण कहते हैं । हम पंचायतें, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी और जिला परिषद् बना कर शासन का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। लेकिन मेरा तजरबा है कि आज पंचायतें एक अजीब चीज बन गयी हैं । हमारे यहां इन पंचायतों का इस्तैमाल राज्य की शक्ति की तरह से किया जाता है । पंचायत १०० रुपये तक के मामले और दूसरे छोट मोटे मुकदमे सुन सकती है । नतीजा यह होता है कि गांवों के शक्तिशाली लोग इन पंचायतों के जरिये गरीब लोगों को परेशान करते हैं । अगर किसी ने उनका हल चलाने से इन्कार कर दिया, या उनकी बेगार करने से इन्कार कर दिया या अगर कोई उनकी मरजी के खिलाफ रह रहा है तो इन पंचायतों के जरिए उन गरीबों को परेशान किया जाता है । इन पंचायतों से ही मेम्बर चुन कर ब्लाक डेवेलपमेंट कमेटियों में जाते हैं, जो कि अपने में से मेम्बर चुन कर जिला परिषद् को भेजती हैं । इस

तरह से वह ही लोग पंचायतों से जिला परिषद् तक रहते हैं और सरकार के यानी कांग्रेस पार्टी के कामों को करते हैं और जो रुपया आता है उसको अपने पक्ष के लोगों को देते हैं ।

श्री त्यागी (देहरादून) : कांग्रेस पार्टी से क्या मतलब है पंचायत को ?

श्री सरजू पाण्डे : कांग्रेस के लोग ही तो गांवों में जाकर चुनाव कराते हैं और अपने लोगों को पंच बनवाते हैं । इसीलिए वे जो रुपया आता है उसको वे अपने लोगों को दे देते हैं ।

मैं यह नहीं कहता कि पंचायतें नहीं रहनी चाहिए लेकिन उनको इस तरह से अख्तियार देने चाहिए कि जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं वे अपना प्रभाव न जमा सकें । चुनाव भी नहीं होने चाहिए । हमारे प्रधान मंत्री राजस्थान जा रहे हैं और बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि वहां पंचायतों का बड़ा तूफान आया है । आठ वर्ष हुए आज तक पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ और जिसकी कि ओपनिंग सैरीमनी करने के लिए प्रधान मंत्री जी तशरीफ ल जा रहे हैं । आठ साल से अब तक चुनाव नहीं हुआ है । बहरहाल यह पंचायतें और पंचायत समितियां सही मायनों में गांवों में गरीबों को हैरैस करने और उनको परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं । अगर इस की जांच कराई जाय तो आप देखेंगे कि जो बात हम कह रहे हैं वह सही हैं ।

ब्लाक डेवेलपमेंट कमेटियों के लिए मैं ठीक ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, १६०० करोड़ रुपया सरकार ने विकास के ऊपर खर्च किया है । लेकिन इस के बदले में मिला क्या है ? आज गांव में ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और न मालूम किन किन लोगों की एक फौज सी खड़ी हो गयी है । उस फौज का सिवाय मटरगश्ती करने के दूसरा कोई काम नहीं है ।

मैंने गांव में हरिजनों के मकान में देखा कि धुंवाकस बनाये जा रहे हैं । जब मैंने पूछा तो मुझे बतलाया गया कि यह इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों की आंखों में खाना बनाते वक्त धुंवा न लगे । अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने उन गरीब हरिजनों के वास्ते रोटी मुहैय्या करने का भी बंदोबस्त किया है कि धुंवाकस ही लगा बैठे ? जहां खाना बनाने के वास्ते अन्न तो मुयस्सर हो न वहां धुंवाकस का इंतजाम पहले करना मेरी समझ से परे है । अब गांवों में उनकी हालत इतनी गयी गुजरी है कि उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है और वह दो पैसे रोज पर काम करते हैं ।

एग्रीकलचरल इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है जिसमें यह बतलाया गया है कि गांव के खेतिहर मजदूरों की क्या दशा है । उस में बतलाया गया है कि जहां सन् १९५०–५१ में उनको साल में २०० दिन काम मिलता था वहां आजकल साल में १९६ दिन मिलता है । मजदूरी भी इनकी घट चुकी है । अब गांव में उनको काम प्रोवाइड किया जाये, रोटी मुहैय्या की जाय, यह जरूरी है, ये पहले और कुछ न करके उनके घरों में धुंवकस बनाया जाये, यह जरूरी है ? कहीं जाकर देखिये तो आप पायेंगे कि कुछ लोगों के आंगन पक्के किये जा रहे हैं तो कहीं कुछ और इसी तरह का काम किया जा रहा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री सरजू पाण्डे : बस दो मिनट और समय दिया जाये ।

गांवों में रोशनी के इंतजाम हो रहा है लेकिन उसकी हालत क्या है ? गांवों में जाकर मैं देखता हूं कि वहां पर रोशनी के लिए सैकड़ों लालटेनें डाली गई हैं लेकिन उन का ऊपर का हिस्सा टूट कर गिर गया है, खाली नीचे का ढांचा रह गया है और वह बेकार हो गयी हैं । अब इसमें ज्यादातर पैसे का दुरुपयोग होता है । बी० डी० ओ० साहब को जीपें दी गई हैं । पुलिस आफिसर्स जब इतना इम्पोर्टेंट

काम करते हैं उन को तो जीप की जरूरत नहीं है मगर बी० डी० ओ० अपनी जीपों का इस्तेमाल बारात करने, सिनेमा देखने और इधर, उधर घूमने में करते हैं। आम तौर से यह बी० डी० ओज० लोग इन गाड़ियों का झूठे बहाने बना कर बेजा इस्तेमाल करते हैं और करोड़ों रुपया इस विभाग का खाते हैं। सब से ज्यादा अगर गबन और लूट है तो यह प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। मैंने प्लानिंग के एक साहब से पूछा कि भाई यह क्या बात है तो उसने मुझे कविता सुनाई कि प्लानिंग के तीन काम, नक्शा, मीटिंग और सलाम। नक्शा, मीटिंग और सलाम यह तीन काम बस प्लानिंग के हैं। दिन भर नक्शे बनते हैं कि मुर्गी कितनी हैं, बकरी कितनी हैं और गदहे कितने हैं और इन पर करोड़ों रुपया बर्बाद किया जाता है। सरकार ने यह कार और जीपें जो प्रोवाइड की हैं उनसे यह बस नक्शे बनाते हैं, मीटिंग्स करते हैं और झूठी पैदावार बढ़ाते हैं। इनके अलावा और कोई काम यह लोग नहीं करते हैं।

चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन दो, तीन सुझाव देना चाहूंगा। अब महिला मंडल, युवक मंडल और न मालूम कितने मंडल बने हैं और अब एक एम० पी० के नीचे १६ ब्लाक पड़ते हैं और अगर वह इन तमाम मंडलों को एटैंड करने लगे तो यहां इस सदन में उसको आने की नौबत ही न आये। महिला मंडल, युवक मंडल और इसी तरह के बीसियों मंडल बने हुए हैं और दिन भर भजनोपदेश चलता है और कहीं पर रघुपति राघव राजा राम चलता है। करोड़ों रुपया इन पर देश का बर्बाद किया जाता है। इसके बदले आप उनके वास्ते सड़कें बनाइये, सिंचाई का बन्दोबस्त कीजिये और उनको काम दीजिये। लेकिन इस तरह से बेकार में एक मच्छरमारों की फौज खड़ी करने से कोई फायदा नहीं है।

गांवों में जाकर देखिये पाखाने बनाये जाते हैं। जितने भी काम होते हैं सब ऊपर से बन कर आते हैं लेकिन उन ब्लाक डेवेलपमेंट वालों से यह हीं पूछा जाता है कि गांव वालों की प्राइमरी नैसिसिटी क्या है। अब होना तो यह चाहिए कि वहां पर पहले सिंचाई की व्यवस्था की जाये, सड़कें बनायी जायें और पुल बनायें जायें। लेकिन यह न हो कर ऊपर से योजनाएं बन कर आ जाती हैं कि इतने पाखाने बना लो, इतने बैलों के लिए नांद बना लो और इतनी रोशनी लगा लो चाहे उनकी जरूरत हो या नहो।

अन्त में मैं और अधिक न कहते हुए यह चाहूंगा कि कोआपरेटिव की इनक्वायरी करायी जाये। साथ ही साथ कोआपरेटिव के कानून को बदला जाये। मौजूदा कानून कोआपरेटिव को भ्रष्ट करता है और वह एक बिलकुल निकम्मी चीज हो जायगी और कोआपरेटिव का कोई मेम्बर होना नहीं चाहेगा।

जहां तक कम्युनिटी डेवेलपमेंट की बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका आज यह जो इतना विस्तार किया जा रहा है और खामख्वाह उन अधिकारियों की जीपों आदि पर काफी पैसा बर्बाद किया जा रहा है वह बंद किया जाना चाहिए इसमें जितना पैसा बर्बाद हो रहा है उसकी कोई इंतिहा ही नहीं है। धन्यवाद।

श्री दि० सिं० चौधरी-(मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, जो डिमांड्स एंड ग्रान्ट्स इस समय विचाराधीन हैं और उन के सम्बन्ध में हमारे पूर्व माननीय वक्ता जो कह रहे थे उस को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वयं उन्होंने यह कहा कि उन्हें पता नहीं है जानकारी नहीं है और वह केवल कागजों और रिपोर्ट्स को देख कर ही यह बातें कह रहे हैं। जब लोगों को स्वयं तो जानकारी होती नहीं है और इस तरह की आलोचना करते हैं विशेषकर सहकारिता के सम्बन्ध में जब इस तरह की बातें करते हैं तो वह गलत बातें करते हैं। उन्होंने कई बातें ऐसी कह डालीं जोकि वास्तविकता के बिलकुल भिन्न हैं। उन्होंने जो यह फरमाया कि उत्तर प्रदेश में को-आपरेटिव सोसाइटीज अपने मेम्बरों से साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज लेती हैं तो मुझे तो पता नहीं है कि ऐसी कौन सी सोसाइटीज़ हैं जोकि साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज लेती हैं। मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि उनकी यह बात गलत है और उत्तर प्रदेश में कहीं यह चीज नहीं है . . . .

श्री सरजू पाण्डे : सब सोसाइटीज हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप को शांत होकर सुनना चाहिए। आपकी बारी हो चुकी है।

श्री सरजू पाण्डे : ठीक है बारी हो चुकी है लेकिन वह गलत बयानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब अगर वह आप से एख्तलाफ रखना चाहते हैं तो क्या आप उन को नहीं सुनेंगे ?

श्री दि० सि० चौधरी (मथुरा) : उन्होंने जो यह कहा था कि जमींदारों का सहकारी संस्थाओं पर अधिकार है यह बिल्कुल गलत कहा है। मैं आप से निवेदन करूं कि एपैक्स बैंक जोकि उत्तर प्रदेश का कोआपरेटिव बैंक है और जिसका कि मैं वाइस चेयरमैन हूं उसका मुझे पता है उसमें केवल एक व्यक्ति को छोड़कर जिनकी प्रीफ़ैंस से चुन कर आये हैं, सब के सब ऐसे व्यक्ति हैं जोकि कोई इनकमटैक्स नहीं देते हैं और साधारण व्यक्ति हैं या किसान हैं।

मैं अपने जिला सहकारी बैंक की बात बतलाऊं कि मैं उसका मैनेजिंग डाइरैक्टर हूं। मैं स्वयं एक किसान हूं और मेरे तमाम साथी केवल एक दो व्यक्तियों को छोड़ कर जोकि एक प्रीफ़ैंस के डाइरैक्टर हैं, सब के सब साधारण किसान हैं। अधिकतर ऐसे हैं जोकि रुपया जमा नहीं करते बल्कि कर्जा लेते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि सब चुनाव हाथ उठा कर होते हैं, यह बात बिलकुल गलत है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आगामी २० जून को यू० पी० कोआपरेटिव बैंक का वार्षिक अधिवेशन होने वाला है और वहां चुनाव बैलट बौक्स से होगा। हाथ उठाने वाली वहां पर कोई बात नहीं है।

मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि सरकार अगर कोई सब से अच्छा काम कर रही है तो यह सहकारिता के क्षेत्र में कर रही है। इस से भी आगे मैं निवेदन करूं कि जनता के पास पहुंचने के लिए सरकार ने अगर कोई कार्य किया है, अगर जनता से सम्पर्क कायम करने के लिए कोई कार्य किया है तो यह सहकारिता का काम है। इस से भी अगर आगे बढ़ कर कहूं तो कह सकता हूं कि उत्पादन् बढ़ाने के लिए, जनता की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई सब से बड़ा कार्य हुआ है तो यह सहकारिता का ही कार्य है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस सहकारिता के क्षेत्र की उन्नति के लिए जो जो करना चाहिए वह नहीं हो पाता है। जिस तरीक़े से कार्य हो रहा है उस में कुछ थोड़ी सी कमी रह जाती है।

जहां तक सरकार के बढ़े हुए कार्य का सम्बन्ध है, रिपोर्ट हमारे माननीय सदस्य ने और अन्य सदस्यों ने भी पढ़ी है। उसको देखने से मालूम होता है कि हमारा देश प्रगति पथ पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। देश के स्तर पर तरक्की इस तरह से हुई है कि जहां हमारे यहां १४४ लाख मैम्बर्स थे वहां २ वर्ष में उन की संख्या बढ़ कर २१० लाख हो गयी है। इसी तरह स कर्ज की बात है। १६६ करोड़ से बढ़ कर दो साल में २४० करोड़ हो गया है। यह तो मैंने आप को देश के स्तर की बात बताई। अगर आप हमारे सूबे के स्तर पर देखें तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे यहां उत्तर प्रदेशीय सहकारी बोर्ड का बैंकिंग कैप्टिल जोकि सन् १९५८ में १० करोड़ ६१ लाख था अब बढ़ कर ३३ करोड़ हो गया है। हमारे यहां डिपाजिट्स जोकि पहले ५ करोड़ २३ लाख थी अब वह बढ़ कर ११ करोड़ ७२ लाख होगयी हैं। जिले के स्तर पर भी प्रगति की है कि हमारा जिला सहकारी बैंक मथुरा, जहां कि आज से ४, ५ वर्ष पहले केवल ८ लाख से काम होता था अब १ करोड़ ४० लाख रुपये से काम होता है।

इससे नीचे उतर कर जब हम साधन सहकारी समिति के स्तर पर आते हैं तो मैं अपने ही कुरतंडा गांव की सहकारी समिति जोकि एक गांव पंचायत के अन्दर ५ में से एक है, एक एक वर्ष के अंदर वहां पर २५-३० हजार तक का लाभ हुआ है। वह सोसाइटी ऊपर के बैंका से कर्जा कम लेती है। मैम्बरों का करीब ड़ेढ़ लाख रुपया बतौर अमानत जमा रक्खा है। करीब १ लाख की उसकी निज की पूंजी हो गयी है। अब माननीय सदस्य का यह कहना कि इन सोसाइटियों में सरासर बेईमानी चलती है गलत बयानी है। इस समिति का सरपंच लगभग दस साल से सरपंच बना चला आ रहा है और उस के न चाहने पर भी लोग उसी को ही सरपंच बनाते चले आ रहे हैं। इतने दिनों में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है जिसने कि वहां पर बईमानी की कोई शिकायत की गई हो।

इस सोसाइटी में और भी कई तरह के कार्य किये जाते हैं। हमारी समिति का कोई मैम्बर अगर अपने परिवार में लावारिस व्यक्ति छोड़ जाय तो समिति उसको अपना जीवन निर्वाह के लिए सहायता देती है। उसको मुफ्त खाना, कपड़ा देने का प्रबन्ध करती है। हम पानी का प्रबन्ध करते हैं। कोई ऐसा किसान नहीं है, जिस को उत्पादन का काम करने के लिए रुपये की ज़रूरत हो और उसे रुपया न मिल सके। एक भी प्रार्थना-पत्र ऐसा नहीं गया है, जिस में किसी मैम्बर ने कहा हो कि वहां बईमानी हुई है। लोग कहते हैं कि को-आपरेटिव्ज़ में बईमानी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में अगर तुलना की जाय, तो अन्य विभागो के मुकाबले में सहकारिता विभाग में बहुत कम बेईमानी है।

मैं आप को इस का प्रमाण देता हूं। आगरा के कमिश्नर, श्री सानवाल, बहुत ही ईमानदार और योग्य व्यक्ति हैं। एक दफ़ा वह सादाबाद में आए। वहां पर एक ब्लाक की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में मैंने कहा, आप गांव के सब लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे एक आदमी ऐसा बता दीजिए, जो कि तहसील पर तकावी लेने गया हो और जिस को रिश्वत न देनी पड़ी हो। ऐसा कोई आदमी नहीं था और उन लोगो ने कहा कि हम सब को देनी पड़ी है। फिर हम ने कहा," ऐसा कौन आदमी है, जो प्राईवेट, निजी, भट्टे से ईटें लेने गया हो और जिस को वे कंट्रोल-प्राइस पर मिल गई हों, ब्लैक मार्केट के रेट्स पर न मिली हों। ऐसा आदमी भी कोई नहीं था। तब मैंने कहा, "क्या आप में से कोई ऐसा आदमी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक से कर्ज़ा लेने गया हो और उस को रिश्वत देनी पड़ी हो या हम जो सहकारी भट्टे चला रहे हैं, उन में ईटें लेने गया हो और उस को एक ईंट भी ब्लैक मार्केट के रेट पर दी गई हो ? कमिश्नर महोदय को साक्षी पेश कर सकता हूं।" इस पर सब ने कहा कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है।

मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जो उनके ज़िले के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन को यू० पी० को-आपरेटिव बैंक से लाखों रुपया कर्ज़ा मिलता है। उन को मालूम है कि वहां पर कोई भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं है। यू० पी० को-आपरेटिव बैंक २२, २३ करोड़ रुपये का कर्ज़ा डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंकों को देते हैं। मेरे सामने एक भी मिसाल नहीं आई है कि उस का कोई कर्मचारी या चपरासी रिश्वत लेता है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पता होगा कि किसी मैनेजिंग डायरेक्टर ने, जिस के हाथ में दस, बीस, पच्चीस हजार रुपये को इस्तेमाल करने का अधिकार होता है, उस रुपए को ग़बन कर लिया हो। मेरे सामने तो ऐसी कोई मिसाल नहीं आई है। मैं जानता हूं कि मथुरा जिले में चालीस, पचास हज़ार रुपया पंच ले जाते हैं और ये बांटते हैं। छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं कि किसी को ज्यादा कम दे दिया, लैकिन एक भी ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी ने दस बीस हज़ार रुपए का ग़बन कर के मकान बना लिया हो।

[श्री दि० सिं चौधरी]

विरोधी पार्टी के एक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वह डा० केसकर के मुकाबले में चुनाव लड़ कर यहां आए हैं। वह स्वीकार करेंगे कि जहां तक बैंक से कर्जा लेने का सवाल है, कोई रिश्वत नहीं ली जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सैक्टर के बारे में कह सकते हैं कि उन में भ्रष्टाचार होता है, किन्तु अन्य स्थानो और विभागो की अपेक्षा सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत कम पाया जायगा। हां, जहां सहकारिता का काम सरकारी कर्मचारियो के हाथ में है, वहां कहीं कहीं भ्रष्टाचार पाया जाता है।

सहकारिता क्षेत्र के लिए सब से खतरनाक बात लार्ज-साइज्ड सोसायटीज़ हैं। अगर इस प्रकार की सोसायटीज काम करती रहीं, तो सहकारिता के क्षेत्र को बहुत बड़ा नुक्सान होगा। ब्लाक यूनियन्ज में सुपरवाइज़र काम करते हैं और भट्टे वगैरह चलाए जाते हैं और वहां पर भी कहीं कहीं भ्रष्टाचार पाया जाता है। जहां सुपरवाइज़र काम करते हैं, गड़बड़ और बेईमानी अपेक्षाकृत वहां ही अधिक पाई जाती है।

माननीय सदस्य ने कहा कि जनता को अधिकार दिया जाना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जनता को अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि इस अवस्था में कहीं कहीं गड़बड़ी हो, लेकिन इस क्षेत्र में उन्नति और प्रगति भी तभी हो सकती है, जब कि गैर-सरकारी आदमी इन संस्थाओं में काम करें, क्योंकि जितनी उन्नति गैर-सरकारी आदमी कर सकता है, उतनी सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता।

सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति होने में कठिनाई इसलिए भी हो जाती है कि बी० डी० ओज़० के पास जीप होती है, लेकिन ज़िला-स्तर पर काम करने वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भी कोई जीप नहीं होती है, जो कि लगभग पांच ज़िलों के ऊपर होता है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि ब्याज अधिक लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तकावी और लगान की वसूली में लगभग सवा छः परसेंट खर्च कर देती है। उस को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंक जो ब्याज लेते हैं, वह अधिक नहीं है। उस ब्याज का जो मुनाफ़ा होता है, वह किसी पूंजीपति के पास नहीं जाता है। वह समिति में ही रहता है और वह समिति उन्हीं मेम्बरों की है, जो कि ब्याज देते हैं। इस के अतिरिक्त बैंक भी उन्हीं के हैं, किसी पूंजीपति के नहीं हैं। ब्याज से जो लाभ हो कर इकट्ठा होता है, वह किसी पूंजीपति को नहीं मिलता है। वह कठिनाई के समय समिति के काम आता है और अगर रुपया इकट्ठा हो जायगा, तो उन्हें बाहर से ब्याज पर रुपया नहीं लेना पड़ेगा।

माननीय सदस्य की एक बात का मैं समर्थन करता हूं और वह यह है कि सारे देश में सहकारिता के सम्बन्ध में बनाए गए कानून भिन्न भिन हैं। मुझे यह कहने के लिए माफ़ किया जाये कि अगर इस विभाग के किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह सहकारिता के सम्बन्ध में जानकारी रखता है या नहीं लेकिन हम देखते हैं कि कई सूबों में सहकारिता के मिनिस्टर ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं, जो यह नहीं जानते कि सहकारिता का मतलब क्या है। इसका परिणाम यह होता है कि जब सहकारिता के क्षेत्र में उन्नती का सवाल आता है, तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है।

इस सम्बन्ध में कुछ और रुकावटें भी हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति यह है कि सहकारिता के क्षेत्र से सरकारी अधिकारियों का असर कम कर दिया जाये। किन्तु इस समय रजिस्ट्रार तो प्रदेश के स्तर पर बैंक के चेयरमैन हैं हालांकि वह हस्तक्षेप नहीं करते और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं। हमारे यहां पहले एक बिल विचाराधीन

था, जो कि अब फिर आने वाला है । उस बिल में यह कहकर कि अधिकार दिये जा रहे हैं, ऐसी बातें रखी जा रही हैं, कि जिस से जनता को अधिकार मिलेंगे । किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि जनता के अधिकार छिन जायेंगे और सरकारी अधिकारियों के अधिकार बढ़ जायेंगे ।

उस बिल में एक प्रतिबन्ध यह लगाया जा रहा है कि डायरेक्टर छः बरस के बाद चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा । वह प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, लेकिन उस बिल में यह भी व्यवस्था की गई है कि रजिस्ट्रार की परमिशन से वह खड़ा हो सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रार की परमिशन का इच्छुक रहेगा, उस की यह हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह कोई ऐसी बात करे, जो कि रजिस्ट्रार या सरकार पसन्द न करे । इस प्रकार का प्रतिबन्ध संविधान में है ।

सहकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए सरकार उन के हिस्से खरीदती है और उन को इस के लिए रुपया देती है । लेकिन उसका नतीजा उल्टा होता है । हिस्से होने की वजह से जो डायरेक्टर नामीनेट किये जाते हैं उनकी नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्य से होती है । उससे जहां पहले शान्ति से काम होता था, वहां अब संघर्ष होने शुरू हो गये हैं और उस के कारण सहकारिता की उन्नति में बाधा पड़ती है । मैंने स्वयं सरकार से प्रार्थना की थी कि हमें उस के हिस्से के रुपए नहीं चाहिए, किन्तु सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया ।

इसलिए मैं केन्द्र के मंत्री महोदय और सूबों के मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे सहकारिता के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस को लड़ाई-झगड़े और पालिटिक्स से अलग रखना चाहते हैं, तो कृपा कर के वे सरकारी रुपया उस में न लगाएं और अगर लगाएं भी, तो नामिनेटिड डायरेक्टर मत रखें । मैं कहना चाहता हूं कि हर स्थान पर नामिनेटिड डायरेक्टरों ने एक प्रकार का हंगामा मचा दिया है और उन के आते ही पालिटिक्स शुरू हो जाता है ।

जब रिज़र्व बैंक के लाखों करोड़ों रुपए कर्ज़ा ले कर बैंक वापस कर सकते हैं, तो अगर सरकार द्वारा नियुक्त डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो क्या दो तीन लाख रुपया वे खा जायेंगे । मैं आपको तजुर्बे के आधार पर बताना चाहता हूं कि अगर झगड़ा कहीं है, तो वहां जहां सरकारी कर्मचारियों के हाथ में सहकारिता की संस्था है । गड़बड़ वहां है, जहां सरकारी कर्मचारियों के हाथ में अधिकार हैं । इसी तरह से जहां सरकार के द्वारा नियुक्त या नामिनेटिड डायरेक्टर हैं, वहां खतरा पैदा हो जाता है । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि बहुत से बैंक अपना सालाना जल्सा इसलिए नहीं करते हैं कि करते ही हम पर नामीनेशन की आफ़त आ जायेगी । जैसा कि मैंने अभी बताया, मने अपने बैंक की तरफ़ से सरकार को लिखा कि हम उस की सहायता के बग़ैर काम करना चाहते हैं और वह अपने हिस्से वापस ले ले, लेकिन सरकार ने उस प्रार्थना-पत्र को स्वीकार नहीं किया ।

सरकार की तरफ़ से कहा जाता है कि इन बातों की तरफ़ हमारा ध्यान क्यों नहीं दिलाया जाता है । मैं बताना चाहता हूं कि हम ने रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन के अलावा एक निजी, प्राईवेट, संस्था बनाई हुई है, जो उत्तर प्रदेश के ज़िला सहकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्ज़ की एक यूनियन है । जब प्रधान मंत्री जी लखनऊ गए, तो उस यूनियन की तरफ़ से एक प्रतिनिधि-मंडल उन से मिला । पंडित जी ने कहा कि दिल्ली आकर माननीय मंत्री, श्री डे, और अन्य अधिकारियों से मिलो और उन से इस बारे में बात-चीत करो । एक डेलीगेशन लेकर हम दिल्ली आए, लेकिन दुर्भाग्य से मंत्री महोदय समय अभाव से नहीं मिल सके । प्लानिंग कमीशन के सदस्य, श्री श्रीमन्नारायण जी से हम मिले और उन के सामने सारी बातें रखीं । उन बातों को सुन कर उन्होंने कहा, "अच्छा, ऐसा हो रहा है ?" इस का मतलब यह है कि सैंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है, उस के विपरीत काम हो रहा है और उस के बारे में उनको मालूम नहीं था ।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम सहकारिता के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो गांव की सोसायटी के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर और सूबे के स्तर पर काम करने वाले कार्य-

[श्री दि० सिं० चौधरी]

कर्ताओं को आगे बढ़ाया जाये और उन को प्रोत्साहन दिया जाये। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा आप उन पर प्रतिबन्ध न रखें। विदेशों में जाकर मुझे इस मूवमेंट का निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला है और शायद मुझे मिलेगा भी नहीं क्योंकि विदेशों में उन्हीं को भेजा जाता है जो सहकारिता के निम्न स्तर की चीजों के बारे में भी जानकारी नहीं रखते हैं लेकिन जो बड़े बड़े कागजों पर बड़ी बड़ी रिपोर्टस लिख सकते हैं। उन्हीं को भेजा जाता है जो वहां से आकर यहां पर बड़ी बडी रिपोर्टें लिख कर दे सकते हैं। जिनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं।

मैं निवेदन करता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रभावशाली कदम उठाये। प्रधान मंत्री जी ने एक बार बम्बई में कहा था कि सहकारी क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि गबन हों अपने तजुर्बे से लोग सीखें, सिखाना अधिक आश्यक है। हम सीख रहेहैं। मैं साधारण सा किसान हूं। लेकिन मथुरा में डेढ़ करोड़ रुपया और उत्तर प्रदेश में २० करोड़ रुपया के प्रबन्ध में लगा हुआ है। दोनों स्थानों पर असाधारण उन्नति हो रही है। कहते हैं जन्ता को अधिकार दे रहे हैं किन्तु एक ओर तलवार लटकती रहती है और दूसरी ओर कानूनी प्रतिबन्ध रहते हैं। इस तरह से काम आगे नहीं बढ़ सकता है। केन्द्रिय सरकार के सचिव श्री गिड साहब कुरसंदा की सोसाइटी को देखने गए जो हिन्दुस्तान की सब से अच्छी सोसाइटियों में से एक है। वह अच्छी इस तरह से बनी है कि वह सरकारी अनावश्यक कानून को और उन में जो गलत बातें हैं, उनको नहीं मानती है। आडिट रिपोर्ट्स में क्या है। उनमें यह होता है कि बिना परमिशन के काम कर दिया गया है तथा दूसरी छोटी-मोटी चीज़े रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जो से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन तमाम बातों पर विचार करें। तमाम सूबों के आदमियों को बुलायें और इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करें। सब-रजिस्टरार्ज़ की मीटिंग्ज़ तो हो जाती हैं लेकिन प्रदेशों से जनता के लोगों को बुला कर, ब्लाक स्तर से लोगों को बुला कर, जिला स्तर से लोगों को बुला कर मीटिंग्ज़ नहीं की जाती हैं और यह जानने की कोशिश नहीं की जाती है कि स्टेट्स में क्या क्या कठिनाइयां हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। जो इस तरह की बातें चल रही हैं उनकी कुछ ऊंचे स्तर के आदमियों को ले कर कमेटी आप न बनाये, इनक्वायरी आप साधारण और व्यावहारिक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की कमेटी से करायें और स्टेट्स के आदमियों के उसे सामने लायेंगे तो सहकारिता का काम आसानी से आगे बढ़ सकेगा।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के वक्त देहातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। स्वराज्य मिलने के बाद आपने कम्युनिटी डिवेलेपमेंट, कोओप्रेशन और पंचायतें, इन तीन प्रकार की संस्थाओं को देहातों में चलाया है और इनके ज़रिये आप देहातों का नक्शा बदलना चाहते हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। यह काम मामूली काम नहीं है। आपने कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के काम को देखें तो पता चलेगा कि करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो रहा है। कोओप्रेशन का काम भी जारी है। यह दोनों काम जो हैं, इनको कौन निभाये, इसके लिए आप पंचायतों की स्थापना भी कर दी है। लेकिन बावजूद इन सारी बातों के और इतना भारी प्रोग्राम शुरू कर देने के आज कुछ भी नहीं हुआ है। यह प्रोग्राम १६५२ में शुरू किया गया था और अक्तूबर १६५३ से तमाम देश में ब्लाक डिवेलपमेंट की योजना को चालू किया गया। यह कहा गया कि सौ गांवों पर एक ब्लाक होगा। इसका स्टाफ भी जो था वह मामूली स्टाफ नहीं था, बहुत भारी और बहुत लम्बा चौड़ा स्टाफ इसके लिए आपने रखा। इसके अन्दर लिखा है कि ब्लाक डिवेलेपमेंट आफिसर है, ग्राम सेवक्स हैं, एग्रीकलचर एक्सटैंशन आफिसर्स हैं, सोशल एजुकेशन आर्गेनाइज़र्ज़ हैं। इस तरह से बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट दी हुई है। आप रिपोर्टें तो बड़ी बड़ी छाप देते हैं और उनमें ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जोकि बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन जो असलियत है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आज भी देहातों में देश कि ८० फीसदी आदमी रहते हैं। ये कौन लोग होते हैं। वे ज़मींदार और गैर जमींदार लोग होते हैं। गैर जमींदार वे लोग होते हैं जिन के पास घर की जमीन नहीं होती है। इनकी संख्या ६० फीसदी के करीब है। इनमें बैक्वर्ड क्लासिस, हरिजन वगैरह सभी लोग शामिल हैं। अब जो जमींदार भी हैं, उनमें से भी ७० फीसदी तादाद उन लोगों की है जो छोटे जमींदार हैं, जिन के पास ज़मीन खेती की तो है पर वह उनके गुज़ारे के लिए काफी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि ८० परसेंट मुल्क की आबादी तो गांवों में रहती है उसकी हालत को कैसे सुधारा जाए।

आजादी के बाद से, ब्लाक डिवेलेपमेंट स्कीम्ज़ चालू हो जाने के बावजूद भी १९५२ से ले कर १९६२ तक उनकी तरक्की नफी के बराबर ही हुई है। यह ठीक हैं कई जगह स्कल बना दिये गये हैं, पुलियां बना दी गई हैं और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिये गये हैं लेकिन उन की जो इकोनोमिक कंडिशन है, वह बहुत खराब है। जो लोग मजदूरी करते हैं उनको दो रुपये या ड़ेढ़ रुपया रोज़ाना मजदूरी मिलती है और वह भी सारा साल नहीं मिलती है। उनका गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से चलता है। य वे लोग हैं, यह वह जमायत है जो आज आपके बोर्डर्ज़ पर बैठे हुए हैं, पहाड़ों की चोटियों पर बंठे हुए हैं और देश की रक्षा के लिए अपनी जानें तक देने को तैयार हैं। चीन की फौजों के मुकाबले में ये लोग डटे हुए हैं, पाकिस्तान की फौजों के मुकाबले में डटे हुए हैं, पुलिस पैट्रोल्ज़ ये करते हैं, पुलिस का काम ये करते हैं। नहरे बनाने और सड़कें बनाने का भी ये लोग काम करते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बावजूद आपके इतना रुपया खर्च कर देने के तथा इतने प्रोग्राम बना देने के, उनकी इकोनोमिक कंडिशन में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं। इतने साल हमें आजादी मिले हुए हो गए हैं, लेकिन आप देहातों में जा कर देखें, वहां आज भी गंदगी आप पायेंगे। जिस वक्त आपका कोई बड़ा आदमी, कोई बाहर का आदमी, कोई अफसर या किसी दूसरे सूबे की कोई जमायत वहां जाती है, तो उसको दिखाने के लिए एक खास पंचायत को छांट लिया जाता है। यह वह गांव होता है जहां की हालत अच्छी होती है। लेकिन आम देहात की सैनिटरी कंडिशन में, उसकी इकोनोमिक कंडिशन में तथा दूसरी कंडीशंज़ में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहां पर आप जा कर देखें तो आप गंदगी के ढेर लगे हुए पायेंगे। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। गांव के चारों ओर टट्टियां पड़ी हुई पायेंगे। कोई और ही आपको समझा सकता है कि आप कौन सा प्रोग्राम बनायें, हम तो समझा नहीं सकते हैं। भगवान ही किसी को भेजेगा। आज होता यह है कि अगर कोई बाहर का आदमी आता है या कोई बड़ा अफसर जाता है तो पांच दिन पहले खबर भेज दी जाती है और सब चीज़ ठीक ठाक कर दी जाती है। सफाई कर दी जाती है और गांव को उसको दिखा दिया जाता है। इस तरह से उसको एक तरह से धोखा हो जाता है कि यहां की हालत तो बहुत अच्छी है। एक गलत तसवीर उसको गांवों की दिखा दी जाती है ताकि उसको पता चले कि हिन्दुस्तान में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। अगर यही चीज़ चलती रही तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि एक बहुत भारी रेवोल्यूशन हिन्दुस्तान में आएगा। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिये और गांवों की तरक्की करने के लिए आपको कोई ठोस कदम उठाने चाहियें। फर्जी बातें कह देना और लम्बी लम्बी रिपोर्टें छाप देना यही काफी नहीं है और इन से ही काम नहीं चल सकता है।

गांवों की जो सब से पहली जरूरत है वह पानी की है। वहां पर या तो खारी पानी है, या खराब पानी है या पानी वहां लोगों को बहुत दूर से लाना पड़ता है। आप जा कर देखें कि कितना इलाका पड़ा हुआ है जहां पर पानी की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। आज डैम्ज़ बन चुके हैं, नहरें बन चुकी हैं और बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। इतना होने पर भी उनको अगर अच्छा पानी पीने के लिए न मिले खारा पानी पीने को मिले, खराब पानी पीने को मिले तो आदमी कैसे जिन्दा रह सकता है। रिपोर्ट को मैं ने पढ़ा है उसमें एक हर्फ भी इस बारे में नहीं है।

[श्री लहरी सिंह]

आपने कहा है कि कुछ कुओं की मरम्मत करा दी गई है, कुछ नए कुएं खुदवा दिये गये हैं, कुछ कुओं पर छतें डाल दी गई हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है और इसकी इतनी ज्यादा मुसीबतें हैं, लेकिन आप यहां के लोगों के लिए पीने के पानी का भी इंतज़ाम नहीं कर पाये हैं। सब से पहली और सब से एसेंशियल ड्यूटी आपकी सफाई करवाने की होनी चाहिये और फिर पानी लोगों को देने की। आप चीन में जा कर देखें वहां पर खेतों में टट्टियां बनवा दी गई है और उन पर पर्दा डाल दिया गया है। लेकिन आप हमारे देहातों की तरफ जा कर देखें मुश्किल से ही कोई देहात आपको ऐसा मिलेगा जिस के चारों तरफ टट्टी ही टट्टी न हो। किसी आज़ाद मुल्क में सफाई न हो, टटटी चारों तरफ पड़ी हुई हो, पानी का कोई इंतज़ाम न हो, इकोनोमिक कंडिशन लोगों की बहुत बुरी हो, तो उसके लिए इससे ज्यादा और शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। जो रिपोर्ट है वह पेपर पर तो ठीक है लेकिन असल में कुछ नहीं किया गया है। पेपर पर आपकी स्कीम्ज़ भी ठीक हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है उस तरह से जैसे होना चाहिये। क्या वजह है कि आपकी स्कीम्ज़ कामयाब नहीं होती है, क्या वजह है कि कुछ हुआ दिखाई नहीं देता है।

मैं समझता हूं सब से पहली बात यह है कि अगर मुफलिसी या गुरबत किसी क्लास पर हावी हो तो वह बातों से नहीं उठेगी, एक दो मदरसे खोल देने से नहीं उठेगी, या और कोई छोटे मोटे काम कर देने से नहीं उठेगी। इसके लिए आपको सीरियसली कंसिडर करना होगा और इंटेंसिव प्रोग्राम हाथ में लेना होगा। जापान को आप देखें। लड़ाई में जापान तबाही का शिकार हुआ, एटम बम ने उसको तबाह किया लेकिन यह सब कुछ उसने बरदाश्त किया और अपने पैरों पर खड़ा है और हम हैं जो उसके आगे आज जा कर हाथ फैलाते हैं। आपको देखना होगा कि स्माल स्केल और काटज इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क में कैसे पनप सकती हैं, कैसे इनकी तरक्की हो सकती है, कैसे इनका तेज़ी से विकास हो सकता है। १६६१-६२ की जो रिपोर्ट है उसके एनैक्सचर ६ में यह बताया गया है कि कौन कौन से काम हुए हैं। उसके अन्दर यह लिखा है कि इतने कुएं बनाई गई हैं। अब क्या ईंटें सारे देश में नहीं बन रहीं हैं। उसमें यह भी लिखा है कि इतनी मशीनें बांटी गई हैं। इसी तरह की दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपको बाकायदा तौर पर स्माल और काटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रोग्राम को चलाना चाहिये और इसके लिए सब से जरूरी बात यह है कि आप ट्रेंड आदमियों का इंतज़ाम करें। आप फर्ज़ी या प्रिमिटिव टाइप के सैंटर खोल कर ही संतोष नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि स्माल और काटेज इंडस्ट्रीज़ के लिये ज्यादा से ज्यादा स्टाफ चाहे जापान से आप मंगायें या स्विटजरलेंड से, आपको रखना होगा। जापान ने छोटी इंडस्ट्रीज़ के मैदान में बहुत तरक्की की है और उसकी मिसाल हमारे सामने है। वहां पर लोग घरों में बैठ कर काम करते हैं और काफी कमाते हैं। उनका स्टैंडर्ड आफ लिविंग काफी ऊंचा है। मैं नहीं समझता कि इस काम को आपके सिवा और कोई कर सकता है। यह आपकी जिम्मेवारी है। आप तजवीज निकाले ट्रेनिंग के लिये। मैंने देखा कि सेन्टर खोल दिये गये। मैंने उन को देखा भी। उन में कुछ भी नहीं। कोई दो महीने के लिये है कोई चार महीने के लिये है। पहला काम तो यह है कि आप दूसरी तीसरी जमात से स्कूलों में इंडस्ट्रीज़ चलायें। यह नहीं कि एक लड़का दसवां पास हो और अनएम्प्लायड पड़ा रहे। तो आप स्कूल खोलिये। किसी में कोई काम ज्यादा हो किसी में कोई काम ज्यादा हो। किसी में कोई इंडस्ट्री चलाये किसी में कोई इंडस्ट्री चलायें। जब तक इस तरह से कम्प्लीट ट्रेनिंग नहीं दी जायेगी, जब तक आप के पास माल अच्छा नहीं होगा, तब तक उस को कोई नहीं पूछेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप स्माल और काटज इंडस्ट्री को चलाने का इन्तजाम करें, वरना जो गरीब आज तक इन्तजार करते रहे कि उन के लिये कुछ होगा, उन पर उस का बड़ा खराब असर पड़गा। सिर्फ हर एक गांव को एलेक्शन का राइट दे देने से या गांवों के कुंओं में दो ईंटें लगवा देने से काम नहीं चलेगा।

दूसरा जो नुक्स आ गया है वह यह है कि आपने जो स्टाफ भर्ती किया है ------ आपने बी० डी० ओ० भर्ती किये हैं, ग्राम सेवक भर्ती किये हैं वह रियायत से भर्ती किया गया। मैं पंजाब के बारे में कह सकता हूं कि वहां पब्लिक सर्विस कमिशन के पास से इस काम को हटा लिया गया, यह बहाना बना कर कि पब्लिक सर्विस कमिशन काबिल आदमियों को छांट नहीं सकता। मैं कहता हूं कि चाहे आप तमाम इंडिया को लीजिये या पंजाब को लीजिये, जो बी० डी० ओ० हैं उन के अन्दर इनीशिएटिव नहीं है। बी० ए० पास होना ही उन के लिये काफी नहीं है, आप देखिये कि उन की नालेज क्या है, उन का तजुर्बा क्या है। आज कल एस० डी० ओ०, डिप्टी कमिश्नर और डी० एम० जो हैं वह सिर्फ दो, चार या छः साल के हों तो कोई खास बात नहीं है। उन को सजा ही तो देनी होती है, वह कानून को देख कर सजा दे सकते हैं, एक नया ग्रेजुएट भी सजा दे सकता है, मगर बी० डी० ओ० और ग्राम सेवक जो हों उन के अन्दर इनीशिएटिव होना जरूरी है, तजुर्बा होना जरूरी है ताकि जो प्रोग्राम आप का है उन को वह ठीक से चला सकें। आज कल जो बी० डी० ओ० और ग्राम सेवक हैं आप भले ही उन की तारीफ करें, मगर गांव वाले उन को देख कर हंसते हैं। आज गांवों के आदमी उन्हें पढ़ा सकते हैं, पंजाब के जमीदार उन्हें पढ़ा सकते हैं। आप ने ग्राम सेवक बिठला दिये हैं, सिवा इस के कि वे भार हैं, बोझ हैं, एक्स्चेकर पर, उन से कोई और फायदा नहीं है। उन में से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि सब खराब हैं, लेकिन आप इन बी० डी० ओ० और ग्राम सेवकों के साथ रियायत न करें। आप कंट्री के साथ रियायत करें कंट्री का खयाल करें बैस्ट से बैस्ट आफिसर्स लें, बाकी को एक कलम से उड़ा दें। आप इनीशिएटिव वाले अफसरों को लें, बाहर के मुल्कों से लें। एक दफा जब काम शुरू हो जायेगा तो कोई मुश्किल नहीं आयेगी। तो मैं आप को बतला रहा था कि स्माल और काटेज इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो आप के आफिसर्स हों वे इनीशिएटिव वाले हों, हिम्मत वाले हों और उन में सूझ बूझ हो! यह नहीं कि सेन्टर से जब हिदायत आयेगी या कोई और बात होगी तो कुछ करेंगे, नहीं तो चुप बैठे रहेंगे।

मुझे और भी ताज्जुब हुआ कि रूरल इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग कमेटी बनाई गई। कब बनाई है? १८ अप्रैल, १९६२ को। आप ही बताइये, दस दस साल में जब आदमी भूखा खड़ा है, हाथ जोड़ता है तब आप कमेटी बनाते हैं। यह दिमाग है। अब एक कमेटी बनाई जायेगी इंटेंसिव रूरल इंडस्ट्रीज, काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिये। दस, बारह साल गुजर चुके तब यह कमेटी आई है, और इस कमेटी में वही नाम हैं जो गवर्नमेंट के अन्दर हैं। मालूम नहीं क्यों ऐसी कमेटी बनाई जाती है और इतनी देर के बाद बनाई जाती है? यह जमाना बतलायेगा---मेरे लफ्ज शायद कड़े हों, सख्त हों, बुरा मानने वाले हों ---लेकिन वक्त बतलायेगा, हिन्दुस्तान की तारीक बतलायेगी। हर एक देश में रिवोल्यूशन आता है। एक हद होती है एक आदमी के हाथ में धन दौलत के आने की। एक आदमी के पास काफी खाने पीने के लिये है और शहरों में ताकतवर लोग बैठे हैं और वादियात का एक तबका आप को रहम पर बैठा रहे, उस के लिये कोई चीज न हो तो वह दिन दूर नहीं होगा कि वे आवाज पैदा करेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन की तरह वक्त आयेगा जब वे आप के सामने खड़े होंगे और आप का मुकाबला करेंगे। आप के हाथ में कलम है, आप के पास पया है, आप के पास स्कीमें हैं, आप आला से आला अफसर उन के लिये ला कर के रक्खें और काम करें।

इस के बाद मैं इनसेनिटरी कंडिशंस के बारे में कहना चाहता हूं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि वादियात में जिस तरफ से हम निकलते हैं मुंह के आगे रुमाल लगाना पड़ता है, इतनी गन्दगी है? अगर आपका कोई प्रोग्राम होता है या कोई आदमी आने वाला होता है तो उस दिन सब जगह झाड़ दी जाती है। मुझे मालूम है कि उस दिन सफाई होती है। ईरान का बादशाह आता है वह ऐप्रिशिएट करता है और कहता है कि ओहो, बड़ी अच्छी बात है। आज भी वादियात में इतनी गन्दगी है.......

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या यह दुरुस्त है कि आप पंजाब में मिनिस्टर थे और इसी महकमें के इन्चार्ज थे ? आपने वहां क्या किया ?

श्री लहरी सिंह : मैं बतलाऊंगा कि मैंने वहां क्या किया। मैंने शुगर मिल्स बनाई हैं, लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई हैं, जो कि कहीं नहीं है। मैं बतलाऊंगा कि मैंने क्या किया है।

दूसरी बात मैं इनसेनिटेशन के बारे में अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से बतलाना चाहता हूं कि वह तजवीज बनाये और चीन में जाकर और दूसरी कंट्रीज में जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है। आज यहां पर टट्टियां जो हैं वह गन्दी पड़ी रहती हैं, हर चीज खराब होती रहती है। यही हाल पानी का है। अगर साउथ दिल्ली में जरा भी खराब पानी हो तो लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वादियात में हजारों गांव हर एक सूबे में हैं जहां पर पानी नहीं है। पानी इन्सान का हक है और वह उसे मिलना चाहिये। तो तीन चीजों की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं जो कि वहां पर नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय खत्म हो गया।

श्री ब्रज राज सिंह (बरेली) : माननीय सदस्य मेरी पार्टी से आज अकेले बोलने वाले हैं। इन्हें पूरा समय दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : गन्दे पानी की उन्नति हो रही है।

श्री लहरी सिंह : अगली बात कोआपरेशन के मुताल्लिक है। कोआपरेशन का महकमा जो है वह निहायत आला महकमा है। यह खयाल करना कि यह फेल हो जायेगा, यह गलत है। मैंने खुद तीन शुगर मिल्स बनाई हैं और वह मुनाफे पर चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोआपरेशन के महकमें को किस तरह सुधारा जाय। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी ला चुका हूं और राष्ट्रपति के नोटिस में भी ला चुका हूं कि इतना बड़ा मूवमेंट फेल हो जाये यह नहीं हो सकता। पंजाब नैशनल बैंक कामयाब हो जाये लेकिन कोआपरेशन मूवमेंट फेल हो जाये इसकी वजह यह है कि इसके रजिस्ट्रार वगैरह जो होते हैं वह आई० सी० एस० और आई० ए० एस० होते हैं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है तो कहा कि यह केडर पोस्ट हैं। मैंने लड़कर उनको हटवाया। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी मार्केट है, फारेन कंट्रीज से, वहां से आफिसर ले आओ, रजिस्ट्रार ले आओ जो कि इसको आर्गेनाइज करें और अच्छी तरह से चलायें। आज यह होता है कि थोड़े दिन एक रजिस्ट्रार रहता है फिर वह सेक्रेटरी हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी हो जाता है और उसके बाद बाहर भाग जाता है। इसलिये इस मूवमेंट को चलाने के लिये अच्छे से अच्छे आदमी ले आयें। जिस तरह से पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है उसी तरह से रजिस्ट्रार को भी काफी तन्ख्वाह देकर तैयार करवाइये।

आज एक बहुत बड़ी बात यह है कि **डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन में टू मच इंटरफियरेन्स** है फिर हाई रेट ग्राफ इंटरेस्ट है। आज रिजर्व बैंक से कर्जा मिलता है ढाई या तीन परसेंट पर लेकिन जमींदार को कर्जा मिलता है पांच या छः परसेंट पर।

एक माननीय सदस्य : साढ़े सात परसेंट पर।

श्री लहरी सिंह : साढ़े सात परसेंट पर मिलता है। ८०लाख रु० पंजाब गवर्नमेंट ने लिया। हर एक सूबे को करोड़ों रुपया रिजर्व बैंक देता है, लेकिन आप उस रुपये का खयाल करें जो कि ढाई या तीन परसेंट रिजर्व बैंक से मिलता है लेकिन इतना मंहगा जमींदारों को मिलता है। यह बड़ी भारी कमी है। आज रिजर्व बैंक को चाहिये कि यह हाई रेटआफ इंटरेस्ट कम करवाये। आप रजिस्ट्रार

को बदलवायें क्योंकि सर्विसेज के रजिस्ट्रार से काम नहीं चलेगा । इसी तरह से पंचायतों के बारे में आप **मिस-ऐप्रोप्रिएशन आफ फंड्स** को देखें । अब इतना समय नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें बतला सकूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में आप का कोई कानून नहीं है, किसी सूबे में नहीं है। कोई जायदाद हो सकती है जिसको पंचायत बैठ कर डिस्पोज आफ कर देती है, रोज मुकदमें होते हैं, पंचायतें मिसऐप्रोप्रिएशन आफ फंड्स के लिये जमीनों को नीलाम कर देती हैं, गलत राजीनामे करा लेती हैं, ईंट लगा कर उसमें फण्ड्स खा जाती हैं' लेकिन इसको हटाना बहुत जरूरी चीज है। इसके लिये कानून बनाया जाए। अगर मिसऐप्रोप्रिएशन आफ फंण्ड्स के लिये कोई कानून नहीं बनेगा तो बड़ी मुश्किल होगी।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विकास, सहकार तथा ग्राम पंचायत मंत्रालय की जो डिमान्ड आई है, उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। जहां तक डेवलपमेंट आफ कोआपरेटिव्ज का सवाल है आज करीब ५० वर्ष से ऊपर हो गये हैं, जब से यह कार्य हो रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १३० करोड़ रुपये शार्ट, मीडियम और लांग टर्म लोन्स के लिये किसानों को कर्ज देने के लिये था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह बढ़ कर के २२५ करोड़ रुपया हो गया। सन् १९५८ में रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट में जो कि सहकारी कार्यों की उन्नति के लिये बनाई गई थी, और जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उस में आप इस योजना को देखेंगे। उस नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने सहकारी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये अपने सुझाव जनता के सामने रखे हैं। मैं आपकी इजाजत से कुछ थोड़े से सुझावों को सदन के सामने रखना चाहता हूं।

सहकारी आन्दोलन का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना होना चाहिए और प्रारम्भिक तौर पर इसे गांव से आरम्भ किया जाना चाहिए।

यह सुझाव हैं हमारे पास, उन पर हमने कितना गौर किया है इस चीज का तखमीना अगर लगाया जाय तो हमें मालूम होगा कि इसमें जो सुझाव दिये गये हैं हम उनको पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी यदि हम इस मंत्रालय पर डालना चाहें तो यह गलत चीज होगी। आप, जो अपनी चीजें हैं जो दिक्कतें हैं, उनको देख कर, महसूस करें कि इन चीजों के होते हुए भी आप इन कार्यों को पूरा कर सके हैं या नहीं। इसके बारे में जो कुछ कहा गया है वह मैं खासकर आपके सामने रखना चाहता हूं।

व्यापक प्रशिक्षण गांव के नेताओं को देना चाहिए ताकि वह सहकारी कार्य कर सकें। इस दिशा में कार्य हो रहा है लेकिन हमको इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है।

उसके साथ साथ हमारी जो अड़चनें हैं वह यह हैं कोआपरेटिव लाज पेचीदा हैं। सहकारी संस्था को रजिस्टर करना तथा सहकारी संस्था के नियमों को सरल बनाना चाहिए। यह मानी हुई चीज है कि इस वक्त का जो कोआपरेटिव का कानून है वह हमारे लिये दिक्कतें पैदा कर रहा है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं।

इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि सहकारी संस्थाओं द्वारा तकावी कर्जे दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[श्री अ० सि० सहगल]

यह चीज आज मध्य प्रदेश में और खासकर बिलासपुर में हो रही है। हमें गर्व है कि बिलासपुर का जिला इस काम के लिये चुना गया और इस काम में वहां प्रगति हो रही है। यह कहना कि इसमें हमें कामयाबी नहीं मिली है मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जो हमारा डेवलपमेंट का काम है उसमें हमें जितनी कामयाबी मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिली है। यह पक्की बात है।

इसके साथ ही साथ फंक्शन्स के बटवारे के बारे में मुझे कहना है :

ग्राम पंचायत प्रशासनिक निकाय है और सहकारी संस्था एक व्यावसायिक संगठन तथापि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही संस्थायें कर सकती हैं अतः इस द्वैधता को बचाने के लिये दोनों में समायोजन होना जरूरी है।

आज हम देखते हैं कि अगर दोनों में कोआर्डिनेशन हो तो हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं।

आज इतने दिनों से हमारा सहकारिता का काम और विकास का काम चल रहा है। हम एक नई चीज पर जा रहे हैं और वह ग्राम पंचायतें हैं। हमें देखना चाहिये कि हमें इसमें कितनी कामयाबी हुई है। यदि हमें कामयाबी नहीं हुई है तो उसके कौन से कारण हैं और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसे लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस काम में दिलचस्पी रखते हैं। और वह कमेटी जांच करे कि हमको इस काम में कितनी सफलता मिली है।

इसके साथ ही साथ मैं सरविस कोआपरेटिव्ज के बारे में कहना चाहता हूं। हम इनके जरिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज होता क्या है ? सरविस कोआपरेटिव्ज को हमें जितना आगे बढ़ाना चाहिए था उतना हम नहीं बढ़ा पाये हैं। हमको जितनी चीजें जरूरी हो सकती हैं उन सब को साथ लेकर आगे बढ़ाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है। अगर इस प्रकार हम काम करें तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो बहुत सी आलोचना हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य करते हैं उसकी गुंजाइश नहीं रह जायेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप देखें कि कहां हमसे गलतियां हुई हैं और उनको ठीक करें।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि हम जो आज ग्राम पंचायतों की स्थापना करने जा रहे हैं यह बहुत ही उत्तम चीज है। लेकिन हमको देखना चाहिये कि हम इनको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिये हमको किन किन चीजों का खयाल रखना चाहिये। मैं आपसे अर्ज करूं कि यह क्यों जरूरी है। इसलिए कि इससे लोकतंत्र का विकास होता है और शताब्दियों के विदेशी राज्य के कारण जो गरीबी और निराशा छायी हुई थी उससे मुक्त होने की भावना का निर्माण होगा। इस सिद्धान्त को ध्यान में रख कर मैं कहता हूं :'पंचायत राज्य से देहाती लोगों को अपनी व्यवस्था आप करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्हें स्वयं अपने पांवों पर खड़ा होना आयेगा' अगर इन चीजों का ख्याल रखके हम काम करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि जो ग्राम पंचायतों की हम स्थापना कर रहे हैं वे कामयाब होंगी। बहुत से राज्यों ने इसको माना है और बहुत से राज्य इसको कार्यान्वित करने जा रहे हैं। लेकिन हमको यह देखना है कि जो सुझाव मैंने ऊपर दिए हैं उनके मुताबिक

इस काम को किया जाए । अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो पंचायत राज से डिसेंट्रलाइजेशन का काम पूरा नहीं होगा। पंचायत राज से यह लाभ होगा। इससे देश में नेतृत्व का विकास होगा खासकर गांवों के लिए यह चीज बहुत जरूरी है।पंचायत के लोगों को ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ऐसा सम्भव न हो कि वे आपस में मनमुटाव करके इस चीज को नाकामयाब बना दें ।

मुझे कोआपरेटिव का काम करने का सौभाग्य आज ३६-३८ सालों से रहा है और मैंने बड़े बड़े राय बहादुरों के साथ इस काम को किया। लेकिन हमने उसमें कांग्रेस की चीजों को लाने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों को सरकार के बड़े बड़े टाइटिल मिले हुए थे वे भी हमारे साथ काम करते थे। लेकिन हम सब सहकारिता के सिद्धान्त के अनुसार ही काम करते थे इस भावना से अगर आज भी हम काम करें तो ग्राम पंचायतें बहुत कामयाब होंगी ।

अब हमें देखना है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने इस काम को कहां तक पूरा किया है।

हम को अपने विलेज लेविल वरकर को और एक्सटेंशन स्टाफ को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। हमको देखना चाहिए कि राज्य सरकारें इस काम को ठीक तरह से कर रही हैं या नहीं। इसका ब्योरा रिपोर्ट में नहीं आता।

इसी सम्बन्ध में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हम ऐसी भी एक स्कीम बनावें कि जिसके द्वारा जो ग्राम सेवक अच्छा काम करें उसको प्रोत्साहन दिया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। हमारे यहां ग्रामों में जो वेस्ट लैंड्ज़ हैं, उन को भी ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में ले कर उन का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक काश्तकारी के औजारों का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि जो बहुमूल्य औजार हैं वे पंचायतों को खरीदने चाहिए। औजारों की मरम्मत का सरकार प्रबन्ध करेगी।

हम देखते हैं कि हर ज़िले में बहुत ज्यादा विकास-खंड बने हुए हैं। जहां तक मेरा खयाल है, बिलासपुर ज़िले में इस वक्त करीब करीब तीस विकास-खंड हैं। इस समय उन का काम एक कलेक्टर के ज़िम्मे है और सरकार चाहती है कि वह बराबर इस की देख-भाल करे। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि बड़ी जगहों पर एक ऐडीशनल कलेक्टर मुकर्रर किया जाये और उस को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाये ।

कुछ मित्रों के ज़रिये मेरे सामने जो तथ्य रखे गए हैं, उन से साफ़ मालूम होता है कि इस काम के सिलसिले में जितनी चीज़ें हमें मिलनी चाहिएं, वे नहीं मिल सकी हैं।

इस के बाद मैं आप का ध्यान नैशनल डेवेलपमेंट कौंसिल के इन शब्दों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं--मेरा मत यह है कि यदि इस आधार पर हम काम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमारी प्रगति को रोक नहीं सकती है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में मंत्रालय ने जो काम किया है, उस के लिए वह बधाई का पात्र है ।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों और उन की सफलता विफलता को देखने के बाद यह कहने को मजबूर होना पड़ता है कि आजादी मिलने के पंद्रह वर्ष बाद आज भी हमारा गांव, हमारे देहात, बहुत ही उपेक्षित हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही घातक परिस्थिति है। चूंकि आज देहात का विकास नहीं हुआ है, इस लिए रोजी न मिलने के कारण जब लोग देहात से शहरों की ओर भागते हैं, तो सरकार को उन के आवास और रोज़ी के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर देहात में विकास-कार्यक्रम को अच्छी

[श्री योगेन्द्र झा]

तरह से चालू किया जाये, तो आज देहात से शहरों की तरफ भागने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है और उस के परिणामस्वरूप शहरों में रोजी और आवास का मसला दिनों दिन गम्भीर होता जा रहा है, उस को बहुत हद तक खत्म किया जा सकता है ।

मैं आपके सामने कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के घोषित उद्देश्य रखना चाहता हूं, जोकि एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिये हैं कि देहाती क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्रांति लाकर वहां के लोगों का जीवनस्तर विविध क्षेत्रों में ऊंचा किया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी उद्देश्य बहुत ही ऊंचे और अच्छे हैं और मैं उन की सराहना करता हूं । किन्तु जब मैं उन उद्देश्यों की पूर्ति की तरफ़ नज़र डालता हूं, तो निराशा ही निराशा देखने को मिलती है ।

मैं आंकड़ों के द्वारा यह साबित करना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट प्लानिंग कमीशन को इस बात से सहमत कराने में असफल रहा है कि इतने बड़े देहात के लिए फंड्ज़ की जरूरत है । पहली पंचवर्षीय योजना में कम्यूनिटी डेवेलपमेंट और को-आपरेशन के लिए योजना का सिर्फ ५ परसेंट दिया गया और खर्च हुआ सिर्फ़ ४ परसेंट । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस विभाग को कुल ६ परसेंट मिला और कुल खर्च हुआ ५ परसेंट । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस के लिए ४ प्रतिशत रखा गया है और पिछले रिकार्ड के हिसाब से कहा जा सकता है कि इस अवधि में ३ प्रतिशत खर्च होगा ।

इतना ही नहीं, हमारा प्रशासन-तंत्र इतना निकम्मा है कि इस छोटी सी रकम का भी उपयोग नहीं हो पाया है । पहली पंचवर्षीय योजना में कुल आवंटित रकम १२२ करोड़ थी, लेकिन वास्तविक व्यय सिर्फ़ ८४ करोड़ हुआ, यानी आवंटित रकम का ६९ प्रतिशत । दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुल आवंटित रकम २६७ करोड़ थी, लेकिन वास्तविक व्यय हुआ २१९ करोड़, यानी कुल आवंटित रकम का ८२ परसेंट । इस तरह अगर देखा जाये, तो हर ब्लाक के लिए फ़र्स्ट स्टेज और सैकंड स्टेज में रुपया एक बार ही निर्धारित कर दिया गया । सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन देहात के विकास के लिए रकम बढ़ाने की कोई गुंजायश नहीं है । महंगाई २५ परसेंट बढ़ गई, अफ़सरों का खर्चा बढ़ गया, लेकिन प्रथम सोपान में १२ लाख और दूसरे सोपान में ५ लाख की जो लक्ष्मण-रेखा खींच दी गई है, इस से आगे बढ़ने की कोई गुंजायश नहीं है । इस में से बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग २० प्रतिशत, तो ब्लाक्स से सरेंडर हो जाता है, लौटा दिया जाता है, जिस का अर्थ यह है कि एक ब्लाक के १७ लाख में से लगभग साढ़े तीन लाख दस साल में लौट जाता है । अफ़सरों और प्रशासन पर और मकान आदि बनाने पर लगभग साढ़े चार लाख रुपया इन दस बरसों में खर्च हो जाता है और इस तरह से एक ब्लाक के ऊपर लगभग ९ लाख रुपया दस बरसों में खर्च किया जाता है । अगर इस रकम को सौ गांवों में विभाजित किया जाये, तो दस वर्षों में प्रतिगांव ९,००० रुपया खर्च होता है । इस का अर्थ यह है कि एक गांव में दस वर्षों में एक मध्यम दर्जे का तालाब बनाया जा सकता है, लेकिन इसी रकम से ही गांव में कुएं, सड़कें, बच्चों के लिए स्कूल, चिल्ड्रन्ज़ पार्क, पुस्तकालय-भवन, पुल और पाखाने आदि बनाने हैं । तो फिर ये सब काम करने के लिए रुपया कहां से आयेगा, यह भगवान् ही जानता है । अंडर-एम्पलायड पर्सन्ज़ को फुल एम्पलायमेंट देने के लिए साधन कहां से आयेंगे, यह ईश्वर ही जानता है ।

इस सम्बन्ध में क्या ऐचीवमेंट्स हुई हैं, यह मैं आगे बताना चाहता हूं । इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि इस विभाग को देहात के विकास के लिए जिस प्रभावशाली ढंग से कार्यक्रम बनाना चाहिए था, उस में वह विभाग सर्वथा असफल रहा है ।

सिंचाई के बारे में सिर्फ़ ये आंकड़े दिए गए हैं कि १९५९–६० में इस सम्बन्ध में १० करोड़ रुपए खर्च हुए और १९६०–६१ में १२.४९ करोड़ रुपए खर्च हुए । यह बहुत बड़ी रकम मालूम

होती है । विभाग को चाहिए था कि वह इस पर प्रकाश डालता कि कितने सिंचाई के कूप बने, कितने रहट बने, कितने पम्प और कितनी नहरें बनीं । उस को इन सब बातों का ब्योरा देना चाहिए था, लेकिन बहुत खूबी के साथ उस ने यह रकम बता दी है, जिस मे लोगों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि इस देश में सिंचाई पर १२.४६ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस रकम को ब्लाक-वार बांटना चाहिए । इस देश में १९६०-६१ में ३,५८६ ब्लाक थे। प्रत्येक ब्लाक में जब हम रुपया बांटते हैं तो ३४,८०० बैठता है। इसको अगर फी गांव बांटा जाता है तो ३४८ बैठता है। एक गांव की एक हजार आबादी हो तो सरकार ने लघु सिंचाई के नाम पर उसको ३४८ रुपया दिया। सरकार ने जो वहां ३० फुट के कुएं का हिसाब दिया है, उस पर लागत खर्च ६५० रुपये दिखाया है और यह तब जबकि लोहे की कीमत कम थी, कोयले का भाव कम था । इस हिसाब से ६५० रुपये का अन्दाजा है जो अनुदान के रूप में दिया जाता है, पब्लिक कोआपरेशन को छोड़ कर। इस हिसाब से दो बरस में एक गांव में एक कुआं बन सकता है । फिर रहट के लिये, लो लिफ्ट हैंड पम्प के लिए तथा दूसरे कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। यह कहीं नहीं बताया गया है कि और न ही मैं आपको बतला सकता हूं ।

आपने जो क्रौनिक अण्डर एम्प्लायमेंट से फुल एम्पलायमेंट की स्कीम अपने सामने रखी है उस का चित्र अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे यहां १९५९-६० में ११ अम्बर चर्खे फी ब्लाक दिये गये और १९६०-६१ में ८ दिये गए । इसका मतलब हुआ कि फी साल फी ब्लाक सिर्फ साढ़े नौ अम्बर चर्खे दिये गये । इस हिसाब से अगर काम किया जाए तो दस बरस में कितने ही गांव बीच में से छूट जायेंगे । वहां पर अम्बर चर्खा पहुंच नहीं सकेगा । यह हालत फ्राम अण्डर एम्पलायमेंट टु फुल एम्पलायमेंट की है । ईंटें बनीं ४.८ लाख १९५९-६० में और १९६०-६१ में वे घट कर ४.७ ही रह गईं । अम्बर चर्खा भी घट गया और ईंटें भी कुछ घट गईं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक सौ गांवों में चार लाख ईंटों को बांटा जाए तो चार हजार के लगभग एक गांव के हिस्से में वे आती हैं । दस बरस में अगर चालीस हजार ईंटें उनको मिली तो इससे क्या बनेगा, स्कूल बनेंगे, पुस्तकालय बनेंगे, पंचायतें बनेंगी, कम्युनिटी सैंटर्ज़ बनेंगे, कल्वर्टस बनेंगे, क्या क्या बनेगा । खपड़ा बना १.४ लाख । हद हो गई एक सौ गांवों में इतना ही बना । यह हमारी अचीवमेंट है रोजी देने के मामले में । अगर चार लाख ईंटें बनाने के लिये एक सौ गांवों में चार मजदूरों को रखा जाता है तो चार दिन में एक धंधा समाप्त हो जाता है । और एक लाख खपड़ा तो मैं समझता हूं एक दिन में एक सौ गांवों में बन सकता है अगर एक आदमी बनाये तब । अब आप सिलाई की मशीनों की हालत को देखें । १९५९-६० में बंटी २.४ और १९६०-६१ में ३.० । विकसित तेल घानी प्रति ब्लाक ०.६ और ०.८ । यह प्रति गांव का आंकड़ा नहीं है, प्रति ब्लाक का आंकड़ा है । वयस्क शिक्षा केन्द्र फी ब्लाक १४ थे पहले साल में जो कि बढ़ कर दूसरे साल में १६ हो गए । केन्द्रों की संख्या तो बढ़ी लेकिन वयस्क शिक्षितों की संख्या घट गई । जो पहले साल में ३१८ थी वह घट कर २५६ हो गई । ये हमारे आंकड़े हैं । इनके आधार पर सरकार यह दावा करती है कि अण्डर एम्पलायमेंट से फुल एम्पलायमेंट हम देने जा रहे हैं और क्रोनिक अण्डर प्रोडक्शन से फुल प्राडक्शन हम अचीव कर रहे हैं बाई दी एप्लीकेशन आफ साइंटिफिक नालेज । लेकिन सरकारी आंकड़े ही इन बातों को मिथ्या साबित करते हैं । मैं समझता हूं कि खुद सरकारी आंकड़े सरकार के उद्देश्यों को चुनौती देते हैं और सरकार की आंखें खोल देने के लिये उसके ये आंकड़े ही काफी हैं। सरकार के नुमाइन्दों को सोचना चाहिये कि जो कुछ हुआ है वह काफी नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी के सामने एक सुझाव रखूं । मैं दस बरस से उस क्षेत्र में हूं जहां ब्लाक हैं । मैं चाहता हूं कि एक कमीशन बने जो इस बात की जांच करे कि इन दस बरसों में जब से ब्लाक खुले हैं और जो खत्म होने जा रहे हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है, कितने लोगों को रोज़ी दी है, उपज में कितनी वृद्धि हुई है और सुझाव दे कि कैसे इस आर्गेनाइजेशन में सुधार लाया जा सकता है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है । मैं कह सकता हूं कि ग्राम सेवक तथा जनसेवक इत्यादि

[श्री योगेन्द्र झा]

जितनी पिट कम्पोस्ट के बारे में रिपोर्ट करते हैं, अगर उसको गुणा करके क्षेत्रफल निकाला जाए तो हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं।

कहा जाता है कि वहां पर स्टेटिसटिकल सुपरवाइज़र होते हैं। लेकिन उनको जनता सुपरफ्लुअस सुपरवाइज़र कहने लग गई है। उनका धंधा यह है कि आंकड़े कैसे गढ़े जायें, कहां से आंकड़ा मिलेगा, क्या वे भेजेंगे। यह सब फर्जी होते हैं। यह धंधा बन्द होना चाहिये। इसलिये यह जरूरी है कि कमीशन बने जो इन सब बातों की जांच करे कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या कुछ प्राप्त किया गया है और क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए।

मैं आप के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि इरिगेशन की मद में काफी रुपया लौट जाता है। इसकी क्या वजह है यह भी हमें बताया जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी खर्च बहुत ज्यादा होता है और शुद्ध विकास पर कम खर्च होता है। इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। एस्टीमेट्स कमेटी ने लिखा था कि सरकारी कार्यालयों से बहुत अधिक राशि व्यय की जाती है इसके बाद कृषि और पशुपालन का नम्बर आता है और तदुपरांत सिंचाई का इरिगेशन पर इतना कम खर्च क्यों होता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। जितनी बड़ी मात्रा में हम रुपयों को लौटा देते हैं ब्लाक से, अगर गांव को ५० परसेंट के बजाय सरकार की तरफ से ७५ परसेंट सहायता दी जाए और मिट्टी के काम में तो कहा जाता है कि वन फोर्थ मिलेगा ही, तो इतना रुपया आपको लौटाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। इस पर सरकार को चाहिये कि विचार करे।

ऐस्टीमेट्स कमेटी ने स्टाफ के बारे में जो कुछ कहा था, वह अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका कहना था :—

समिति ने यह देखा कि कर्मचारियों और दफ्तर की आवश्यक चीजों पर जो कुछ खर्च की वृद्धि की गयी वह वृद्धि अन्य मदों में नहीं हुई।

मैं हाल के आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे याद है कि १ अप्रैल १९६० से लेकर ३० सितम्बर, १९६१ तक ११६३ लाख रुपये कुल खर्च है जिसमें ५३९ लाख रुपये सिर्फ शासन के ऊपर खर्च है और १५ लाख अनक्लासिफाइड एक्सपेंडीचर दिखाया गया है। कमेटी ने जो आवजर्व किया था और आज जो आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए गए हैं उनको देख कर मानना पड़ता है कि सरकार ने कमेटी के सुझाव की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है और आज भी प्रशासन के ऊपर बहुत अधिक खर्च हो रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि प्रशासन पर होने वाले खर्च को कम किया जाए और वास्तविक विकास कार्य की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

कहने को तो मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन चूंकि आपने समय बहुत कम दिया है इस वास्ते मैं उसको छोड़ता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

†श्री अ० चं० गुह (बारसात) : इस मन्त्रालय को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन करे। लोगों के दृष्टिकोण में मनोविज्ञानिक तबदीली लाये। हमारे देश में हजारों वर्ष तक विदेशी राज्य रहा है, और इस गुलामी के दिनों की मनोवृत्ति में सामूहिक रूप से तबदीली लाना बहुत बड़ी बात है। सामुदायिक विकास मन्त्रालय के निर्माण के पूर्व इस विषय को मजाक समझ कर ही टाल दिया जाता था और प्रायः उसकी आलोचना की जाती थी। परन्तु अब लोगों का ध्यान इसकी ओर गम्भीरता से जा रहा है और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस दिशा में सबसे पहिले मैं पंचायत राज्य की बात करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायत राज्य का विचार हमारे देश की परम्परा में बहुत ही प्राचीन है। इसे आधुनिक युग में गांधी जी ने प्रस्तुत किया। संविधान के अनुच्छेद ४० में यह व्यवस्था है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये अग्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो। इस कार्य के लिये जब एक अध्ययन दल जिसके नेता श्री बलवन्तराय मेहता थे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो इसके बारे में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गयी थीं, परन्तु अब धीरे धीरे देश उसी ओर बढ़ रहा है। यह ठीक है कि कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस आलोचना में बहुत कुछ तथ्य है कि पंचायत राज्य से केवल सदस्य के शक्तिशाली वर्गों को लाभ हुआ है। इससे गांवों में साम्प्रदायिकता जातीयता और दलबन्दी भी फैली है। इसका यह मतलब नहीं कि इन कठिनाइयों के कारण हम इसे छोड़ दें, प्रत्युत् मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में जो कठिनाइयां हमने अनुभव की हैं उन्हें पूरी तरह हल करने का प्रयास करना चाहिये।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गांवों में जो दलबन्दी और परस्पर द्वेष की भावना है उसका सबसे सरल उपाय यह है कि वहां से दलीय राजनीति का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया जाये। स्पष्ट ही है कि यदि राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रवेश न करें और लोगों को जातिवाद के आधार पर मत देने को मजबूर न करे तो अधिकांश कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये मेरा विचार है कि विभिन्न राज्यों में समान कार्यप्रणाली हो, इस दृष्टि से एक केन्द्रीय विधान होना चाहिये। पंचायतों के लिये पर्याप्त वित्त व्यवस्था भी होनी चाहिय और पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

एक बहुत बड़ी बात यह है कि इससे स्थानीय उपक्रमों और साधनों का विकास किया जाना चाहिए। पंचायतों और सामुदायिक विकास खण्डों का यह कर्तव्य है कि वे यह देखें कि लोग प्रत्येक चीज के लिये सरकार की ओर ही न देखते रहे। स्थानीय स्तर पर आगे आने और स्थानीय स्तर का नेतृत्व का विकास किया जाना चाहिये।

अब मैं सहकारिता की ओर आता हूं। यह खेद की बात है कि सहकारिता आन्दोलन के विकास में पूर्वी क्षेत्र काफी पिछड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के निर्माण के लिए केन्द्रीय अधिनियम पारित किया जाना चाहिये। देश के समस्त राज्यों को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। यह भी बताया जाना चाहिये कि राज्यों में कितनी सहकारी संस्थायें नफे में और कितनी घाटे में चल रही हैं। सहकारी समितियां रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहायता प्राप्त ब्याज की दरों पर दिये जाने वाले धन पर चल रही हैं और उनकी अपनी कोई निधि नहीं है। इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जाने चाहिये। विपणन समितियां बनाई जानी चाहिये और भांडागारिता सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि किसान को अपनी पैदावार का संचित मूल्य प्राप्त हो सके। इस मंत्रालय के अन्तर्गत जितने विभाग हैं उनका समुचित ढंग से समन्वय किया जाना चाहिए।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोआपरेशन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और अनुभव से भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। दो तीन वर्ष पहले हमारे पार्लियामेंट के एक मेम्बर ने, जो इस वक्त एक स्टेट में मिनिस्टर हैं, मुझ से कहा कि जब मैं आता हूं एक न एक रोना तुम्हारा कोआपरेटिव का मिलता है। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि तुम कोआपरेटिव का काम चलाना छोड़कर कोआपरेशन पर भाषण दिया करो। मैंने उनकी राय को मान कर जिन कोआपरेटिव सोसाइटियों से मेरा सम्बन्ध था और जिनको बड़े जोश व खरोश के साथ शुरू किया था अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और सोचा कि सिर्फ भाषण ही दिया करूंगी। और इतने अनुभव के कारण मझे आज बहुत रंज से कहना पड़ता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार के सिवा और बहुत कम लोग दिलचस्पी लेते हैं, दूसरे मुहकमे उसमें कोई

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

दिलचस्पी नहीं लेते। इसी तरह से मेरा यह कहना है कि कोआपरेटिव के मन्त्री के सिवा इस काम में दूसरे लोग भी दिलचस्पी लेते हैं या नहीं और अगर नहीं लेते हैं तो लेना चाहिये और अच्छी तरह से कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

जितने तरीकों से हमारे यहां इण्डस्ट्रीज़ को मदद दी जाती है, उस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज को नहीं दी जाती। इण्डस्ट्रीज से भी मेरा थोड़ा बहुत सम्बन्ध रहा है और जो बहुत से कारखाने दिन रात बनते हैं चारों तरफ उनको भी मैं देखती हूं। इण्डस्ट्री के लोगों को व्यक्तिगत लोन दिये जाते हैं। पंजाब के अनुभव से मुझे मालूम है कि एक आदमी को परसोनल बाण्ड पर इण्डस्ट्री के लिये एक हजार रुपया मिल जाता है। पर्सनल बांड पर १००० रुपया एक आदमी को देते हैं। पंजाब से जब मैं लोकसभा की मेम्बर थी तो अनगिनत लोन के फोर्म्स पर मैं दस्तखत किया करती थी। १००० रुपया पर्सनल बौंड पर जहां से चाहे ले सकते थे। न मालूम उस १००० रुपय पर वह कौनसी इण्डस्ट्री खोल सकते थे या नहीं खोल सकते थे। इसी तरीके से ही बेशुमार लोंस उनको दिये जाते थे। मैं चाहती हूं कि मन्त्री महोदय इस बात को स्टडी कर के देखें कि लोग जब कोआपरेटिव्स बनाना चाहते हैं तो वाकई वह कोआपरेटिव सही तौर से और कायदे के मुताबिक बनाते हैं या नहीं। वैसे कानून के मुताबिक एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिये कम से कम ११ आदमी होने चाहियें लेकिन अब तक जो यह कोशिश होती है कि सोसाइटी बनानेके वास्ते कम से कम १५ आदमी हों, यह बहुत मुनासिब कोशिश है और उसके लिये कम से कम १५ व्यक्ति होने चाहियें। अब अगर १५ लोगों की कोई इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी खुले तो यह देखना होगा कि जितना उसका कैपीटल होना चाहिये और गरीब आदमी कितना कैपीटल अपने पास से उसमें डाल सकते हैं। अब अगर १५ में से दस आदमियों को एम्प्लायमेंट भी मिले क्योंकि वह लोग खुद अपने हाथ से काम नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल है कि यह कोआपरेटिव के उसूल के खिलाफ होगा। अगर वह लोग अपने हाथ से काम करें और इस इण्डस्ट्री में से अपनी वेजेज निकालने की कोशिश करें तो कितना कैपीटल वह खुद डाल सकते हैं कितने लोन से वह छोटी से छोटी इण्डस्ट्री खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, यह सब उनको स्टडी करना चाहिए।

मैंने इस बात की कोशिश की और मुझ को इसका सौभाग्य प्राप्त है कि यहां की एक बहुत बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी और जिसको कि हमारे यहां मौडल कोआपरेटिव सोसाइटी डिक्लेयर किया गया उसके बनाने में मेरा हाथ रहा। अब वह सोसाइटी कैसे चली और कितनी तिकड़में और कितनी बेइमानियां मैंने उस सोसाइटी को चलाने के लिये कीं इसको ईश्वर हीं बेहतर जानता है या फिर मैं जानती हूं। कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने उस सोसाइटी को बनाने और चलाने के लिये ना किया हो। सौभाग्यवश वह सोसाइटी बनी और यह उन गरीब लोगों की किस्मत कहिये जो आज वह सोसाइटी खड़ी हो गयी और अच्छी तरह चली और बहुत अच्छी तरह चली।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि किसी इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी के बनाने के लिये आप कागज पर भी उसकी स्कीम बना कर देखें कि कितना उसमें इनवैस्टमेंट है, और कितना वह अपने पास से पैसा डाल सकते हैं? १०० रुपया एक मुश्त डाल सकते हैं या नहीं? १५ आदमी अगर १५०० रुपये अपने पास से डालें तो कितने एम्प्लीमेंट्स आयेंगे और कर्जा कितना मिलेगा यह सब आपको स्टडी करके देखना चाहिये। १४ आदमियों को इम्प्लायमेंट देने के लिये कम से कम कितनी पूंजी चाहिये। अगर इन चीजों का बन्दोबस्त वह कर सकती है तो वह इण्डस्ट्रियल सोसाइटी है वरना नहीं है।

आज जब हम लोंस की तरफ देखते हैं तो उस में मद बड़ी बड़ी रकमें पाते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि किसी कोआपरेटिव सोसाइटी को कर्जा

देने के समय उसका क्लास स्टडी करने की कोशिश करें कि वह सोसाइटी किस क्लास की है। मन्त्री महोदय को देखना चाहिये कि जिस इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी को हम कर्जा देने जा रहे हैं उस सोसाइटी के बनाने वालों का क्लास कौनसा है इसको वह स्टडी करने की कोशिश करें। उनको लोन देने से पहले यह देखना चाहिए कि जिस क्लास के गरीब आदमियों को कोआपरेटिव सोसाइटी की हम मदद करना चाहते हैं वह लोग उसमें हैं या नहीं। लेकिन अगर इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिए वही पूंजीपति फायदा उठाते हैं जिनसे कि हम इस देश की गरीब जनता को नजात दिलाना चाहते हैं, वही पूंजीपति अगर इस तरह से सोसाइटीज़ बना लेते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं और लाखों रुपय का उनसे कर्ज ले लेते हैं, अपने कारखाने बना लेते हैं, जमीनें खरीद लेते हैं तो जिस नवीन भारत की स्थापना का हम स्वप्न देख रहे हैं और उसको बनाने की कोशिश में हैं उसके बनाने में हम कामयाब न हो सकेंगे। मुझे यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बदकिस्मती से हमारे यहां हो यही रहा है कि बड़े बड़े पूंजीपति इस तरह की कोआपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं और वहां से कर्ज लेकर कारखाने बना लेते हैं और जमीनें वगैरह खरीद लेते हैं। इसके रहते गरीब आदमियों की सोसाइटीज न तो यहां पर बन सकती हैं और न ही चल सकती हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि जब आप कोआपरेटिव को लोन दें तो पहले उसके क्लास को एनालाइज कर लें कि उस सोसाइटी के मेम्बर्स खुद अपने हाथ से काम करते हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीवर्स सोसाइटी तो है लेकिन उन में बीवर्स नहीं हैं? मकान बनाने वालों की सोसाइटी है लेकिन जैनुविन हाउस बिल्डर्स नहीं हैं। कोलोनाइजर्स लोग हाउसिंग सोसाइटीज बना कर बैठ जाते हैं और जमीन का व्यापार कर के भारी मुनाफा कमाते हैं। लोग बिल्डिंग मैटीरियल्स की कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स आते हैं और अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगी कि वाकई गरीब आदमियों की ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर देखें कि कितनी बसें आयेंगी और कहां से आयेंगी लेकिन यह तो होता नहीं है बस कर्जा देते रहेंगे और आखिर में कुर्क होकर चली जायेंगी।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इसी तरीके की एक इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी यहां दिल्ली में कायम हुई। एक साहब ने एक छोटा सा एग्रीकल्चरल इम्लीमेंट बनाया और अखबारों में उसकी बड़ी धूम मची। हमारी योजना में भी और हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों ने भी उस का परिचय दिया और कहा कि इतना अच्छा एक इम्प्लीमेंट बना कर दे दिया। इसी तरह साल भर तक लोगों के सन्देश आते रहे कि वह प्राइवेट इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट के हाथ में दे दी जाये ताकि वह उसको बना कर बेचें। अब साल दो साल तक उन मजदूर भाइयों की जिनकी कि वह कोआपरेटिव सोसाइटी बनी हुई थी, उनको समाजवाद पर मैं भाषण देती रही और वह बेचारे बगैर तनख्वाह के काम करते रहे और मकान बनाते हुए कर्जे के लिये कोशिश करते रहे। आखिर आज उस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं हुआ। सिवाय कोआपरेटिव मुहकमे के आलावा किसी ने उनकी कुछ मदद नहीं की और यहां दिल्ली का जो कोआपरेटिव का मुहकमा है उसकी मदद न हो तो उन मजदूर आदमियों को आज जेल में चले जाना चाहिये। यह हाल उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी का है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगी कि इन कर्जों की फीगर्स के चक्कर में उनको नहीं पड़ना चाहिये। सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि कौनसे इनकम ग्रुप के लोग हैं जो कि उस सोसाइटी को बनाते हैं, कहां क्या मदद होती है और किन लोगों को लोन मिलता है।

यहां की इण्डस्ट्रियल एंड फाइनेंस कारपोरेशन की लोंस की फीगर्स को मुझे देखने का मौका मिला तो मैंने देखा कि सन् १९४९ से सन् १९६१ तक तकरीबन १०५ करोड़ और ८२ लाख रुपये का कर्जा दिया गया है। यह तो ठीक है कि इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन ने इतना रुपया इण्डस्ट्रीज के लिये खर्च किया है पर जब उनकी तादाद देखी गयी तो मालूम हुआ कि यह इतनी लम्बी रकम उसने केवल २३९ कंसर्नस को दी है। अब हम चाहते हैं तो यह हैं कि देश में छोटे छोटे कारखाने खुलें, छोटे

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

छोटे लोगों की मदद हो लेकिन दरअसल हो यह रहा है कि वह मदद बड़े बड़े लोग उठा लेते हैं। यही कारण है कि हमारा पैदा करने और उसको वितरण करने का जो तरीका है वह समाजवादी ढंग पर पर नहीं चल सकता है। देशमें वास्तविक अर्थों में समाजवाद कायम करने के लिये इन चीजों को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें।

पहले जो कोआपरेटिव सोसाइटीज को कर्ज दिया जाता था अभी मेरे एक साथी ने बताया कि लोन मिलता था उस पर बहुत ब्याज लिया जाता था। पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज को पेड अप कैपीटल होता था लोन उसका ४,५, ६, ७ या ८ गुना तक देने की प्रथा थी लेकिन अब कम है अब तो जितना कोआपरेटिव सोसाइटी का पेड अप कैपीटल है सिर्फ उतना ही कर्जा उसे दिया जायेगा इसका मतलब यह होता है कि अगर उनका ५०० रुपया पेड अप कैपीटल है तो ५०० रुपया कर्ज दिया जायेगा और अगर १००० रुपया कैपीटल है तो सिर्फ १००० रुपया कर्ज दिया जायेगा उससे ज्यादा कर्जा अब नहीं दिया जाता है। अब इस तरह से कोआपरेटिव्स का मजाक सा उड़ाना है क्योंकि उतने कैपीटल से किसी के यहां कुछ होता नहीं है और कोई सोसाइटी इस तरह से नहीं चल सकती है।

आडिट फीस जो लगाई जाती है उसके लिये भी बहुत जगह शोर मचाया जाता है कि सोसाइटीज के रजिस्ट्रार जो उनको आडिट करते हैं उनकी फीस भी अभी तक बहुत ज्यादा है और यह भी छोटी सोसाइटीज के लिये एक दिक्कत तलब चीज है।

इसी के साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि कोआपरेटिव्स पर ही उज्जवल भारत बनाने के वास्ते हम आशा लगाये बैठे हैं। अगर यह ठीक से नहीं चलती हैं तो हमारे भावी समाजवादी भारत का जो नक्शा हमारे सामने है उसके साकार होने की आशा नहीं की जा सकती।

कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज की अपनी तकलीफें हैं। मैं उन लोगों की हामी नहीं हूं जो यह कहते हैं कि सरकार को आपरेटिव सोसाइटीज में कोई दखल नहीं होना चाहिये। मैं तो सोचती हूं कि सरकार का दखल उन में काफी होना चाहिये। सरकार को उनको देखना चाहिये और उनकी निगरानी करनी चाहिए। एक आदमी कोआपरेटिव स्टोर में १० रुपये का या २० रुपये का एक शेयर खरीद कर बैठ जाता है। अगर १००० आदमी १०, १० रुपये के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उनकी १०००० रुपये की पूंजी हो जाती है बाकी सरकार देती है। स्टोर खोल लेते हैं अगर उस इन्तजाम में कोई खराबी हो जाती है तो जिसने १० रुपये का शेयर लिया है वह उसके मैनेजमेंट को ठीक करने के लिये कुछ नहीं कर सकता। अगर वह मीटिंग बुलाने के लिये एक, एक पोस्टकार्ड डालना चाहे कि सब लोग जमा हो जायें और देखें कि उसमें क्या गड़बड़ हो रही है तो उसका इतना खर्चा हो जायेगा कि वह उसकी निगरानी नहीं कर सकता। इतना बड़ा आन्दोलन चलाता रहे एक स्टोर चलाने के लिये यह सम्भव नहीं है। उसकी निगरानी करना तभी सम्भव हो सकता है जब सरकार या हमारे रजिस्ट्रार या जो भी मशीनरी हमारी हो, वह खुद इधर ध्यान दे नहीं तो अक्सर यह हो जाता है कि वह एक आदमी का धंधा हो जाता है, एक आदमी की दुकानदारी हो जाती है, उसके बीवी बच्चों तक सीमित रहता है और उसका फायदा किसी और को नहीं पहुंचता है।

इस के बाद मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि खर्च के अलावा--खर्च तो होता ही है--सोसायटीज़ के रजिस्ट्रेशन के काम में इतनी देर हो जाती है कि लोगो को सहकारी समितियां, कोआपरेटिव सोसायटीज़, बनाने का शौक, उन की दिलचस्पी, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो सोसायटी को रजिस्टर्ड कराने का इरादा करता है, उसको, खासकर गांवो में, बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है।

उस को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वह तंग आ जाता है । अगर वह पूंजी में से खर्च कर देता है, तो रजिस्ट्रार शिकायत करता है । वह शेयर-मनी में से खर्च नहीं कर सकता और अगर वह शेयर-मनी में से खर्च नहीं करेगा, तो वह अपने खर्च पर रोज गांव से शहर कैसे जायगा, कैसे कभी इंस्पैक्टर को और कभी बी० डी० ओ० को बुलायेगा ? उसको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है । आजकल रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मुश्किल काम बना हुआ है ।

मैंने रिपोर्ट में देखा है कि को-आपरेटिव शूगर फैक्ट्रीज की फ़ेडरेशन को रजिस्टर्ड किया गया है । तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि काफ़ी वालों की को-आपरेटिव सोसायटीज की, जो कि सारे हिन्दुस्तान में हैं, फेडरेशन को रजिस्टर्ड करने का मामला क्यों दो, ढाई साल से पड़ा हुआ है । वह केस कभी दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास जाता है और कभी सैंटर के रजिस्ट्रार के पास, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन होने में नहीं आती है ।

काफी बोर्ड ने अपने जिन एम्पलाईज़ को रिट्रेन्च किया था, उन्होंने अपनी सोसायटीज़ बनाई हैं और अपने पैरों पर खड़े हो कर वे काम में लगे हुए हैं । वे सारी सोसायटीज़ प्राफ़िट पर चल रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी मदद करने में हमारी तरफ़ से देरी होती है--हालांकि मैं यह भी कहूंगी कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनकी मदद की है । वे सारे हिन्दुस्तान में ३३, ३४ को-आपरेटिव सोसायटीज़ चला रहे हैं और बहुत प्राफ़िट पर चला रहे हैं । हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी फेडरेशन को फ़ौरन रजिस्टर्ड करके उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ।

को-आपरेटिव्ज़ पर हम को विशेष ध्यान इसलिए देना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि को-आपरेशन मूवमेंट का यह पौधा शुरू में ही मुरझा जाये । जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, अगर यह सब काम उन्हीं के हाथों में चला जाये, जिनसे हम गरीब आदमियों को बचाना चाहते हैं और इस तरह हिन्दुस्तान का नक्शा बदल देना चाहते हैं, तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं रहेगा ।

इन चन्द बातों की तरफ़ मैं मंत्री साहब का ध्यान दिलाना चाहती हूं । मुझे उम्मीद है कि वह इस बारे में जल्दी कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व-प्रथम तो मैं इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को, चाहे उन्होंने जितना थोड़ा काम किया हो, धन्यवाद दूंगा । इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट सामने है, उसमें इतना सुन्दर चित्र खींचा गया है कि मालूम होता है कि शायद अब आगे प्रगति की आवश्यकता नहीं रही है ।

यदि हम सफ़हा ४३ पर दिये गये आंकड़ों को देखते हैं, जिनमें गांवों में रोज़गार देने के लिए और उनकी प्रगति करने के लिए लगाए गए साधनों का ब्यौरा दिया गया है, और दूसरी ओर इस देश के गांवों की संख्या और उनकी आबादी को देखते हैं, तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस सम्बन्ध में जो रुपया व्यय किया गया और जो प्रयत्न किये गये हैं, वे बहुत ही नाकाफ़ी हैं । इन आंकड़ों के द्वारा देहात का जो चित्र खींचा गया है, वास्तविक स्थिति उससे बिल्कुल भिन्न है । अगर माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को पढ़ें और इन आंकड़ों को देखें और उनकी तुलना गांवों की वर्तमान स्थिति से करें, तो उनको बड़ा भारी विरोधाभास दिखाई देगा ।

आज एक समस्या और खड़ी हो गई है और वह है संख्या-सुर को--ये आंकड़े ग़लत हैं, सही नहीं हैं । जो रिपोर्ट हम को मिलती है, वह सही नहीं है । नीतियों में मत-भेद हो सकता है, लेकिन अगर वस्तु-स्थिति से ही इन्कार किया जाये, जैसी कि इस वक्त हालत है, तब तो बड़ी चिन्ता की बात हो जाती है । अगर हम कहें कि हालत खराब है, अमुक अमुक कार्य नहीं हुए हैं, तो इसमें नीति का सवाल नहीं है, वस्तु-स्थिति का सवाल है, लेकिन उधर से जवाब मिलेगा कि यह बात

[श्री राम सेवक यादव]

भी गलत है। अभी माननीय सदस्या ने सहकारी समितियो के बारे में अपने विचार रखे और अपना दुख प्रकट किया, लेकिन शायद उधर से जवाब दिया जायगा कि यह गलत है।

परसों इस सदन में मद्य-निषेध के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या यह सही है कि सरकारी नौकरों में खास तौर से मद्य-पान की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह बात सही है और माननीय मंत्री के विभाग में बी० डी० ग्रोज़० और डी०पी० ग्रोज़० आदि ने एक ऐसा क्लब स्थापित किया है, जिसमें मद्य पिये जाने की बात कही जाती है। दिल्ली में भी कुछ ऐसे क्लब है, जिन में जूए और शराब के सिवा और कुछ नहीं होता है। (अन्तर्बाधा) ये लोग वस्तु-स्थिति से इन्कार करते हैं। जब वस्तु-स्थिति से ही इन्कार किया जाता है, तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है।

इस रिपोर्ट में पंचायतों, सामुदायिक विकास और सहकारिता का ज़िक्र किया गया है। सामुदायिक विकास के सिलसिले में पंचायतों के ऊपर भी काफी ज़ोर दिया गया है और ठीक हो दिया गया है। हमारे संविधान में ग्राम-पंचायतों के निर्माण की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि वे हमारे शासन की एक प्रमुख इकाई बनेंगी। इसी उद्देश्य को सामने रख कर ग्राम-पंचायतों का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य में पंचायतों का निर्माण नहीं किया गया है। शायद वहां पर इस बारे में अभी कानून भी नहीं बना हुआ है। आज यह स्थिति है। आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और ऐसे कुछ अन्य प्रदेशो में पंचायतों को अवश्य कुछ अधिकार मिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में तो पंचायतों को अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं मिली है।

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य अन्य राज्यों के सम्बन्ध में बोलते हुए तथ्यों पर ध्यान रखें।

श्री राम सेवक यादव : वहां पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, वे नाकाफी हैं।

(अन्तर्बाधा)

सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) माननीय सदस्य ने वैस्ट बंगाल के बारे में जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): सारे बंगाल में पंचायतें नहीं बनीं हैं, यह तो सही बात है।

श्री ब० स० मूर्ति : पंचायतें हैं **(अन्तर्बाधा)**.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : सारे बंगाल में पंचायतें नहीं हैं। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री राम सेवक यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये गये हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहूं कि उतर प्रदेश में पंचायतें और ग्राम सभाएं कायम हैं, लेकिन उनको अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं दी गई है।

पंचायतें देश की ८०, ८२ प्रतिशत जनता से सम्बन्ध रखती हैं। संविधान ने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की है, उसके तीन उद्देश्य रहे होंगे---गांवो की जनता को शासन में सीधे हिस्सा लेने का अधिकार मिले, गांवों की जनता को अपनी समस्याओं को हल करने का अवसर दिया जाये

---

†मूल अंग्रेजी में

और जो योजनायें चल रही हैं, उनमें वे वह सक्रिय सहायता दे सकें। लेकिन पंचायतों का जो गठन है, उन को जो अधिकार दिये गये हैं, अगर हम उनको इन तीन उद्देश्यों की कसौटी पर कसते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं।

मैं इस सम्बन्ध में आप के सामने उत्तर प्रदेश की मिसाल रखना चाहता हूं। वहां जो पंचायतें और गांव सभाएं बनी हैं, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सारे अधिकार केन्द्रित हैं राज्य और केन्द्र में। उद्देश्य तो यह था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, ताकि उस सत्ता के सहारे गांवों का निर्माण हो सके, उनकी योजनायें चल सकें, लेकिन उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

जब सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात आती है, तो उसके साथ साथ पंचायतो और गांव सभाओं के अधिकारों का सवाल उठता है। और कैसे अधिकार? अधिकार तीन प्रकार के हैं। एक तो यह कि गांव के सम्बन्ध में, या उस के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत कानून या नियम बनाने का हक; दूसरा यह कि उस के कार्य-क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण, उनको नौकर रखना, हटाना और स्थानान्तरित करना आदि; और तीसरा यह कि चूंकि काम चलाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, इस लिए खजाने पर भी कुछ अधिकार। लेकिन ये तीन प्रकार के अधिकार गांव पंचायतों को नहीं मिले हैं। अगर ये अधिकार उनको नहीं मिलते हैं तो उनको सही मानो में शासन की एक इकाई नहीं माना जा सकता और न ही उनके ज़रिये गांवो का निर्माण हो सकता है और न ही वे पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने का एक औज़ार बन सकती हैं।

अकसर कहा जाता है कि गांव पंचायतों में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये, राजनीति का अखाड़ा उनको नहीं बनाया जाना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर राजनीति है किस लिये। राजनीति का उद्देश्य लोगों का आर्थिक विकास करना और उनको सुख-सुविधायें प्रदान करना है तथा उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर कराना है। अगर राजनीति गंदी चीज़ है तो यहां क्यों राजनीति की बात की जाती है। इस तरह का सवाल उठा कर जो वास्तविक चीज़ है तथा जो आवश्यक चीज़ है, उससे उनका ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है। उनको अधिकार देने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर हम चाहते हैं कि पंचायतें शासन की एक इकाई बनें, गांवों की साधारण जनता का जोकि देश की कुल जनसंख्या का ८८ प्रतिशत है, हित हो और वे अपने पैरों पर खड़ी हों तो पंचायतो को हमें तीन अधिकार देने होगें जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं।

चौथी चीज़ यह है कि जब नियोजन पर विचार हो तो उसके खर्चे को चार हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा केन्द्र खर्च करे, एक हिस्सा राज्य खर्च करे, एक हिस्सा जिला खर्च करे और चौथा हिस्सा गांव के ऊपर खर्च करने का पंचायत को अधिकार दिया जाए और उसको योजना की प्राथमिक इकाई माना जाए। उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वे गांवों की योजनाएं स्वयं बनायें और जब वे उनको स्वयं बनायेंगी तो जहां जहां वे समझेंगी रुपया खर्च किया जाना चाहिये, वहां वहां खर्च करेंगी। खेती के सुधार, पीने के पानी, सिंचाई इत्यादि पर उनको अगर रुपया खर्च करने का अधिकार मिल जाएगा तो काम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेगा। आज अवस्था यह है कि ऊपर से धन मंजूर कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये ये काम करने हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कुल के कुल अधिकार बजाय पंचायतों के सरकारी कर्मचारियों, सरकारी नौकरों के हाथ में चले जाते हैं और जब ये सरकारी नौकरों के हाथ में चले जाते हैं तो वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है। आज ज़िलों और पंचायतों में एक तरह की दो अमली हुकूमत है। एक तरफ सरकारी नौकर हैं और दूसरी तरफ जन प्रतिनिधि और

[श्री राम सेवक यादव]

दोनों में आज टकराव और होड़ है। यह टकराव और होड़ जब तक रहेगी कोई काम ठिकाने से नहीं चल सकेगा।

आज बीच में विकास खण्ड खुले हुए हैं। उनके ज़रिये गांवों की तरक्की की बात की जाती है, निर्माण की बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन विकास खण्डों में सरकारी नौकरों की पलटन भर दी गई है। न जाने कितने बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० महिला मंगल योजनायें तथा न जाने कौन-कौन सी योजनायें बना दी गई हैं और कितनी संख्या में इनको रख लिया गया है। य योजनायें ऐसी हैं जो गांव का साधारण आदमी समझ नहीं पा रहा है। सरकारी कर्मचारी गांवों में तरक्की की बात करते हैं लेकिन उनकी भाषा, पोशाक इत्यादि इस ढंग की होती है कि लोग उनके पास आने के बजाय उन से दूर भागने लगते हैं। उनका जन-सहयोग लेने का तरीका ऐसा है कि जनता का सहयोग वे प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। मुझसे जो एक घटना घटी है, उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं। चूंकि वेश, भाषा, भूषा इत्यादि उनकी जनता से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, इसलिए ये प्लानिंग आफिसर, ए० डी० ओ० इत्यादि जब जाते हैं, तो जनता के मन में कोई उत्साह पैदा नहीं होता है। जो घटना मैं सुनाने जा रहा था वह इस प्रकार है। मेरी कंस्टिट्युएंसी बाराबंकी में एक विकास खण्ड हैदरगढ़ है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं धोती कुर्ता, पहने हुए वहां पहुंच गया और जा कर कुर्सी पर बैठ गया। उसी बीच में कोई साहब कोट पतलून पहने हुए आए और मुझ से कहने लगे कि तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठ गए, यह तो बी० डी० ओ० की कुर्सी है। मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा सोच समझ कर बात करो। इसी बीच में एक और साहब आए और कहने लगे कि माफ कीजियेगा, यह आपको पहचानते नहीं हैं। मैंने कहा यह तो आपने बड़ी जबर्दस्त गहरी बात कह दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहने कर जाएगा तो उसके साथ तो शराफत से पेश आया जाएगा और अगर कोई गरीब आदमी धोती, कुर्ता, पायजामा इत्यादि पहन कर जाएगा तो उसको ज़लील किया जाएगा। अगर कोई बड़ा आदमी जाएगा तो उसके साथ अच्छी तरह से पेश आया जाएगा और अगर कोई छोटा जाएगा तो उसकी कोई सुनवाई ही नहीं होगी। गांव में चूंकि अकसर धोती कुर्ते वाले लोग रहते हैं, इसलिए उनके साथ अगर अच्छी तरह से पेश नहीं आया जाएगा, उनकी सहायता और सहयोग आप कैसे प्राप्त कर सकेंगे उनके दिमागों में दूसरी ही चीज़ समाई हुई है। विकास खंड के अधिकारियों को जनता की परवा नहीं, उनको परवा है कि उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे या उनका दूसरा काम काज कैसे चले। और उसकी हालत यह हो गई है कि शाही यतीमखाना वह बन गया है और जनता को राहत पहुंचाने का आला नहीं रह गया है। जनता अब यहां तक कहने लगी है कि ये विकास खंड नहीं, विनाश खंड हैं। विनाश जनता का हो रहा है और विकास हो रहा है बी० डी० ओज़० वगैरह का जो मोटरों में चढ़ते हैं।

सहकारिता पर जब हम विचार कहते हैं तो पाते हैं कि सहकारिता की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। एक माननीय साथी ने कहा कि पचास वर्ष से यह काम चल रहा है लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में कोई प्रगति हुई हो, ऐसा हम नहीं देखते हैं। हमारा तो निश्चित मत हो गया है कि सहकारिता के आन्दोलन को सरकार स्वयं सफल देखना नहीं चाहती है। आज जिस तरह से समाजवाद के दाम पर पूंजीवाद चल रहा है, उसी तरह से सहकारिता के नाम पर सरकारवाद चल रहा है। यह सहकारिता है या सरकारीपन। जो कोओप्रेटिव आधार पर सहकारी भट्टे चलते हैं, साधन सहकार समितियां चलती हैं या गन्ने की समितियां चलती हैं, तो इसमें केवल सरकारी नौकरों को ही सभी अधिकार रहते हैं, जनता को कोई अधिकार

नहीं दिये जाते हैं। अफसरों का प्रभाव ही वहां पर होता है। ऐसी सहकारी समितियां या साधन सहकारी समितियां तभी तक चलती हैं जब तक उनका किसी से कम्पीटीशन नहीं होता है और जैसे ही कम्पीटीशन में कोई आ जाता है या मुकाबले में आ जाता है, वैसे ही वे असफल हो जाती हैं। जब सरकारी अफसरों का प्रभाव हो जाता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है जिससे वे बदनाम होती हैं और आगे चल नहीं पाती हैं।

सहकारिता का आधार है, समानता और अगर समानता नहीं होगी तो सहकारिता कैसे चलेगी। आज हमारा समाज असमानता के ऊपर चल रहा है और जब असमानता है तो सहकारिता चलेगी कैसे।

मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार स्वयं सहकारिता नहीं चाहती है। आज जमींदारी करीब करीब सारे देश में खत्म हो गई है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर गांव और हर पंचायत के पास कुछ ऐसी जमीन है जो किसी किसान की या किसी व्यक्ति की नहीं है, ग्राम समाज की है, और जो पंचायत की मिलकियत बन गई है। उस भूमि पर सहकारी ढंग पर खेती करवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। पंचायत के अन्तर्गत बसने वाले गरीब आदमियों, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास करने के लिये काम नहीं है, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं, जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित हैं, उनको इकट्ठा कर के सहकारी खेती की शुरुआत वहां पर नहीं की गई है। अगर ऐसा किया जाता और इसको सफल कर के दिखाया जाता तो इस का बहुत अच्छा प्रभाव लोगों पर पड़ता। मैंने पिछले चुनावों में देखा है कि सभी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हमारे खिलाफ प्रचार करती रही हैं कि यह जो सहकारी खेती है, यह सहकारी खेती नहीं है बल्कि सरकारी खेती है। आप भी इस सहकारी समितियों के प्रयोग को, सहकारी खेती को सफल नहीं होने देना चाहते। भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है क्योंकि सरकारी अधिकारियों के हाथ में ही सारी शक्ति केन्द्रित रहती है। ऐसी सूरत में जब जनता को इस चीज की ओर प्रेरित करने की कोशिश की जाती है, उसको यह समझाने की कोशिश की जाती है, तो वह घृणा की भावना प्रदर्शित करती है, इससे दूर भागती है।

सरकार की तरफ से अगर यह प्रयास किया गया होता कि गांवों की बंजर जमीन को तुड़वा कर सहकारी आधार पर उसको दे दिया जाता तो किसानों के सामने एक अच्छा उदाहरण यह होता और उनका मन तथा दूसरों का मन भी इस ओर खिंचता और वे भी इस प्रयोग को अपनाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।

आपने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है कि कितनी अधिकतम जमीन किसके पास रहेगी। मैं अपने राज्य की बात कहता हूं। वहां पर जो भूमि वितरण का काम है, वह आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके अन्तर्गत कुछ नहीं हुआ है क्योंकि पहले ही ४० और ६० एकड़ जमीन छोड़ दी गई है और इसी तरह से बागों के नाम पर, पोल्टरी फार्म के नाम पर, डेरी फार्म्स के नाम पर, जड़ी बूटियों के फार्म्स के नाम पर, न जाने कितने नामों पर कितनी भूमि और छोड़ दी गई है। ऐसी सूरत में सहकारिता के आधार पर जमीन का प्रबन्ध करने के लिये आपको जमीन मिलेगी कहां से। आप को चाहिये था कि आप ईमानदारी से काम करलें। मैं तो चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन चले और यह सफल हो। कानून बनता, जमीन ली जाती और उस जमीन पर सहकारी खेती करवाई जाती। बेकार लोगों की सहकारी समिति बनती। उनको जमीन दी जाती, उनकी सहायता की जाती और इस आन्दोलन को सफल बनाने का प्रयास किया जाता। यदि ऐसा किया गया होता तो देश में सहकारिता के प्रति जोश और उल्लास होता।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यह जो योजना चल रही है और उस का आधार हमारा विकास मंत्रालय है, उसके बारे में काफी चर्चा होती रहती है कि वह जन सहयोग लेने में असमर्थ रही है। उसको जनता

का सहयोग नहीं मिल रहा है। पांच साला योजनायें जो चल रही हैं उनके प्रति उनमें कोई जोश नहीं है। और उसका कारण है भ्रष्टाचार। हर जगह पर भ्रष्टाचार है। खाद लेने जाइये तो भ्रष्टाचार, तकावी लेने जाइये तो भ्रष्टाचार, कुंएं बनवाने के लिये पैसे लेने जाइये तो भ्रष्टाचार। यह जरूरी नहीं है कि काम होता ही हो, लेकिन फिर भी अगर आप दस बार भाग भाग कर रिश्वत नहीं देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। औजारों के वितरण का सवाल है, खाद के वितरण का सवाल है, अव्वल तो औजार उन लोगों को ही मिलते हैं जिनके पास पैसा है, जो बाहर से भी मंगवा सकते हैं उनको मिलता है। लेकिन वह भी तब मिलता है जब वे दफ्तरों की खाक छानें और रिश्वत दिलायें। ट्यूब वैल में यही बात है, घानी वाली चीज में भी यही बात है। खाद के मामले में भी रिश्वत चलती है। शुरू से आखिर तक रिश्वत का बाजार गर्म है। जब तक यह भ्रष्टाचार बन्द नहीं होता और सरकार का दृष्टिकोण सहकारी आन्दोलन और पंचायतों के बारे में साफ नहीं होता कि वास्तव में वे ईमानदारी से चाहते हैं कि यह चीजें ठीक से चलें, वे उनको आगे ले जाना चाहते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वह जब इस तरह से चाहेंगे तभी वह चीजें सफल हो सकती हैं, वरना नहीं।

सामुदायिक विकास, तथा सहकार मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	१	श्री मे० क० कुमारन .	पंचायत के चुनावों से राजनैतिक दलों को दूर रखने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	२	श्री मे० क० कुमारन .	सामुदायिक विकास कार्यों द्वारा गरीब जनता का आर्थिक विकास करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
६	३	श्री मे० क० कुमारन .	सामुदायिक विकास कार्य में भाग लेने के लिये जनता में उत्साह पैदा करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
६	४	श्री शि० स्वामी .	सामुदायिक विकास खंडों की पुनर्व्यवस्था	१०० रुपये
६	५	श्री शि० स्वामी	अधिकारियों द्वारा दौरों में रुपयों का अपव्यय	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	६	श्री शि० स्वामी	ग्रामीणों के बीच सहकारिता और समायोजन की भावना की आवश्यकता	१०० रुपये
६	२२	श्री लहरी सिंह .	पंचायत की राशियों के गबन को रोकने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
६	३०	श्री मे० क० कुमारन् .	कृषि में सहकारी क्षेत्र का विकास करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
६	३१	श्री मे० क० कुमारन् .	तकावी ऋणों को सहकारिताओं के द्वारा देना	१०० रुपये
६	३२	श्री मे० क० कुमारन् .	ग्राम गृह उद्योग परियोजना की क्रियान्विति	१०० रुपये
६	३३	श्री मे० क० कुमारन् .	सामुदायिक विकास कार्यों में नारियों के सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहन	१०० रुपये
७	८	श्री दशरथ देव .	त्रिपुरा के सारे क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास खंडों का विस्तार करना	१०० रुपये
७	९	श्री दशरथ देव	सामुदायिक विकास खंडों द्वारा त्रिपुरा की आदिम जनता में उत्साह पैदा करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
७	१०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड की प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	११	श्री मे० क० कुमारन् .	केरल राज्य में सहकारी क्षेत्र की असन्तोषजनक स्थिति	१०० रुपये
७	१२	श्री मे० क० कुमारन् .	केरल के खंड क्षत्रों में छोटे उद्योगों का विकास करने में असफल रहना	१०० रुपये
७	१३	श्री मे० क० कुमारन् .	केरल में खंड क्षेत्रों में छोटे सिंचाई कार्य करने में असफल रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७	१४	श्री मे० क० कुमारन् .	केरल में सामुदायिक विकास खंडों के कार्य के पुनरीक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७	१५	श्री मे० क० कुमारन् .	केरल की विशेष अवस्थाओं के अनुसार सामुदायिक कार्य में परिवर्तन करना	१०० रुपये
७	१६	श्री शि० स्वामी	सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये ग्रामीणों का और अधिक सहयोग प्राप्त करना	१०० रुपये
७	१७	श्री शि० स्वामी	गांव की अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये जन शक्ति का उचित उपयोग	१०० रुपये
७	१८	श्री शि० स्वामी	निर्दलीय पंचायतों की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
७	२४	श्री लहरी सिंह	पंजाब के सामुदायिक विकास खंडों के कार्य के पुनरीक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७	२५	श्री रिशांग किशिंग .	आदिमवासी पहाड़ी इलाकों के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खंडों में बदलने की आवश्यकता	१०० रुपये
७	२६	श्री रिशांग किशिंग .	विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये एक चुनी हुई विकास समिति का निर्माण करना	१०० रुपये
७	४५	श्री राम सेवक यादव .	सामुदायिक विकास परियोजनाओं द्वारा पिछड़े व्यक्तियों की दशा सुधारने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
७	४६	श्री राम सेवक यादव .	सहकारिकता के संबंध में जनता में दिलचस्पी पैदा करने और उनको जानकारी देने में असमर्थ रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७	४७	श्री बड़े	मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता	१०० रुपये
११३	२७	श्री लहरी सिंह	पंजाब में सहकारिता की असंतोष-जनक स्थिति	१०० रुपये
११३	२८	श्री लहरी सिंह	सहकारी संस्थाओं के प्रति दिन के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप दूर करने में असमर्थ रहना।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद): सामुदायिक विकास और पंचायती राज का विचार एक क्रान्तिकारी विचार है। हमें उसकी बुनियादी धारणा और उस के कार्य-संचालन पर बुनियादी तौर पर विचार करना चाहिये। हमें कार्य-संचालन की व्यवस्था के प्रति निरन्तर सर्तक रहना चाहिये।

मैंने देश के विभिन्न भागों में जाकर पंचायतों का काम देखा है। विभिन्न स्थानों पर पंचायतों के विभिन्न रूप मिलते हैं। उनकी कठिनाइयां भी स्थानीय किस्म की हैं। राजस्थान और आन्ध्र इस क्षेत्र में आगुणी माने जाते हैं। वहां सरपंच पदेन अधिकारी के रूप में ही पंचायत की कार्य-कारिणी समिति में जाता है। लेकिन वह अपनी जाति, धर्म और सम्प्रदाय की भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरपंच का बाकायदा चुनाव होना चाहिये।

मैसूर राज्य ने पंचायतों के चुनावों के लिये बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र की पद्धति लागू की है। इस तरह पंचायत समितियों के चुनाव के लिये काफी बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होता है और उस में विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदाय के मतदाता भाग लेते हैं। इस तरह वहां सदस्य सम्प्रदायों और जातियों की भावना के बल पर चुनाव नहीं लड़ पाते। देश के सभी भागों में इसका अनुकरण किया जाना चाहिय।

कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि पंचायतों में राजनीति की घुस-पैठ हो रही है। पंचायतें राजनीति के अखाड़े बनतें जा रहे हैं। राजनीति की घुसपैठ तो यही बताती है कि पंचायतें देश के विकास में हाथ बंटा रही हैं। संकीर्ण साम्प्रदायिकता के स्थान पर, यदि एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़े जायें, तो देश के लिये कहीं अच्छा होगा।

इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ावा देने के लिये और बड़े-बड़े निर्वाचन क्षेत्र बनाना अधिक श्रेयष्कर होगा। तब वही लोग चुनावों में सफल रहेंगे जो समाज-सेवा का एक ठोस कार्यक्रम जनता के सामने रखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

मैंने पदाधिकारियों से भी बातें की हैं। मैंने देखा है कि वे दूसरों को शक्ति सौंपने में हिचकते हैं। वे सारी शक्ति अपने पास ही रखना चाहते हैं। खंड विकास अधिकारियों को महसूस करना चाहिये कि वे जिम्मेदार अधिकारी हैं। उनको बौद्धिक क्षेत्र में सामन्तों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिये। उनको समझना चाहिये कि वे पंचायतों के अशिक्षित सदस्यों के पथ-प्रदर्शक हैं और यह भी कि वे सदस्य गांवों के बारे में, ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के बारे में अधिकारियों से कहीं अधिक जानकारी रखते हैं।

अधिकारी को कार्यकारिणी के प्रधान की तरह काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इसलिये कि उनको गांवों में एक नये जीवन का संचार करना है। और इसके लिये जरूरी है कि पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों---जिनको गांव के जीवन का अधिक अनुभव और जानकारी है, को ही आगे बढ़ाना चाहिये।

मैंने देखा है कि पंचायतों के काम में ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं पर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां रख दी गई हैं। उसको १,५०० से २,५०० तक आबादी वाले क्षेत्रों का काम देखना पड़ता है। राजस्थान में तो कोई कोई पंचायत ५,००० तक की आबादी की भी हैं। एक कार्यकर्त्ता इतना काम नहीं संभाल सकता। इसलिये उसका कार्य-क्षेत्र कम किया जाना चाहिये और साथ उसे पंचायत का सचिव दिया जाना चाहिये। सचिव का पद नये-नये लोगों को नहीं सौंपा जाना चाहिये।

पंचायत राज की अभी तक की प्रगति निराशाजनक नहीं रही है। कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां अवश्य आई थीं। पर उन पर पार पा लिया गया है।

देश में सहकारी खेती के विरुद्ध बड़ा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन हमारे जैसे सीमित संसाधनों वाले देश के किसानों के लिये सहकारी खेती बड़ी उपयोगी है। यह प्रचार भी गलत है कि उसे भारतीय जनता पर थोपा जा रहा है। हमें सहकारी आन्दोलन के ऐच्छिक पहलू का पर्याप्त प्रचार करना चाहिये। सहकारिता से हमें बड़ी बड़ी आशायें हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा गैर-सरकारी कार्य लेगी। श्री दी० चं० शर्मा।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

(धारा ८ का संशोधन)

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जांच आयोग अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जांच-आयोग अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३०९ का संशोधन)

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

(धारा ४६ का संशोधन और नई धारा ५३क का रखा जाना)

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उपहार-कर (संशोधन) विधेयक

(धारा २२, २३, २५, २६ और ३५ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपहार-कर अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उपहार-कर अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक

(धारा २ और २३ का संशोधन और धारा १९क आदि का लोप)

†**श्री दी० चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

सहायक बैंक विलयन विधेयक

†**श्री दी० चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सब सहायक बैंकों को भारत के राज्य बैंक में मिलाने के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सब सहायक बैंकों को भारत के राज्य बैंक में मिलाने के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

(धारा ३ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

(धारा १५ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

समवाय (संशोधन) विधेयक

(धारा ४३ख और २५०क का रखा जाना और धारा २२४ और २३७ आदि का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ९२ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

(धारा १४ और २० का संशोधन और नई धारा ४८क का रखा जाना)

†**श्री नवल प्रभाकर** (दिल्ली—करौल बाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नवल प्रभाकर** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

(नई धारा ६क का रखा जाना)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा विधेयकों पर विचार करेगी । श्री स० चं० सामन्त ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इसका उद्देश्य सीधा सा है । इंस्पैक्टरों को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि वे कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच कर सकें और उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही कर सकें । १९४८ के अधिनियम में यह कमी अनुभव की गई है । खानों के इंस्पैक्टरों को सरकार ने अब यह शक्ति प्रदान कर दी है ।

अभी यह होता है कि दुर्घटनाओं की सूचना मालिकों को देनी पड़ती है और उसके बाद सरकार चाहे तो जांच-समितियां नियुक्त कर सकती है । लेकिन सरकार को वैसा निर्णय करने से पहले एक विभागीय अधिकारी का प्रतिवेदन भी तो मिलना चाहिये । तभी तो सही निर्णय किया जा सकेगा ।

इस अधिनियम में इन्सपैक्टरों को बड़ी सामान्य किस्म की शक्तियां दी गई हैं । दुर्घटना के बाद यदि वह चाहे भी तो मालिकों को पूरी जानकारी जुटाने के लिये विवश नहीं कर सकता । मालिक और प्रबन्धक उससे इन्कार कर सकते हैं ।

अधिनियम की यह त्रुटि दूर करने के लिये ही मैंने संशोधन रखा है ।

आशा है सरकार से स्वीकार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष, जो बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत है, उस में यह व्यवस्था की गई है कि इन्सपैक्टरों को दुर्घटना के कारणों की जांच करने और उसके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने की शक्ति होगी ।

इस बिल में प्रस्तुतकर्त्ता ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा है कि पीनल मेजर्ज़ कौन से होंगे । "सूटेबल रेमेडियल और पीनल (दण्डकारी) मेजर्ज़" का तो बड़ा वाइड स्कोप है । पीनल मेजर्ज़ का अर्थ क्या है, यह इस बिल में नहीं बताया गया है । क्या किसी एक्सीडेंट के बाद उस मामले को कोर्ट में ले जाना चाहिए, या फैक्ट्री मैनेजर को अरेस्ट करना चाहिए ? इस बिल में इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

विषय में एक जेनरल क्लाज़ दे दी गई है । इस प्रकार के लूज लाज़ में उनका उल्लंघन करने तथा उन से बचने और अधिकारों के दुरुपयोग की सम्भावना अधिक होती है । इसलिए लूज़ लाज़ नहीं बनाये जाने चाहिएं ।

मैं ने देखा है कि तीन-तीन ज़िलों का एक फ़ैक्ट्री इंस्पैक्टर होता है और **ही इज़ ए टूल इन दि हैंड्ज़ आफ दि फैक्ट्री मैनेजर्ज** । हमारे यहां काटन और जिनिंग फ़ैक्ट्रीज़ हैं । वहां मैं ने देखा है कि जब फ़ैक्ट्री इंस्पैक्टर आता है, तो फ़ैक्ट्री मैनेजर या मालिक के द्वारा उस के खाने-पीने और ठहरने का पूरा इन्तज़ाम किया जाता है । यह भ्रष्टाचार का कारण है ।

मैं इस बिल के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इस के वर्डिंग पर मुझे आपत्ति है । मैंने देखा है कि जब कोई एक्सिडेंट होता है, तो कुछ व्यक्ति पंच या एसेसर के रूप में बुलाये जाते हैं । अगर फ़ैक्ट्री इन्स्पैक्टर उनके साथ मिल कर इस बारे में जांच करे और आवश्यक कार्यवाही करे, तो बहुत अच्छा होगा ।

हम यह भी देखते हैं कि फ़ैक्ट्री इंस्पैक्टर को ला का नालेज नहीं होता है । उस को इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होता है । वह ज़िले के बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों की मर्ज़ी से कार्य करता है, जिनकी फ़ैक्ट्रियां वह देखता है । ऐसी सूरत में फ़ैक्ट्री इंस्पैक्टर के हाथ में पूरे अधिकार देना ठीक नहीं है ।

इस बिल में अगर यह व्यवस्था की जाती कि उस क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, आनरेरी मैजिस्ट्रेट या अन्य मैजिस्ट्रेट को इस बारे में अधिकार दिया जाये, तो ठीक रहता । फ़ैक्ट्री इंस्पैक्टर को अधिकार देने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा । फ़ैक्ट्री इंस्पैक्टर कैसे होते हैं और वे किस प्रकार काम करते हैं, यह तो प्रत्येक माननीय सदस्य को मालूम होगा । हमारे मध्य प्रदेश में तीन-तीन ज़िलों पर एक फ़ैक्ट्री इंस्पैक्टर होता है । जब वह गांव में आता है, तो उस समय व्हिसल भी रहती है, रजिस्टर भी रखा जाता है और मज़दूरों को जितनी देर काम करना चाहिए, उतनी देर ही काम करने दिया जाता है । जब वह वापस खिसक गया, तो फिर वही पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं ।

इसलिए इस बिल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि बिल के प्रस्तुतकर्ता "पीनल मेज़र्ज़" की कुछ व्याख्या कर देते कि यह सज़ा दी जायेगी, या मामला कोर्ट में भेजा जायेगा, या किसी को अरेस्ट किया जायगा, तो यह बिल पूर्ण हो जाता । इस बिल में पीनल मेज़र्ज़ का उल्लेख जेनरल टर्म्ज़ में किया गया है और उस का कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है ।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, मैं इस बिल के उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इस के वर्डिंग (शब्दों) पर मुझे विरोध है ।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : यदि इंस्पैक्टरों को तुरन्त घटनास्थल पर ही कुछ कार्यवाही करने की शक्ति दे दी जाये, तो बहुत सी छोटी-मोटी चीजें अपने आप ठीक हो जायेंगी । ऐसी शक्ति न होने से ही मामले महीनों खिचते रहते हैं ।

पर इन्सपैक्टरों को दण्ड देने की शक्ति प्रदान करने की बात से श्रमिक संघ सहमत नहीं होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर, हां, एक हद तक तुरंत कुछ कार्यवाही करने की शक्ति उनको दी जानी चाहिये । शक्ति किस हद तक दी जानी चाहिये, इसका निर्णय करने के लिये इस पर और बारीकी से विचार करना पड़ेगा । इसीलिये इस विधेयक का स्वागत करने के साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित कर दिया जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : देश में इन्सपैक्टरों की बड़ी बदनामी है । मैं यह नहीं कहता कि सभी इन्सपैक्टर्स बुरे होते हैं । हां, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता के कल्याण के लिये नहीं करते ।

अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही इन्सपैक्टरों को काफी व्यापक शक्तियां दे दी गई हैं । वह जब भी चाहे कारखाने में प्रवेश कर सकता है । इस प्रकार के अधिकार का बहुधा दुरुपयोग होने की संभावना रहती है ।

कारखाना इन्सपैक्टर जब चाहे कारखाने, मशीनों, इत्यादि की परीक्षा कर सकता है ।

वह जब चाहे मालिकों से कोई भी दस्तावेज या रजिस्टर मांग सकता है । वह किसी का भी बयान ले सकता है । इसलिये इन्सपैक्टरों को पहले ही काफी व्यापक शक्तियां मिली हुई हैं ।

अधिनियम में जनता के बचाव के लिये एक ही व्यवस्था है कि यदि कोई चाहे तो इन्सपैक्टर के प्रश्नों का उत्तर ही न दे ।

इतनी व्यापक शक्तियों को और अधिक व्यापक बनाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अभी तक जितनी शक्तियां उनके पास हैं वे भी ठीक ढंग से प्रयुक्त नहीं की गई हैं । श्रम और रोजगार मंत्री हमें इसके सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं । यदि और अधिक शक्तियां दी जायेंगी, और उनका और अधिक दुरुपयोग होगा ।

और इन्सपैक्टरों को निर्णय करने की शक्ति तो देनी ही नहीं चाहिये । यदि उनको दण्ड देने की भी शक्ति दे दी जायेगी तो वे सर्वशक्तिमान बन जायेंगे ।

मेरे पूर्व वक्ता ने इसका स्वागत किया, पर अन्त में उन्होंने भी इसकी आलोचना ही की । उनके स्वागत का अर्थ यही था कि यदि इसे राय जानने के लिये परिचालित कर दिया जाये तो कोई नुकसान नहीं होगा । लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

हम स्वतंत्र भारत में किसी भी अधिकारी को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं देना चाहते । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री स० मो० बनर्जी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री सामन्त के विधेयक का स्वागत करता हूं । उन्होंने बड़ी योग्यता से अपने भाषण में कहा है कि जब तक कारखाना निरीक्षकों को और अधिकार न दिये जायें, उन के लिए कोई कार्यवाही करना या गहरी जांच करना बहुत कठिन होगा ।

हाल ही में ओखला के प्रशिक्षण केन्द्र में दुर्घटना के कारण जो एक कारीगर की मृत्यु हुई है, उसके बारे में मंत्री महोदय को और तथ्य जमा करने चाहियें और वह यह देखें कि कारखाना निरीक्षक की रिपोर्ट क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

१९५९-६० और १९६०-६१ के आंकड़े देखने से पता चलता है कि कोयला खानों और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यह सच है कि दुर्घटनाओं में वृद्धि का कारण कुछ हद तक उद्योगों के विकास को समझा जा सकता है. परन्तु इन की संख्या को उचित प्रकार के रक्षा उपायों द्वारा कम किया जा सकता है।

आम तौर पर कारखाना निरीक्षक दुर्घटना स्थल पर अगले दिन जाता है। उस समय तक मृत शरीर हटा दिया गया होता है और कोई निशानी नहीं होती कि दुर्घटना कहां हुई थी। उसे केवल कारखाना प्रबन्धक की रिपोर्ट पर निर्भर करना होता है और अधिकांश मामलों में उसकी रिपोर्ट झूठी होती है। कारखाना निरीक्षक उस की रिपोर्ट का समर्थन कर देता है क्योंकि उसे किसी प्रकार की कानूनी या दंड सम्बन्धी कार्यवाही का अधिकार नहीं होता।

यदि मंत्री महोदय इस विधेयक को स्वीकार न कर सकें तो वह कारखाना अधिनियम में संशोधन कर के कारखाना निरीक्षकों को अधिक शक्तियां दे सकते हैं। सरकार को यह विधेयक स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह न तो नियोजकों के विरुद्ध है और न कर्मचारियों के।

जब प्रतिकर का मामला प्रतिकर आयुक्त के पास पहुंचता है तो वह पुरानी बात बन जाती है।

नियोजकों के मन में शंका हो सकती है कि निरीक्षक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो यह उचित संरक्षण देकर दूर की जा सकती है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री सामन्त ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसके तीन अंश हैं। उनमें से एक एन्क्वायरी है और साथ ही साथ अगर इन्स्पेक्टर को मालूम हो जाय तो दण्ड देने का अधिकार भी उसको दिया गया है। अगर इस फैक्टरी एक्ट के साथ-साथ हम सी० आर० पी० सी० को देखें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इन्सपेक्टर को अधिकार दिया गया है, सब-इन्सपेक्टर को अधिकार दिया गया है, कि वह मकान के अन्दर जा सकता है और सर्च कर सकता है और आदमी को अरेस्ट कर सकता है तथा एन्क्वायरी कर सकता है। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सब इन्सपेक्टर को यह अधिकार दिया गया है तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि फैक्ट्री एक्ट के अन्दर जो अधिकार एक सब-इन्सपेक्टर को दिये गये हैं वह अधिकार एक इन्सपेक्टर को क्यों प्राप्त न हों। केवल एक अधिकार फैक्ट्री एक्ट के अंदर इंसपेक्टर को नहीं दिया गया है, और वह अधिकार है एन्क्वायरी करने का। फैक्ट्री एक्ट के अन्दर सब-इन्सपेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह फैक्ट्री के अन्दर जा सकता है, किसी आदमी से सहयोग ले सकता है और जो भी कागजात हों उनको दाखिल करने के लिये उनसे कह सकता है। तो सी० आर० पी० सी० और फैक्ट्री एक्ट दोनों स्थानों पर जहां इन्सपेक्टर के अधिकार की बात आती है वहां दोनों के अधिकार करीब-करीब एक समान हैं। अन्तर सिर्फ यह है कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार इन्सपेक्टर को एन्क्वायरी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक उपस्थित किया गया है इस विधेयक के इन दोनों अंशों में से एक अंश तो जरूरी है। अगर इंस्पेक्टर शहादत लेता है, कागजात को देखता है और फैक्टरी के अन्दर जाकर के सब चीज का एग्जामिनेशन करता है, तो उसको यह भी अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी ओपीनियन को रिपोर्ट के रूप में लिख कर आपको दे सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जहां तक एन्क्वायरी का सम्बन्ध है उस अंश का तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इसके दूसरे अंश में जो इंस्पेक्टर को दंड देने के अधिकार की बात कही गयी है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। इस अधिकार को हमें जूडीशियरी से नहीं लेना चाहिये जबकि हम

जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग-अलग रखना चाहते हैं। इसलिये इस विधेयक में जो इंस्पेक्टर को दण्ड देने के अधिकार की बात कही गयी है वह उचित नहीं है। इसके अलावा बाकी व्यवस्था का मैं समर्थन करता हूं।

†**श्री का० ना० पांडे** (हाटा) : इस विचार से कि कारखाना निर्यातकों को पहले से ही काफी अधिकार प्राप्त हैं, यह विधेयक अनावश्यक हो जाता है। कारखाना निरीक्षक को कभी दुर्घटना के कारण जानने में रोका नहीं जाता।

मान लीजिये उसे एक मामले की रिपोर्ट की जाती है। क्योंकि उसे जांच करनी होती है, इस लिये मामला न्यायालय में जाने की सूरत में उसे गवाह के रूप में उपस्थित होना पड़ता है। तो एक गवाह कैसे निर्णय कर सकता है कि नियोजक को क्या दण्ड दिया जाये। इसलिये मेरे विचार में विधेयक को पारित करना आवश्यक नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो फैक्टरी ऐक्ट का संशोधन माननीय सदस्य श्री सामन्त लाए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि फैक्टरी एक्ट की जो अन्य धाराएं हैं उनमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इंस्पेक्टर को जो अधिकार है वे धारा ९ में दिये गये हैं, लेकिन एक्सीडेंट को रोकने का अधिकार इंस्पेक्टर के हाथ में नहीं है। मैंने बिड़ला की बड़ी-बड़ी फैक्टरियां देखी हैं। लाखों रुपया खर्च करके मशीन लायी जाती हैं और बिठायी जाती हैं। अगर एक साल का भी हिसाब लगाया जाए तो केवल हिन्द मोटर कारखाना के हिसाब में आपको मालूम होगा कि बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट रोकने का न तो कम्पनी की तरफ से और न सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम है। ये हाई प्रेशर मशीन हैं और इनको कारीगर चलाते हैं। मालिक अपने प्रोडक्शन के ख्याल से उन पर दबाव डालता है कि उनको और जोर से चलाया जाए लेकिन एक्सीडेंट रोकने के लिये प्रीवेंटिव मेजर लेना है उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट होती है लेकिन हालत यह है कि थोड़े समय बाद फिर एक्सीडेंट हो जाता है। जहां तक देखा गया है कि बिजली के तार से इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया है। दो साल के अन्दर तीन चार ऐसे केस हुए हैं।

इसके बाद हिन्द मोटर का जो मशीन शाप है उसमें हमेशा एक्सीडेंट होता है। उनकी जो फाउण्डरी शाप है उसमें एक्सीडेंट होता है। लेकिन उनको रोकने का कोई इन्तिजाम नहीं है। फैक्टरी इंस्पैक्टर आता है जब रिपोर्ट होती है, वह रिपोर्ट देता है। पर उसके बाद क्या होता है यह मालूम नहीं होता। एक्सीडेंट होने के बाद सरकार की जो कम्पेन्सेशन कोर्ट है वहां केस सालों पड़ा रहता है; कोई ठिकाना नहीं कि कब विचार होगा।

वैस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये मालिक दबाव डालता है। इस वजह से एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक्सीडेंट न हो इसके लिये प्रीवेंटिव मेजर लेने के लिये मालिक को मजबूर करने का कोई इन्तजाम नहीं है।

इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें जो लिखा गया है कि कुछ रिमैडियल मेजर लाने के लिये इंस्पेक्टर को अधिकार दिया जाए यह ठीक ही लिखा है। इसके अलावा जो और भी फैक्टरी एक्ट की धाराएं हैं उनको भी सोच विचार करके संशोधन करने की कोशिश करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी मालिक मजदूर को वेजज नहीं देते । अगर वह वेजज़ एक्ट में केस करे तो उसको अपना वेज लेने के लिये दो साल लग जायेगा । तो ऐसी धाराओं की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें भी संशोधन करना चाहिये ।

इसलिये जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको पास किया जायेगा ।

†श्री अ० रां० आल्वा (मंगलौर) : वर्तमान रूप में विधेयक में कहा गया है कि निरीक्षक को उपचार करने और दंड देने के लिए उपयुक्त अधिकार देने चाहिएं । इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है क्योंकि संशोधन में यह नहीं बताया गया है कि जांच किस प्रकार की होगी और क्या उसे दंडाधिकारी या न्यायिक प्रधिकार के अधिकार दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त निरीक्षकों को कोई न्यायिक प्रशिक्षण नहीं होता । विधेयक में यह भी नहीं बताया गया कि उनके आदेशों के बाद क्या किया जायेगा । किन्तु जहां तक निरीक्षक के तथ्यों में जांच करने की शक्ति का सवाल है, यह अत्यावश्यक है । जहां तक उपचार करने का सम्बन्ध है हमें बताया जाये कि यह क्या उपाय होंगे । उन्हें किसी हालत में दंड देने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : यह जो संशोधन जो अभी सदन के सामने आया है मैं समझता हूं कि श्री काशी नाथ पांडे ने उसके सम्बन्ध में जो कहा है वह बिलकुल ठीक है । आज भी अगर फ़ैक्टरी ऐक्ट को देखा जाय तो पता लगेगा कि उसमें कहीं भी इस बात की रुकावट नहीं है कि फ़ैक्टरी इंस्पैक्टर कोई ऐक्सीडेंट होने के बाद इनक्वायरी नहीं कर सकता है । ज्योंही ऐक्सीडेंट की इत्तिला मिलती है, फ़ैक्टरी इंस्पैक्टर इनक्वारी कर सकता है । सब से जरूरी चीज यह है कि आज जो पावर्स फ़ैक्टरी ऐक्ट के अन्दर इंस्पैक्टर को दी गई हैं उनका इस्तेमाल ठीक तौर से नहीं होता है । ऐसी हालत में क्या और ज्यादा पावर्स उस एक्ट के अन्दर देना ठीक होगा, या उसको ठीक तौर से लागू किया जाय इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए ।

दूसरी बात यह कही गयी है कि ऐक्सीडेंट होने के बाद लोगों का अगर बांया हाथ कट गया या दांयां हाथ कट गया अथवा पैर कट गया तो उस हालत में उसको मुआविजा देने पर मालिकान की तरफ से ऐतराज होता है ।

यह भी कहा गया है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कभी-कभी कोशिश जब की जाती है तो ऐसी हालत में ऐक्सीडेंट बहुत होते हैं । अब फैक्टरी में ऐक्सीडेंट्स तो होंगे और ऐक्सीडेंट्स होने के बाद इस बात के ऊपर कम्पेंसेशन देना मुन्हसिर नहीं करना है कि उन के मालिक उसका विरोध करते हैं या नहीं करते हैं या प्रोडक्शन बढ़ाये जाने में ऐक्सीडेंट हुआ है, या प्रोडक्शन न बढ़ाये जाने में ऐक्सीडेंट हुआ है, मुआविजा तो उसे उस हालत में मिल सकता है जब कि ऐक्सीडेंट की इनक्वायरी के बाद में यह बात साबित हो जाय कि जो ऐक्सीडेंट हुआ है वह जो मजदूर काम कर रहा था उसकी गलती से नहीं हुआ । अगर मजदूर अपनी गलती से काम करते हुए किसी एक्सीडेंट में शामिल होता है तो उस हालत में उसको मुआविजा नहीं मिलता है । इसलिए मैं समझता हूं कि वहां भी कानून के अन्तगत कोई त्रुटि नहीं है और अगर उस कानून को ठीक तौर से लागू किया जाय तो कम्पेंसेशन दिया जा सकता है । मैं समझता हूं कि यह जो अभी संशोधन आया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वर्तमान कानून के अन्दर जो बातें हैं, अगर उनको ठीक तौर से लागू किया जाय तो मजदूरों को उस से काफी फायदा हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर): मैं विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं और मैं अनुभव करता हूं कि दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय किये जाने चाहिये, किन्तु मेरे विचार में जो तरीका बताया गया है, वह अपर्याप्त है ।

निरीक्षक के पास पर्यवेक्षण आदि के सब अधिकार हैं और यदि वह सब विधियों को ठीक लागू करवाये, तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं । इस समय अधिकांश दुर्घटनाएं इस लिए होती हैं कि निरीक्षण ठीक नहीं होता ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस प्रयोजन के लिए वर्तमान संशोधन पर्याप्त नहीं है । इस से केवल यह गलत धारणा पैदा होगी कि हमने दुर्घटनाए रोकने के उपाय कर दिये है । वस्तुत : स्थिति वही रहेगी ।

†श्री नाम्बियार (तिरूचिरापल्ली) : मेरे विचार में यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । कारण यह है कि यदि निरीक्षक को दुर्घटना की जांच करने, गवाह बुलाने और दुर्घटना के कारण जानने के अधिकार दिये जायें, तो वह सम्बन्धित कर्मचारियों की सहायता कर सकेंगे ।

प्रवृत्ति प्राय: यह है—विशेषत: रेलवे कर्मशालाओं में—कि जांच विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जाये, जो प्राय: कर्मचारियों की लापरवाही पर दोष थोपते हैं । यदि निरीक्षकों को जांच करने लाभ द्वारा का अधिकार दिया जायें तो दुर्घटना के ठीक कारण मालूम हो जायेंगे और कर्मचारियों को होगा ।

श्री कच्छवैया (देवास): सभापति महोदय, मैं एक मिल में काम करता हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि जब इन्स्पैक्टर छान बीन और एनक्वायरी करने के लिए आता है, तो वह निष्पक्ष रीति से और उचित रूप से एन्क्वायरी नहीं करता है । इस का कारण यह है कि वह मिल मालिक से दबा रहता है । इस लिए जिस प्रकार से एन्क्वायरी करनी चाहिए, उस प्रकार से वह नहीं करता है ।

इस बिल पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ऐसे मामले कोर्ट में जाने चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था है, उस में बहुत देर लग जाती है—दो-दो महीने लग जाते हैं ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : विधेयक को पारित नहीं करना चाहिये क्यों कि इसमें जो उपबन्ध किया गया है, वह अस्पष्ट है और इससे भविष्य में कई कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। निरीक्षकों को जांच करने और तत्काल कार्यवाही करने के अधिकारों के अतिरिक्त समस्त अधिकार प्राप्त है । केवल दंड के अधिकार देने का प्रश्न है । यदि उन्हें मामले की न्यायालय में भेजने के बिना दंड देने के अधिकार दे दिये गये, तो यह सिद्धांत रूप से गलत होगा । साथ ही यह भी नहीं बताया गया कि क्या निरीक्षक के निर्णय देने के बाद उसके विरुद्ध अपील हो सकेगी या नहीं ।

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी): मैं इस विधेयक को स्वीकार नहीं करता इस का कारण यह नहीं कि यह एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक है, बल्कि यह कि निरीक्षकों को दिये जाने वाले अधिकार बहुत अस्पष्ट प्रकार के हैं तथा समस्त न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है । संशोधन का आशय निरीक्षक को जांच करने के अधिकार देना और दंड सम्बन्धी कार्यवाही करने का अधिकार देना है । किसी कार्यपालिका अधिकारी को न्यायिक अधिकार देना अर्थात जुर्माना या कैद की सज़ा देना उचित है प्रक्रिया नहीं होगी ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

जहां तक दुर्घटनाओं के कारणों में जांच का सम्बन्ध है राज्य सरकार मूल अधिनियम की धारा ६० के अन्तर्गत समस्त तथ्यों की जांच के बारे में सक्षम व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है तथा बाद में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में फैसला कर सकती है। प्रस्तावक चाहते हैं कि जांच की और दंड की शक्तियों एक ही व्यक्ति को देनी चाहिये।

संशोधन के शब्दों से मालूम होता है कि निरीक्षक को दुर्घटना के कारणों की जांच का अधिकार होगा। वर्तमान स्थिति में राज्य या केन्द्र सरकार एक पदाधिकारी नियुक्त कर सकती है। क्या प्रस्तावक यह चाहते हैं कि मामूली दुर्घटनाएं भी सम्मिलित की जायें, जैसे किसी की ऊंगली थोड़ी कट जाये या कोई गिर पड़े। मेरे विचार में सदन यह नहीं चाहेगा कि छोटी छोटी बातों के लिए निरीक्षक बयान ले या जुर्माना करे या कैद की सजा दे। प्रश्न यह है कि क्या सभी प्रकार की दुर्घटनाओं की जांच निरीक्षक करे या केवल गम्भीर दुर्घटनाओं की जिन में मज़दूर एक सप्ताह या १५ दिन तक के लिए काम न कर सके ?

दूसरा प्रश्न यह है कि उपचार के और दंड देने के उपाय क्या हैं ? यदि वे लापरवाही या मशीनरी का उचित खयाल न रखने के लिए हो, तो उसके लिए धारा ६२ है। अन्य धाराएं भी हैं। जब तक आप यह निश्चित न करें कि आप किस प्रकार की दुर्घटनाओं पर यह लागू करना चाहते, हैं, आप क्या दंड देना चाहते, हैं क्या दंड धारा २१ या ४१ या ८७ के उल्लंघन के लिए हैं, विधेयक अस्पष्ट रहेगा। विधेयक का स्पष्ट और निष्चित होना जरूरी है। माननीय सदस्य ने खान अधिनियम १९५२ का उल्लेख किया है। उस में उपबन्ध है किन्तु उसमें उसे दंड देना का अधिकार नहीं है।

जांच को दंड देने के अधिकारों के साथ सम्बन्ध करना और एक ही अधिकारी को दोनों अधिकार देना उचित या स्वीकार्य नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं कि विधेयक का सिद्धांत अच्छा नहीं है किन्तु जिस प्रकार उपबन्धों की शब्दावली बनाई गई है या जिस प्रकार अधिकार देने का प्रयत्न किया गया है वह व्यवहार्य नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि विधेयक को वापस ले लिया जाये।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मेरा आशय यह था कि जैसे ही दुर्घटना हो, तो एक विभागीय जांच की जाय जो निरीक्षक करे और उसके बयान बाद में उपयोगी हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा बड़ी जांच ६ महीने या साल बाद होती है। इस लिए मैं ने कहा था कि जांच का अधिकार निरीक्षक को दिया जाय। मैं मानता हूं कि विधेयक की शब्दावली संतोषजनक नहीं है। चूंकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी, इसलिए मैं विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन)

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : सभापति जी, मैं ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था.

†**श्री नम्बियार** : यद्यपि मैं हिन्दी समझ सकता हूं फिर भी आप अंग्रेजी में बोलिए।

श्री म० ला० द्विवेदी : अगर मैं हिन्दी बोलूंगा तो आप को हिन्दी सीखने का मौका मिलेगा और मैं भी अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह कह सकूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : सभापति महोदय, मैंने जो एक विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था उस के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि :

"दंड प्रक्रिया संहिता, १८६८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस सम्बन्ध में सदन को यह बतलाने की आवश्यक्ता नहीं कि इस विषय पर पहले भी विचार हो चुका है। लेकिन विषय ऐसा है जिस से मंत्री जी यह जान जायेंगे कि इसके पीछे कितना लोकमत है। हम चाहते हैं कि विधि की व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें न्याय वास्तविकता में मिल सके। आज हमारा देश ऐसा न्याय नहीं चाहता जो ऐसे विधि के जाल में फंसा हुआ हो जो वास्तव में न्याय न करा सके, लेकिन विधि के शब्दों के अनुसार जिस प्रकार वकीलों ने समझाया हो और जिस प्रकार जज ने अपना मन बनाया हो, वैसा ही न्याय मिलेगा लेकिन वह न्याय वास्तव में न्याय नहीं है। किसी भी देश की न्याय व्यवस्था का अर्थ यह है कि वहां के समाज की सुरक्षा और वहां के समाज का कल्याण हो सके, तथा जिस ने अपराध किया हो उसे दंड मिल सके। किन्तु यह खेद का विषय है कि आज हमारे देश में न्यायालय भी ऐसे अड्डे बनते चले जा रहे हैं कि जनता में झूठ और भ्रष्टाचार का व्यापक प्रचार हो रहा है, और जिस के पास धन है, जिस के पास कुछ प्रभाव है उस के लिये न्याय आसान है और गरीब के लिये न्याय दुर्लभ है।

मैं आज जिस विषय को ले कर सदन में खड़ा हुआ हूं वह विषय इस बात को लेकर चल रहा है कि कम से कम हमें जहां तक सम्भव हो सके, विधि में ऐसी व्यवस्था तो निकाल ही लेनी चाहिये जिस में झूठ बोलने के लिये कानूनी आज्ञा निहित हो। हमारे पास जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है उस में भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहां पर झूठ के लिये कानूनन आज्ञा मिली हुई है। जिस देश के कानून में झूठ बोलने की भी कानूनी आज्ञा हो, उस देश में वकील अगर झूठ बोलने का प्रोत्साहन गवाहों और अपराधियों को दें तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है।

स्वतन्त्रता के पूर्व अंग्रेजों ने जिस विधि विधान का निर्माण किया था वह वास्तव में इस प्रकार का विधि विधान था जैसा कि अंग्रेज लोग देश में चाहते थे। लेकिन आज कल के युग में जब कि हम स्वतन्त्र हैं, जब कि हम देश में अपनी ऊंची परम्पराओं को फिर से स्थापित कर सकते हैं, जो कि देश में प्राचीन काल में विद्यमान थीं, तब अपने विधि विधान में हमको उचित संशोधन करना ही चाहिये। किस को नहीं मालूम कि गुप्त काल में इस देश में घरों में ताले नहीं लगाये जाते थे और अपराधों की ओर इस देश की प्रवृत्ति नहीं थी ? किन्तु जब से अंग्रेजी विधि विधान लागू हुआ और जब से इस प्रकार के न्यायालय इस देश में कार्य करने लगे जिस प्रकार कि अंग्रेज लोग इस देश में चाहते थे, उस समय से शनैः शनैः लोगों को न्याय नहीं मिलने लगा और अपराधों की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ने लगी।

मेरा स्वयम् का अनुभव है, मैं बकील रहा भी हूं और दूसरे वकीलों से भी मेरा सम्पर्क रहा है, तथा देश के दूसरे लोगों का अनुभव भी यही मालूम होता है कि आज कल के समय में ऐसे वकीलों का पेशा ज्यादा आगे बढ़ जाता है जो अधिक झूठ बोल सकते हैं और अधिक झूठ बोलने की ओर लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज इस देश में . . .

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : माननीय सदस्य वकीलों के सारे समुदाय को बुरा भला न कहें।

श्री रघुनाथ सिंह : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए हममें से बहुत से वकील हैं। हम सत्य बोलते हैं।

---

†मूल अंग्रजी में।

श्री म० ला० द्विवेदी : सत्य को आंच नहीं है । मैं जो सत्य कह रहा हूं आप उस की ओर से मुंह नहीं मोड़ सकते , वकील लोग भले ही इस पर आपत्ति करें ।

सभापति महोदय : यह सत्य नहीं है । माननीय सदस्य जनरलाइज नहीं कर सकते । सब आदमी ऐसे हैं यह नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं सब नहीं कह रहा हूं, कुछ कह रहा हूं ।

श्री गहमरी (गाज़ीपुर) : मेरे लायक दोस्त भी वकील रहे हैं, तो क्या वे झूठ बोलना अपने मुवक्किलों को सिखाते रहे हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी : सब नहीं, लेकिन अधिकांश सिखाते रहे हैं ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य भाषण जारी रखें । कोई विघ्न नहीं होना चाहिए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं इस बात के उदाहरण बतलाना चाहता हूं । मेरे जिले में एक अव्वल दर्जे के मैजिस्ट्रेट थे। उन का जो पेशकार था वह मैजिस्ट्रेट के सामने ही रिश्वत लिया करता था। मैं ने मैजिस्ट्रेट से इस बात को पूछा कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप के सामने ही रिश्वत आपका पेशकार लेता है ? उन्होने मुझे अकेले में बतलाया कि हां, मैं जानता हूं । लेकिन द्विवेदी जी, अगर इस चीज की कोई नोटिस लूं तो मुश्किल यह है कि मैं गवाह बन जाऊंगा, और मैं उस पर कोई मामला चला नहीं सकता । ऐसी हालत में मैं असहाय हूं । इस प्रकार की घटनायें केवल एक मैजिस्ट्रेट नहीं, अनेक मैजिस्ट्रेटों के इजलासों में घटित होती रहती हैं । और हमारे विधि विधानों की बात ऐसी है कि हम इन मामलों में कोई असरदार कार्रवाई नहीं कर सकते ।

मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से झूठी गवाही कामयाब हो जाती है एक हत्या के मामले में । एक दिन आधी रात में, जब कि अन्धेरी रात थी, चांदनी रात नहीं थी, एक हत्या की गई और हत्यारे भाग गये । पुलिस ने उन लोगों को फांसा जो कि पुलिस का साथ नहीं दे सकते थे, उनको सताने की गरज से । मामला यहां तक बढ़ता चला गया कि उन तीन आदमियों को, जिनको पुलिस ने फांसा था, प्राण दंड की नोबत आने वाली थी । एक वकील को एक बात सूझ गई । उसने पूछा गवाह से कि क्या उसने हत्यारों को भागते देखा ? और अगर भागते देखा तो पहचाना कैसे ? लेकिन गवाह को तो सिखा दिया गया था, उसने कहा कि उस ने टार्च से देखा । वकील ने पूछा कि उस ने टार्च कहां पाई थी ? गवाह ने कहा कि वह टार्च उस ने तीन साल पहले एक मेले में खरीदी थी । वकील ने पूछा कि क्या उस ने उस वक्त उस का मसाला देख लिया था ? गवाह ने कहा कि हां । काला काला धूल या पाउडर जैसा था । वकील ने पूछा कि गवाह ने नया मसाला डाला ? गवाह ने कहा हां डाला । वकील ने पूछा कि तुम भरते चले आये ? उस ने कहा कि हां भरते चला आया। इसी बात के ऊपर वह मुलजिम छूट गये । अगर टार्च की बात न आई होती तो तीन निर्दोष प्राणी झूठी गवाही के आधार पर बिना किसी अपराध के प्राणदंड के भागी बन जाते । मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे अनेकों केसेज चल रहे हैं जिन को सब जानते हैं हमें देखना यह है कि क्या इस प्रकार के विधि विधान हमारे देश में सदा के लिए चलते रहेंगे कि जिसमें न्याय जनता को दूभर होता चला जाए और झूठ के आधार पर मामले चलते रहें और हम लोग उसको संसद के द्वारा आज्ञा प्रदान करते रहें । मैं समझता हूं कि देश की जनता यह चाहती है, इस संसद के सदस्य यह चाहते हैं और शायद मंत्री महोदय भी इस बात को चाहते होंगे कि अब वक्त आगया है कि हम अपने कानूनों में आवश्यक सुधार करना प्रारम्भ कर दें और जितनी जल्दी यह काम किया जा सके किया जाए । मैं

तो चाहता था कि मंत्री महोदय स्वयं एक ऐसी कमेटी नियुक्त करते जो निरन्तर विधि पर विचार करके उसमें संशोधन सुझाती रहती।

एक माननीय सदस्य : ला कमीशन है।

श्री म० ला० द्विवेदी : ला कमीशन है लेकिन वह जनमत के पास नहीं पहुंचता। वह तो कानूनी किताबों में फंसा रहता है और उनके सुझाव अच्छे होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि संसद् सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाए जो निरन्तर देखतो रहें कि किस कानून में किस सुधार की आवश्यकता है और वह बिल पेश करती रहे ताकि वह संशोधन हो जाए। और कानून ऐसा शुद्ध हो जाए कि जिसमें झूठ बात को कोई स्थान न रहे, जिसमें वास्तविक न्याय मिले और लोग न्याय पा सकें और धन के अभाव में न्याय पाना दूभर न रह जाए।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात केवल ऐसी नहीं है कि उसके बारे में मैं ही कहता हूं। इस विधेयक को जनमत के लिए भी भेजा गया था और अधिकांश पढ़े लिखे और समझदार तथा विधि जानने वाले लोगों का मत इस संशोधन के पक्ष में था और इस सदन मे ही एक समय के विधि मत्री डा० काटजू ने कहा था :

> "यह बात आम है कि प्रत्येक वकील जिसे कचहरियों से काम पड़ता है यह महसूस करते हैं कि झूठसाक्षय फलता फूलता है। मैं इस सदन, इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् से प्रार्थना करता हूं कि वे कचहरियों के प्रशासन को शुद्ध बनाने के लिए पूरी मुमकिन कोशिश करें"

यह एक प्रशासक का बयान है जो उन्होंने इसी सदन में दिया था। वह भी इस बात को मानते थे कि कि झूट पनप रहा है और इस कारण लोगों को न्यायपाना दूभर ही रहा है। जब यह स्थिति देश में कानून की हो तो मेरा जो छोटा सा संशोधन है वह स्वीकार कर लिया जाए।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ के दूसरे अनुच्छेद में लिखा है :

> "अपराधी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार करने से या उनके झूठे उत्तर देने से सजा के योग्य नहीं बनेगा"

मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं किकोई अपराधी या मुजरिम किसी प्रकार का जवाब देने से इन्कार कर दे। मझे इस बात में भी कोई आपति नहीं है कि कोई मुजरिम इजलास में कैसा बयान दे। लेकिन हमारा विधि उसको क्यों यह आज्ञा दे कि वह गलत बयान भी कर सकता है फिर भी हम उसको स्वीकार कर लें। इसलिए मेरा तात्पर्य यह है कि यह बात हम मुजरिम पर छोड़ दें कि वह कैसा बयान देता है। हम चाहते हैं कि हमारा इस विषय में शान्त रहे कि वह किस प्रकार का बयान दे। अपराधी की सुरक्षा और सिक्योरिटी तो कानून द्वारा दी ही गयी है। मेरा तो केवल इतना सा संशोधन है कि इसमें से शब्द

> "या उन के झूठे उत्तर दे कर"

निकाल दिए जाए। इन शब्दों को निकाल देने से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर यह परिवर्तन कर दिया जाएगा तो मुजरिम को झूठ बोलने के अपराध में दंड मिल सकता है। मेरा कहना है कि हमको यह नहीं कहना चाहिए कि वह कैसा बयान दे। अगर वह झूठा बयान देता है तो उसके लिए कानून कि आज्ञा नहीं होनी चाहिए। अपराधी

[श्री म० ला० द्विवेदी]

को अधिकार है कि वह चाहे जो बयान दे। तो मेरा विचार है कि इस संशोधन को करने में कोई कानूनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों को निकाल कर हम एक परम्परा स्थापित करेंगे कि हम अपने विधि के विधान में झूठ को प्रोत्साहन नहीं देते। और यदि इन शब्दों को निकाल देने के कारण अपराधी को झूठ बोलने के कारण सजा हो जाती है तो हमें अपराधी के पक्ष में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लक्ष्य तो अपराधी को दंड देने का ही है। यदि वह दंडित हो जाता है तब तो कोइ प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन यदि वह दंडित नहीं होता तो इस कारण कि उसने गलत बयान दिया था इसके लिए उसको सजा होगी ऐसी कानून में कोई व्यवस्था नहीं है।

ऐसी अवस्था में मंत्री महोदय और इस संसद् के सदस्य यह महसूस करेंगे कि मेरा संशोधन बहुत सरल और सीधा है। पिछली दफा जब इस सदन में इस पर बहस हुई थी तो काफी सदस्यों ने इसका अनुमोदन किया था। कुछ सदस्यों ने विरोध भी किया था लेकिन सिद्धान्त रूप से वह इसके पक्ष में थे। साथ ही साथ देश में जो लोकमत संग्रह किया गया उसमें अनेकों राज्य सरकारों ने उसके पक्ष मे राय दी और बड़े बड़े न्यायालयों ने भी इसके पक्ष में राय दी। इस अवस्था मे मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है जिस पर सदन को पुनर्विचार करना चाहिए और मंत्री महोदय को चाहिए कि इस छोटे से संशोधन को स्वकिार कर लें।

एक और छोटा सा संशोधन है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ की उपधारा १ में शब्द—

"अपराधी के प्राक्चेटित"

के बाद शब्द—

" न कुछ न छिपा कर अपराधी बिलकुल सही वक्तव्य देता हुआ "

जोड़ दिए जाएं।

यदि इस छोटे से संशोधन को सदन स्वीकार कर लेता है और मंत्री जी इसको मान लेते हैं जो मैं समझता हूं कि हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे और देश के विधि को सचाई की ओर ले जाने में और अच्छा न्याय देने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या इस विधेयक के लिए एक घण्टे का समय होगा।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : $1\frac{1}{2}$ घण्टा दे दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : डेढ़ घण्टा ही रखा जाये।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह विधेयक धारा ३४२ में संशोधन करने के लिए लाया गया है। उच्चन्यायालय के निर्णयों के अनुसार अपराधी की धारा ३४२ के अन्तर्गत जांच पड़ताल करना आवश्यक है। हमारी दण्ड प्रक्रिया संहिता अंग्रेजी कानून पर आधारित है। अंग्रेजी कानून के

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्गत यायालय के लिए अपराधी की जांच पड़ताल करनी आवश्यक नहीं है। परन्तु भारतीय कानून के अन्तर्गत यह आवश्यक है।

जहां तक उच्चन्यायालयों तथा उच्चतमन्यायालय का सम्बन्ध है अपराधी पर जो भी वह न्यायालय में कहे उस के लिए अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यह इसलिए कि विधि शास्त्र के अनुसार साबित करने का उत्तरदायित्व अभियुक्त पर होता है, अपराधी पर नहीं। संदेह का लाभ अपराधी को दिया जायेगा।

इसलिए यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो अपराधी सचाई नहीं कह सकेगा। वर्तमान कानून के अन्तर्गत अपराधी कोई भी बात चाहे वह मानहानिकारी भी हो कह सकता है क्योंकि फौजदारी मुकद्दमों में ३०—३५ प्रतिशत मुकद्दमों का प्रतिवाद ही नहीं होता और इसलिए अपराधी कचहरी की दया पर होता है। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इस से अपराधियों के हितों की हानि होगी और उसे कानून के अन्तर्गत जो उन्मुक्ति है वह खत्म हो जायेगी।

जब तक हम इस असूल को मानते हैं कि साबित करने का उत्तरदायित्व अभियुक्त पर है तो अपराधी को भी वह धारा ३४२ या धारा १६२ के अन्तर्गत कुछ कहे उसके लिए उस पर मुकद्दमा चलाये जाने से उन्मुक्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं बिल का विरोध करता हूं।

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा): श्री द्विवेदी जी के संशोधन बिल का ध्येय तो सराहनीय है, परन्तु जिस तरीके से वे संशोधन चाहते हैं उस से न तो अपराधी को लाभ होगा न जनता को।

विधि शास्त्र के अनुसार जो कोई भी किसी अपराध के लिए अभिग्रस्त हो, तो उसे निर्दोषी समझना चाहिए जब तक उसे अपराधी सिद्ध न किया जाये। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो हर एक को न्यायालय जाना पड़ेगा और अपराध का अंगीकरण करना होगा।

साक्ष्य अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह व्यवस्था है कि जब किसी आदमी को फांसा जाता है और कुछ चीजों का पता लगाया जाता है जिन के आधार पर अपराधांगीकरण होता है। अपराध मानने पर उस व्यक्ति को अपराधी समझा जाता है। यदि हर कोई न्यायालय में झूठ बोलता है तो इस प्रश्न का सम्बन्ध लोगों के इखलाक से होगा। तो लोगों को सच बोलने की शिक्षा देनी चाहिए। हम कानून बना कर लोगों से सच नहीं बुलवा सकते। यह संशोधन लोगों को सच बुलाने की बजाये उल्टा मार्ग दिखायेगा। लोगों को सच बोलने के लिए उन का नैतिक स्तर ऊंचा करना चाहिए। कानून द्वारा यह नहीं हो सकता। इस संशोधन से न तो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा करने में सहायता मिलेगी न अपराधी को बचाने में।

श्री द्विवेदी जी ने कहा है कि अपराधी को पहले प्रक्रम पर ही अपराध मान लेना चाहिये। इस से तो पुलिस को अच्छा मामला मिलेगा, कोई अन्वीक्षा नहीं होगी। सही अन्वीक्षा की तो बात ही क्या। कई बार निरापराधी लोग पुलिस द्वारा फंसा लिये जाते हैं। यदि वे पुलिस के धमकाने से अपराध मान लें और कचहरी इसे स्वीकार कर ले तो कई निरापराधी फांसी चढ़ा दिये जायेंगे।

मेरे विचार में इस संशोधन से लोगों का भला नहीं होगा। इसलिए मैं इस का विरोध करता हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): हमारा फौजदारी कानून बड़ा पेचीदा है। इस में सामाजिक और इन्साफ इत्यादि के कई प्रश्न आ जाते हैं। इस कानून के छोटे से भाग को ही छेड़ना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

ठीक नहीं है। यदि श्री द्विवेदी जी के संशोधन को मान लिया जाये तो न्यायालयों को बिल्कुल बदलना होगा।

द्विवेदी जी का लक्ष्य सराहनीय है। वे चाहते हैं कि अपराधी सच बोले, परन्तु वे ऐसे सामाजिक वातावरण में कैसे सच बोलें, यहां यह कोशिश की जाती है कि अपराधी छूट जाये। अपराधी का लक्ष्य यही होता है कि वह छूट जाये, उसे सज़ा न मिले। इसलिए ही वह गवाहों और वकीलों की सेवाओं का प्रयोग करता है। मेरे मित्र कहते हैं कि गवाहों और वकीलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपराध मान लेना चाहिए। द्विवेदी जी समझते हैं कि संसार धर्म का न्यायालय बन गया है। मैं चाहता हूं कि समाज का आधार बदल देना चाहिए। समाज का आधार सचाई और अहिंसा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारे समाज का आधार प्रेम होना चाहिए। जीवन से प्रतियोगिता को निकाल देना चाहिए। वकीलों को उसी तरह काम करना चाहिए जैसे दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किया।

†**अध्यक्ष महोदय :** शिक्षकों का भी इस समाज में उत्तरदायित्व है। जब आप सब को भावना में लाते हैं तो प्रोफैसरों और मास्टरों को भी लाइये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** शिक्षक बेचारों को कौन पूछता है। यदि वकील अपने तरीकों को बदल लें, यदि कचहरियां अपने काम करने के ढंग को बदल लें, यदि गवाहों में नैतिक परिवर्तन हो, तब तो ठीक है। जब तक यह नहीं होता, अपराधी को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनसाफ प्राप्त करने देना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। माननीय सदस्य ने वकीलों को अपराधी ठहराया है। मेरे विचार में वकील झूठ नहीं बोलते।

यदि यह संशोधन मान लिया जाये तो हमें कानून का सारा ढांचा बदलना पड़ेगा, कचहरियां बन्द करनी पड़ेंगी और वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि अपराधी सच बोले तो कचहरियों और वकीलों की आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय सदस्य जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है कहा है कि अपराधी पर धारा १५३ के अन्तर्गत मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति शपथ ले कर कोई वक्तव्य देता है, तभी उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। यदि कोई वक्तव्य असत्य हो तो भी अभियोग चल सकता है। धारा ३४२ के अन्तर्गत अभियोग के अन्त में कई जांच पड़ताल करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वह धारा हटा दी जाये तो काफी दिक्कत होगी। उसे इन्साफ नहीं मिलेगा।

मैं अपने मित्र श्री शर्मा जी से सहमत हूं। यदि विधेयक के प्रस्तावक का ध्येय समाजी ढांचे में परिवर्तन करने का हो तो ये बातें कानून के ढांचे में लाई जा सकती हैं।

फिर और दिक्कत होगी। धारा १६२ के अन्तर्गत अपराधी का वक्तव्य लिखा जाता है। वह सच या झूठ कुछ भी कह सकता है। फिर धारा ३५२ के अन्तर्गत वह कुछ भी कह सकता है। जब तक धारा १६४ है, तब तक इस धारा को हटाने की आवश्यकता नहीं। यह अपराधी के हितों की रक्षा के लिए रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन हालतों में अपराधी को फौजदारी मुकद्दमों में अपना प्रतिवाद करना बहुत कठिन होगा, यदि उसे झूठ न बोलने दिया जाये ।

मेरे मित्र को शब्द "झूठ" से घृणा है । परन्तु समाज में हम क्या देखते हैं ? हम आपस में बात में और योजाना व्यवहार में झूठ बोलते हैं । जब तक अपराधी झूठ बोलते हैं, तभी तक वकीलों की आवश्यकता रहेगी । यह हालत आजकल के समाज में सब देशों में होगी ।

जब तक वर्तमान वैधानिक ढांचे को बिलकुल नहीं बदल दिया जाता तब तक इस धारा को मानना ठीक नहीं होगा । इसलिए मैं इस का पूर्ण विरोध करता हूं ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : इस विधेयक के प्रस्तावक का ध्येय इस धारा को हटाने से समाज के उत्थान से नहीं । उनका तात्पर्य यह है कि कानून को झूठ बोलने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए । मेरे विचार में यदि इस धारा को पूर्णतया हटाने की बजाये उन्होंने कहा होता "या ऐसे उत्तर दे कर जो अपराधी चाहे" ज्यादा स्वीकार करने योग्य होते ।

हमारे कानून पर यह कलंक है कि हम झूठ को मंजूर करें । इस मामले में अंग्रेज़ी कानून बेहतर है ।

मैं संशोधन का संशोधित रूप में समर्थन करता हूं । "या झूठे जवाब देकर" के स्थान पर "या ऐसे उत्तर जैसे वह चाहे" शब्द लगा दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस विधेयक पर अगली बार चर्चा जारी रहेगी ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १२ मई, १९६२/वैशाख २२, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

शुक्रवार, ११ मई, १९६२
२१ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण पृष्ठ

(एक सदस्य नें हिन्दी म शपथ ग्रहण की ।) १८३३

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्त -- १८३३—५४

तारांकित
प्रश्न संख्या

६४६	इंजन बनाने का दूसरा कारखाना . . .	१८३३—३५
६४७	गैर-सरका ी संचालकों द्वारा विमान सेवाओं का संचालन .	१८३५—३७
६४८	दिल्ली में जल सम्भरण	१८३७–३८
६४९	बम्बई-न्यूयार्क जेट सेवा . . .	१८३८–३९
६५१	दक्षिण रेल ` द्वारा दावों का भुगतान न किया जाना .	१८३९
६५२	कृष्णा–गोदावरी जल विवाद	१८३९—४१
६५३	चीनी के मूल्य	१८४१–४२
६५४	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये भत्ता .	१८४३–४४
६५५	कलकत्ता में टर्ल।फोन बिल	१८४४–४५
६५७	यूगोस्लाविया से खरीदे गये जहाज . .	१८४६–४७
६५८	अमरीका सरकार से वस्तु-विनिमय . . .	१८४७–४८
६५९	केरल में राष्ट्रीय राजपथ . . .	१८४८–४९
६६०	भिलाई इस्पात कारखाने से माल ले जाने के लिये माल-डि `	१८४९—५१
६६१	दिल्ली मे बिजली की सप्लाई	१८५१—५३
६६२	इम्फाल जल सम्भरण के लिये पाइप . . .	१८५३–५४
६६३	दिल्ली में "अन्तर्देशीय पत्रों" की कमी . . .	१८५४

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या १८५४—५६

७

विषय　　पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर　　१८५६—१९२३

तारांकित

प्रश्न संख्या

६५०	मक्का के विकास के लिये केन्द्र	१८५६
६५६	अधिक मात्रा में भेजी जाने वाली वस्तुओं पर लिया जाने वाला माल भाड़ा	१८५६
६६४	यात्रा अभिकर्ता सम्मेलन	१८५७
६६५	नरेला (दिल्ली) में बिजली की दर	१८५७
६६६	एयर इण्डिया इण्टरनेशनल का इंजीनियर नैरोबी में बन्दी	१८५७-५८
६६७	रेलों में भीड़भाड़	१८५८
६६८	फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान	१८५८
६६९	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	१८५८-५९
६७०	राज्यों में बिजली	१८५९-६०
६७१	मृतकों के शरीर में से निकाली गई आंख की पुतली आदि का दूसरे मनुष्यों के शरीर में लगाया जाना	१८६०
६७२	नेफा में अफीम के आदी लोग	१८६०-६१
६७३	तालचेर में तापीय बिजली घर	१८६१
६७४	मैसूर में बिजली की कमी	१८६१
६७५	राजस्थान के रेगिस्तान का रोका जाना	१८६१-६२
६७६	सांभर नमक के लिये माल-डिब्बे	१८६२-६३
६७७	चिट्ठियां छांटने की मशीन	१८६३
६७८	हैजे जैसी महामारी	१८६३
६७९	पाल्टा से कलकत्ता तक पानी का मुख्य-पाइप डालना	१८६३-६४
६८०	देसी नौकाओं को दुर्घटना से बचाने के लिये कार्यवाही	१८६४
६८१	दिल्ली के गांवों में परिवार नियोजन-केन्द्र	१८६४-६५
६८२	दामोदर घाटी निगम विद्युत् सम्भरण	१८६५-६६
६८३	"पैकेज प्लान"	१८६६
६८४	अस्पतालों के "कैजुएल्टी तथा एमरजेंसी" विभागों में सुधार	१८६६-६७
६८५	गेहूं समझौता	१८६७
६८६	केन्द्रीय गोदाम	१८६७
६८७	चितरंजन इंजन कारखाने में इस्पात ढलाई घर	१८६८
६८८	आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त माल-डिब्बों का आवंटन	१८६८
६८९	खाद्य तथा कृषि संगठन की खाद्य का रक्षित भंडार बनाने की योजना	१८६८-६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६६०	तपेदिक के रोगियों का घर पर इलाज	१८६६
६६१	दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना	१८६६–७०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०७८	जवारपुरा स्टेशन	१८७०
१०७६	राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६	१८७०–७१
१०८०	थेक्कावकुत्तूर, कोजीरोड में हाल्ट स्टेशन	१८७१–७२
१०८१	फलौदी से कोलायत तक रेलमार्ग	१८७२
१०८२	नेफा में पंचायतें	१८७२
१०८४	भोनगीर से नागार्जुन सागर तक रेलवे लाइन	१८७२
१०८५	उन्नाव स्टेशन पर जलपान-गृह	१८७३
१०८६	राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम	१८७३–७४
१०८७	कृष्णा नदी के पानी को मद्रास शहर की ओर ले जाना	१८७५
१०८८	दिवा-दसगांव रेलवे का सर्वेक्षण	१८७५
१०८६	उड़ीसा में रेलव लेवल-क्रासिंग्ज़ पर पुलों का निर्माण	१८७५
१०६०	उड़ीसा में डाकखानों की इमारतें	१८७५–७६
१०६१	उड़ीसा में रेलवे लाइनें	१८७६
१०६२	असम में नदी परियोजना का सर्वेक्षण	१८७७—८०
१०६३	असम में विद्युत् परियोजनायें	१८८०
१०६४	उड़ीसा डाक व तार सर्किल	१८८१
१०६५	पटसन अनुसन्धान केन्द्र, जाजंग	१८८१
१०६६	स्वास्थ्य बीमा योजना	१८८१–८२
१०६७	रायल सोसाइटी आफ हैल्थ कांग्रेस	१८८२–८३
१०६८	चेतनाशून्य करने वाली औषधियों की प्रतिक्रिया	१८८३
१०६६	गुजरात के बन्दरगाहों से लाया और ले जाया गया सामान	१८८३
११००	भारत-इण्डोनेशिया विमान सेवा	१८८३–८४
११०१	वाराणसी में होटल की सुविधा	१८८४
११०२	तटीय नौवहन	१८८४
११०३	दक्षिण रेलवे में गेटमैन	१८८४–८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

११०४	योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई आयुर्वेद सम्बन्धी तालिका की सिफारिशें	१८८५–८६
११०५	गजरौला से नजीबाबाद तक प्रतीक्षालय	१८८६
११०६	चिकनयकनहल्ली में रेलवे आडिट एजेंसी	१८८६
११०७	उन्नत बीज निवास	१८८७
११०८	सहकारिता सम्बन्धी विधियों का समेकन	१८८७
११०९	शहरों में गन्दगी	१८८७–८८
१११०	पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस	१८८८
११११	चावल का उत्पादन	१८८९
१११२	रामसिंह नगर और करनपुर स्टेशनों पर उपलब्ध पीने का पानी	१८८९
१११३	परिवार नियोजन	१८८९
१११४	भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे	१८९०
१११५	आन्ध्र प्रदेश को उर्वरकों का सम्भरण	१८९०–९१
१११६	फरक्का बान्ध का सामान ले जाना	१८९१
१११७	इम्फाल तमेंगलोंग सड़क	१८९१–९२
१११८	नागार्जुन सागर परियोजना	१८९२
१११९	सिंगरयाकोन्डा स्टेशन पर गाड़ी का रुकना	१८९२
११२०	बंसधरा परियोजना	१८९२–९३
११२१	खण्डसारी और गुड़ का उत्पादन	१८९३
११२२	गेहुं का मूल्य	१८९४
११२३	त्रिपुरा में अनारपुर सब-डिवीजन	१८९४
११२४	त्रिपुरा में राज्य परिवहन	१८९४–९५
११२५	त्रिपुरा में गांव पंचायतें	१८९५
११२६	जोधपुर डिवीजन के रेलवे का विस्तार	१८९५–९६
११२७	कोटा स्टेशन पर नाले का निर्माण	१८९६
११२८	आयुर्वेदिक कालेज	१८९६
११२९	मनीपुर में टेलीफोन	१८९७
११३०	डाक घर	१८९७–९८
११३१	भूमिहीन कृषि श्रमिक	१८९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११३२	कर्मचारियों के गतिविधियों के साथ डाक व तार के महानिदेशक की मुलाकात	१८९८–९९
११३३	अगरतला और त्रिपुरा के लिये नगरपालिका अधिनियम	१८९९
११३४	कठुआ में टेलीफोन ऐक्सचेंज	१८९९
११३५	थीन बांध	१८९९
११३६	बीकानेर डिवीजन में नये स्टेशन खोलना	१९००
११३७	गंगानगर क्षेत्र में चीनी का कारखाना	१९००
११३८	गंगानगर क्षेत्र में कृषि फार्म	१९००–०१
११३९	दिल्ली में सहकारी फार्म	१९०१
११४०	दिल्ली में नाली व्यवस्था	१९०१
११४१	तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड डालना	१९०२
११४२	रेल दुर्घटना के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	१९०२
११४३	केरल में अस्पतालों में पुस्तकालय	१९०३
११४४	रेलवे कर्मचारियों की बर्खास्तगी	१९०३
११४५	नये मेडिकल कालेज	१९०३–०४
११४६	मैसूर में रेलवे लाइनें	१९०४–०५
११४७	स्मारक टिकट	१९०५
११४८	दक्षिण-पूर्व रेलवे में इंजनों का खराब हो जाना	१९०५–०६
११४९	सेना लेखा विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारियों को दिया गया लाभ	१९०६
११५०	मौसम समाचार	१९०७
११५१	पानी का दूषित हो जाना	१९०७–०८
११५२	सुपारी	१९०८
११५३	अस्पतालों में इस्तेमाल किये जाने वाले मिक्सचर	१९०८–०९
११५४	दिल्ली डिवीजन में बिना टिकट यात्रा	१९०९
११५५	फिरोजपुर डिवीजन में बिना टिकट यात्रा	१९०९
११५६	इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकाल्चरल इकानामिक्स, बम्बई	१९०९–१०
११५७	स्कूटर रिक्शाओं के लिये टैक्सी वाले मीटर	१९१०
११५८	पूर्वोत्तर रेलवे में पलिया कलान से हसनपुर कटौती तक रेलवे लाइन	१९१०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११५९	बेलघोरिया (पूर्व रेलवे) में महिलाओं के लिये प्रतीक्षा स्थान (वेटिंग शेड) .	१६१०–११
११६०	अनाज की बरबादी . . .	१६११
११६१	सिंचाई के अधीन खेती की जमीन का क्षेत्रफल .	१६११
११६२	मिट्टी का सर्वेक्षण .	१६१२–१३
११६३	खाद्यान्नों का आयात	१६१३
११६४	पूर्वोत्तर रेलवे पर पुल	१६१३
११६५	नेफ़ा में क्षय-रोग	१६१३–१४
११६६	कोरटी के समीप कृष्णा नदी पर पुल .	१६१४
११६७	राष्ट्रीय राजपथ	१६१४
११६८	सीतीमनी रेलवे स्टेशन के पुल का स्थानान्तरण .	१६१५
११६९	हुबली से शोलापुर तक मीटर-गेज लाइन को बदलना	१६१५
११७०	मैसूर राज्य में भू-भौतिकीय जांच पड़ताल	१६१५–१६
११७१	आलनावर-डांडेली सेक्शन का सुधार . .	१६१६
११७२	गोहाटी को बिजली का सम्भरण .	१६१६
११७३	कोटा रेलवे क्वार्टरों में स्थित मिशनरी स्कूल . .	१६१६–१७
११७४	आसाम में डाक तथा तार सेवाओं में भर्ती	१६१७
११७५	पंचायती राज	१६१७–१८
११७६	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारी . .	१६१८
११७७	चेचक के टीके लगाना . .	१६१८–१९
११७८	क्षय रोग का सर्वेक्षण .	१६१९–२०
११७९	कैंसर, हैजा और प्लेग से मृत्यु .	१६२०
११८०	मानसिक रोग .	१६२०–२१
११८१	क्षय रोग और कैंसर के अस्पताल .	१६२१
११८२	मध्य प्रदेश से मक्का का क्रय	१६२१
११८३	स्मारक टिकट . . .	१६२१–२२
११८४	नासिक रोड और कल्याण स्टेशनों के बीच रेलवे क्रासिंग	१६२२
११८५	दक्षिण पूर्व रेलवे के विरमित्रापुर सेक्शन पर रेलवे पुलों में दरारें	१६२२–२३
११८६	रेलवे में पदोन्नति . . .	१६२३

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १६२३—२७

पूर्व रेलवे के अंडाल रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर एक मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर के बारे में, जिससे कई मौतें हुईं; दो स्थगन प्रस्तावों को जिनकी सूचना श्री एस० एम० बनर्जी और श्री राम सेवक यादव ने दी थी और एक ध्यान दिलाने की सूचना को, जिसकी सूचना श्री मनीराम बागड़ी ने दी थी, एक साथ लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने दोनों स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में एक वक्तव्य दिया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १६२८—३०

(१) श्री बिशन चन्द्र सेठ ने श्री फिज़ो के पूर्वी पाकिस्तान में कथित आगमन और विद्रोही नागाओं के एक और दल के पाकिस्तान को प्रस्थान की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री बिशन चन्द्र सेठ ने गोआ में वास्कोडिगामा के स्थान पर नगरपालिका भवन के हाल में हुए कथित बम विस्फोट की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(३) श्री हरि विष्णु कामत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ते में पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञों के विरुद्ध लगाये गये अराजनयिक और हानिकारक गतिविधि के कथित आरोपों की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य १६३०

प्रधान मन्त्री ने कालिम्पोंग में २२ मार्च, १६६२ को चीनी व्यापार एजेंसी से एक भारतीय पुलिसमैन पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति : १६३०—३१

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा अधिनियम डाक तथा तार, १६६२।

विषय पृष्ठ

(दो) विनियोग लेखे, डाक तथा तार १६६०–६१ ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) व्यापार बोर्ड के गठन के बारे में वक्तव्य ।

(दो) नारियल-जटा उद्योग एक्ट १६५३ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम् के वर्ष १६५६–६० के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवदन ।

(३) आय-कर अधिनियम, १६६१ की धारा २६६ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २७ मार्च, १६६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६५५ में जो कि दिनांक ५ मई, १६६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३७० द्वारा शुद्ध की गयी है, प्रकाशित आयकर (प्रमाणीकरण प्रक्रिया) नियम, १६६२ ।

(दो) दिनांक ३१ मार्च, १६६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६६६ में, जो कि दिनांक ७ मई, १६६२ की अधिसूचना संख्या १३७१ द्वारा शुद्ध की गयी है, प्रकाशित आय-कर १६६२ ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (सामान्य) १६५६–६० . . . १६३१

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १६५६–६० के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बाध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत किया ।

समिति के लिये निर्वाचन १६३१–३२

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य, भारतीय केन्द्रीय मसाले और काजू समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें . . . . . . १६३२—६६

सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित . . . १६६६—७१

(१) भारतीय दण्ड संहिता संशोधन, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन **(श्री दी० च० शर्मा का)**

विषय पृष्ठ

(२) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, (धारा ८ का संशोधन) **(श्री दी० च० शर्मा का)**

(३) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३०६ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)**

(४) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा ४६ का संशोधन और नई धारा ५३क का रखा जाना) **(श्री दी० च० शर्मा का)**

(५) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक (धारा २२, २३, २५ और ३५ का संशोधन **(श्री दी० चं० शर्मा का)**

(६) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक (धारा २ और २३ का संशोधन और धारा १६-क आदि का लोप) **(श्री दी० च० शर्मा का)**

(७) सहायक बैंक विलय विधेयक **(श्री दी० च० शर्मा का)**

(८) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन) **(श्री दी० च० शर्मा का)**

(९) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन) **(श्री दी० च० शर्मा का)**

(१०) समवाय संशोधन विधेयक (धारा ४३ख और २५०क का रखा जाना और २२४ और २३७ आदि का संशोधन) **(श्री दी० च० शर्मा का)**

(११) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ६२ का संचालन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)**

(१२) दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और २० का संशोधन और नई धारा ४८क का रखा जाना) **(श्री दी० च० शर्मा का)**

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस ले लिया गया . . . १६७१—७८

श्री स० च० सामन्त ने यह प्रस्ताव किया कि कारखाना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६क का रखा जाना) पर विचार किया जाय। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा को अनुमति से वापस ले लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन . . १६७८—८५

श्री म० ला० द्विवदी ने यह प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन विधेयक १९६२) (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) पर विचार किया जाय। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, १२ मई, १९६२/२२ वैशाख १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा।

(६) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक (धारा २ और २३ का संशोधन और धारा १९-क आदि का लोप) **[श्री दी० चं० शर्मा का]** १९६८

(७) सहायक बैंक विलय विधेयक **(श्री दी० चं० शर्मा का)** १९६९

(८) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९६२ (धारा ३ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]** १९६९

(९) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]** १९६९—७०

(१०) समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा ४३-ख और २५०-क का रखा जाना और धारा २२४ और २३७ आदि का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]** १९७०

(११) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ९२ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]** १९७०

(१२) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और २० का संशोधन और नई धारा ४८-क का रखा जाना) **[श्री दी० चं० शर्मा का]** १९७०—७१

कारखाना (संशोधन) विधेयक

(नई धारा ९-क का रखा जाना) **[श्री स० चं० सामन्त का]** वापस लिया गया ।

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . १९७१—७८

श्री स० चं० सामन्त १९७१

श्री बड़े १९७२

डा० मेल्कोटे १९७२-७३

श्री दी० चं० शर्मा १९७३

श्री स० मो० बनर्जी १९७३

श्री रघुनाथ सिंह १९७४-७५

श्री का० ना० पांडे १९७५

श्री दीनेन भट्टाचार्य १९७५-७६

श्री अ० शं० आल्वा . . . १९७६

श्री अ० प्र० शर्मा १९७६

श्री अ० ना० विद्यालंकार १९७७

श्री नम्बियार १९७७

श्री कच्छवैया १९७७

श्री श० ना० चतुर्वेदी १९७७

श्री हाथी . . . . १९७७—७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९७८—८५

श्री म० ला० द्विवेदी १९७८-७९

श्री रघुनाथ सिंह . . . १९७९—८३

श्री हेम राज १९८३

श्री दी० चं० शर्मा १९८३-८४

श्री गौरी शंकर . . . . . . १९८४—८५

श्री श० ना० चतुर्वेदी १९८५

दैनिक संक्षेपिका — १९८६—९४

समेकित विषय सूची (३० अप्रैल से १ मई, १९६२ / १० से २१ बैशाख, १८८४ (शक)

PLS. 41. II. 20; 62;
150.

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।